



एन बी सी एफ डी सी
NBCFDC

32^{वां} वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2023-24



राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)



32nd

**वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT**

2023-2024

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं से लाभ उठाते हुए लाभार्थियों का चित्रांकन
A PHOTO FEATURE REAPING THE BENEFITS OF NBCFDC SCHEMES

सामान्य ऋण योजना
General Loan Scheme



हरियाणा के सोनीपत जिले में लकड़ी का कार्य। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।

Wood work at Sonipat, Haryana. NBCFDC has provided loan under General Loan Scheme to the beneficiary through Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam.

सूक्ष्म वित्त योजना
Micro Finance Scheme



केरल के कोज़हिकोड जिले में सिलाई इकाई। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत अंतर्गत केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।

Tailoring Unit at Kozhikode District of Kerala. NBCFDC has provided loan under Micro Finance Scheme to the beneficiary through Kerala State Backward Classes Development Corporation

नई स्वर्णिमा योजना
New Swarnima Scheme



केरल के पथानमथिट्टा जिले में बेकरी शॉप। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने 'नई स्वर्णिमा योजना' के अन्तर्गत केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।

Bakery Shop at Pathanamthitta District, Kerala. NBCFDC has provided loan under New Swarnima Scheme to the beneficiary through Kerala State Backward Classes Development Corporation

सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना
Mahila Samridhi Yojana under Micro Finance Scheme



जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुनाई एवं कपड़ा कला। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने महिला समृद्धि योजना के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर वीमेंस विकास निगम के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।

Knitting & Fabric Art at Anantnag, J&K. NBCFDC has provided loan under Mahila Samridhi Yojana to the beneficiary through J&K Women's Development Corporation

सूक्ष्म वित्त योजना के अन्तर्गत लघु ऋण
Small Loan under Micro Finance Scheme



पंजाब के फतेहगढ़ में बढईगरी का काम। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने लघु ऋण योजना के अन्तर्गत पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन (बैकफिन्को) के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया है।

Carpentry work at Fatehgarh in Punjab. NBCFDC has provided loan under Small Loan Scheme to the beneficiary through Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation (BACKFINCO).

शैक्षिक ऋण योजना
Education Loan Scheme



पंजाब के फाजिल्का में एक प्राइवेट क्लिनिक में चिकित्सक। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत अंतर्गत पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन (बैकफिन्को) के माध्यम से लाभार्थी को ऋण प्रदान किया।

Doctor in a Pvt. Clinic at Fazilka, Punjab. NBCFDC has provided loan under Education Loan Scheme to the beneficiary through Punjab Backward Classes Land Development & Finance Corporation (BACKFINCO)

विपणन संयोजन
MARKETING LINKAGES



डॉ० वीरेंद्र कुमार, माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा शिल्प समागम मेला-2023, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का उद्घाटन किया गया।

Dr Virendra Kumar, Hon'ble Minister (SJ&E), Inaugurated Shilp Samagam Mela-2023 at Gwalior, Madhya Pradesh



डॉ० वीरेंद्र कुमार, माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा शिल्प समागम मेला-2023, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के स्टॉलों का दौरा किया गया।

Dr Virendra Kumar, Hon'ble Minister (SJ&E) visited the stalls at Shilp Samagam Mela-2023 at Gwalior, Madhya Pradesh



प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और डी.डी.जी., सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिल्प समागम मेला-2024, अमृतसर, पंजाब का उद्घाटन किया गया।

MD, NBCFDC and DDG, MOSJE inaugurated Shilp Samagam Mela-2024 at Amritsar, Punjab



श्री रामदास आठवले, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा शिल्प समागम मेला-2024, अमृतसर, पंजाब के स्टॉलों का दौरा किया गया।

Sh. Ramdas Athawale, Hon'ble MoS (SJ&E) visited stalls at Shilp Samagam Mela-2024 at Amritsar, Punjab

विपणन संयोजन
MARKETING LINKAGES



सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी-2023, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली का दौरा किया गया।

Secretary and other Senior Officials of Department of Social Justice & Empowerment visited Atam Nirbhar Bharat Exhibition-2023 at Bharat Madapam, Pragati Maidan, New Delhi



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लाभार्थी शिल्प समागम मेला, अमृतसर, पंजाब में मिट्टी के बर्तनों/सिरेमिक उत्पादों को प्रदर्शित/बिक्री करते हुए।

NBCFDC Beneficiary displaying/selling pottery/ceramic products at Shilp Samagam Mela at Amritsar, Punjab



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लाभार्थी पूर्वी हिमालयन ट्रेड एक्सपो, गुवाहाटी, असम में हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित/बिक्री करते हुए।

NBCFDC Beneficiary displaying/selling handicraft products at East Himalayan Trade Expo, Guwahati, Assam



एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लाभार्थी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद, हरियाणा में हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित/बिक्री करते हुए।

NBCFDC Beneficiary displaying/selling handicraft products at Surajkund International Crafts Mela at Faridabad, Haryana

लक्षित वर्ग हेतु पी. एम. दक्ष योजना के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
SKILL DEVELOPMENT PROGRAMMES FOR TARGET GROUP UNDER PM DAKSH SCHEME



एम.एस.एम.ई., भिवाड़ी, राजस्थान द्वारा ऑटोमेशन एवं रखरखाव में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training Programme in Automation & maintenance conducted by MSME, Bhiwadi, Rajasthan.



केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एण्ड प्रौद्योगिकी संस्थान, अगर्तला, त्रिपुरा द्वारा मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट-प्लास्टिक एक्सट्रूजन मोल्डिंग में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training programme in Machine Operating Assistant-Injective Molding conducted by Central Institute for Petrochemical Engineering and Technology at Agartala, Tripura.



आई.जी.टी.आर., औरंगाबाद, महाराष्ट्र द्वारा सी.ए.सी. टर्निंग में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training Programme in CNC Turning conducted by IGTR Aurangabad at Aurangabad, Maharashtra.



परिधान प्रशिक्षण एण्ड डिजाइन केंद्र, वड़ोदरा, गुजरात द्वारा फैशन डिजाइनिंग में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

Training programme in Fashion Designing conducted by Apparel Training and Design Centre at Vadodara, Gujarat.

**प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना
TECHNOLOGY UPGRADATION SCHEME**



असम के डिब्रूगढ़ में नींबू उत्पादक समूह। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामक) लिमिटेड के माध्यम से इस समूह को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और आधुनिक उपकरण/टूलकिट प्रदान किए।

Lemon Grower Cluster at Dibrugarh in Assam. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme and Modern Equipments/Tools to the beneficiaries of this cluster through North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) Ltd.



संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग में कालीन बुनाई समूह। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कालीन उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक कालीन करघा / उपकरण और सीएफसी का विकास प्रदान किया।

Carpet Weaving Cluster at Anantnag in UT J&K. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme, Modern Carpet Looms/Equipments and Development of CFC to artisans of this cluster through Indian Institute of Carpet Technology (IICT), Srinagar



हरियाणा के झज्जर जिले में पॉटरी समूह। एनबीसीएफडीसी ने भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), के माध्यम से पॉटरी समूह के कारीगरों को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, आधुनिक मशीनरी/उपकरण और सीएफसी का विकास प्रदान किया।

Pottery Cluster at Distt. Jhajjar, Haryana. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Training Programme, Modern Machinery/Tools and Development of CFC to artisans of pottery cluster through Indian Institute of Entrepreneurship (IIE)



अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में मधुमक्खी पालन का समूह। एनबीसीएफडीसी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामक) लिमिटेड के माध्यम से इस समूह के लाभार्थियों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम और आधुनिक उपकरण/टूलकिट प्रदान किए।

Beekeeping Cluster at Changlang, Arunachal Pradesh. NBCFDC has provided Entrepreneurship Development Programme and Modern Equipments/Tools to beneficiaries of this cluster through North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) Ltd.

जागरूकता कार्यक्रम
AWARENESS PROGRAMME



केरल राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला-एर्नाकुलम, केरल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by Kerala State Backward Classes Finance & Development Corporation at Ernakulam Distt. of Kerala



राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि० द्वारा जिला-पाली, राजस्थान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by Rajasthan OBC Finance and Development Coop. Nigam at Paali Distt. of Rajasthan



उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० द्वारा जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. at Azamgarh Distt. of Uttar Pradesh



जे एंड के वीमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा जिला-अनंतनाग, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन
Awareness Programme organized by J&K Women's Development Corporation at Anantnag Distt., UT of J&K

सीएसआर अन्तर्गत पहल
INITIATIVES UNDER CSR



पुलिस लाइन टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में बास्केट बॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट आदि खेल सुविधाओं का निर्माण।

Construction of Sport facilities like Basket Ball Court, Lawn Tennis Court and Volley Ball Court etc. in Police Lines Tikamgarh, Madhya Pradesh.



हरियाणा के गुड़गांव जिले के बंधवारी गांव में स्थित आश्रय गृह में परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों और निराश्रय, दिव्यांगजनों, असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए ग्रीष्म कालीन कपड़ों का वितरण।

Distribution of Summer clothes for abandoned Senior Citizens and homeless, divyaganjan, patients suffering from incurable diseases in the Shelter home located in Bandhwari village, District Gurgaon, Haryana





बिहार के लखीसराय ब्लॉक के पांच पंचायतों में स्वास्थ्य और पोषण पर जागरूकता शिविर और प्राथमिक चिकित्सा किटों का वितरण।

Camps on Awareness on Health and Nutrition and Distribution of First Aid Kits in Five Panchayat in the Block of Lakahi Sarai District, Bihar.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION


वर्षवार सकल उपभोग एवं सकल वसूली की धनराशि
Yearwise Cumulative Utilization Amount and Cumulative Recovery Amount



राशि रु./करोड़ में
Amount in Rs./Cr.)

पैमाने पर नहीं
Not to Scale

31.03.2024 तक अधिकृत अंशपूंजी, प्रदत्त अंश पूंजी, संचयी वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थी।
Authorized Share Capital, Paid-up Share Capital, Cumulative Amount Disbursed and Beneficiaries Assisted upto 31.03.2024.



राशि रु./करोड़ में
Amount in Rs./Cr.)

पैमाने पर नहीं
Not to Scale

वर्ष 2022-2023 एवं 2023-24 के दौरान आवंटन, वितरण, वसूली, प्रशिक्षित लाभार्थी, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण।
Comparative presentation achievement of Allocation, Disbursement, Recovery, Beneficiaries trained & assisted during 2022-2023 & 2023-24.

राजभाषा हिन्दी कार्यकलाप
RAJBHASHA HINDI ACTIVITIES



निगम की राजभाषा कार्यालय कार्यान्वयन समिति में भाग लेते हुए श्री राजन सहगल, अध्यक्ष, रा.भा.का.स. एवं प्रबन्ध निदेशक व समिति के अन्य पदाधिकारी गण।



निगम की राजभाषा पत्रिका " राजभाषा सुभाषिणी" का विमोचन करते हुए श्री राजन सहगल, प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य अधिकारी गण।



उप निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को राजभाषाई निरीक्षण के दौरान स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए श्री राजन सहगल, प्रबन्ध निदेशक।



सहायक निदेशक(राजभाषा), राजभाषा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राजभाषाई निरीक्षण करते हुए।



नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नराकास, दिल्ली, (उपक्रम-2) से सम्मान स्वरूप शील्ड प्राप्त करते हुए श्री अजित कुमार सामल, मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त) एवं श्री जावेद अहमद खॉं, प्रबन्धक(राजभाषा)।



हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते हुए निगम के कार्मिक।

निदेशक मण्डल
BOARD OF DIRECTORS



श्री राजन सहगल
प्रबन्ध निदेशक
Shri Rajan Sehgal
Managing Director



श्री अमित कुमार घोष
अपर सचिव (बी.सी.)
सा. न्याय और अधि.मंत्रालय, भारत सरकार, निदेशक
Shri Amit Kumar Ghosh
AS(BC), SJ&E, GOI, Director



श्री एस एस वसीहरन
म.प्र., नाबार्ड, निदेशक
Shri S S Vaseeharan
GM, NABARD, Director



श्री संजय कुमार सिंह
गैर-सरकारी निदेशक
Shri Sanjay Kumar Singh
Non-official Director



श्रीमती पिकी कुमारी
गैर-सरकारी निदेशक
Smt. Pinki Kumari
Non-official Director

32वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2023-24

निदेशक मण्डल
Board of Directors

श्री राजन सहगल

प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.,
नई दिल्ली

Sh. Rajan Sehgal

Managing Director, NBCFDC,
New Delhi

श्री अमित कुमार घोष

अपर सचिव(बी.सी.),
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

Sh.Amit Kumar Ghosh

Additional Secretary(BC)
Ministry of Social Justice &
Empowerment,
Govt. of India

श्री एस एस वसीहरन,

महाप्रबन्धक, नाबार्ड, दिल्ली

Shri S S Vaseeharan

GM,NABARD, Delhi

श्रीमती पिंकी कुमारी

गैर-सरकारी निदेशक,
पटना, बिहार

Smt. Pinki Kumari

Non-official Director,
Patna, Bihar

श्री संजय कुमार सिंह

गैर-सरकारी निदेशक,
पटना, बिहार

Shri Sanjay Kumar Singh

Non-official Director,
Patna, Bihar

प्रबंध निदेशक/
Managing Director:

श्री राजन सहगल

Sh. Rajan Sehgal

मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त) एवं
कम्पनी सचिव/CGM(Fin.)
& Company Secretary:

श्री अजित कुमार सामल

Sh. Ajit Kumar Samal

लेखापरीक्षक/Auditors :

मैसर्स डी.सी.गर्ग

चार्टर्ड एकाउंटेंट,
दिल्ली-110032

M/s D.C. Garg & Co.

Chartered Accountants,
Delhi-110032

मुख्य बैंकर्स/
Principal Bankers:

- केनरा बैंक, नई दिल्ली
- पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली
- बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली
- आई.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक, नई दिल्ली
- एच.डी.एफ.सी. बैंक, नई दिल्ली

- Canara Bank, New Delhi
- Punjab National Bank,
New Delhi
- Bank of Baroda, New Delhi
- IDFC FIRST Bank, New Delhi
- HDFC Bank, New Delhi



LETTER TO THE SHAREHOLDERS

Dear Members,

On behalf of the Board of Directors of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) and on my own behalf, I extend a very warm welcome to all of you to the 32nd Annual Report of the Corporation.

1. Performance and Achievements

During the financial year 2023-24, with the collective efforts made by the employees of the Corporation and with the support and guidance of Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India, your Corporation has disbursed Rs.525.09 crores new loans, bringing around seventy thousand new beneficiaries under its ambit.

The Corporation registered a total income of Rs.57.77 Crores as against Rs.55.52 Crores during previous year. The surplus funds generated will be used to enhance the level of disbursement to the target group. The net worth of your corporation stood at Rs. 2145.46 crores as compared Rs. 2099.28 crores as on 31.03.2023.

As part of its developmental activities, your Corporation facilitated skill development training to 37407 beneficiaries under PM-DAKASH scheme of Ministry of SJE. All training programmes are being imparted as per the guidelines of the Common Norms issued by MSDE. The Corporation has also started implementing the "Scholarship for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) – National Fellowship for OBC Students" scheme of the Ministry from this year.

The overall performance of the Corporation for the financial year 2022-23 was rated as 'Very Good' by Department of Public Enterprises (DPE), GOI in respect of MoU targets. Going by the self-evaluation, the Corporation expects to maintain 'Very Good' rating for the financial year 2023-24.

2. Corporate Governance

The Corporation has adopted the Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises, Government of India. Transparency, integrity and accountability in affairs of the Corporation are vital for effective functioning and we are committed to these principles.

3. Future Outlook

I am aware of huge mandate and expectations of the stakeholders from the Corporation.



अंशधारकों को पत्र

प्रिय सदस्यों,

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) के निदेशक मंडल की ओर से तथा अपनी ओर से निगम की 32वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

1. कार्य निष्पादन एवं उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम के समस्त कर्मचारियों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग एवं मागदर्शन से आपके निगम ने कुल ₹. 525.09 करोड़ के नये ऋणों का संवितरण किया है, जिससे लगभग 70 हजार नए लाभार्थियों को दायरे में लाया गया है।

निगम ने गत वर्ष ₹. 55.52 करोड़ की आय की तुलना में कुल ₹. 57.77 करोड़ की आय दर्ज की है। सृजित आधिक्य आय का उपभोग लक्षित समूह हेतु संवितरण का स्तर बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ₹. 2099.28 करोड़ की तुलना में आपके निगम की निवल सम्पत्ति ₹. 2145.46 करोड़ हो गई है।

इसके विकासात्मक कार्यकलापों के अंग के रूप में, आपके निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पी.एम.-दक्ष योजना के तहत 37407 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है। समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मानकों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। निगम ने इस वर्ष से मंत्रालय की "यंग अचीवर्स (श्रेयस) उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना - ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप" योजना को भी लागू करना आरम्भ किया है।

एमओयू के लक्ष्यों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगम के समग्र प्रदर्शन को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा 'बहुत अच्छा' श्रेणी में मूल्यांकन किया गया है। स्व-मूल्यांकन के आधार पर, निगम को आशा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 'बहुत अच्छा' रेटिंग बनाए रखने की उम्मीद है।

2. कॉर्पोरेट प्रशासन

निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी दिशानिर्देशों को अपनाया है। निगम के कार्यकलापों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही एवं प्रभावी कार्यपद्धति के लिए महत्वपूर्ण हैं और हम इन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

3. भविष्य का परिदृश्य

मैं निगम से हितधारकों के विशाल अधिदेश और अपेक्षाओं से अवगत हूँ। एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत अभी भी

Considering the number of beneficiaries yet to be covered under NBCFDC schemes, the Corporation attempts to actively engage with the channel partners for expanding credit outreach. The Corporation regularly reviews its schemes/guidelines for easy of doing business and to cater the needs of BC beneficiaries. I am optimistic that with the support and guidance of the Board, the Government and the employees; it would be possible to effectively address the needs of the target group.

4. **CSR**

Not restricting on its laurels of being a social sector enterprise, your Corporation has been funding much needed intervention at grass-root level for the poor & marginalized as a part of its Corporate Social Responsibility (CSR). It is noteworthy that NBCFDC surpassed the minimum statutory targets of CSR spending by cumulatively spending Rs. 6.35 crore as at end of the year.

5. **Acknowledgments**

I take this opportunity to express my appreciation for the valuable support and guidance given by the members of the Board from time to time. I would also like to place on record my sincere gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Department of Social Justice Empowerment (BC), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, State Governments/ UT Administrations, State Channelising Agencies (SCAs), Regional Rural Banks (RRBs), Public Sector Banks (PSBs), Skill Training Partners, other concerned Government Agencies, officials of the C&AG of India and Department of Public Enterprises.

I am confident that the Corporation would continue to serve its stakeholders and extend the coverage in future with the guidance of the Board, valuable inputs of our esteemed stakeholders, commitment and support of employees of the Corporation.

With best wishes,

Place: New Delhi
Date: 25th September, 2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
DIN: 03633935

Note: This does not purport to be a record of the proceedings of the Annual General Meeting.

कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, निगम ने ऋण पहुँच के विस्तार के लिए चैनल सहभागियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का प्रयास किए हैं। व्यवसाय को आसान बनाने और पिछड़े वर्गों के लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम नियमित रूप से अपनी योजनाओं/दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है। मुझे आशा है कि निदेशक मण्डल, सरकार और कर्मचारियों के सहयोग और मार्गदर्शन से; लक्षित समूह की आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से समाधान करना संभव होगा।

4. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

सामाजिक क्षेत्र के उद्यम होने के नाते अपने कार्यों तक सीमित न होते हुए, आपका निगम निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के कार्य के रूप में गरीब एवं हासिए पर रहने वाले वंचित व्यक्तियों के लिए जमीनी स्तर पर अति आवश्यक हस्तक्षेप कर वित्तीयन कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने वर्ष की समाप्ति पर रू. 6.35 करोड़ का सकल व्यय कर निगमित सामाजिक दायित्व के सांविधिक न्यूनतम व्यय लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है।

5. आभार

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए सराहना प्रकट करता हूँ। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग (बीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.), कौशल प्रशिक्षण सहभागियों, अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों एवं सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग से प्राप्त निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के लिए भी हार्दिक आभार अभिलेखित करना चाहता हूँ।

मुझे विश्वास है कि निगम अपने हितधारकों की सेवा करना जारी रखेगा और निदेशक मण्डल के मार्गदर्शन, हमारे सम्मानित हितधारकों के मूल्यवान इनपुट, निगम के कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और सहयोग के साथ निगम भविष्य में कवरेज का विस्तार करना जारी रखेगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितम्बर, 2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

टिप्पणी- इसे वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड न माना जाए।



विषय सूची Contents

क्र.स. S.No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	सूचना Notice	1
2	निदेशकों का प्रतिवेदन Director's Report	2-63
3	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां Comments of C & AG of India	64-65
4	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditor's Report	66-72
5	तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) Balance Sheet	73
6	आय एवं व्यय लेखा Income & Expenditure Account	74
7	रोकड़ प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	75
8	अंश पूंजी में परिवर्तन का विवरण Changes in Equity Statement	76
9	टिप्पणियाँ एवं लेखा नीतियाँ Notes and Accounting Policies	77-125

निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक Annexures to the Director's Report

क्र. स. Annexure	विवरण Title	पृष्ठ संख्या Page No.
1	चैनल सहभागियों की सूची List of Channel Partners	21-24
2	भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU with Govt. of India	25-26
2.1	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में उपलब्धियां बनाम लक्ष्य Achievements vs Targets for the year ended 31st March, 2024	27-28
3	वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक-वार वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement Showing SCA/RRB/PSB wise disbursement & No. of Beneficiaries Assisted during 2021-22 to 2023-24	29-32
3.1	वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यवार एवं योजनावार वितरण Statewise & Schemewise Disbursement during the year 2023-24	33-34
3.2	वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान धनराशि आहरित न करने वाले राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) की स्थिति Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2023-24	35-36
3.3	वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं योजनावार संवितरण के आंकड़े State/UT and Scheme wise Disbursement Data Financial Year 2023-24	37-38
3.4	वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान महिला योजना के आंकड़े Scheme for Women Data Financial Year 2023-24	39
3.5	01.04.2023 से 31.03.2024 तक वितरित राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थी का विवरण एवं उसका 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उपभोग Details of Amount Disbursed, Beneficiaries Assisted from 01.04.2023 to 31.03.2024 & utilized thereon as on date 31.03.2024	40-42
3.6	वर्ष 2023-24 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट Annual Report on CSR Activities for the year 2023-24	43-45

क्र. स. Annexure	विवरण Title	पृष्ठ संख्या Page No.
3.7	वित्तीय वर्ष (2023-24) में चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR amount spent against Ongoing Projects for the financial year (2023-24)	46
3.8	वित्तीय वर्ष 2023-24 में चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2023-24	47
3.9	पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण Details of CSR amount spent in the Financial Year for Ongoing Projects of the preceding financial year(s)	48
3.10	वर्ष 2023-2024 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएं CSR Activities/Projects during the year 2023-2024	49
4	31 मार्च, 2024 तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण Statement showing SCA-wise/State-wise cumulative dues and recoveries upto 31st March, 2024	50-53
5	वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान 31.03.2024 तक पीएम-दक्ष योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह को राज्यवार कौशल विकास प्रशिक्षण State-wise Skill Development Training Provided to target group under PM-DAKSH Yojna during the year 2023-24 (as on 31.03.2024)	54
6	प्रशिक्षण संस्थानों की सूची List of Training Institute	55-57
7	विपणन संयोजन (2023-24) MARKETING LINKAGES (2023-2024)	58
8	वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अवधि में पूर्ण मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख परिणाम Major Outcomes of Evaluation Studies finalised during FY 2023-2024	58
9	कॉर्पोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कॉर्पोरेट प्रशासन पर प्रमाण- पत्र Report of Directors on Corporate Governance & Certificate on Corporate Governance.	59-63

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

No. NBCFDC/AGM-32/2024/1427-1432

Dated: 12th September, 2024

NOTICE

Notice is hereby given that the 32nd Annual General Meeting of the Shareholders of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) will be held on Wednesday, the 25th Day of September, 2024 at 11:00 AM at Old Conference Room No. 603, A Wing, 6th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1 : To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Corporation for the financial year ended March 31, 2024, together with reports of the Directors, Auditors' and comments of Comptroller of Auditor General of India thereon.

BY THE ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-

(Ajit Kumar Samal)

CGM (F) & Company Secretary

Place : New Delhi

Dated : 12.09.2024

Notes:

1. A MEMBER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND THE MEETING AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF. THE PROXY NEED NOT BE A MEMBER OF THE COMPANY.

To :

1. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member is representing the President of India)
2. Shri Amit Kumar Ghosh, AS(BC), Govt. of India, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi (Member).

Copy to:

M/s D C GARG & CO (DE1175),	}	With the request to make it convenient to
Chartered Accountants,	}	attend the meeting on scheduled date and
1/4969, Balbir Nagar Ext., Shahdara, Delhi-110051	}	time & place as mentioned above.

Special Invitees

With the request to kindly make it convenient to attend 32nd Annual General Meeting (AGM) of NBCFDC scheduled to be held on Wednesday, the 25th Day of September, 2024 at 11:00 AM at Old Conference Room No. 603, A Wing, 6th Floor, Shastri Bhawan, New Delhi-110001:

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| 1. Shri Rajan Sehgal | Managing Director | 3. Smt. Pinki Kumari (NOD) | Director |
| 2. Shri S S Vaseeharan, GM, NABARD | Director | 4. Shri Sanjay Kumar Singh (NOD) | Director |

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

सं.एन.बी.सी.एफ.डी.सी./ए.जी.एम.-32/2024/1427-1432

दिनांक: 12 सितम्बर, 2024

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंश धारकों की 32वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, ओल्ड कॉन्फ्रेंस रूम सं. 603, ए विंग, 6वाँ तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्न व्यवसाय के निष्पादित करने हेतु की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय

मद सं.1 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निगम के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के साथ निदेशकों, अंकेक्षकों के प्रतिवेदन एवं उस पर भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकार करना।

निदेशक मण्डल के निदेशकों के आदेश से

ह0-

(अजित कुमार सामल)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 12.09.2024

मुख्य महाप्रबंधक(वित्त) एवं कंपनी सचिव

टिप्पणी:

1. बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के पात्र सदस्य को बैठक में स्वयं उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

सेवा में:

- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि सदस्य)
- अपर सचिव (पिछड़ा वर्ग), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सदस्य)

प्रतिलिपि:

मेसर्स डी.सी. गर्ग एण्ड क. (डी.ई.1175) } इस अनुरोध के साथ कि कृपया ऊपर दर्शाई गई तिथि,
चार्टर्ड एकाउंटेंट, } समय एवं स्थान पर बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।
1/4969, बलबीर नगर एक्सटेंसन, शाहदरा, दिल्ली-110051 }

विशेष आमंत्रि

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की 32वीं वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे, ओल्ड कॉन्फ्रेंस रूम सं. 603, ए विंग, 6वाँ तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में आयोजित किया जाना है, कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें:

- | | | | |
|---|----------------|--|--------|
| 1. श्री राजन सहगल | प्रबन्ध निदेशक | 3. श्रीमती पिकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक | निदेशक |
| 2. श्री एस एस वसीहरन, महाप्रबंधक, नाबार्ड | निदेशक | 4. श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक | निदेशक |

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present the 32nd Annual Report on the business and operations of your Corporation together with the Audited Financial Statements and Auditors' Report thereon for the financial year ended on 31.03.2024.

1. CORPORATE PROFILE

- National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) was incorporated on 13 January, 1992 under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now Section 8 of Companies Act 2013) as a Company not for profit.
- The Corporation promotes economic and developmental activities for the target population through concessional loans and skilling activities.
- The concessional lending is the major activity of the Corporation, which is undertaken through State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks (Channel Partners).
- At present, 45 State Channelizing Agencies (SCAs) nominated by States/UTs and 36 Banks including 05 Public Sector Banks (PSBs) and 31 Regional Rural Banks (RRBs) can channelize loans under NBCFDC. List of CPs is available at **Annexure-1** (Page No. 21-24).
- The CPs are required to identify and formulate technically feasible and financially viable projects and submit an Annual Action Plan (AAP) to obtain loan from NBCFDC. The CPs are also required to identify potential beneficiaries, their vocational and training requirements and viable projects as per the needs of the beneficiaries.

2. VISION

To play a leading role in upliftment of economic status of the target group of Backward Classes.

3. MISSION

To provide concessional financial assistance to the eligible members of Backward Classes for self-

employment and skill development.

4. MAIN OBJECTIVES

NBCFDC's main objectives are:

- To promote economic and developmental activities for the benefit of Backward Classes and other such categories as may be defined from time to time.
- To assist in the up-gradation of technical and entrepreneurial skills of backward classes for proper and efficient management of production units.
- To assist in the up-gradation of technical, artisanal, entrepreneurial and managerial skills for products/ services of socially & educationally Backward Classes including all forms of skill development & up-gradation and other categories as may be defined from time to time.
- To assist, subject to such income and /or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to Backward Classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects.
- To promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes.
- To grant concessional finance in selected cases for persons belonging to backward classes as per annual family income criteria defined from time to time (presently it is upto ₹ 3.00 Lakh)
- To extend loans to the backward classes for pursuing general/professional/technical/ vocational education or training at graduate and higher level.

In pursuance of above objects, your Corporation is engaged in providing financial assistance at concessional interest rates under various credit schemes to beneficiaries belonging to target group of Backward Classes through the State/ UT Channelizing Agencies and other channel partners.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय अंशधारकों,

आपके निदेशकों को 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के परीक्षित लेखा विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपके निगम के व्यवसाय और कार्यकलापों से संबंधित 32वें वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. निगमित रूपरेखा

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कंपनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को निगमित किया गया।
- निगम रियायती ऋण एवं कौशल विकास कार्यकलापों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या हेतु 'आर्थिक और विकासात्मक' कार्यकलापों को प्रोत्त करता है।
- रियायती ऋण प्रदान करना निगम का प्रमुख कार्य है जो राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) एवं बैंकों (चैनल सहभागियों) के माध्यम से किया जाता है।
- वर्तमान में राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों ने 45 राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को नामित किया है; एवं 36 बैंकों, जिनमें 05 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें सम्मिलित हैं, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के ऋणों को चैनलाइज करते हैं। चैनल सहभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** (पृ.स. 21-24) पर उपलब्ध है।
- चैनल सहभागियों को तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने व एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। चैनल सहभागियों को लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार संभावित लाभार्थियों, उनकी व्यावसायिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं और व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने की भी आवश्यकता होती है।

2. दृष्टि

पिछड़े वर्गों के लक्ष्य समूह की आर्थिक स्थिति के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाना।

3. लक्ष्य

पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती दर पर वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास उपलब्ध कराना।

4. मुख्य उद्देश्य

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के मुख्य उद्देश्य:

- पिछड़े वर्गों एवं समय-समय पर परिभाषित इस प्रकार की अन्य श्रेणियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
- उत्पादन इकाइयों के समुचित एवं दक्षतापूर्ण प्रबंधन हेतु पिछड़े वर्गों के तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल को उन्नत करने में सहायता करना।
- सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित अन्य श्रेणियों को जैसा कि समय-समय पर परिभाषित किया जाए सभी प्रकार के कौशल विकास व उत्पादों / सेवाओं के लिए तकनीकी, दस्तकारी, उद्यमीय व प्रबंधकीय कौशल उन्नयन में सहायता करना।
- सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित आय और/ अथवा आर्थिक मापदण्ड को पूरा करने की दशा में पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर ऋण और अग्रिम के माध्यम से सहायता प्रदान करना।
- पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्व-रोजगार और अन्य अवसरों को बढ़ावा देना।
- समय-समय पर विनिर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय (वर्तमान में रू. 3.00 लाख तक) के अनुसार चयनित मामलों में पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को रियायती वित्त प्रदान करना।
- सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी/वोकेशनल शिक्षा या स्नातक व उच्च स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों के लिए ऋण प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, आपका निगम राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं अन्य चैनल सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लक्षित समूह को रियायती ब्याज दर पर विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है।

5. REGISTERED OFFICE

Your Corporation is operating from its Registered Office at 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

6. SHARE CAPITAL

The Authorized Share Capital of the Corporation is ₹ 1725.00 Crore. The paid up share capital at the beginning of financial year 2023-24 was ₹ 1499.40 crore. The Government of India released ₹ 15.00 crore during the year towards equity support. The cumulative Paid up Capital at the end of financial year has reached the level of ₹ 1514.40 crore. The entire equity of the Corporation is held by Government of India.

7. ELIGIBILITY

The applicant should belong to a caste included under the Other Backward Classes list as notified by State/Central Government from time to time. Applicant has to submit Relevant Caste Certificate issued by relevant authority of District Administration.

At present persons whose annual family income is upto ₹ 3,00,000/- irrespective of rural or urban sector are eligible to avail loans under NBCFDC schemes. SCAs have been advised to provide at least 50% of total funding to persons with annual family income upto ₹ 1.50 Lakh. The annual family income ceiling has been fixed in terms of Ministry of SJ&E's letter No.14015/01/2010-SCD-IV dated 8th March, 2018.

Following certifications to establish the income criteria can be used by the applicant:-

- i) Certificate of income issued by Competent Authority of State Government/Distt. Administration or Antodaya Ann Yojana (AAY) Card or Below Poverty Line (BPL) Card.
- ii) Annual family income certificate may be considered by the SCAs/Banks on self-certification of the beneficiaries with endorsement of the same by any Gazetted Officer notified by State/Central Government.

- iii) In case of loan being applied at Bank (Channel Partner), Self-Certification assessed and endorsed by Branch Manager can be used for providing the loan.
- iv) For Landless agriculture labour, marginalized farmers (those with land holding up to One-hectare) and small farmers (those with land holding up to Two-hectare), as assessed by the Banks through their standard processes and belonging to the Backward Classes will be automatically treated as part of the target group as per following considerations: -
 - a. Landless agriculture labour and marginalized farmers with land holding less than One hectare will be deemed as having annual family income upto ₹ 1.50 Lakh.
 - b. Small farmers i.e. those with land holding between One and Two hectares will be deemed as having annual family income upto ₹ 3.00 Lakh.

8. WORKING RESULTS

During the year, the disbursement of loan of the Corporation stood at ₹ 525.09 Crores as compared to ₹ 511.84 cores in the previous year. Cumulatively, your Corporation has disbursed loan amounting to ₹ 7146.78 Crores for 32,45,012 beneficiaries. On Skill Development front, your Corporation facilitated training of 37407 beneficiaries during 2023-24.

The Corporation's operating income stood at of ₹ 54.91 Crore as compare to the ₹ 53.13 Crore registered in 2022-23. The surplus of income over expenditure before exceptional items and tax was ₹ 30.72 crores in the current year in comparison to ₹ 29.93 crores during the previous year.

9. SECTORS OF FINANCING

Your Company provides loans at concessional rate of interest to the poorer section of Backward Classes and assists them in skill development and self-employment

5. पंजीकृत कार्यालय

आपका निगम 5वां तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली- 110016 स्थित अपने पंजीकृत कार्यालय से कार्य कर रहा है।

6. अंश पूंजी

निगम की प्राधिकृत अंश पूंजी रु. 1725 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आरंभ में प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 1499.40 करोड़ थी। इक्विटी सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा रु. 15.00 करोड़ जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचयी प्रदत्त अंश पूंजी ₹ 1514.40 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। निगम की समस्त इक्विटी भारत सरकार के पास है।

7. पात्रता

आवेदक को समय-समय पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत शामिल जाति से संबंधित होना चाहिए। आवेदक को जिला प्रशासन के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी संगत जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

वर्तमान में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना, वार्षिक पारिवारिक आय प्रतिवर्ष रु. 3.00 लाख तक के व्यक्ति एन.बी. सी.एफ.डी.सी. योजनाओं के तहत ऋण लेने हेतु पात्र है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सलाह दी गई है कि कुल धनराशि का कम से कम 50% वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक आय वाले परिवारों को उपलब्ध कराएं। वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पत्र सं.14015/01/2010-एससीडी-IV दिनांक 8 मार्च, 2018 के अनुसार विनिर्धारित की गई है।

आय मानदंड के लिए आवेदक द्वारा प्रमाणीकरण हेतु निम्न का उपयोग किया जा सकता है -

- राज्य सरकार/जिला प्रशासन अथवा अंत्योदय अन्न योजना अथवा गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र।
- लाभार्थी द्वारा स्व-सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी से पृष्ठांकित होने पर एस.सी.ए. /बैंक विचार कर सकते हैं।

iii) बैंक (चैनल सहभागी) में ऋण हेतु आवेदन करने के मामले में ऋण उपलब्ध कराने हेतु शाखा प्रबंधक द्वारा लाभार्थी के स्व-प्रमाणीकरण को मूल्यांकन एवं पृष्ठांकन कर प्रयोग किया जा सकता है।

iv) भूमिहीन कृषि श्रमिक व सीमांत किसान (जिनके पास एक हेक्टर तक भूमि है) एवं छोटे किसानों (जिनके पास दो हेक्टर तक भूमि है), जैसा कि बैंक द्वारा उनकी मानक क्रिया के तहत मूल्यांकन किया जाता है एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित है; निम्नानुसार स्वतः लक्षित वर्ग माने जाएंगे:

- भूमिहीन कृषि श्रमिक एवं सीमांत किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.50 लाख तक मानी जाएगी।
- छोटे किसान वे हैं जिनके पास एक से दो हेक्टेयर के बीच भूमि है, की वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख तक मानी जाएगी।

8. कार्य परिणाम

निगम ने वर्ष के दौरान, गतवर्ष ₹511.84 करोड़ की तुलना में ₹525.09 करोड़ का कुल ऋण वितरण किया। आपके निगम ने 32,45,012 लाभार्थियों के लिए ₹7146.78 करोड़ की सकल ऋणराशि का वितरण किया है। कौशल विकास की मद में आपके निगम ने वर्ष 2023-24 की अवधि में 37407 लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2022-23 में दर्ज़ की गई रु. 53.13 करोड़ की तुलना में निगम की प्रचालन आय रु. 54.91 करोड़ है। पिछले वर्ष की अवधि में रु. 29.93 करोड़ की तुलना में, चालू वर्ष में अतिरिक्त मदों एवं टैक्स से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य रु. 30.72 करोड़ है।

9. वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र

आपका निगम पिछड़े वर्ग के निर्धनतम समुदाय को रियायती ब्याज दर पर आसान ऋण उपलब्ध कराता है एवं उनके कौशल विकास एवं स्वरोजगार कार्यों हेतु सहायता प्रदान करता है। कंपनी

ventures. The Company operates within the economic and other criteria fixed by the Govt. of India from time to time. The loans under Corporation's schemes can be provided for income generating activities, following the due processes of the concerned Channel Partner. The activities could be anything, which have potential to provide sustainable income generation for the beneficiary or group of beneficiaries. Beneficiaries can choose any of the viable occupation of their choice.

The Channel Partners (SCAs/Banks) are required to disburse loans for financially viable and technically feasible projects as per needs and choice of beneficiaries.

10. LENDING POLICY :

➤ Method of Lending

Allocation

Each year the Corporation notionally allocates funds to the nominated State Channelizing Agencies (SCAs) and Banks, who have signed MOU with our Corporation. The allocation is meant for all the CPs who are expected to assess the realistic requirement of funds within the allocation. The disbursement of funds depends on availability of funds with NBCFDC, availability of BGG and past performance of CPs.

As per policy of NBCFDC, the CPs are required to submit an Annual Action Plan (AAP) at the beginning of the year formulated in terms of providing financial assistance under various schemes of NBCFDC viz. Term Loan, New Swarnima, Education Loan Scheme Under Micro Finance scheme, Mahila Samridhhi Yojana and Small Loan Scheme.

The basis of notional allocation within available funds is total population (in the absence of population figures of BCs) and past performance of CPs, 10% of

the budget allocated to N-E States as per policy of the Government. It is also ensured that the disbursements to N.E. States are at least 10% of the equity received from the Government.

Disbursement of 'advance funds' to CPs is made as per approved Annual Action Plan for the financial year under Term Loan and Micro Finance Scheme. Term Loan includes General Loan, New Swarnima Scheme for women, Education Loan scheme. Micro Finance includes Mahila Samridhhi Yojana, Micro Finance Scheme and Small loan schemes.

The 'advance funds' are converted to respective Scheme's loan accounts on receipt of utilization certificates from CPs.

NBCFDC provides financial assistance at concessional rate of interest for various income generating schemes to the target group through CPs. Beneficiaries can obtain loans for income generating activities through respective CPs under the following schemes:

I) TERM LOAN SCHEME

II) **General Loan Scheme:** Under this scheme, loan assistance is available for various income generating activities in various sectors such as (a) Agriculture and Allied Sector, (b) Small Business/ Artisan & (c) Traditional Sector and Transport & Service Sector. Loans are given upto 85% of the project cost subject to a maximum of ₹15.00 Lakh per beneficiary. Loans upto ₹ 5.00 Lakh are provided at an interest rate of 6% p.a. Loans above ₹ 5.00 Lakh and upto ₹ 10.00 Lakh are provided at an interest rate of 7% p.a. Loans above ₹10.00 Lakh and upto ₹ 15.00 Lakh are provided at an interest rate of 8% p.a. The loan repayment period is 8 years.

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आर्थिक एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार कार्य करती है। निगम की योजनाओं के अंतर्गत ऋण, संबंधित चैनल सहभागियों की उचित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रदान किया जा सकता है। यह गतिविधियां कुछ भी हो सकती हैं जिससे लाभार्थी या लाभार्थियों के समूह के लिए स्थायी आय सृजन प्रदान करने की संभावना हो। लाभार्थी अपनी रूचि के किसी व्यवहार्य व्यवसाय का चयन कर सकते हैं।

चैनल सहयोगियों (एस.सी.ए/बैंकों) से अपेक्षा है कि वे वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं हेतु लाभार्थियों की आवश्यकताओं एवं पसन्द के अनुसार ऋणों का वितरण करें।

10. ऋण नीति

➤ ऋण पद्धति

आबंटन

निगम प्रत्येक वर्ष राज्यों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) और बैंकों को, जिन्होंने निगम के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, को निधियों का आरंभिक आबंटन करता है। आबंटन का तात्पर्य सभी चैनल सहभागियों से है, जिनसे निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन आबंटन की सीमा में करें। निधियों का वितरण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के पास उपलब्ध निधि, शासकीय गारंटी की उपलब्धता एवं चैनल सहभागियों के पूर्व के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की नीति के अनुसार, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं जैसे सावधि ऋण योजना, नई स्वर्णिमा, शैक्षिक ऋण योजना, माइक्रो फाइनेंस, महिला समृद्धि योजना, लघु ऋण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की निर्धारित शर्तों के अनुसार चैनल सहयोगियों द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को वर्ष के आरंभ में 'वार्षिक कार्य योजना' प्रस्तुत करनी होती है।

आरंभिक आबंटन का आधार उपलब्ध धनराशियों की सीमा में कुल जनसंख्या (पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े होने पर) है

एवं चैनल सहभागियों का गत कार्यनिष्पादन है। सरकार की नीति के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों हेतु बजट का 10% आबंटन किया जाता है। सरकार से प्राप्त अंश पूंजी का कम से कम 10% उत्तर-पूर्वी राज्यों को वितरित कराना सुनिश्चित किया जाता है।

चैनल सहभागियों को वित्तीय वर्ष हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार 'अग्रिम राशि' का वितरण सावधि ऋण योजना एवं माइक्रो फाइनेंस योजना के अन्तर्गत किया जाता है। सावधि ऋण योजना में सामान्य ऋण, महिलाओं के लिए 'नई स्वर्णिमा', शैक्षिक ऋण योजना सम्मिलित है। सूक्ष्म वित्त योजना में महिला समृद्धि, माइक्रो फाइनेंस व लघु ऋण योजना सम्मिलित है।

चैनल सहभागियों से उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर 'अग्रिम राशि' को सम्बंधित योजना के खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. चैनल सहयोगियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को विभिन्न आय उत्पादक योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चैनल सहभागियों के माध्यम से लाभार्थी आय सृजक कार्यकलापों हेतु निम्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकते हैं:

1) सामान्य ऋण

- (i) **सामान्य ऋण योजना:** इस योजना के अन्तर्गत (क) कृषि और संबद्ध क्षेत्र (ख) लघु व्यवसाय/दस्तकारी (ग) पारंपरिक क्षेत्र और परिवहन व सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आय सृजन करने वाले कार्यकलापों के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। प्रति लाभार्थी परियोजना लागत का 85% तक अधिकतम रु. 15 लाख ऋण दिया जाता है। रु. 5.00 लाख तक के ऋण 6% वार्षिक ब्याज दर पर, रु. 5.00 लाख से ऊपर व रु. 10.00 लाख तक 7% वार्षिक ब्याज दर पर तथा रु. 10.00 लाख से ऊपर व रु. 15.00 लाख तक 8% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।

- (i) **New Swarnima Scheme:** Under this scheme, loan assistance is available for women of Backward Classes to inculcate the spirit of self-reliance among them. Loans are given upto 95% of the project cost. The maximum loan limit per beneficiary is ₹ 2.00 Lakh at an interest rate of 5% p.a. The loan repayment period is 8 years.
- (ii) **Education Loan Scheme:** Under this scheme, loan assistance is available to the students of Backward Classes. The applicant should have obtained admission for any professional/technical/vocational courses approved by appropriate agency such as AICTE, Medical Council of India, and UGC etc. in a duly accredited/recognized institute and have minimum 50% marks in qualifying exam. Loans are given upto 90% of the course fees for studies in India and upto 85% of the course fees for studies outside India. Maximum loan limit per student is ₹15.00 Lakh for studying in India at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Maximum loan limit per student is ₹20.00 Lakh for studying abroad at an interest rate of 4% p.a. (3.5% p.a. for girl student). Loan is to be repaid in 15 years with moratorium period of 5 years.

II) MICRO FINANCE SCHEME

- (i) **Micro Finance Scheme :** Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group especially for mixed group beneficiaries. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is ₹15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is ₹1.25 Lakh at an interest rate of 5% p.a. Under this scheme, repayment period is 4

years.

- (ii) **Mahila Samriddhi Yojana :** Under this scheme, loan assistance is available to Self Help Groups (SHGs) to provide credit facilities for the target group of women beneficiaries. Loans are given upto 95% of the project cost. Maximum loan limit per Group is ₹15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is ₹ 1.25 Lakh at an interest rate of 4% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.
- (iii) **Small Loan :** Under this scheme, loan assistance is available to individuals to provide credit facilities for the target group. Loans are given upto 85% of the project cost. Maximum loan limit per beneficiary is ₹1.25 Lakh at an interest rate of 6% p.a. Under this scheme, repayment period is 4 years.
- (iii) **NBFC-MFI Loan :** Under this scheme, loan assistance can be channelized to SHGs through Micro Finance Institutions (MFIs) providing Bank Guarantee or similar financial instruments as security. Loans are given upto 90% of the project cost. Maximum loan limit per Group is ₹15.00 Lakh and loan per beneficiary in SHG is ₹1.25 Lakh at an interest rate of 12% p.a. Under this scheme repayment period is 4 Years.

In case of Banks especially with a view to simplify the refinancing process, NBCFDC loans will be available upto 100% of dues not recovered; however, disbursement will be made as per specific demand of Bank.

For Persons of the target group with Disabilities (40% or more), a special concession of 0.25% on rate of interest is provided.

- (ii) **नई स्वर्णिमा योजना:** इस योजना के अन्तर्गत पिछड़ी जाति की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 2.00 लाख है व वार्षिक ब्याज दर 5% है। ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 8 वर्ष है।
- (iii) **शिक्षा ऋण योजना:** इस योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों को ऋण सहायता उपलब्ध है। आवेदक को उपयुक्त एजेंसी जैसे ए.आई.सी.टी.ई., मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यू.जी.सी. आदि द्वारा अधिकृत/मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी व्यावसायिक/तकनीकी/ वोकेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। भारत में अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 90% तक ऋण दिया जाता है और भारत से बाहर की पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम की फीस का 85% तक ऋण दिया जाता है। भारत में अध्ययन के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 15.00 लाख है तथा वार्षिक ब्याज दर 4% (छात्राओं के लिए 3.5% प्रति वर्ष) है। विदेश में अध्ययन करने के लिए प्रति छात्र अधिकतम ऋण की सीमा रु. 20.00 लाख तथा वार्षिक ब्याज दर 4% (छात्राओं के 3.5% वार्षिक) है। 5 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि सहित ऋणों का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में किया जाना है।
- II) सूक्ष्म ऋण योजना:**
- (i) **सूक्ष्म ऋण योजना:** इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह के स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) विशेष रूप से मिश्रित समूहों के लिए लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। परियोजना लागत का 90% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15.00 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख के ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 5% है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।
- (ii) **महिला समृद्धि योजना:** इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह की महिला लाभार्थियों के स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को ऋण सहायता उपलब्ध है। इस योजना में परियोजना लागत का 95% तक ऋण दिया जाता है। प्रति समूह अधिकतम ऋण सीमा रु. 15 लाख है और एस.एच.जी. में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख 4% वार्षिक ब्याज दर पर है। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।
- (iii) **लघु ऋण:** इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह को एकल ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु ऋण सहायता उपलब्ध है। परियोजना लागत का 85% तक ऋण दिया जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा रु. 1.25 लाख 6% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के तहत पुनर्भुगतान अवधि 4 वर्ष है।
- (iv) **एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण:** इस योजना के अंतर्गत, बैंक गारंटी अथवा इसी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एम.एफ.आई.) के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना लागत के 90% तक के ऋण दिए जाते हैं। प्रति समूह ऋण की अधिकतम सीमा रु. 15.00 लाख एवं स्व-सहायता समूह में प्रति लाभार्थी रु. 1.25 लाख है जिस पर ब्याज दर 12% वार्षिक है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्भुगतान की अवधि 4 वर्ष है।
- विशेष रूप से पुनर्वित्तीयन प्रक्रिया को आसान बनाने की दृष्टि से बैंकों के मामले में, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण 100% तक उपलब्ध होंगे; हालाँकि बैंक की विशिष्ट मांग के अनुसार वितरण किया जाएगा।
- लक्षित वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों (40% अथवा अधिक) के लिए ब्याज दर में 0.25% की विशेष रियायत प्रदान की जाती है।

11. RATE OF INTEREST:

The rates of interest under various loan schemes implemented by the Corporation are as under:

S.No.	Name of Scheme	Max. Loan Limit Per Beneficiary	Pattern of Finance		Rate of Interest Per Annum.	
			NBCFDC	SCA/Benef.	SCAs/Bank	Benef.
1.	Term Loan					
(a)	General Loan Scheme	Rs.15.00 Lakh	85%	15%	Upto Rs.5 Lakh	
					3%	6%
					Above Rs.5 Lakh upto Rs.10.00 Lakh	
					4%	7%
					Above Rs.10 Lakh upto Rs.15.00 Lakh	
					5%	8%
(b)	Education Loan	Rs.15.00 Lakh	90%	10%	1%	4%*
	i) In India					
	ii) Abroad	Rs.20.00 Lakh	85%	15%	1%	4%*
(c)	New Swarnima Scheme	Rs.2.00 Lakh	95%	05%	2%	5%
2.	Micro Finance					
(a)	Micro Finance Scheme	Rs. 1.25 Lakh#	90%	10%	2%	5%
(b)	Mahila Samridhi Yojana (for women)	Rs. 1.25 Lakh#	95%	05%	1%	4%
(c)	Small Loan (for individual)	Rs. 1.25Lakh	85%	15%	3%	6%
(d)	NBFC-MFI Loan	Rs. 1.25 Lakh#	90%	10%	4%	12%

* 0.5% rebate in interest for girls students.

Subject to maximum of Rs. 15.00 Lakh per Self Help Group

12. MOU WITH GOVT. OF INDIA

The Corporation had entered into Memorandum of Understanding (MOU) with Govt. of India for the year 2023-24 on 01 August, 2023. Copy of MOU is available at **Annexure-2** (Page No. 25-26). As per the achievements and based on the audited data, total aggregate score for financial year 2023-24 comes

to 73.00 which conform to 'Very Good' category and placed at **Annexure-2.1** (Page No. 27-28).

13. MANAGEMENT DISCUSSION ANALYSIS REPORT

PERFORMANCE ACHIEVEMENT

13.1 Achievements against MOU Targets (2023-24)

S.N.	Main Parameters	Unit	Target	Achievements
1	Loan Disbursed/Total Funds Available	%age	100	100
2	Last Mile Disbursement to Ultimate Beneficiaries	%age	100	96.87
3	EBITA as a percentage of Revenue	%age	62.43	54.26
4	Return on Net Worth	%age	1.91	1.44

* Absolute

11. ब्याज दर:

निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज दरें निम्नलिखित है:

क्र.स.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति		वार्षिक ब्याज दर	
			एन.बी.सी. एफ.डी.सी	एस.सी.ए./लाभार्थी	एस.सी.ए./बैंक	एस.सी.ए./बैंक
1.	सावधि ऋण					
(क)	सामान्य ऋण योजना	रु. 15.00 लाख	85%	15%	रु. 5.00 लाख तक 3%	रु. 5.00 लाख से अधिक व रु. 10.00 लाख तक 4%
						रु. 10.00 लाख से अधिक व रु. 15.00 लाख तक 5%
(ख)	शैक्षिक ऋण					
	i) भारत में	रु. 15.00 लाख	90%	10%	1%	4%*
	ii) विदेश में	रु. 20.00 लाख	85%	15%	1%	4%*
(ग)	नई स्वर्णिमा योजना	रु. 2.00 लाख	95%	05%	2%	5%
2.	सूक्ष्म वित्त					
(क)	सूक्ष्म वित्त योजना	रु. 1.25 लाख#	90%	10%	2%	5%
(ख)	महिला समृद्धि योजना (महिलाओं के लिए)	रु. 1.25 लाख#	95%	05%	1%	4%
(ग)	लघु ऋण योजना (एकल व्यक्ति के लिए)	रु. 1.25 लाख	85%	15%	3%	6%
(घ)	एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण	रु. 1.25 लाख#	90%	10%	4%	12%

*छात्राओं की ब्याज दर में 0.5% की छूट है।

#प्रति स्व-सहायता समूह अधिकतम रु. 15.00 लाख।

12. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन:

निगम ने वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के साथ दिनांक 1 अगस्त, 2023 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया। समझौता ज्ञापन की प्रति अनुलग्नक-2 (पृष्ठ सं. 25-26) पर उपलब्ध है। उपलब्धियों एवं लेखापरीक्षित आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष

2023-24 के लिए कुल स्कोर 73.00 आया है जो 'बहुत अच्छा' श्रेणी में है व अनुलग्नक-2.1 (पृष्ठ सं. 27-28) पर उपलब्ध है।

13. प्रबंधन विचार विमर्श विश्लेषण रिपोर्ट कार्य निष्पादन उपलब्धि

13.1 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों (2023-24) के सापेक्ष उपलब्धियाँ


क्र.सं.	मुख्य मापदण्ड	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियाँ
1	वितरित ऋण/कुल उपलब्ध निधि	%age	100	100
2	अतंतः लाभार्थियों को वितरित धनराशि	%age	100	96.87
3	ई.बी.टी.डी.ए. राजस्व के प्रतिशत के रूप में	%age	62.43	54.26
4	निबल संपत्ति से वापसी	%age	1.91	1.44

*निरपेक्ष

13.2 Achievement highlights in comparison to the previous year.

S.N.	Main Parameters	Unit	2023-24	2022-23
1	Sanction of Loan	₹(Cr.)	830.91	931.31
2	Disbursement of Loan	₹(Cr.)	525.09	511.85
3	Beneficiaries Covered	Nos.	68372	140343
4	Repayment/Recoveries (cumulative)	%	98.06	98.49
5	Avg. loan per Beneficiary (Term Loan)	(₹)	156448	86121
6	Avg. loan per Beneficiary (Micro Finance)	(₹)	50417	28445

* Absolute



13.3 Sanction & Disbursement


At the beginning of the financial year, notional allocation of funds for the current financial year is conveyed to CPs for submission of Annual Action Plan (AAP). AAPs received from CPs, were approved to the tune of ₹ 830.91Crore during the year 2023-24.

Against this Notional Sanction, the Corporation has disbursed ₹ 525.09 Crore for assisting 68372 beneficiaries and covered 26 States/ UTs out of 36 States/ UTs during the financial year 2023-24. State/ UTs wise detail is available at **Annexure – 3** (Page No. 29-32).

The disbursement so far made since inception now stands at ₹ 7146.78 Crore for assisting 3245012 beneficiaries as on 31.03.2024. SCA & State-wise loan disbursement during the last three years, cumulative disbursement and No. of beneficiaries' upto 31.03.2024 is available at **Annexure-3.1** (Page No. 33-34). Few SCAs didn't draw funds due to various reasons stated at **Annexure-3.2** (Page No. 35-36).

SCA/State-wise & Scheme-wise loan disbursement and number of beneficiaries assisted during the year 2023-24 are available at **Annexure-3.3** (Page No. 37-38).

Sector wise percentage of disbursement of funds of ₹ 253.68 Crore under Term Loan Scheme (excluding New Swarnima) during 2023-24 is as under:



During 2023-24, 26.71% of Term Loan (excluding New Swarnima) was given under the Agriculture/Allied Sector as compared to 31.94% in previous year and 58.61% under Small Business/Traditional Occupation as compared to 52.10% in previous year. Loan was

13.2 गत वर्ष की तुलना में उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं:

क्र.सं	मुख्य मापदण्ड	इकाई	2023-24	2022-23
1	ऋण की स्वीकृति	रू.(करोड़)	830.91	931.31
2	ऋण वितरण	रू. (करोड़)	525.09	511.85
3	आच्छादित लाभार्थी	संख्या	68372	140343
4	पुनर्भुतान/वसूली (संचयी)	%	98.06	98.49
5	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सावधि ऋण)	(रू.)	156448	86121
6	प्रति लाभार्थी औसत ऋण (सूक्ष्म ऋण)	(रू.)	50417	28445

*निरपेक्ष -



13.3 स्वीकृति एवं वितरण


वित्तीय वर्ष के आरंभ में धनराशि के आरंभिक आवंटन हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा एस.सी.ए. को चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने के सम्बंध में सूचित किया जाता है। एस.सी.ए. से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना को निगम द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 830.91 करोड़ अनुमोदित किए गए।

वर्ष के दौरान अनुमोदित आरंभिक स्वीकृति के सापेक्ष निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 68372 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए रु. 525.09 करोड़ वितरित किए हैं एवं 36 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में से 26 राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को कवर किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-3** (पृष्ठ सं. 29-32) पर उपलब्ध है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, आरंभ से लेकर अब तक 3245012 लाभार्थियों की सहायता के लिए रु. 7146.78 करोड़ की राशि वितरित की गई है। एस.सी.ए. एवं राज्यवार गत तीन वर्षों का ऋण वितरण एवं सकल वितरण व 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सकल लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-3.1** (पृष्ठ सं. 33-34) पर उपलब्ध है। कुछ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने विभिन्न कारणों से ऋण आहरण नहीं किया है, जिनका विवरण **अनुलग्नक-3.2** (पृष्ठ सं. 35-36) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2023-24 की अवधि में एस.सी.ए./राज्यवार एवं योजनावार ऋण वितरण एवं सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक-3.3** (पृष्ठ सं. 37-38) पर उपलब्ध है।

वर्ष 2023-24 की अवधि में सावधि ऋण योजना (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) के अन्तर्गत रु. 253.68 करोड़ निधि के वितरण का क्षेत्रवार प्रतिशत निम्नानुसार है:







सावधि ऋण के अंतर्गत (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में गत वर्ष के 31.94% की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 26.71% एवं लघु व्यवसाय/परंपरागत कार्य हेतु गत वर्ष के 52.10% की तुलना में 58.61% ऋण दिए गए। जिन

disbursed for activities, which include the manufacture/ purchase of Agricultural Implements, Setting up of Dairy Units, Installing Irrigation Bore Well, Poultry Farming, Fishery, Tractor Trolley, Tube Well, Auto Repair Workshop, Bicycle Hiring and Repair, Kirana Shop and Vegetable Shops, Seeds, Pesticides & Fertilizers etc.

The Backward Classes population is engaged in Service Sector such as Barber Shop, Drycleaner, Electrical and Electronic Shop, Woodwork, Auto rickshaw, Motorcycle Taxi, Pick-up Van, Tourist Taxi. Hence, 13.02% of Term loan (excluding New Swarnima) has been drawn by CPs in 2023-24 to meet the demand of the service providers as compared to 13.98% in previous year.

Education Loan has been released to the students of Backward Classes for pursuing higher professional courses such as Medical, Engineering, Computers and Management etc. in the approved professional institutions/ colleges. During the year under report, 1.65% of the Term loan (excluding New Swarnima) has been given under Education Loan Scheme.



13.4 Education Loan Disbursement:


During the year 2023-24, your Corporation provided loans of ₹ 4.19 Crore to 96 beneficiaries under the Education Loan Scheme against the previous year which was ₹ 2.96 Crore for 142 beneficiaries. The professional courses at graduate & higher level approved by AICTE/MCI/Appropriate Authority, etc. such as MBA, MCA, Engineering, BDS, MBBS, BSc

कार्यकलापों हेतु ऋण वितरित किए गए उनमें सम्मिलित हैं – विनिर्माण, कृषि उपकरण की खरीद डेरी इकाईयों की स्थापना, सिंचाई हेतु बोरवेल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ट्रैक्टर- ट्राली, ट्यूबवेल, आटो मरम्मत दुकान, किराए पर साइकिल एवं मरम्मत दुकान, किराना की दुकान एवं सब्जी दुकान, बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक इत्यादि की दुकान।


पिछड़े वर्ग के व्यक्ति नाई की दुकान, ड्राईक्लीनर, बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, लकड़ी कार्य, ऑटो रिक्शा, मोटर- साइकिल टैक्सी, पिक-अप वैन, पर्यटक टैक्सी जैसे सेवा क्षेत्रों से जुड़े है। अतः चैनल सहभागियों द्वारा गत वर्ष 13.98% की तुलना में वर्ष 2023-24 में 13.02% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर), सेवा उपलब्धकर्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आहरण किया गया।

पिछड़े वर्गों के छात्रों को मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों/ कॉलेजों में उच्चतर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा, अभियंत्रिकी, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन इत्यादि हेतु शैक्षिक ऋण अवमुक्त किए गए। संदर्भित वर्ष के दौरान 1.65% सावधि ऋण (नई स्वर्णिमा को छोड़कर) शैक्षिक ऋण योजना के तहत प्रदान किए गए।


गत 4 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थी




योजनावार वितरण (2023-24)



गत 4 वर्षों के दौरान वितरण (राशि करोड़ ₹. में)




योजनावार सहायता प्राप्त लाभार्थी (2023-24)



13.4 शैक्षिक ऋण वितरण:

आपके निगम ने शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत गत वर्ष रु. 2.96 करोड़, 142 लाभार्थियों की तुलना में वर्ष 2023-24 में रु. 4.19 करोड़ के ऋण 96 लाभार्थियों हेतु उपलब्ध कराए हैं। योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर एवं उच्चतर स्तर के ए.आई.सी.सी.ई./एम सी.आई./उपयुक्त प्राधिकरण इत्यादि द्वारा मान्यता प्राप्त



Nursing, Hotel Management etc. are covered under the scheme.



13.5 Participation of Special Schemes for Women

The Corporation implements special schemes for women beneficiaries 'New Swarnima' under Term Loan and 'Mahila Samridhhi Yojana' under Micro Finance. An amount of ₹102.00 Crore has been disbursed to assist 20712 women beneficiaries under these women oriented schemes for Embroidery, Tailoring, Beauty Parlor, Dairy, Fisheries & Fish Processed Products, Ornamental Fish Culture, Spice Powder Packing, Organic Vegetable Growing, Pickle Making etc. during the year 2023-24. Status showing amount drawn by the States under Special Schemes for Women during financial year 2023-24 is at **Annexure-3.4** (Page No. 39).

Apart from these exclusive women centric schemes, the Corporation has disbursed ₹ 275.82 Crore for assisting 30865 women beneficiaries under other loan schemes in 2023-24 against ₹ 218.69 Crore for assisting 51419 women beneficiaries in 2022-23. Therefore, in all ₹ 377.82 Crores of loan was disbursed to assist 51577 women beneficiaries.




13.6 Utilization of Loan

The SCAs are required to utilize the funds drawn from NBCFDC within 120 days of its release. Slab-wise rate of interest is levied in order to encourage the SCAs to utilize the released funds as early as possible within the stipulated period.

Utilization (days)	Rate of Interest (p.a.)
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

The area of focus which the Corporation is addressing the timely utilization of the loan. The SCAs/CPs are continuously being advised through written communications, by regional meetings as well as interaction with State Govt. Officials, for timely utilization of loan so that the target group beneficiaries receive funds in the shortest possible time. Cumulative utilization of loans by SCAs stands at 95%.

व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.ए., एम.सी.ए., इन्जीनियरिंग, बी.डी.एस., एम.बी.बी.एस., बी.एस.सी. नर्सिंग, होटल प्रबंधन इत्यादि शामिल है।



13.5 विशेष योजना में महिलाओं की भागीदारी

निगम द्वारा महिला लाभार्थियों के लिए विशेष योजना 'नई स्वर्णिमा' टर्म लोन योजना के अंतर्गत तथा 'महिला समृद्धि योजना' सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत संचालित है। वर्ष 2023-24 के दौरान इन महिला प्रधान योजनाओं के अंतर्गत कशीदाकरी, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, डेरी, मत्स्य पालन एवं मत्स्य प्रसंस्करण उत्पाद, सजावटी मत्स्य उत्पादन, मसाला पाउडर पैकिंग, ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन, अचार बनाना आदि के लिए रु. 102.00 करोड़ की राशि 20712 महिला लाभार्थियों को वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा आहरित राशि का विवरण **अनुलग्नक-3.4** (पृष्ठ सं. 39) पर उपलब्ध है।

इन महिला केन्द्रित योजनाओं के अतिरिक्त निगम ने वर्ष 2022-23 में रु. 218.69 करोड़ का वितरण 51,419 महिला लाभार्थियों की तुलना में वर्ष 2023-24 में रु. 275.82 करोड़ का वितरण 30865 महिला लाभार्थियों के लिए किया है। अतः कुल मिलाकर रु. 377.82 करोड़ ऋणों का वितरण 51577 महिला लाभार्थियों की सहायता हेतु किया गया।



13.6 ऋण का उपभोग

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित निधि को राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा धनराशि जारी करने के 120 दिनों के भीतर उपभोग करना होता है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों को वितरित निधि का निर्धारित समय में यथासंभव अतिशीघ्र उपभोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के क्रम में स्लैब-वार ब्याज दर लागू की गई है।

उपभोग (दिन)	ब्याज दर (वार्षिक)
1-120 दिन	3%
121-180	6%
180 दिनों से ऊपर	8%

अन्य क्षेत्र, जिस पर निगम जोर दे रहा है, वह है ऋण का समय पर उपभोग। एस.सी.ए./चैनल सहभागियों को पत्राचार, क्षेत्रीय बैठकों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों से संवाद के माध्यम से, समय पर ऋणों के उपभोग के बारे में लगातार परामर्श दिया जाता है; ताकि लक्षित समूह के लाभार्थी यथासंभव कम समय में धनराशि प्राप्त कर सकें। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों द्वारा ऋणों का संचयी उपभोग 95% है।

लक्षित समूह के प्रति उनकी नई स्थिति को देखते हुए उनके द्वारा लक्षित वर्ग लाभार्थियों के उपभोग को प्रोत्साहित करने हेतु

Given their newness to the target groups, Banks have been allowed on case-to-case basis an enhanced period upto 180 days in the first instance to incentivize utilization of funds by them for the benefit of the target group.

During the FY 2023-24 against the fund disbursement of ₹ 525.09 Crore the Channel partners able to utilize the funds to the tune of ₹ 508.63 crore only. Hence, utilization of loans by Channel partners stands at 96.87%. Status of utilization is available at **Annexure - 3.5** (Page No. 40-42).

14. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

In compliance of Provisions of Companies Act 2013, the Corporation has a CSR Policy and a budgetary allocation of 2% of the average net profit made during the three immediately preceding financial years has been done in the financial year 2023-24 for CSR activities. The Corporation has cumulatively achieved more than the minimum statutory spending requirements as on 31st March'2024. During the year, 04 projects valued ₹ 62.45 lakh were sanctioned and an expenditure of ₹ 41.18 lakh was made on CSR activities for covering more than 5340 marginalized people.

The CSR activities include Construction of Sports facilities like Volleyball Court, Basketball Court & Lawn Tennis Court in Tikamgarh, Madhya Pradesh, Seminar on two Health Awareness programmes in the Block of Lakhisarai District of Bihar State, Medical camps in the poor localities in the districts of Uttar Pradesh ie Chandauli and Behraich and Support to the abandoned Senior citizens and mentally disabled people. In the Bandhwari shelter home, Gurgaon, Haryana by providing summer cloths.

A detailed report on CSR activities as per the provisions of the Companies Act 2013 is available at **Annexure- 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 & 3.10** (Page No. 43-49) of this report. Your Corporation is pleased to inform that we have more than fulfilled the role of corporate citizen by spending ₹ 6.14 Crore on CSR interventions beginning 2014-15 against the mandated 2 % CSR expenditure of ₹ 5.42 Crore upto 31.03.2024.

15. PROGRESS DURING FIVE-YEAR PLAN

Progress of the Corporation during the Five Year Plans in respect of various parameters i.e. Gross Disbursement, Budgetary Support, No. of Beneficiaries Assisted, Recoveries and Training Expenditure etc. have been as under:

S.N.	Particulars	8 th Plan 1992-97	9 th Plan 1997-02	10 th Plan 2002-07	11 th Plan 2007-12	12 th Plan 2012-17	2017-18 to 2021- 22	2022-23 & 2023-24	Cumulative as on 31.03.24
1	Budgetary Support (₹ in Cr.)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	375.40	15.00	1514.40
2	Disbursement (₹ in Cr.)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2534.35	1036.94	7146.78
3.	Disbursement / Budgetary support (%age)	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	6.75	69.13	4.72
4	Beneficiaries Assisted (Nos.)	109625	271905	448404	634336	836093	735934	208715	3245012
5	Beneficiaries Trained (Nos.)	2423	14605	46841	51843	64691	112817	49965	343185
6	Recovery of Loan (₹ in Cr.)	47.31	202.76	323.65	600.57	927.07	1786.80	897.71	4785.87

बैंकों को शुरुआत में मामला-दर-मामला आधार पर बढ़ी समयावधि 180 दिनों तक की अनुमति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रू. 525.09 करोड़ की संवितरण के तुलना में चैनल सहभागियों ने रू. 508.63 करोड़ की राशि का उपभोग किया है। अतः चैनल सहभागियों ने 96.87% ऋण का उपभोग किया है। उपभोग की स्थिति **अनुलग्नक-3.5** (पृष्ठ सं. 40-42) पर उपलब्ध है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार निगम के पास निगमित सामाजिक दायित्व नीति है तथा निगमित सामाजिक दायित्व के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगातार तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% आबंटन किया गया है। निगम ने 31.03.2024 तक संचयी रूप से न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक की प्राप्ति की है। वर्ष के दौरान, रू. 62.45 लाख मूल्य की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई और सी.एस.आर. कार्यकलापों पर रू. 41.48 लाख का व्यय किया गया, जिसमें सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले 5340 से अधिक लोगों को आच्छादित किया गया।

सीएसआर कार्यकलापों में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खेल

सुविधाएं जैसे वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण, बिहार राज्य के लखीसराय जिले के ब्लॉक में 2 स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों पर संगोष्ठी, उत्तर प्रदेश के जिले जैसे चंदौली और बहराइच की निर्धन बस्तियों में चिकित्सा शिविर एवं परित्यक्त नागरिकों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता सम्मिलित है। बंधवारी आश्रय गृह, गुडगांव, हरियाणा में ग्रीष्मकालीन कपड़े प्रदान किए गए।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सी.एस.आर. कार्यकलापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एवं 3.10** (पृष्ठ सं. 43-49) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 2014-15 से शुरू होने वाले सीएसआर हस्तक्षेपों पर अनिवार्य 2% सीएसआर व्यय रू. 5.42 करोड़ के मुकाबले 31.03.2024 तक रू. 6.14 करोड़ खर्च करके कॉर्पोरेट नागरिक की भूमिका को पूरा किया है।

15. पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न मापदण्डों यथा- सकल वितरण, बजटीय सहायता, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या, वसूली एवं प्रशिक्षण व्यय इत्यादि में निगम की प्रगति निम्नानुसार है-

क्र.स.	विवरण	8वीं योजना 1992-97	9वीं योजना 1997-02	10वीं योजना 2002-07	11वीं योजना 2007-12	12वीं योजना 2012-17	2017-18 एवं 2021-22	2022-23 एवं 2023-24	31.03.2024 को सकल
1	बजटीय सहायता (रू. करोड़ में)	198.90	191.50	69.95	212.00	451.65	375.40	15.00	1514.40
2	वितरण (रू. करोड़ में)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2534.35	1036.94	7146.78
3.	वितरण/बजटीय सहायता(%)	0.99	2.32	8.31	3.97	3.34	6.75	69.13	4.72
4	सहायता प्राप्त लाभार्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	836093	735934	208715	3245012
5	प्रशिक्षित लाभार्थी (संख्या)	2423	14605	46841	51843	64691	112817	49965	343185
6	ऋण की वसूली (रू. करोड़ में)	47.31	202.76	323.65	600.57	927.07	1786.80	897.71	4785.87

16. FINANCIAL / OPERATIONAL PERFORMANCE

16.1 Income & Expenditure Account

- i) During the year 2023-24, the operating income of Corporation has increased from ₹ 53.13 crore to 54.91 crore
- ii) The total expenses including employees cost has increased from ₹ 25.59 crore to ₹ 27.07 crore.
- iii) Excess of Income over Expenditure during the year 2023-24 is ₹ 30.83 crore as against ₹ 30.37 crore during 2022-23.

16.2 Net Worth



The Net Worth of the Corporation has increased from ₹ 2099.27 crore to ₹ 2145.43 crore in 2023-24.

16.3 Equity Support from Government of India vs Total Disbursement


During the year, the Corporation has received ₹15 cr equity support from Government of India and has disbursed ₹ 525.09 Cr., which means ₹ 510.09 cr. over and above budgetary support has been disbursed from recycling of funds or internal resources of the Corporation.

The cumulative equity support up to 31.03.2024 is ₹ 1514.40 Cr. against which your Corporation achieved cumulative disbursement of ₹ 7146.78 cr. covering 32,45,012 beneficiaries. The disbursement has therefore so far been 4.72 times the equity received from Government of India.

The amount of ₹ 5632.38 cr. over and above the equity support has been met from recoveries through diligent follow up with Channel Partners and efficient management of internal resources.



The disbursement over last five years has been 36.09% of the cumulative disbursement over 32 years of existence.



Beneficiaries assisted over last five years has been 20.13% of the cumulative beneficiaries assisted over 32 years of existence.

16.4 Recovery of Loan

Recovery of Loan from SCAs is receiving adequate attention of the Corporation. SCAs have been asked to strengthen the recovery mechanism, establish separate recovery cell at their Headquarters as well as District level and the responsibility be fixed at every level for timely recovery from the beneficiaries.

16. वित्तीय/परिचालन कार्यनिष्पादन

16.1 आय एवं व्यय खाता

- वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम की परिचालन आय रु. 53.13 करोड़ से बढ़कर 54.91 करोड़ हो गई है।
- कर्मचारियों की लागत सहित कुल व्यय रु. 25.59 करोड़ से बढ़कर रु. 27.07 करोड़ हो गया है।
- वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय से आय का आधिक्य रु. 30.37 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में रु. 30.83 करोड़ है।

16.2 शुद्ध मूल्य



वर्ष 2023-24 में निगम का शुद्ध मूल्य रु. 2099.27 करोड़ से बढ़कर रु. 2145.43 करोड़ हो गया है।

16.3 सरकार से प्राप्त अंशपूंजी बनाम कुल वितरण


वर्ष के दौरान निगम को भारत सरकार से रु. 15.00 करोड़ इक्विटी सहायता प्राप्त हुई है तथा रु. 525.09 करोड़ का वितरण किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि निधियों के चक्रण अथवा निगम के आंतरिक संसाधनों से बजटीय सहायता से रु. 510.09 करोड़ अधिक का वितरण किया गया है।

31.03.2024 तक संचयी इक्विटी सहायता रु. 1514.40 करोड़ के सापेक्ष आपके निगम ने रु. 7146.78 करोड़ का संचयी वितरण कर 32,45,012 लाभार्थियों को कवर किया गया। अब तक भारत सरकार से प्राप्त इक्विटी पूंजी का 4.72 गुणा वितरण किया गया है।

इक्विटी सहायता से रु. 5632.38 करोड़ आधिक्य की धनराशि चैनल सहभागियों से कर्मठता से अनुवर्तन के माध्यम से वसूली एवं आंतरिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन से पूरे किए गए हैं।



पिछले 5 वर्षों में वितरण, अस्तित्व 32 वर्षों, संचयी वितरण का 36.09% रहा है।



पिछले 5 वर्षों में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या 32 वर्षों में संचयी सहायता प्राप्त लाभार्थियों का 20.13% रहा है।

16.4 ऋण की वसूली

राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से ऋण की वसूली पर निगम पर्याप्त ध्यान दे रहा है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेन्सियों से वसूली तंत्र को मजबूत करने, अपने मुख्यालयों के साथ-साथ जिला स्तर पर अलग वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करने और लाभार्थियों से समय पर वसूली के लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

As a result of continuous follow-up, the Corporation was able to recover ₹ 5514.71 Cr. as against cumulative dues of the ₹ 5623.71 Cr. as on 31.03.2024. This includes ₹ 76.99 crores of long outstanding. The cumulative amount of recoveries of ₹ 5514.71 Cr. comprises of ₹ 4785.87 Cr. as principal and ₹ 728.84 interest. Cumulative recoveries against cumulative demands on SCAs stand at 98.06% as on 31st March, 2024 as against 98.49% on 31.03.2023 with recovery of old overdues being nearly ₹19.22 Crore.

SCA & State wise cumulative dues & recoveries as on 31st March, 2024 is available at **Annexure-4** (Page No. 50-53). Your Corporation hopes to increase its recoveries in the coming year for which various steps have been initiated.

16.5 Revenue from Operations (Net)

During the year, the revenue from operation of your Corporation is ₹ 54.91 crore.

16.6 EBDTA as a percentage of Revenue

During the year, EBDTA as a percentage of Revenue of your Corporation stood at 54.26%.

16.7 Return on Net Worth

During the year, return on Net Worth of your Corporation stood at 1.44%.

16.8 Assets turnover Ratio

During the year, Assets turnover Ratio of your Corporation stood at 2.65%.

16.09 Loans disbursed/Total Funds Available

During the year, the percentage of Loans disbursed/Total Funds Available of your Corporation is 100.%, which is the best amongst all sister corporations.

16.10 Overdue loans/Total loans (Net)

During the year, the percentage of Overdue loans/Total loans (Net) of your Corporation is 3.93%

16.11 NPA to Total Loans

NPA to Total Loans during FY 2023-24 stood at level of 0.00% ‘

16.12 Geographical coverage (No. of States/Uts functional covered)

During the year, the Corporation is able to cover 30 nos of States/UTs for disbursement of loan/ Providing Skill /space for their products in various Fairs to ultimate beneficiaries

16.13 Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary

During the year, the Corporation is able to achieve %age of Last Mile Disbursement to ultimate beneficiary at the level of 96.87%

As recommended by your Directors, the entire amount of surplus of income over expenditure of ₹ 30.83 crore has been transferred to General Reserve. The Corporation is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (now u/s 8 of the Companies Act 2013). Under the provisions of Sec. 8 (1) (c) of the Companies Act, 2013 and also the provisions of license issued to the Corporation by Dept. of Company Affairs, Ministry of Law Justice & Company Affairs, Govt. of India, the Corporation is not required to pay any dividend and the Corporation can apply its surplus, if any, or other income in promoting its objects. The administrative expenses of the Corporation are met from its own resources viz. from interest on capital employed.

17. TRAINING AND SKILL UPGRADATION

NBCFDC facilitates skill development training programmes in broad conformance to the Common Norms for upgradation of Technical and Entrepreneurial Skills, so that eligible members of target group may engage in developmental activities by way of self-employment or wage employment. Ministry of Social Justice and Empowerment launched Pradhan Mantri Dakshta Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM-DAKSH) Yojna since, financial year 2020-21. The target group of NBCFDC for skill training programme under PM-DAKSH is as under:

- Other Backward Classes (OBCs) having annual family income below ₹ 3.00 lakh.
- Economically Backward Classes (EBCs) having annual family income below ₹ 1.00 lakh.
- De-notified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (DNTs) without any income criteria

As per the guidelines of PM-DAKSH, following four categories of training programmes were facilitated by NBCFDC during 2023-24:

निरंतर अनुवर्तन के परिणामस्वरूप, निगम 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार रु. 5623.71 करोड़ की संचयी बकाया राशि के सापेक्ष रु. 5514.71 करोड़ की राशि वसूल करने में समर्थ हुआ। इसमें लंबी अवधि का बकाया रु. 76.99 करोड़ सम्मिलित है। रु. 5514.71 करोड़ की वसूली की संचयी राशि में मूलधन के रूप में रु. 4785.87 करोड़ तथा ब्याज के रूप में रु. 728.84 करोड़ की राशि सम्मिलित है। 31.3.2023 की 98.49% वसूली के सापेक्ष 31.3.2024 को एस.सी.ए. से संचयी मांग के सापेक्ष संचयी वसूली 98.06% है; जिसमें पुराने अतिदेय लगभग रु. 19.22 करोड़ की वसूली सम्मिलित है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसीवार एवं राज्यवार संचयी देय एवं वसूली **अनुलग्नक-4** (पृष्ठ सं. 50-53) पर उपलब्ध है। आपके निगम को यह आशा है कि आने वाले वर्षों में वसूली बढ़ेगी जिसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

16.5 परिचालन से राजस्व (शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम की संचालन से राजस्व रु. 54.91 करोड़ है।

16.6 ईबीडीटीए के प्रतिशत के रूप में आय

वर्ष के दौरान, आपके निगम की आय ईबीडीटीए के प्रतिशत के रूप में 54.26% रही है।

16.7 शुद्ध मूल्य पर वापसी

वर्ष के दौरान, आपके निगम का शुद्ध मूल्य पर लाभ 1.44% रहा है।

16.8 परिसंपत्तियों से टर्नओवर अनुपात

वर्ष के दौरान, आपके निगम का परिसंपत्तियों का टर्नओवर अनुपात 2.65% रहा है।

16.9 वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि

वर्ष के दौरान, आपके निगम का वितरित ऋण/उपलब्ध कुल धनराशि का 100% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

16.10 अति देय ऋण/कुल ऋण(शुद्ध)

वर्ष के दौरान, आपके निगम के बकाया ऋण/कुल ऋण (शुद्ध) का 3.93% है, जो समान निगमों में सबसे अच्छा है।

16.11 कुल ऋण का एन.पी.ए.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ऋण का एनपीए 0.00% रहा है।

16.12 भौगोलिक कवरेज(कवर किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)

वर्ष के दौरान, निगम अंतिम लाभार्थियों को ऋण के वितरण/कौशल प्रदान करने/ विभिन्न मेलों में उनके उत्पादों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने में समर्थ हुआ है। ।

16.13 अंतिम छोर के लाभार्थी को वितरण

वर्ष के दौरान, निगम का अंतिम छोर के लाभार्थियों को वितरण के स्तर का प्रतिशत 96.87% रहा है।

आपके निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार रु. 30.83 करोड़ की व्यय से आय का आधिक्य की पूरी राशि सामान्य आरक्षित को स्थानांतरित कर दी गई है। निगम कंपनी अधिनियम, 1956 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) की धारा 25 के तहत पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा- 8 (1) (ग) के प्रावधानों व कंपनी मामले विभाग, विधि और न्याय व कंपनी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निगम को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत निगम को किसी भी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और निगम अपने आधिक्य, यदि कोई हो, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में प्रयोग कर सकता है। निगम के प्रशासनिक व्यय को अपने संसाधनों अर्थात् विनियोजित पूंजी पर ब्याज से पूरा किया जाता है।

17. प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. तकनीकी और उद्यमिता कौशल के उन्नयन के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप व्यापक रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है, ताकि लक्षित समूह के पात्र सदस्य स्वरोजगार अथवा वेतन रोजगार के माध्यम से विकासात्मक कार्यकलापों से जुड़ सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि में प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना शुरू की है। पीएम-दक्ष के अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के लक्षित वर्ग हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार है :

- अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 3.00 लाख से कम है।
- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई.बी.सी.) जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 1.00 लाख से कम है।
- गैर-अधिसूचित, घुमंतु एवं अर्ध-घुमंतु जन-जातियाँ(डी.एन.टी.) बिना आय मापदण्ड के।

पीएम-दक्ष के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2023-24 की अवधि में निम्न चार श्रेणियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए गए:

- Long Term Training Programmes, normally 6 Months to 1 Year
- Short Term Training Programmes, normally 2 to 5 Months or as stipulated in National Occupation Standard (NOS)
- Up skilling programmes, upto 1 Month
- Entrepreneurship Development Programmes, normally 10-15 days

The training programmes are conducted primarily through Govt. Training Institutes and other credible Training Institutes identified by the Ministry of Social Justice and Empowerment. The training programmes are conducted with 100% Grant-in-aid from Govt. of India.

During the year 2023-24, the Standing Finance Committee (SFC) had approved the target of 21,800 trainees against which the Corporation commenced skill training programmes for 37407 trainees. The list of Training Institutes conducted the training programmes during the FY 2023-24 is attached at **Annexure-5** (Page No. 54). Training Expenditure released, as part payment on training sanctioned during 2023-24 ₹ 5.26 crores. State-wise details of training during the year under report are available at **Annexure –6** (Page No.

55-57).

18. NATIONAL FELLOWSHIP FOR OBC STUDENTS (NFOBC)

NBCFDC has been nominated as Nodal Agency for implementation of National Fellowship for OBC students (NFOBC) Scheme from October 2022, which is a Central Sector Scheme of Govt. of India. The scheme provides educational empowerment of 1000 OBC students per year by way of awarding fellowship (financial assistance) to undertake advanced studies and research leading to M.Phil./ Ph.D Degrees, who qualifies NET-JRF (for Humanities / Social Science) or UGC-CSIR-NET (for Science) exams. During the year, the Corporation has disbursed Rs. 89.42 Crs to 2009 scholars under NFOBC Scheme.

19. FOCUS ON NORTH EASTERN STATES

During the year 2023-24, loan amounting to ₹ 8.48 Cr. for 754 beneficiaries was disbursed in the N-E States namely Tripura (₹6.07 crore), Assam (₹ 0.37 crore), Manipur (₹ 0.02 Crore), and Sikkim (₹ 2.02 Crore). Cumulatively disbursement to N.E. States is under:

State	Loan Disbursed 2023-24 (₹ in Cr.)	Cumulative Loan Disbursed (₹ in Cr.)	No. of Beneficiaries Assisted 2023-24	Cumulative No. of Beneficiaries Assisted
Assam	0.37	78.14	34	50040
Manipur	0.02	26.84	2	19383
Meghalaya	-	0.052	-	3
Mizoram	-	0.002	-	2
Nagaland	-	0.08	-	6
Sikkim	2.02	32.59	49	5640
Tripura	6.07	196.51	669	53486
TOTAL	8.48	334.214	754	128560

20. MARKETING LINKAGES

Besides other developmental activities, the Corporation is promoting, marketing facilities for the artisans of the target group by providing opportunities

to participate in the Country's leading fairs & Exhibitions like India International Trade Fair at Pragati Maidan, New Delhi, Dilli Haat at INA, New Delhi, Surajkund International Crafts Mela at Faridabad, Haryana, Lokotsav etc. as well as in the exhibitions/fairs

- दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्यतः 6 महीने से 1 वर्ष
- अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्यतः 2 से 5 महीने या जैसाकि राष्ट्रीय व्यवसाय मानक(एन.ओ.एस.) द्वारा निर्धारित किया जाए;
- अप-स्किलिंग प्रोग्राम, 1 माह तक
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से चिन्हित किए गए सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों व विश्वसनीय प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार से 100% अनुदान सहायता के साथ आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, स्थायी वित्त समिति (एस. एफ.सी.) ने 21,800 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसके सापेक्ष 37407 प्रशिक्षुओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों की सूची **अनुलग्नक-5** (पृष्ठ सं. 54) पर उपलब्ध है। वर्ष 2023-24 के दौरान स्वीकृत प्रशिक्षण हेतु आंशिक प्रशिक्षण व्यय के रूप में रु. 5.26 करोड़ जारी किए गए हैं। सन्दर्भित अवधि में वर्ष के दौरान राज्यवार प्रशिक्षण विवरण **अनुलग्नक-6**

(पृष्ठ सं. 55-57) पर दिया गया है।

18. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शोधवृत्ति योजना (एनएफ-ओबीसी)

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को अक्टूबर 2022 से ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय शोधवृत्ति (एनएफ-ओबीसी) योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जो भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना प्रति वर्ष 1000 ओबीसी छात्रों को नेट-जेआरएफ (मानविकी/सामाजिक विज्ञान के लिए) या यूजीसी-सीएसआईआर-नेट (विज्ञान के लिए) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले, एम.फिल./पीएचडी डिग्री के लिए उन्नत अध्ययन और शोध करने शोधवृत्ति (वित्तीय सहायता) प्रदान करके शैक्षिक सशक्तीकरण प्रदान करती है। वर्ष के दौरान, निगम ने एनएफओबीसी योजना के तहत 2009 विद्यार्थियों को रु. 89.42 करोड़ वितरित किए गए हैं।

19. उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान

वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों से 754 लाभार्थियों हेतु रु. 8.48 करोड़ के ऋण उत्तर-पूर्वी राज्य त्रिपुरा को (रु. 6.07 करोड़), असम (रु. 0.37 करोड़), मणिपुर (रु. 0.02 करोड़ एवं सिक्किम (रु. 2.02 करोड़) को वितरित किए गए हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों को किया गया संचयी विवरण इस प्रकार है:

राज्य	ऋण वितरण 2023-24 (रु.करोड़ में)	संचयी ऋण वितरण (रु.करोड़ में)	2023-24 में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संचयी संख्या
असम	0.37	78.14	34	50040
मणिपुर	0.02	26.84	2	19383
मेघालय	-	0.052	-	3
मिजोरम	-	0.002	-	2
नागालैण्ड	-	0.08	-	6
सिक्किम	2.02	32.59	49	5640
त्रिपुरा	6.07	196.51	669	53486
योग	8.48	334.214	754	128560

20. विपणन संयोजन

निगम, अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के अतिरिक्त, लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के मुख्य मेलों एवं प्रदर्शनियों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, दिल्ली हॉट, आई.एन.ए., नई दिल्ली, सुरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला,

फरीदाबाद, हरियाणा एवं लोकोत्सव इत्यादि के साथ- साथ सम्बंधित राज्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों आदि में विपणन के अवसर उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है। ये आयोजन दस्तकारों को मात्र विपणन /प्रदर्शन का अवसर ही प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि एक ऐसा सुअवसर भी प्रदान करते हैं, जहां उनके उत्पादों की अच्छे

organized in their respective States. These events not only give much needed marketing exposure to these artisans, but also provide an opportunity to market their products at good price and understand the prevailing market conditions as regard to the Quality & Finishing of goods & products produced, Packaging etc. which usually they find difficult in their own places.

NBCFDC helps traditional BC Artisans by way of providing them platform to exhibit their products in the exhibitions to establish marketing linkages.

NBCFDC also motivates the SCAs to organize or participate in exhibitions to showcase the schemes of the Corporation and also to exhibit the diverse products and services for which NBCFDC has provided financial assistance to the members of Backward Classes in different parts of the Country through SCAs. The objective of such exhibitions is to generate awareness about the NBCFDC schemes as well as to give exposure to the artisans of the target group to a bigger market. Beneficiaries are also being provided to and fro travel expenses, DA, etc. Detailed statement of the Fairs, Exhibitions organized/sponsored by NBCFDC during the year 2023-24 is available at **Annexure-7** (Page No. 58).

21. NEW INITIATIVES

21.1 Information Technology (IT)

Your Corporation has embarked upon improvement of its web-based software LEAP that provides easy access to Channel Partners for ease of doing business with NBCFDC. NBCFDC is also facilitating its Channel Partners for using PM SURAJ (Samajik Uthaan Evam Rojgar Aadharait Jankalyan) portal developed by BISAG (knowledge partner of NEGD), MeiTY on behalf of MoSJE. The software is aimed at helping target groups to apply on line to avail loan facilities of the Corporation.

21.2 Technology Upgradation of Cluster under NBCFDC Scheme

In order to facilitate technological upgradation & capacity augmentation to clusters of target groups, Corporation has introduced Technology Upgradation Scheme. During 2023-24, Corporation has released an amount of ₹ 22.48 Lakh to Indian Institute of Carpet Technology (IICT), Tripura OBC Cooperative Development Corporation (TOBCCDC) and North

Eastern Regional Agriculture Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC). Cumulatively, the Corporation has sanctioned ₹ 4,29,78,907/- and released ₹ 3,46,70,001/- up to 31.03.2024 under this scheme.

22. MONITORING & EVALUATION:

The schemes of the Corporation are periodically reviewed through Independent Agencies. During the year 2023-24, the Corporation has got completed and accepted the Final Evaluation study report for a sample size of 700 beneficiaries under Training Schemes of NBCFDC in the State of Kerala through Dr Ambedkar Chair, Annamalai University, Tamil Nadu.

The Corporation has awarded the work of evaluation study for lending schemes in Kerala, Karnataka, West Bengal, Uttar Pradesh and Tripura through Dr. Ambedkar Chairs. The sample size of the beneficiaries in each State is 400, totally 2000 beneficiaries in five States.

The major outcomes of the evaluation studies finalized during 2023-2024 are enclosed at **Annexure-8** (Page No. 58).

23. PUBLICITY & AWARENESS OF NBCFDC SCHEMES:

The Corporation has taken effective steps for generating awareness amongst target group in various parts of the country. The Corporation along with its Channel Partners has sponsored/organized Awareness Camps with the objective of spreading awareness of Corporation's schemes and providing an opportunity to the target group to avail financial support in short time by registering their names at the Camps. During the year, NBCFDC and its Channel Partners have been able to organize 46 Awareness Camps & Publicity in the States/UTs of Himachal Pradesh, Kerala, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and UT of Jammu & Kashmir.

24. MAIN EVENTS DURING 2023-24

24.1 National Conference

The Corporation organized a National Conference on September 15, 2023, at SCOPE Complex, New Delhi, specifically for Managing Directors and Senior Officers of State Channelizing

मूल्य पर बेचने का अवसर मिलता है एवं बाजार की मौजूदा स्थितियों को गुणवत्ता एवं तैयार सामान एवं उत्पादित उत्पादों, पैकिंग इत्यादि को समझते हैं, जो सामान्यतः उन्हें अपने स्थानों पर मिलना कठिन होता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. परम्परागत पिछड़े वर्ग के दस्तकारों को प्रदर्शनियों में उत्पादों के प्रदर्शन हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर विपणन संयोजन हेतु सहायता प्रदान करता है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निगम की योजनाओं के प्रदर्शन तथा विविध उत्पादों एवं सेवाओं, जिनके लिए एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, प्रदर्शनियों का आयोजन अथवा प्रतिभागिता करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार की प्रदर्शनियों का उद्देश्य एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने सहित लक्षित वर्ग के दस्तकारों को बड़े बाजारों में पहुंच प्रदान करना है। लाभार्थियों को आने-जाने का किराया व्यय, डी.ए. इत्यादि भी उपलब्ध कराया जाता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित/प्रायोजित मेलों, प्रदर्शनियों का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक-7** (पृष्ठ सं. 58) पर उपलब्ध है।

21. नई पहल

21.1 सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

आपके निगम ने अपने वेब आधारित सॉफ्टवेयर लीप में सुधार किया है जो एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के साथ व्यवसाय में सुगमता के लिए चैनल सहभागियों को आसान पहुंच प्रदान करता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अपने चैनल सहभागियों को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से बी.आई.एस.ए.जी. (नॉलेज पार्टनर ऑफ एन.ई.जी.डी.), MeitY द्वारा विकसित पीएम-सूरज (सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण) का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सॉफ्टवेयर का उद्देश्य लक्ष्य समूहों को निगम की ऋण सुविधाओं के ऑन-लाइन आवेदन करने व ऋण सहायता का लाभ उठाने में मदद करना है।

21.2 एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अंतर्गत समूहों का तकनीकी उन्नयन

लक्ष्य समूहों के लिए कलस्टर्स को तकनीकी उन्नयन व क्षमता वृद्धि हेतु निगम ने प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है। वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.सी.टी.), त्रिपुरा ओबीसी सहकारी विकास निगम (टी.ओ.बी.सी.सी.डी.सी.) और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एन.ई.आर.ए.एम.ए.सी.) को रू. 22.48 लाख की राशि जारी की है। कुल मिलाकर, निगम ने रू. 4,29,78,907/- स्वीकृत

किए हैं तथा इस योजना के तहत 31.03.2024 तक रू. 3,46,70,001/- जारी किए गए हैं।

22. निगरानी एवं मूल्यांकन:

निगम की योजनाओं की स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने डॉ. अंबेडकर चेरर, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के माध्यम से केरल राज्य में एनबीसीएफडीसी की प्रशिक्षण योजनाओं के अंतर्गत 700 लाभार्थियों के नमूना आकार के लिए अंतिम मूल्यांकन अध्ययन कार्य करवाया है और उसे स्वीकार कर लिया है।

निगम ने डॉ. अंबेडकर चेरर के माध्यम से केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा को ऋण योजनाओं के लिए मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। प्रत्येक राज्य में लाभार्थियों का नमूना आकार 400 है, अर्थात पांच राज्यों में कुल 2000 लाभार्थी हैं।

वर्ष 2023-2024 के दौरान अंतिम रूप दिए गए मूल्यांकन अध्ययनों के प्रमुख परिणाम **अनुलग्नक-8** (पृष्ठ सं. 58) पर उपलब्ध हैं।

23. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनाओं का प्रचार एवं जागरूकता

निगम ने देश के विभिन्न भागों में लक्षित वर्ग के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु प्रभावी कदम उठाए हैं। निगम ने अपने चैनल सहभागियों के साथ निगम की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने व अपना नाम दर्ज करवाकर संक्षिप्त अवधि में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जागरूकता शिविरों को प्रायोजित/आयोजित किया। वर्ष के दौरान, एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और उसके चैनल सहभागी हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर में 46 प्रचार एवं जागरूकता शिविर आयोजित करने में सफल रहे हैं।

24. वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य आयोजन

24.1 राष्ट्रीय सम्मेलन

निगम ने 15 सितंबर, 2023 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में विशेष रूप से राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के प्रबंध निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के अध्यक्षों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में चैनल सहभागियों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई

Agencies (SCAs), Chairmen of Regional Rural Banks (RRBs), and Senior Officials of Public Sector Banks (PSBs). The conference included a performance review of Channel Partners and featured additional sessions led by experts on topics such as handholding of beneficiaries, the Ministry of Social Justice & Empowerment's Venture Capital Fund (VCF) scheme, and Common Service Centers (CSCs).

24.2 Exhibitions/Fairs/Melas

- (i) **India International Trade Fair (IITF) – 2023:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at 42nd India International Trade Fair, 2023 (IITF 2023) from 14th November, 2023 to 27th November, 2023. All the three Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event, nominating beneficiaries assisted under their schemes, wherein, 32 beneficiaries nominated by 15 Channel Partners from 14 states/UTs exhibited and sold their products which include Handloom and Handicraft Garments, Readymade Garments, Stole, Embroidery Bag, Cane & Bamboo, Broom Products, Ceramic products, Quilts, Rugs, Bed Cover, Pickle, Honey, Assam Silk Saree & Suits, Wood Fabric Art, Kashmiri Handicrafts, Shawls, Wooden and Marble products, Banarasi Silk Saree & Suit, Kantha Saree, Chanderi Saree and Maheshwari products etc.
- (ii) **Goa Lokotsav Mela – 2023 :** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at Goa Lokotsav Mela from 09th – 17th January 2024. NBCFDC nominated five (05) beneficiaries from 03 Channel Partners for the mela assisted under its schemes. Beneficiaries participated with quality products in the Goa Lokotsav exhibition and sold their products which include Quilts, Rugs, Bed Cover, Handicraft Garments, Dress Material, Hand Embroidery bags and Fibre Products etc.
- (iii) **37th Surajkund International Craft Mela – 2024:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, exhibition at 37th Surajkund

International Craft Mela 2024 from 2nd February to 18th February 2024. All the 03 Apex Corporations namely NBCFDC, NSKFDC and NSFDC under the Ministry of Social Justice & Empowerment participated in the event, nominating beneficiaries assisted under their scheme, NBCFDC nominated 29 beneficiaries from 12 Channel Partners with quality products from 12 states. Beneficiaries sold their products which include Cane & Bamboo, Clay utensils, Quilts, Rugs, Bed Cover, Handicraft Garments, Banarasi Saree Suits, Ceramic and Terracotta, Terracotta pottery, Dress Material, Black rice, Organic Honey and Pickles, Kashmiri Shawl, Assam Silk Saree and Suits, Readymade Garments, Chadar, Mekhela, Cushion Cover, SoznyAritari Embroidery Shawls suits, Metal Ware, Fibre Products etc.

- (iv) **13th East Himalayan Trade Fair (EHTF):** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India sponsored exhibition “13th East Himalayan Trade Fair (EHTF)” from 01st to 08th October, 2023 at Guwahati, Assam, wherein 05 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes nominated by the Channel Partners making quality products from 02 States participated in the exhibition and sold their products which includes Hand Embroidery Products, Bamboo Decorative Products and Gujarati Bag, Gujarati Dress Material and Water Hyacinth Products.
- (v) **Atmanirbhar Bharat Exhibition:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India sponsored exhibition Atmanirbhar Bharat Exhibition (Bharat Mandapam, New Delhi) from 03rd to 10th January 2024, wherein 37 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes nominated by 10 the Channel Partners making quality products from 10 states participated and sold their products which includes Hand Embroidery products, Woolen Dress Material, Bed Sheet, Bamboo, Decorative Products, Stole, Ceramic and Terracotta, Metal ware, Artificial Jewellery work, Organic Honey, Pickles, Organic Food, Organic

तथा लाभार्थियों की सहायता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) योजना तथा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के नेतृत्व में अतिरिक्त सत्र भी आयोजित किए गए।

24.2 प्रदर्शनियां/उत्सव/मेले

- i) भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.)- 2023:** निगम ने 14 नवंबर, 2023 से 27 नवंबर, 2023 तक 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2023 (आई.आई.टी.एफ.-2023) में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रदर्शनी में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों- एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. नामक निगमों ने अपनी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को नामित कर इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें, आई.आई.टी.एफ. में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 15 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 32 लाभार्थी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की; जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प के वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट, स्टोल, कढ़ाई बैग, बेंत और बांस, झाड़ू उत्पाद, सिरमिक उत्पाद, रजाई, गलीचा, बेड कवर, अचार, शहद, असम की सिल्क साड़ियाँ और सूट, लकड़ी के कपड़े कला, कश्मीरी हस्तशिल्प, शॉल, लकड़ी और संगमरमर के उत्पाद, बनारसी सिल्क साड़ी और सूट, कांथा साड़ी, चंदेरी साड़ी और माहेश्वरी उत्पाद आदि सम्मिलित थे।
- (ii) गोवा लोकोत्सव मेला - 2023:** निगम ने 09 से 17 जनवरी 2024 तक गोवा लोकोत्सव मेले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रदर्शनी में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने मेले के लिए 03 चैनल सहभागियों ने अपनी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 5 लाभार्थियों को नामित किया। लाभार्थियों ने गोवा लोकोत्सव प्रदर्शनी में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ भाग लिया और अपने उत्पादों की बिक्री की जिसमें रजाई, गलीचा, बेड कवर, हस्तशिल्प वस्त्र, ड्रेस सामग्री, हाथ की कढ़ाई वाले बैग एवं फाइबर उत्पाद आदि सम्मिलित थे।
- iii) 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला - 2024:** निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रदर्शनी में 2 फरवरी से 18 फरवरी, 2024 तक 37वें सूरजकुंड

अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, 2024 में भाग लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी 03 शीर्ष निगमों अर्थात् एन.बी.सी.एफ.डी.सी., एन.एस.के.एफ.डी.सी. और एन.एस.एफ.डी.सी. ने अपनी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों को नामित कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ने 12 राज्यों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ 12 चैनल सहभागियों ने 29 लाभार्थियों को नामित किया। लाभार्थियों ने अपने उत्पादों की बिक्री जिनमें बेंत और बांस, मिट्टी के बर्तन, रजाई, गलीचा, बिस्तर कवर, हस्तशिल्प वस्त्र, बनारसी साड़ी एवं सूट, सिरमिक और टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, ड्रेस सामग्री, काला चावल, जैविक शहद और अचार, कश्मीरी शॉल, असम की सिल्क साड़ियाँ और सूट, रेडीमेड वस्त्र, चादर, मेखला, कुशन कवर, सोजनी आरितरी कढ़ाई शॉल सूट, धातु के बर्तन, फाइबर उत्पाद आदि सम्मिलित थे।

- iv) 13वां पूर्वी हिमालय व्यापार मेला (ई.एच.टी.एफ.):** निगम ने 1 से 8 अक्टूबर, 2024 तक गुवाहाटी, असम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनी "13वां पूर्वी हिमालय व्यापार मेला (ई.एच.टी.एफ.)" में भाग लिया, जिसमें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 02 राज्यों के चैनल सहभागियों द्वारा नामित 05 लाभार्थियों द्वारा अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ प्रदर्शनी में भाग लिया और अपने उत्पादों की बिक्री की जिसमें हाथ से कढ़ाई के उत्पाद, बांस के सजावटी उत्पाद और गुजराती बैग, गुजराती ड्रेस सामग्री और जल जलकुंभी उत्पाद सम्मिलित थे।
- v) आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी:** निगम ने 03 से 10 जनवरी 2024 तक (भारत मंडपम, नई दिल्ली) में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी में भाग लिया, जिसमें एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 10 राज्यों के 10 चैनल सहभागियों द्वारा नामित 37 लाभार्थियों ने भाग लिया और अपने उत्पादों की बिक्री की जिसमें हाथ की कढ़ाई के उत्पाद, ऊनी ड्रेस सामग्री, बेड शीट, बांस, सजावटी उत्पाद, स्टोल, सिरमिक और टेराकोटा, धातु के बर्तन, कृत्रिम आभूषण कार्य, जैविक शहद, अचार, जैविक खाद्य, जैविक चाय आदि

Tea etc.

(vi) **Shilp Samagam Melas:** The Corporation participated in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India sponsored Shilp Samagam Melas at various places like Gwalior, Madhya Pradesh from 22nd to 30th September 2023, Shilp Samagam Mela (Lucknow, Uttar Pradesh) from 07th to 15th October 2023, Shilp Samagam Mela (Amritsar, Punjab) from 12th to 21st January 2024, Shilp Samagam Mela (Bengaluru, Karnataka) from 12th to 20th January 2024 and Shilp Samagam Mela (Jodpur, Rajasthan) from 29 February to 08 March, 2024 wherein 186 beneficiaries assisted under NBCFDC schemes nominated by the Channel Partners making quality products from 15 States participated in the above exhibitions and sold their products which include Silk Sarees, Terracotta items, Gujarati Dress Materials, Organic Foods, Banarasi Sarees, Handloom products, Bagh Prints, Wooden Crafts, Wood Inlays, Shawls, Sozni Works, Fancy Suits, Punjabi Phulkari, Kantha Stitches, Decorative items, Woolen items, Honey, Ready-made Garments, Brass Metals, Pottery, Jute Bags, Black Rice Products, Pickles & Spices, Bed Sheets, Embroidered suits, Panja Dari's, Bhadoi Carpets, Ceramic and Glass Products, Gujarati Handicrafts, Processed Foods, Aquipine Products, Khadi Products, Comfortable Bed Covers, and Quilts.

25. PUBLIC PROCUREMENT POLICY FOR MSES:

The Public Procurement policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 mandates that 20% of the total Annual procurement of goods and services by all Central Ministries/Public Sector Undertakings will be made from Micro and Small Enterprises (MSEs). Government has further earmarked a sub total of 4% procurement of goods and services, out of the 20%, from MSEs owned by SC/ST entrepreneur. In compliance of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order 2012, your Corporation has achieved the required target during the year 2023-24.

26. IMPLEMENTATION OF AADHAAR ACT, 2016 AND DIRECT BENEFIT TRANSFER

As per the Notification published by the MOSJ&E in the Gazette of India on 1st March, 2017 for use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies as per the Section-7 of the Aadhaar Act, 2016, your Corporation requested all its State Channelizing Agencies (SCAs), Channel Partners (CPs) and Training Institutions (Tis) to provide the scheme-wise monthly data/information in the prescribed format for compilation and uploading on to the DBT Bharat Portal. Every month, your Corporation has been providing the compiled information/data in the prescribed format to the MOSJ&E based on information/data received from SCAs/CPs/Tis.

27. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The functional divisions of the Corporation viz. Human Resource, Project, Finance & Company Affairs, Grants, Administration & IT are operating with bare minimum staff of 53 (fifty three) employees as on 31.03.2024. Out of the 53 employees, 09 belongs to SC category, 13 belongs to OBC category (out of which one Ex- Serviceman) and one PWD person. There is no backlog vacancy exists. Corporation is following the reservation policy and guidelines issued by Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Government of India.

The activities of the Corporation are increasing continuously Corporation is able to manage the increased volume of work with manpower of 53 employees. Corporation strongly believes in development of human resources. During the year 2023-24, twelve officers and staff were deputed for various training programmes to keep them abreast with latest developments in the relevant functional areas.

27.1 Prevention of Sexual Harassment

The Corporation has zero tolerance for sexual harassment at workplace and has followed the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace in compliance of the provisions of the

शामिल हैं।

- vi) **शिल्प समागम मेले:** निगम ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित शिल्प समागम मेले जैसे शिल्प समागम मेला (ग्वालियर, मध्य प्रदेश) 22 से 30 सितंबर 2023 तक, शिल्प समागम मेला (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) 07 से 15 अक्टूबर 2023 तक, शिल्प समागम मेला (अमृतसर, पंजाब) 12 से 21 जनवरी 2024 तक, शिल्प समागम मेला (बेंगलुरु, कर्नाटक) 12 से 20 जनवरी 2024 तक और शिल्प समागम मेला (जोधपुर, राजस्थान) 29 फरवरी से 8 मार्च, 2024 में भाग लिया, जिसमें एनबीसीएफडीसी योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त 15 राज्यों द्वारा नामित गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने वाले 186 लाभार्थियों ने उपरोक्त प्रदर्शनियों में भाग लिया और अपने उत्पादों की बिक्री की, जिसमें सिल्क साड़ियां, टेराकोटा वस्तुएं, गुजराती ड्रेस सामग्री, जैविक खाद्य पदार्थ, बनारसी साड़ियां, हथकरघा उत्पाद, बाघ प्रिंट, लकड़ी के शिल्प उत्पाद, लकड़ी पर नक्काशी, शॉल, सोज़नी कार्य, फैंसी सूट, पंजाबी फुलकारी, कांथा कार्य के कपड़े, सजावटी वस्तुएं, ऊनी वस्तुएं, शहद, रेडीमेड वस्त्र, पीतल धातु, मिट्टी के बर्तन, जूट बैग, काले चावल के उत्पाद, अचार और मसाले, चादरें, कढ़ाई वाले सूट, पंजा दरी, भदोही की कालीन, सिरेमिक और काँच के उत्पाद, गुजराती हस्तशिल्प, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, एक्कीपाइन उत्पाद, खादी उत्पाद, आरामदायक बिस्तर कवर और रजाई सम्मिलित हैं

25. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए सार्वजनिक सुरक्षा नीति

सूक्ष्म, लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के आदेश, 2012 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति, सभी केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा माल और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) से किया जाना अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमी के आधिपत्य की 20% एम.एस.ई. से माल और सेवाओं की 4% खरीद निर्धारित की है। सार्वजनिक खरीद नीति के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के 2012 के आदेश के अनुपालन में आपके निगम ने वर्ष 2023-24 के दौरान आवश्यक लक्ष्य प्राप्त किया है।

26. आधार अधिनियम, 2016 एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का कार्यान्वयन

आधार अधिनियम, 2016 की धारा-7 के अनुसार सेवाओं या लाभ या सब्सिडी के वितरण के लिए दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग के लिए 1 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, आपके निगम ने सभी स्टेट चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), चैनल सहभागियों (सीपी.) और प्रशिक्षण संस्थानों (टी.ई.) से अनुरोध किया है कि निर्धारित प्रारूप पर योजनावार मासिक डेटा/जानकारी प्रदान कर डी.बी.टी. भारत पोर्टल पर संकलन और अपलोड करें। आपका निगम एस.सी.ए./सी.पी./टी.ई. से प्राप्त जानकारी/डेटा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर संकलित जानकारी/डेटा प्रदान कर रहा है।

27. मानव संसाधन प्रबंधन

निगम के क्रियाशील विभाग जैसे- मानव संसाधन, परियोजना, वित्त व कम्पनी कार्य, अनुदान, प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम स्टाफ 53 (तिरपन) के साथ कार्य कर रहे हैं। निगम के कुल 53 कर्मचारियों में 09 अनुसूचित जाति वर्ग, 13 अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी (जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक) एवं 01 (एक) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सम्मिलित है एवं कोई भी पद रिक्त नहीं है। निगम आरक्षण नीति, लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का अनुसरण कर रहा है।

निगम के कार्यकलापों में लगातार वृद्धि हो रही है और 53 कार्मिकों के मानव श्रम से कार्य की बढ़ी मात्रा का प्रबंध करने में सक्षम है। निगम मानव संसाधन के विकास में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है, वर्ष 2023-24 के दौरान 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को घटनाक्रम से बराबर अवगत कराने के लिए उन्हें संगत कार्यात्मक क्षेत्रों में अद्यतन करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

27.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

निगम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए पूर्णतः असहिष्णु है एवं निगम ने कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषिद्ध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं शिकायतों के निवारण

Act. Competent Authority constituted the committee consisting of :-

- | | |
|---|----------------------|
| (i) Ms. Anupama Sood,
CGM (Proj.) | - Chairperson |
| (ii) Shri Ajit Kumar Samal,
CGM (Fin.) & C.S | - Member |
| (iii) Shri Suresh Kumar,
GM(HR & Admn.) | - Member |
| (iv) Smt. (Dr.) Navdip Kaur | - NGO Representative |
| (v) Ms. Neelam Mudgal,
Chief Manager (Fin.) | - Member |
| (vi) Ms. Geeta Pandey,
Manager(HR) | - Member Secretary |

The aggrieved women employees may submit her complaints to the committee. During the financial year 2023-24, the Corporation has not received any complaints on sexual harassment from its employees.

28. NBCFDC IS IS/ISO 9001:2015 COMPANY

NBCFDC is an IS/ISO 9001:2015 certified by Bureau of Indian Standard since, 2009. The validity of Management Systems Certification has been renewed and valid upto to 12th March 2027. The Quality Objectives of the Corporation is to optimize organizational efficiency to achieve the MOU targets and continual enhancement of the customer satisfaction through redressal of customer.

Following ISO standard is, however, only a means and not an end in itself. The core of our quality objective lies in our emphasis on continuous improvement and customer satisfaction. The quality objective of the Corporation will be based on customer needs and working through proactive and responsive customer approach, leading to customer satisfaction. This shall be achieved through competency enhancement and continual improvements of systems & processes within the regulatory framework.

29. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Corporation is following Government directives issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India & Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti, Delhi (Upkram-2) for progressive use of Official Language Hindi in day to day working of Corporation and the employees of the Corporation are also encouraged for the same from time to time.

The provisions of Section 3(3) of Official Language are being complied by the Corporation. Letters received in Hindi are always replied in Hindi. Four Meetings of the Official Language Implementation Committee (OLIC) were conducted during the year. Quarterly/half yearly/Annual Reports on the progressive use of Hindi were regularly sent to Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Ministry of SJ&E through online portal or in prescribed format to M/o SJ&E and NARAKAS, Delhi (Upkram-2). Four Hindi workshops were conducted for the officials of the Corporation alongwith day to day help to the officials in working in Hindi during the reporting period. Corporation has published its Rajbhasha Grah Patrika 'Rajbhasha Shubhashini' during the year.

During the reporting period, Corporation participated in 'Hindi Diwas' and Third All India Rajbhasha Sammelan on 14th & 15th September, 2023 at Pune, Maharashtra organized by Department of Official Language, MHA, Govt. of India. Corporation organized 'Hindi Pakhwada' from 16 September to 30 September. Incentives were given to employees to promote the Hindi Rajbhasha in official work. Hindi software 'Saransh', 'Google Input Tool' has also already been installed in Computers to promote the use of Hindi typing in the Computers and continuously support has been provided to the official for performance in Hindi in efficient manner.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the 'Annual Programme' for the year 2023-24 issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India for transacting the official work of the Corporation in Hindi. The employees of the Corporation are being constantly encouraged for maximum use of Hindi Rajbhasha in their official work.

30. RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Corporation has taken action for implementation of RTI Act 2005. Nominations / Appointments of PIOs as well as Appellate Authority have been made in compliance of the provisions of RTI Act, 2005 and requests for information are being attended. NBCFDC website has been updated and contains information on all 17 items as required under clause 4.1(b) of RTI Act 2005. The Corporation also submitted quarterly/annual returns regularly online on the website of Central Information Commission (CIC). During the financial year 2023-24 all complaints/

सम्बंधी नियमों का अनुपालन किया है। सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित अधिकारियों से बनी आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है:

- | | |
|---|-------------------|
| (i) श्रीमती अनुपमा सूद,
मुख्य महाप्रबन्धक (परि.) | - अध्यक्ष |
| (ii) श्री अजित कुमार सामल,
मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त.)/कम्पनी सचिव | - सदस्य |
| (iii) श्री सुरेश कुमार,
महाप्रबन्धक (मा.स.-प्रशासन) | - सदस्य |
| (iv) श्रीमती (डा.) नवदीप कौर,
एनजीओ प्रतिनिधि | - एनजीओ प्रतिनिधि |
| (v) श्रीमती नीलम मुदगल,
वरि.प्रबन्धक (वित्त) | - सदस्य |
| (vi) श्रीमती गीता पाण्डेय,
प्रबन्धक(मा.स.) | - सदस्य सचिव |

पीड़ित महिला कर्मचारी अपनी शिकायतें समिति को प्रस्तुत कर सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम को अपने कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

28. एन.बी.सी.एफ.डी.सी. आई.एस./आई.एस.ओ. 9001-2015 कम्पनी

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक आई.एस./आई.एस.ओ. 9001-2015 है, जिसे 2009 से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त है। प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन की वैधता का नवीनीकरण करा दिया गया है और यह 12 मार्च, 2027 तक वैध है। समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थागत योग्यता को उपयुक्त बनाने एवं ग्राहकों के निदान द्वारा ग्राहक संतुष्टि को सतत् बढ़ाना निगम का गुणवत्ता उद्देश्य है।

तथापि, आई.एस.ओ. मानक का पालन करना मात्र साधन है और स्वयं में अंतिम नहीं है। हमारी गुणवत्ता उद्देश्यों का महत्वपूर्ण भाग ग्राहक संतुष्टि एवं निरंतर सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना है। निगम की गुणवत्ता का उद्देश्य ग्राहकों की आवश्यकता जिसमें ग्राहक की संतुष्टि सर्वोपरि हो, अग्रसक्रिय एवं दायित्वपूर्ण ग्राहक पहुंच पर आधारित होगा। यह नियामक ढांचे के अधीन क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली तथा प्रक्रिया में नियमित सुधार के माध्यम से प्राप्त होगा।

29. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

निगम दैनिक कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर राजभाषा कार्यक्रम समिति, दिल्ली (उपक्रम-2) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण कर रहा है तथा निगम के कर्मचारियों को इसके लिए समय-समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है।

निगम में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का अनुपालन किया जा रहा है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हमेशा हिन्दी में ही दिया जाता है। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं नगर राजभाषा कार्यक्रम समिति, दिल्ली (उपक्रम-2) को तिमाही/अर्द्ध वार्षिक / वार्षिक रिपोर्ट ऑन-लाइन पोर्टल अथवा निर्धारित प्रारूप पर नियमित रूप से भेजी गईं। संदर्भित वर्ष के दौरान हिन्दी में कार्य करने की क्षमता को विकसित करने के लिए निगम के कार्मिकों हेतु चार हिन्दी कार्यशालाओं के साथ-साथ दैनिक आधार पर सहायता प्रदान की गई। वर्ष के दौरान निगम की राजभाषा गृह पत्रिका 'राजभाषा सुभाषिणी' का प्रकाशन किया गया।

संदर्भित अवधि के दौरान, निगम ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 और 15 सितंबर, 2023 को पूणे, महाराष्ट्र में आयोजित 'हिंदी दिवस' और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लिया गया। निगम द्वारा 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक 'हिन्दी पखवाड़ा' आयोजित किया गया। सरकारी कामकाज में हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया गया। कंप्यूटरों में हिंदी टाइपिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर 'सारांश', 'गूगल इनपुट टूल' पहले से ही स्थापित किया गया है और कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने के लिए निरंतर सहायता प्रदान की गई।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2023-24 में कार्यालयी कार्य हिंदी में करने हेतु किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने के लगातार प्रयास किए गए। निगम के कर्मचारियों को अपने कार्यालयी कार्य में हिंदी राजभाषा के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

30. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन/नियुक्ति की गई है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है एवं सूचना प्रेषण से सम्बंधित अनुरोधों पर ध्यान दिया

applications have been disposed off within the specified time limits.

31. VIGILANCE CELL

Your Corporation observed Vigilance Awareness Week from 30th October, 2023 to 5th November, 2023 as per the guidelines of Chief Vigilance Commission. Proper preventive vigilance is being observed in the Corporation and notice displayed at the Notice Board of the Corporation for improving vigilance administration. Employees were made aware about the preventive vigilance during the meetings from time to time.

32. ACHIEVEMENT AGAINST MOU 2022-23

Your Corporation continues to contribute their best and the achievement of the Corporation based on self-evaluation as also review at Board and Ministry level was 'Very Good'. The performance of the Corporation has been rated as "Very Good" with a score of 75.00 for the financial year 2022-23 by DPE on its dashboard.

33. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNING & OUT GO.

The activities undertaken by your Corporation do not fall under the purview of disclosures of particulars under Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013, in so far as it relates to the conservation of energy, technology absorption, foreign earnings and outgo.

34. STATUTORY AUDITORS

In terms of Section 129(4) of the Companies Act 2013, the Comptroller and Auditor General of India appointed M/s D.C. Garg & Company (DE1175), Chartered Accountants, New Delhi, as Statutory Auditors of the Company for the year 2023-24. The Statutory Auditors have audited the financial statements of the Corporation for the financial year 2023-24 and submitted their report.

35. C&AG COMMENTS

The accounts of the Corporation for the year 2023-24 shall also be audited by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for providing their

comments as per Companies Act, 2013.

36. CORPORATE GOVERNANCE

Your Corporation believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstone for good governance. The systems and business processes of the Corporation are reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weakness, if any. It is the Corporation's endeavor to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best-governed companies in the similar trade. A Report of Directors on Corporate Governance and certificate on Corporate Governance issued by M/s VAP & Associates, Company Secretaries, Ghaziabad are placed at **Annexure- 9** (Page No. 59-63).

37. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, the annual return of the Company is available on the Corporation's Website at the link <http://www.nbcfdc.gov.in>.

38. BOARD OF DIRECTORS

As on 31.03.2024, there are Seven Directors on the Board of NBCFDC including Managing Director. The following changes took place in the composition of the Board of Directors:

- Shri Amit Kumar Ghosh, Additional Secretary (BC), MOSJ&E was appointed as part time official Director w.e.f. 28.03.2024.
- Shri S S Vaseeharan, GM, NABARD was appointed as part-time Director in place of Shri R.V. Ramakrishna, GM, NABARD w.e.f. 27.10.2023.

The Board welcomes Shri Amit Kumar Ghosh, AS (BC), MOSJ&E & Shri S S Vaseeharan, GM, NABARD as Director(s) on the Board of NBCFDC. The Board also places on record its appreciation for the valuable guidance given by Shri R.V. Ramakrishna, GM, NABARD and Shri Sanjay Pandey, JS&FA, MOSJE to the management of your Corporation during their tenure as part-time Director(s). Details of tenure of Directors on the Board of Directors of the Corporation are as under:

जा रहा है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की वेबसाइट अद्यतन की गई है एवं सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 4.1 (बी) के अन्तर्गत वांछित 17 मदों को इसमें सम्मिलित किया गया है। निगम, केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन त्रैमासिक/ वार्षिक विवरणी भेजता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में निगम को प्राप्त हुई सभी शिकायतों/आवेदनों का निपटान निर्धारित समयावधि के अन्दर किया गया है।

31. सतर्कता प्रकोष्ठ

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवम्बर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। निगम में उचित निवारक सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए निगम के नोटिस बोर्ड पर भी सूचना प्रदर्शित की गई। अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर आयोजित बैठकों के दौरान निवारक सतर्कता के बारे में जानकारी दी गई।

32. समझौता ज्ञापन 2022-23 के सापेक्ष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा है और स्व-मूल्यांकन के आधार पर निदेशक मण्डल और मंत्रालय स्तर पर समीक्षा में निगम की उपलब्धि 'बहुत अच्छा' श्रेणी में थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा इसके डैशबोर्ड पर निगम के कार्यनिष्पादन को 75.00 स्कोर के साथ "बहुत अच्छा" आँका गया है।

33. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन

निगम द्वारा किए गए कार्यकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम.) की परिधि में नहीं आते हैं। फिर भी, जहां कहीं भी संभव है, ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के प्रयास किए गए हैं।

34. सांविधिक लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मैसर्स डी.सी. गर्ग एण्ड कं. (डीई1175), चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, नई दिल्ली को कम्पनी का सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगम के वर्ष 2023-24 के लेखों की लेखापरीक्षा की गई एवं उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

35. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी टिप्पणियाँ उपलब्ध कराने हेतु

निगम के वर्ष 2023-24 की लेखा परीक्षा की जाएगी।

36. कॉरपोरेट प्रशासन

आपके निगम का विश्वास है कि निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के सिद्धान्त अच्छे प्रशासन की आधारशिला हैं। निगम के तंत्र एवं व्यवसाय प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हों, को सुदृढ़ता प्रदान करने वाले उपायों, की समीक्षा की जाती है। निगम का यह प्रयास है कि उच्च कोटि के प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखे एवं समान व्यवसाय में श्रेष्ठ शासित कम्पनियों के साथ स्वयं का बेंचमार्क स्थापित किया जा सके। कॉरपोरेट प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन एवं कारपोरेट प्रशासन पर मैसर्स वीएपी एण्ड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, गाजियाबाद द्वारा कारपोरेट प्रशासन पर जारी किया गया प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-9** (पृष्ठ सं. 59-63) पर उपलब्ध है।

37. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) जो कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठनीय है, कंपनी के वार्षिक रिटर्न का लिंक निगम की वेबसाइट <http://www.nbcfd.gov.in> पर उपलब्ध है।

38. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) जो कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठनीय है, कंपनी के वार्षिक रिटर्न का लिंक निगम की वेबसाइट <http://www.nbcfd.gov.in> पर उपलब्ध है।

39. निदेशक मण्डल

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार प्रबंध निदेशक सहित एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में सात निदेशक हैं। निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं

- दिनांक 28.03.2024 से श्री अमित कुमार घोष, अपर सचिव(बी.सी.) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
- श्री आर.वी. रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड के स्थान पर श्री एस एस वसीहरन, महाप्रबन्धक, नाबार्ड अंशकालिक निदेशक के रूप में दिनांक 27.10.2023 को नियुक्त हुए।

निदेशक मण्डल श्री अमित कुमार घोष, अपर सचिव(बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं श्री एस.एस. वसीहरन, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, का एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल में स्वागत करता है। श्री आर.वी. रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड एवं श्री संजय पांडेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंशकालिक निदेशकों के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए निदेशक मण्डल उनकी प्रशंसा करता है एवं इसे अभिलेखित करता है। निगम के निदेशक मंडल में निदेशकों के कार्यकाल का विवरण निम्नानुसार है-

S.No.	Name of Directors	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Rajan Sehgal, MD, NBCFDC	Managing Director	02.01.2023	Till date
2.	Amit Kumar Ghosh,AS(BC), SJ&E	Director	28.03.2024	-do-
3.	Shri. S S Vaseeharan, GM, NABARD	Director	27.10.2023	-do-
4.	Smt. Pinki Kumari, NOD	Director	13.12.2021	-do-
5.	Shri Sanjay Kumar Singh, NOD	Director	17.11.2021	-do-
6.	Shri. R.V. Ramakrishna, GM, NABARD	Director	17.08.2021	27.10.2023
7.	Shri Sanjay Pandey, JS&FA,SJ&E	Director	15.05.2019	01.04.2024
8.	Dr. Subhransu Sekhar Acharya, GM SIDBI	Director	21.11.2018	08.07.2024
9.	Shri Rajnish Kumar Jenaw,CMD,NSFDC	Director	24.03.2021	31.08.2024

39. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013, your Directors state that:

- i. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;
- ii. That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for that period;
- iii. That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- iv. That the Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis;
- v. That the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and such internal financial controls are adequate and operating effectively;
- vi. That the Directors have devised proper systems

to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively

40. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 197 (12) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

There was no employee of your company who received remuneration in excess of the limits prescribed under section 197 (12) of the Companies Act, 2013 read with Rules 5(2) 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

41. CONTRACT OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES

During the year under reference, the Corporation did not enter into any related party transaction within the meaning of Section 188 of the Companies Act, 2013.

Attention of the members is also drawn to Note no.30 financial statements, which sets out related party disclosures as per Ind AS-24.

42. GENERAL

Your directors state that no disclosures or reporting is required in respect of the following items during the year under review:-

- a) A statement on declaration given by independent directors under subsection (6) of section 149;

क्र.स.	निदेशकों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	पद समाप्ति की तिथि
1	श्री राजन सहगल, प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	प्रबंध निदेशक	02.01.2023	अबतक
2	श्री अमित कुमार घोष, अपर सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	28.03.2024	यथोक्त
3	श्री एस एस वसीहरन, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	27.10.2023	यथोक्त
4	श्रीमती पिंकी कुमारी, एन.ओ.डी.	निदेशक	13.12.2021	यथोक्त
5	श्री संजय कुमार सिंह, एन.ओ.डी.	निदेशक	17.11.2021	यथोक्त
6	श्री आर.वी. रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड	निदेशक	17.08.2021	27.10.2023
7	श्री संजय पांडेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	निदेशक	15.05.2019	01.04.2024
8	डॉ.सुभ्रांशु शेखर आचार्य, मुख्य, महाप्रबन्धक, सिडबी	निदेशक	21.11.2018	08.07.2024
9	श्री रजनीश कुमार जैनव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.एस.एफ.डी.सी.	निदेशक	24.03.2021	31.08.2024

39. निदेशकों का दायित्व विवरण:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधान के अनुसार आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करने में लागू सभी लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है एवं भौतिक वस्तुओं का कोई भी प्रस्थापन नहीं हुआ है;
- यह कि निदेशकों द्वारा इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन एवं उसकी सतत् प्रयुक्तता को लागू किया गया है, जिससे कम्पनी के कार्यों के मामलों में उपयुक्त एवं दूरदर्शी निर्णय एवं अनुमान प्राप्त हो सकें तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं उसी अवधि की कम्पनी के लाभ की सत्य एवं सही तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;
- निगम की परिसम्पत्तियों की रक्षा के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों द्वारा प्रर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है;
- निगम के वार्षिक लेखे निदेशकों द्वारा प्रचलित मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं;
- निदेशकों द्वारा निर्धारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया जाना होता है और इस प्रकार के वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है एवं उनका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है;
- लागू सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित तंत्र तैयार किया गया है और इस प्रकार के तंत्र

पर्याप्त हैं व प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहे हैं।

40. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) जो कम्पनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कार्मिक का वेतन), नियम, 2014 के नियम 5 (2), 5 (3) के साथ पठित है, के अन्तर्गत निगम का कोई भी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं ले रहा है।

41. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थापन

वर्ष के दौरान, निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अभिप्राय में संबंधित पार्टी से कोई भी लेनदेन नहीं किया।

टिप्पणी सं. 30 वित्तीय विवरणों की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो भारतीय लेखाकरण मानक-24 के अनुसार संबंधित पार्टी के प्रकटन को निर्धारित करता है।

42. सामान्य:

आपके निदेशक अभिव्यक्त करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों पर प्रकटन/सूचना की आवश्यकता नहीं है

- धारा 149 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर वक्तव्य;

- b) In case of a company covered under sub-section (1) of section 178, company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section(3) of section 178;
- c) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186.
- d) The amount, if any, which is recommended should be paid by way of dividend;
- e) No significant or material orders were passed by the Authorities or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.

43. ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to place on record their gratitude for the continued guidance, cooperation and support received from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.

Your Directors sincerely appreciate the significant contribution made by the Directors on the Board and also the Directors who completed their terms during the financial year under review.

Your Directors would also like to place on record their appreciation for the untiring efforts and contributions made by the employees at all level to ensure that the Company continues to grow and excel.

We are also grateful to the Ministry of Corporate Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Department of Public Enterprises, State Governments/ UT Administrations, State Channelizing Agencies, Regional Rural Banks (RRBs), Government Training Institutes, Sector Skill Councils (SSCs) and other concerned Government Agencies for their support and cooperation in achieving the objectives of the Corporation.

Our thanks are also to the Company Auditors, Bankers and all others who have extended their support to the Corporation during the year.

For & on behalf of Board of Directors,

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Place: New Delhi

Date: 11.09.2024

- (ख) धारा 178 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत आच्छादित कम्पनी की दशा में, निदेशकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पर कम्पनी की नीति सहित योग्यता हेतु निर्धारण मापदण्ड, सकारात्मक योगदान, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य मामले, जिन्हें धारा 178 की उप-धारा (3) में दिया गया है;
- (ग) धारा 186 के अन्तर्गत ऋणों, प्रत्याभूति अथवा निवेश का विवरण;
- (घ) लाभांश के रूप में अनुशांसित राशि का भुगतान, यदि कोई हो,
- (ङ) अभिकरण अथवा न्यायालय अथवा ट्रेब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा मूर्त आदेश पारित नहीं किए गए, जिनका प्रभाव कम्पनी की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य के प्रचालन पर पड़े।

43. अभिस्वीकृति

आपके निदेशकगण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सतत् मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता के लिए सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, निदेशक मण्डल के निदेशकों के लिए

जिन्होंने समीक्षावधि के अधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कम्पनी के लगातार आगे बढ़ने और उत्कृष्टता हासिल करने के सुनिश्चियन हेतु कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए अथक प्रयासों और योगदान के लिए उनको अभिलेखित करते हैं।

हम निगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक उद्यम विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, सेक्टर स्किल काउंसिलों तथा अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के भी उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए आभारी हैं।

हम कम्पनी के लेखा परीक्षकों, बैंकों तथा उन अन्य सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान निगम को अपना सहयोग प्रदान किया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन सं. .09403132)

National Backward Classes Finance & Development Corporation

LIST OF STATE CHANNELISING AGENCIES (SCAs)

ANDHRA PRADESH

1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,
4th Floor, Vishal Residency, Opp. Siddhartha Engineering College, Padmaja Nagar, NTR Road, Tadigadapa, Vijayawada-521 134
2. Stree Nidhi Credit Co-Operative Federation
2nd Floor, NTR Administrative Block, RTC Complex, Vijaywada-520013, Andhra Pradesh

ASSAM

3. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd.,
1st floor RHHMC. (Rehabari Complex of ARTFED) A.K. Azad Road, Rehabari, Guwahati, Assam-781 008.
4. Assam State Development Corporation for Other Backward Classes Ltd.,
Dr. B.K. Kakoty Road, Gopinath Nagar, Guwahati, Assam-781 016.
5. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.,
NEDFI House, G.S. Road, Dispur, Guwahati, Assam-781 006

BIHAR

6. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation,
4th Floor, Sone Bhawan, Birchand Patel Marg, Patna, Bihar-800 001.

CHANDIGARH

7. Chandigarh SC/BC and Minorities Financial & Development Corporation,
Addl. Town Hall Building, 3rd Floor, Sector-17C, Chandigarh - 160017

CHHATTISGARH

8. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam,
T.R.I Bhawan, 2nd floor, Near Muktangan, Sec-24, New Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh-492015

DELHI

9. Delhi SC/ST/OBC/Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation,
Ambedkar Bhawan, Institutional Area, Sector-16, Rohini, Delhi-110089

GOA

10. Goa State Scheduled Castes & Other Backward Classes Fin. & Dev. Corp. Ltd.,
4th Floor, Patto Centre, Near KTC Bus Stand, Panaji, Goa-403001.

GUJARAT

11. Gujarat Backward Classes Development Corp.,
Block No.11, 2nd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhawan, Sector-10, Gandhi Nagar, Gujarat-382010.
12. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd.,
Block No.7, Third Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Old Sachivalay, Sector-10, Gandhinagar, Gujarat-382010.
13. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam,
Block No.16, Ground Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar, Gujarat-382010.
14. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation,
Block No.19/2, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar-382010, Gujarat.

HARYANA

15. Haryana Backward Classes & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam,
SCO No.813-14, Sector-22-A, Chandigarh, Haryana-160022.

HIMACHAL PRADESH

16. Himachal Backward Classes Finance & Development Corporation,
Old SDM Office Building, Kangra, Himachal Pradesh-176001

JAMMU & KASHMIR

17. Jammu & Kashmir SCs, STs & OBCs Development Corporation Ltd.
715-A, Last Morh, Gandhi Nagar, Jammu-180004
18. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation
SDA Colony, Bemina, Srinagar-190018.

JHARKHAND

19. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,
1st Floor, Kalyan Complex, Balihar Road, Morabadi, Ranchi, Jharkhand-834008.

KARNATAKA

20. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corp.,
No.16-D, 4th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bund Area, Vasanthnagar, Bangalore, Karnataka-560052.
21. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,
16-D, 5th Floor, Devaraj Urs Bhavan, Miller Tank Bed Area, Vasanthnagar, Bangalore-560052

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज को-आपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि.
चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, पद्मजा नगर, एन.टी.आर. रोड, टङ्गीगड्डुपा, विजयवाड़ा-521 134
2. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन
द्वितीय तल, एन.टी.आर. प्रशासनिक ब्लॉक, आर.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, विजयवाड़ा-520013, आंध्र प्रदेश

असम

3. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टिजन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि,
प्रथम तल, आर.एच.एच.एम.सी. (आर्टिफेड रेहवरी कॉम्प्लेक्स), ए.के. आजाद रोड़, रेहबरी, गुवाहाटी, असम-781008
4. असम स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज लि0,
डॉ0 बी.के. काकोटी रोड़, गोपीनाथ नगर, गुवाहाटी -781016, असम
5. नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेन्स कॉरपोरेशन लि0,
नेडफी हाउस, जी.एस. रोड़, दिसपुर, गुवाहाटी-781006

बिहार

6. बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
चौथा तल, सोन भवन, बीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800001, बिहार

चंडीगढ़

7. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनोंरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
एडिशनल टाउन हॉल बिल्डिंग, तृतीय तल, सेक्टर -17 सी, चंडीगढ़-160017

छत्तीसगढ़

8. छत्तीसगढ़ स्टेट अन्त्यावसाई सहकारी वित्त एवं विकास निगम,
टी.आर.आई. भवन, द्वितीय तल, नियर मुक्तांगन, सेक्टर-24, न्यू रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़-492015

दिल्ली

9. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनोंरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेन्सियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
अम्बेडकर भवन, इंस्टीट्यूशन एरिया, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089

गोवा

10. गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
चौथा तल, पाट्टो सेन्टर, नियर के.टी.सी. बस स्टैंड, पणजी-403001, गोवा

गुजरात

11. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
ब्लॉक न. -11, द्वितीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, सैक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात
12. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
ब्लॉक न.-7, तृतीय तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, पुराना सचिवालय, सेक्टर-10, गाँधी नगर-382010, गुजरात
13. गुजरात ठाकोर एण्ड कोली विकास निगम,
ब्लॉक न. -16, निचला तल, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382010, गुजरात
14. गुजरात नौमेडिक एण्ड डी-नोटिफाइड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ब्लॉक न. -19/2, डा0 जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर-382010, गुजरात

हरियाणा

15. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस् कल्याण निगम
एस.सी.ओ. सं. 813-14, सेक्टर-22-ए, चंडीगढ़ -160022, हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

16. हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ओल्ड एस.डी.एम. कार्यालय बिल्डिंग, कांगड़ा-176001, हिमाचल प्रदेश

जम्मू एण्ड कश्मीर

17. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
715-ए, लास्ट मोड, गाँधी नगर, जम्मू-180004
18. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
एस.डी.ए. कॉलोनी, बेमिना, श्रीनगर, जम्मू-190018

झारखण्ड

19. झारखण्ड स्टेट ट्राइबल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0,
प्रथम तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची, झारखण्ड-834008

कर्नाटक

20. डी. देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
स. 16-डी, चतुर्थ तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बंद एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर-560052, कर्नाटक
21. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनीटिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि.,
सं. 16-डी, पंचम तल, देवराज उर्स भवन, मिलर टैंक बंद एरिया, बसंतनगर, बैंगलोर-560052, कर्नाटक

KERALA

22. Kerala State Artisans' Development Corporation Ltd., 'Swagath', T.C. 12/755, Govt. Law College Road, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695035.
23. Handicrafts Development Corporation of Kerala Ltd., Post Box No.171, Puthenchanthai, Thiruvananthapuram, Kerala-695001.
24. Kerala State Backward Classes Development Corporation Ltd., "SENTINEL", 2nd Floor, T.C. 27/588 (7) & (8), Pattoor, Vanchiyoor P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695035.
25. Kerala State Co-operative Federation for Fisheries Development Ltd. (MATSYAFED), Kamaleswaram, Manacaud P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695009.
26. Kerala State Development Corporation for Christian Converts from SCs & Recommended Communities (Ltd.), Near Railway Station, Nagampadam, Kottayam, Kerala-686002.
27. Kerala State Palmyrah Products Development and Workers' Welfare Corporation Ltd., "Kelpalm", Kumbhumvila, Arayoor P.O., Kottamom, Kerala-695122.
28. The Kerala State Women's Development Corporation Ltd., 1st floor, Transport Bhavan Building, East Fort, Attakulangara P.O, Thiruvananthapuram- 695023

MADHYA PRADESH

29. Sant Ravidas Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hathakargha Vikas Nigam, Hastshilp Bhawan, Hamidia Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462001.
30. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam, Rajiv Gandhi Bhawan, Parisar-2, 1st Floor, 35 shyamla Hills, Bhopal, Madhya Pradesh-462002.

MAHARASHTRA

31. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta Ani Vikas Mahamandal Ltd., Administrative Building, 4th Floor, Ramakrishna Chamburkar Marg, Chambur (E), Mumbai, Maharashtra - 400 071.
32. Vasant Rao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd., 25N, Juhu Supreme Shopping Centre, Gulmohar Cross Road NO.9, JVPD Scheme, Vile-Parle (W), Mumbai, Maharashtra-400049.

ODISHA

33. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd., Qrs. No. A/6, Unit-5, Near Rajib Bhawan, Bhubaneswar, Odisha-751001.

PUDUCHERRY

34. Puducherry Backward Classes and Minorities Development Corporation Ltd.,

No.1, VIII Cross St., Anna Nagar, Nellithope, Puducherry-605005.

PUNJAB

35. Punjab Backward Classes Land Development and Finance Corporation, SCO No. 60-61, Sector-17 A, Chandigarh, Punjab-160017.

RAJASTHAN

36. Rajasthan Other Backward Classes Finance & Development Cooperative Corporation Ltd., 2nd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Nr. 22, Godaam, Jaipur, Rajasthan- 302005.

SIKKIM

37. Sikkim Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Other Backward Classes Development Corporation Ltd. (SABCCO), Sonam Tshering Marg (Kazi Road), Gangtok-737101, Sikkim

TAMIL NADU

38. Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation, 1/1(1), Mayor Ramanathan Salai (East), Egmore, (Nr. Gengureddy Subway), Chennai-600 008.

TELANGANA

39. Stree Nidhi Credit Co-operative Federation Ltd. Flat Nos, 401, 402, 5-9-22/B, My Home Sarovar Plaza, Secretariat Road, saifa bad, Hyderabad-500063 Telangana

TRIPURA

40. Tripura OBC Co-operative Development Corporation Ltd., Supari Bhawan, Krishnanagar, Lake Chowmuhani, Tribal Research Building, Tripura (W), Agartala, Tripura-799001.

UTTAR PRADESH

41. Uttar Pradesh Pichhara Varg Vitta Avam Vikas Nigam Ltd., 4th Floor, (South Wing), PCF Building, 32, Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.
42. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd., 10, Mall Avenue, Lucknow, Uttar Pradesh-226001.

UTTARAKHAND

43. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam, Directorate, Tribal Welfare Premises, Bhagat Singh Colony, Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand-248001.

WEST BENGAL

44. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation, H.O. Block CF, 217/A/1, Sector-1, Salt Lake, Kolkata, West Bengal-700064.
45. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation, 'AMBER', DD-27/E, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal-700064.

केरल

22. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
'स्वागथ', टी.सी. 12/755, गवर्नमेंट लॉ कालेज रोड, वंचीयूर पो.आ.,
तिरुअनंतपुरम-695035, केरल
23. हैडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल लि०,
पो. बाक्स. स. 171, पुथेनचन्थाई, तिरुअनंतपुरम-695001, केरल.
24. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
'सेन्टीनेल', द्वितीय तल, टी.सी. 27/588 (7) एवं (8), पट्टर, वंचीयूर
पो.ओ., तिरुअनंतपुरम-695035, केरल
25. केरल स्टेट को-आपरेटिव फेडरेशन फॉर फिसरीज डेवलपमेंट लि०
(मत्स्यफेड),
कमलेश्वरम्, मानाकोड पो.ओ., तिरुअनंतपुरम -695009, केरल
26. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम
शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड रिक्मेंडेड कम्युनिटिज लि०,
रेलवे स्टेशन के नजदीक, नागमपदम, कोट्टायम - 686002, केरल
27. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एण्ड वर्कर्स वेल्फेयर
कॉरपोरेशन लि०
"केलपाम", कुम्भुमविला, अरायूर पो.ओ., कोट्टायम-695122, केरल
28. केरल स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
प्रथम तल, ट्रांसपोर्ट भवन, ईस्ट फोर्ट, अट्टाकुलंगरा पो.ओ.,
तिरुअनंतपुरम- 695003

मध्य प्रदेश

29. संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्त करघा विकास निगम
हस्तशिल्प भवन, हमिदिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462001
30. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
राजीव गाँधी भवन, परिसर-2, प्रथम तल, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश-462 002

महाराष्ट्र

31. महाराष्ट्र राज्य इतर मागस वर्गीय वित्त एनि विकास महामण्डल लि.,
एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रामाकृष्ण चैम्बूरकर
मार्ग, चैम्बूर(ई), मुम्बई-400071, महाराष्ट्र
32. वसन्तराव नाइक विमुक्त जातिस एण्ड नोमेडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लि.,
25-एन, जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर, गुलमोहर क्रॉस रोड न.-9, जे.वी.
पी.डी. स्कीम, विले-पारले स्कीम(वेस्ट), मुम्बई-400049, महाराष्ट्र

ओड़ीसा

33. द ओड़ीसा बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-आपरेटिव
कॉरपोरेशन लि.,
काटर सं. ए/6, यूनिट-5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर -751001,
ओड़ीसा

पुडुचेरी

34. पुडुचेरी बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड माइनारीटीज डेवलपमेंट
कॉरपोरेशन लि.,
काटर सं. 1, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेलीथोपे, पुडुचेरी-605005

पंजाब

35. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
एस.सी.ओ. सं. 60-61, सैक्टर-17ए, चण्डीगढ़-160017, पंजाब

राजस्थान

36. राजस्थान अदर बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट को-
ऑपरेटिव कॉरपोरेशन लि०,
द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, नियर 22 गोदाम, जयपुर,
राजस्थान-302005

सिक्किम

37. सिक्किम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एवं अदर बैकवर्ड
क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
सोनम शिरिंग मार्ग (काजी रोड), गंगटोक -737101, सिक्किम

तमिलनाडु

38. तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेज इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
1/1(1), म्योर रामानाथन सलाइ (ईस्ट), एम्मौर, (नियर गंगूरेड्डी
सबवे), चेन्नई-600008, तमिलनाडु

तेलंगाना

39. स्त्री निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
फ्लैट सं, 401, 402, 5-9-22 / बी, मेरा घर सरोवर प्लाजा, सचिवालय
रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500063 तेलंगाना

त्रिपुरा

40. त्रिपुरा ओ.बी.सी. को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
सुपारी भवन, कृष्णा नगर, लेक चौमुहानी, ट्राईबल रिसर्च बिल्डिंग,
त्रिपुरा (वेस्ट), अगरतला, त्रिपुरा-799001

उत्तर प्रदेश

41. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास नगम लि०,
चतुर्थ तल (साउथ विंग), पी.सी.एफ. बिल्डिंग, 32, स्टेशन रोड,
लखनऊ-226001, उत्तर प्रदेश
42. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०.,
10, माल एवेन्यू, लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226001

उत्तराखण्ड

43. उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर, भगत सिंह कॉलोनी,
अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001

पश्चिम बंगाल

44. पश्चिम बंगाल एस.सी.,एस.टी. एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट एण्ड
फाइनेंस कॉरपोरेशन,
मुख्यालय: ब्लॉक सी.एफ., 217/ए/1, सैक्टर-1, साल्ट लेक,
कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल
45. पश्चिम बंगाल माइनोरिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन,
'अम्बर', डी.डी 27/ई, सेक्टर-1, साल्ट लेक सिटी,
कोलकत्ता-700064, पश्चिम बंगाल

National Backward Classes Finance & Development Corporation**LIST OF RRBs/PSBs**

- 1. Bank of Baroda**
Baroda Bhawan, 7th Floor, R.C. Dutt Road, Vadodara-390 007, Gujarat.
- 2. Bank of Maharashtra**
Credit Priority-Agriculture, FI & SLBC, Head Office,"Lokmangal,1501, Shivajinagar, Pune-411005.
- 3. Canara Bank**
Agriculture Priority Section, Priority Credit Wing,H.O. 112 J.C. Road, Bangalore-560002, Karnataka.
- 4. Punjab National Bank**
Micro, Small & Medium Enterprises Division Plot No 4, Sector -10 Dwarka New Delhi -110075
- 5. Union Bank of India**
Agriculture Business Department, 7th floor, Ernest House, NCPA Marg, Nariman Point, Mumbai-400021
- 6. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank**
30-7-24, Income Tax Office Rd, Daba Gardens, Allipuram, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530020
- 7. Andhra Pragathi Grameena Bank,**
Beside Mariyapuram Church, Mariyapuram, Kadapa - AP-516003,
- 8. Saptagiri Grameena Bank**
Head Office: 19/565-11, 3rd Floor, Opp: Venkateswara Theatre, Vellore Road, Chittoor – 517 002. Andhra Pradesh.
- 9. Arunachal Pradesh Rural Bank**
HO. E Sector, Shiv Mandir Road, Naharlagun Dist: Papua Pare Arunachal Pradesh PIN-791110
- 10. Assam Gramin Vikash Bank**
Head Office : Guwahati G.S. Road, Bhangagarh Guwahati, Assam-781005
- 11. Dakshin Bihar Gramin Bank**
Shri Vishnu Commercial Complex, NH-30, New Bypass, Near BP Highway Services Petrol Pump, Asochak, Patna-800016
- 12. Chhattisgarh Rajya Gramin Bank,**
Corporate Office Sector-24, Plot No. 47Atal Nagar, Nava Raipur-492002, Chhattisgarh.
- 13. Saurashtra Gramin Bank**
Head Office, Wing-2, 1st Floor, LIC Jeevan Prakash Building, Tagore Road, Rajkot-360001, Gujarat.
- 14. Baroda Gujarat Gramin Bank,**
101 ABN Chamber, 1st floor Opposite Welcome Hotel, RC Dutta Road Alkapuri Baroda-390005
- 15. Sarva Haryana Gramin Bank**
H.O. SHGB House,Plot No.1, Sector-3, Rohtak-124001, Haryana
- 16. Himachal Pradesh Gramin Bank**
Head Office, HPGB Jail Road, Mandi, Himachal Pradesh -175001
- 17. J&K GRAMEEN BANK,**
Near Fruit Complex, Narwal, Jammu (J&K).- 180006
- 18. Jharkhand Rajya Gramin Bank**
H.O. Rajendra Place, 5 Main Road, Near Over Bridge Ranchi-834001,Jharkhand
- 19. Karnataka Gramin Bank**
Head office, Post Box.No.55,32, Sanganakkal Road,Gandhinagar, Ballari-583103, Karnataka, India.
- 20. Karnataka Vikas Grameena Bank**
Head Office, P.B. No.111, Belgaum Raod, Dharwad-580008

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की सूची

1. **बैंक ऑफ बड़ौदा**
बड़ौदा भवन, 7 वीं मंजिल, आरसी दत्त रोड, वडोदरा-390 007, गुजरात
2. **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**
क्रेडिट प्रायोरिटी- क्रेडिट, एफआई एवं एस.एल.बी.सी., मुख्य कार्यालय, लोकमंगल 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005
3. **केनरा बैंक**
ऐग्रिकल्चर प्रायोरिटी सेक्सन, प्रायोरिटी क्रेडिट विंग, मुख्य कार्यालय 112 जे.सी. रोड, बैंगलोर-560002, कर्नाटक
4. **पंजाब नेशनल बैंक**
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डिवीजन, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर -10, द्वारका नई दिल्ली -110075
5. **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**
एग्रिकल्चर बिजनेस डिपार्टमेंट, 7वां तल, अर्नेस्ट हॉउस, एन.पी.सी.ए. मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021
6. **आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक**
30-7-24, आयकर कार्यालय रोड, डाबा गार्डन, अलीपुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश 530020
7. **आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक**
मरियापुरम चर्च के पास, मरियापुरम, कडपा-516003, आन्ध्र प्रदेश
8. **सप्तगिरि ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालय: 19/565-11, तृतीय तल, वेंकटेश्वर थिएटर के सामने, वेल्लोर रोड, चित्तूर - 517 002. आंध्र प्रदेश
9. **अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालय: ई सेक्टर, शिव मंदिर रोड, जिला-नाहरलगुन, पापुआ पारे, अरुणाचल प्रदेश, पिन-791110
10. **असम ग्रामीण विकास बैंक**
प्रधान कार्यालय : गुवाहाटी जी.एस. रोड, भांगागढ़ गुवाहाटी, असम -781005
11. **दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक**
श्री विष्णु कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एनएच -30, न्यू बाईपास, बीपी हाईवे सर्विसेज पेट्रोल पंप के पास, असोचक, पटना -800016
12. **छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक**
कॉर्पोरेट ऑफिस सेक्टर -24, प्लॉट नंबर 47, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड -492002
13. **सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, विंग -2, प्रथम तल, एलआईसी जीवन प्रकाश भवन, टैगोर रोड, राजकोट -360001, गुजरात।
14. **बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक,**
101 ए.बी.एन. चैंबर, पहली मंजिल, वेलकम होटल के सामने, आर.सी. दत्ता रोड, अलकापुरी बड़ौदा-390005
15. **सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय-एस.एच.जी.बी. हाउस, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर-3, रोहतक-124001, हरियाणा
16. **हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालय: एच.पी.जी.बी. जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश -175001
17. **जम्मू एण्ड कश्मीर ग्रामीण बैंक**
फ्रूट कॉम्प्लेक्स के नजदीक, नरवाल, जम्मू (जम्मू-कश्मीर)-180006
18. **झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालय: राजेन्द्र प्लेस, 5, मेन रोड, ओवर ब्रिज के पास, रांची-834001, झारखंड
19. **कर्नाटक ग्रामीण बैंक**
प्रधान कार्यालय, पोस्ट बॉक्स.नं.55,32, संगनक्कल रोड, गांधीनगर, बल्लारी-583103, कर्नाटक, भारत
20. **कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक**
मुख्य कार्यालय, पी.बी. नं.111, बेलगाम रोड, धारवाड़-580008

21. Madhya Pradesh Gramin Bank

C-21, Business Park, C21 Square, Opp. Hotel Radisson Blu, MR-10, Indore-452010, Madhya Pradesh.

22. Madhyanchal Gramin Bank,

H.O. Poddar Colony, Tili Road, Sagar-470001, Madhya Pradesh

23. Maharashtra Gramin Bank

Head Office, Plot No: 42, Gut No: 33, Golwadi Village, Tal-Dist- Aurangabad Near Disha Sankriti Society. 431010

24. Manipur Rural Bank

Keisampat Wahengbam Leikai Rd, Sagolband, Imphal, Manipur 795004

25. Meghalaya Rural Bank

Head Office KJP Conference Centre, Barik Point, Lachumiere Shillong 793001, Meghalaya

26. Mizoram Rural Bank

Head Office: MINECO, Khatla Aizawl-796001, Mizoram

27. Puduvai Bharathiar Grama Bank,

No.415, Kamaraj Salai, Saram, Puducherry-605013.

28. Punjab Gramin Bank,

H.O. Jalandhar Road, Kapurthala-144601, Punjab.

29. Rajasthan Marudhara Gramin Bank

Tulsi Tower, 9th B Road, Sardarpura, Jodhpur - 342003, Rajasthan

30. Tamil Nadu Grama Bank

Head Office, No. 6, Yercaud Road Hasthampatty, Salem 636 007.

31. Telangana Grameena Bank,

2-1-520, 2nd Floor, Vijaya Sri Sai Celestia, St.No.9, Nallakunta Shankermutt Road, Hyderabad-500044

32. Tripura Gramin Bank

Head Office: V.I.P Road Abhoynagar Agartala, West Tripura-799005

33. Prathama UP Gramin Bank,

Head Office, Ram Ganga Vihar Phase-II, Post Box NO. 446, Moradabad-244001, Uttar Pradesh.

34. Baroda UP Bank

Buddh Vihar Commercial Scheme, Taramandal, Gorakhpur – 273018, Uttar Pradesh

35. Aryavart Bank

H.O. A-2/46, Vijay Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010. Uttar Pradesh

36. Uttarakhand Gramin Bank

H.O.18, New Road, Dehradun-248001, Uttarakhand

For & on behalf of Board of Directors,

Place: New Delhi

Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

21. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

सी-21, बिजनेस पार्क, सी21 स्कायर, होटल रेडिसन ब्लू के सामने, एम.आर.-10, इंदौर-452010, मध्य प्रदेश

22. मध्यांचल ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: पोद्दार कॉलोनी, तिली रोड, सागर-470001, मध्य प्रदेश

23. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: प्लॉट नंबर: 42, गुट नंबर: 33, गोलवाड़ी गांव, ताल-जिला- औरंगाबाद, दिशा प्रकृति सोसाइटी के पास- 431010

24. मणिपुर ग्रामीण बैंक

कैसमपत वाहेंबम लेइकाई रोड, सगोलबंद, इम्फाल, मणिपुर 795004

25. मेघालय ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: के.जे.पी. सम्मेलन केंद्र, बारिक पॉइंट, लाखुमियर शिलांग 793001, मेघालय

26. मिजोरम ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: एम.आई.एन.ई.सी.ओ., खटला, आइजोल -796001, मिजोरम

27. पुडुचाई भारतियार ग्राम बैंक

सं. 415, कामराज सलाई, सरम, पुडुचेरी – 605 013

28. पंजाब ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: जालंधर रोड, कपूरथला-144601, पंजाब।

29. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक

तुलसी टॉवर, 9वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर - 342003, राजस्थान

30. तमिलनाडु ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: सं. 6, यरकौड रोड, हस्तमपट्टी, सेलम- 636 007

31. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

2-1-520, द्वितीय तल, विजया श्री साई सेलेस्टिया, सेंट नंबर 9, नल्लाकुंटा शंकरमठ रोड, हैदराबाद -500044

32. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: वी.आई.पी रोड, अभोयनगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा -799005

33. प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक,

मुख्य कार्यालय, राम गंगा विहार फेस -2, पोस्ट बॉक्स नंबर 446, मुरादाबाद -244001, उत्तर प्रदेश

34. बड़ौदा यूपी बैंक

बुद्ध विहार कॉमर्सियल स्किम, तारामंडल, गोरखपुर – 273018, उत्तर प्रदेश

35. आर्यावर्त बैंक

मुख्य कार्यालय: ए -2/46, विजय खंड, गोमती नगर, लखनऊ -226010, उत्तर प्रदेश

36. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक

मुख्य कार्यालय: 18, न्यू रोड, देहरादून-248001, उत्तराखंड

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन सं. .09403132)

**National Backward Classes Finance & Development Corporation
(Standalone) - MoU 2023-24**

S.No.	Name of Parameter	Unit	Weightage	Target 2023-24
1	Revenue from Operations	Rs. in Cr.	8	77.63
2	EBTDA as a percentage of Revenue	%	5	62.43
3	Return on Net Worth	%	7	1.91
4	Asset Turnover ratio	%	5	3.23
5	Loans Disbursed to Total Funds Available	%	15	100
6	Loans Disbursed to Micro Finance beneficiaries	%	10	65.30
7	Overdue loans to Total Loans	%	13	2.14
8	NPA to Total Loans	%	10	0.10
9	Geographical Coverage	%	10	100
10	Last mile Disbursement to ultimate beneficiaries	%	10	100
11	Acceptance/Rejection of Goods & Services through TReDS Portal	%	5	100
12	GeM Procurement as per approved procurement plan	%	2	100
		Total	100	

Notes:

- The targets are based on projections for the FY 2022-23 and the same shall be subject to revision on the basis of audited figures.
- Vision provided by the administrative Ministry is also considered for Benchmarking.
- Proportionate marks for achievement of 50% to 100% Targets.
- No marks for achievement below 50.00% of Targets.

अनुलग्नक - 2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
समझौता-ज्ञापन 2023-24 (एकल)

क्र.स.	मापदण्ड का नाम	इकाई	भार	लक्ष्य 2023-24
1	संचालन से राजस्व	रू. करोड़ में	8	77.63
2	ई.बी.टी.डी.ए.-राजस्व के प्रतिशत के रूप में	%	5	62.43
3	निबल संपत्ति से वापसी	%	7	1.91
4	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.23
5	कुल उपलब्ध निधि का ऋण वितरण	%	15	100
6	सूक्ष्म वित्त लाभार्थियों को ऋण वितरण	%	10	65.30
7	कुल ऋण का बकाया ऋण	%	13	2.14
8	कुल ऋणों का एन.पी.ए.	%	10	0.10
9	भौगोलिक आच्छादन	%	10	100
10	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि	%	10	100
11	टी.आर.ई.डी.एस. (TReDS) पोर्टल के माध्यम से सामान एवं सेवाओं को स्वीकरण/ अस्वीकरण	%	5	100
12	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार से GeM खरीद	%	2	100
		योग	100	

टिप्पणी:

- लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुमानों पर आधारित हैं एवं अंकेक्षित आंकड़ों के आधार पर संशोधन के अधीन है।
- वेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विजन पर विचार किया जाता है।
- 50% से 100% लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्यों के 50% से नीचे प्राप्ति हेतु कोई अंक नहीं।

National Backward Classes Finance & Development Corporation
Compliance parameters for 2023-24

S.No.	Parameter	Marks	Source/ Verification
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs	-1	Administrative Ministry
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 for SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency.	-3	Administrative Ministry on the basis of CAG /Statutory / Secretarial Auditor Report (s)
3	Target as given by/NITI Aayog Assets Monetization Milestones	-1	Administrative Ministry on the basis of confirmation from NITI Aayog.
4	Procurement of Goods or Services through MSEs as % of Total procurement of goods and services -25%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
5	Procurement of Goods or Services through SC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services -4%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
6	Procurement of Goods or Services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services -3%	-1	Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal
7	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (target to be prescribed by the Administrative Ministry).	-1	Administrative Ministry
8	Compliance with provisions relating to TReDS as outlined in DPE OM No. DPE-7(4)/2007-Fin dated 04/05/2020	-1	Administrative Ministry

Sd/-

CMD/MD, National Backward Classes Finance &
Devp. Corp.

Date-

Sd/-

Secretary, Ministry of Social Justice &
Empowerment

Date-

System Generated – MoU Dashboard

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
2023-24 के लिए अनुपालन पैरामीटर

क्र.स.	मापदंड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2	कॉरपोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (LODAR) विनियमों) में प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियों (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टी लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	-3	सी.ए.जी./सांविधिक/ सचिवालयी अंकेक्षण रिपोर्ट/ रिपोर्टों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	नीति आयोग द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण माइलस्टोन पर दिए गए लक्ष्य।	-1	नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद -25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5	एससी/एसटी एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में- 4%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 3%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
7	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
8	डीपीई OM No. DPE 7(4)/2007-Fin दिनांक 04.05.2020 में उल्लिखित टीआरडीएस (TReDS) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन	-1	प्रशासनिक मंत्रालय

ह0/-

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक,
नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
दिनांक:-

ह0/-

सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिनांक:-

सिस्टम जनरेटेड-एमओयू डैशबोर्ड

National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC)
Ministry of Social Justice and Empowerment (MSJ&E) 2023-24
PERFORMANCE ASSESSMENT TARGETS AND THEIR DETERMINATION

PART-A

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Mark	Target for 2022-23	Achieved 2022-23	Target for 2023-24	Achieved 2023-24	Raw Score
				Excellent 100%		Excellent 100%		
1	Revenue from Operations (Net of Taxes)	Rs. Crore	8	64.69	53.13	77.63	54.91	5.66
2	EBITA as a percentage of Revenue	%	5	62.43	55.93	62.43	54.26	4.35
3	Return on Net Worth	%	7	1.91	1.46	1.91	1.44	5.28
4	Asset Turnover ratio	%	5	3.23	2.63	3.23	2.65	4.10
Total (Part A)			25					19.38

PART-B

Sl. No.	Financial Performance Criteria	Unit	Mark	Target for 2022-23	Achieved 2022-23	Target for 2023-24	Achieved 2023-24	Raw Score
				Excellent 100%		Excellent 100%		
1	Loans disbursed / Total funds Available	%	15	100	99.53	100	100.00	15.00
2	Loans disbursed to Micro Finance Beneficiaries as a % Total Disbursement	%	10	65.15	67.14	65.30	49.31	7.55
3	Overdue loans/Total loans (Principal Net)	%	13	2.14	2.58	2.14	3.93	0.00
4	NPA to Total Loans	%	10	0.10	0.52	0.10	0.00	10.00
5	Geographical coverage (No. of States /Uts) functionally covered	%	10	100	88.89	100	83.33	8.33
6	"Last mile Disbursement to ultimate beneficiaries ."	%	10	100	96.02	100	96.87	9.69
7	Acceptance/Rejection of Goods & Services through TReDS Portal	%	5	100	100	100	100	5.00
8	GeM Procurement as per approved procurement plan	%	2	25	81.65	100	98.6	1.97
Total (Part B)			75					57.54
Total (Part A + Part B)			100					76.92

अनुलग्नक - 2.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सा.न्या.और अधि. मंत्रालय) 2023-24
कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन लक्ष्य एवं उनका निर्धारण

भाग-क

क्र. स.	वित्तीय कार्य निष्पादन मानदंड	इकाई	अंक	2022-23 के लिए लक्ष्य	2022-23 को उपलब्धि	2023-24 के लिए लक्ष्य	2023-24 को उपलब्धि	अपुष्ट स्कोर
				उत्कृष्ट 100%		उत्कृष्ट 100%		
1	संचालन से आय (शुद्ध कर)	रू. करोड़	8	64.69	53.13	77.63	54.91	5.66
2	ईबीआईटीए आय के प्रतिशत के रूप में	%	5	62.43	55.93	62.43	54.26	4.35
3	शुद्ध मूल्य पर वापसी	%	7	1.91	1.46	1.91	1.44	5.28
4	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	3.23	2.63	3.23	2.65	4.10
	योग (भाग-क)		25					19.38

भाग-ख

क्र. स.	वित्तीय कार्य निष्पादन मानदंड	इकाई	अंक	2022-23 के लिए लक्ष्य	2022-23 को उपलब्धि	2023-24 के लिए लक्ष्य	2023-24 को उपलब्धि	अपुष्ट स्कोर
				उत्कृष्ट 100%		उत्कृष्ट 100%		
1	वितरित ऋण / कुल उपलब्ध धनराशि	%	15	100	99.53	100	100.00	15.00
2	कुल वितरण % के रूप में सूक्ष्म वित्त के तहत लाभार्थियों को वितरित ऋण	%	10	65.15	67.14	65.30	49.31	7.55
3	बकाया ऋण/कुल ऋण (मूलधन शुद्ध)	%	13	2.14	2.58	2.14	3.93	0.00
4	कुल ऋण का एनपीए	%	10	0.10	0.52	0.10	0.00	10.00
5	कार्यात्मक रूप से भौगोलिक आच्छादन (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या)	%	10	100	88.89	100	83.33	8.33
6	अंततः लाभार्थियों को वितरित धनराशि	%	10	100	96.02	100	96.87	9.69
7	टी.आर.ई.डी.एस. (TReDS) पोर्टल के माध्यम से सामान एवं सेवाओं को स्वीकरण/अस्वीकरण	%	5	100	100	100	100	5.00
8	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जेम (GeM) खरीद	%	2	25	81.65	100	98.6	1.97
	योग (भाग-ख)		75					57.54
	योग (भाग-क + भाग-ख)		100					76.92

Compliance Parameters for 2023-24

Sl. No.	Parameters	Marks	Status	Raw score	Sources/ Varification
1	DPE guidelines issued from time to time on CSR expenditure by CPSEs	-1	Complied	0	Administrative Ministry
2	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 for SEBI (LODR) regulations in case of listed entities) on Corporate Governance such as (i) Composition of Board of Directors (ii) Board Committees (Audit Committee etc.) (iii) Holding Board Meetings (iv) Related Party Transaction (v) Disclosures and Transparency.	-3	Not Applicable	0	"Administrative Ministry on the basis of CAG /Statutory / Secretarial Auditor Report (s)"
3	Target as given by/NITI Aayog Assets Monetization Milestones	-1	Not Applicable	0	"Administrative Ministry on the basis of confirmation from NITI Aayog."
4	Procurement of Goods or Services through MSEs as % of Total procurement of goods and services -25%	-1	Complied	0	"Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal"
5	Procurement of Goods or Services through SC/ST MSEs as % of Total procurement of goods and services -4%	-1	Complied	-1	"Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal"
6	Procurement of Goods or Services through Women MSEs as % of Total procurement of goods and services -3%	-1	Complied	0	"Administrative Ministry on the basis of Sambandh portal"
7	Steps and initiative taken for Health & Safety improvement of Human Resources in CPSEs (target to be prescribed by the Administrative Ministry.	-1	Complied	0	Administrative Ministry
8	Compliance with provisions relating to TReDS as outlined in DPE OM No. DPE-7(4)/2007-Fin dated 04.05.2020	-1	Complied	0	Administrative Ministry
	Sub Total			-1	
	Net Total				75.92

2023-24 के लिए अनुपालन मापदंड

क्र. स.	मानदंड	अंक	स्थिति	अपुष्ट स्कोर	स्रोत/सत्यापन
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश।	-1	अनुपालन किया	0	प्रशासनिक मंत्रालय
2	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सेबी (एलओडीआर) विनियमों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधानों का अनुपालन जैसे (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखा परीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पार्टि लेन-देन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	-3	लागू नहीं	0	सी.ए.जी./सांविधिक/ सचिवालयी अंकेक्षण रिपोर्ट/ रिपोर्टों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	नीति आयोग द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण उपलब्धियों हेतु दिए गए लक्ष्य	-1	लागू नहीं	0	नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 25%	-1	अनुपालन किया	0	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5	एससी/एसटी एमएसएमई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में - 4%	-1	अनुपालन किया	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6	माल और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसएमई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 3%	-1	अनुपालन किया	0	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
7	सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)।	-1	अनुपालन किया	0	प्रशासनिक मंत्रालय
8	डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई-7(4)/2007-वित्त दिनांक 04.05.2020 में उल्लिखित टीआरईडीएस(TReDS) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन	-1	अनुपालन किया	0	प्रशासनिक मंत्रालय
उप योग				-1	
कुल योग					75.92

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND
RECOVERIES UPTO 31ST MARCH, 2024

Financial : ₹ in Lakh

Physical: No. of Beneficiaries

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	2021-22		2022-23		2023-24		Cumulative as on 31.03.2024	
		Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Disbursement	No. of Beneficiaries
I.	STATES								
1	Andhra Pradesh								
1.1	Andhra Pradesh (BC)	-	-	-	-	-	-	20116.74	360543
1.2	Andhra Pradesh (Toddy Tapper)	-	-	-	-	-	-	1263.73	5546
1.3	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	84.00	871	-	-	-	-	134.00	891
1.4	Saptgiri Grameena Bank	-	-	-	-	2276.12	1364	2276.12	1364
1.5	Andhra Pradesh (Others)	-	-	-	-	-	-	20.00	210
	Sub Total (1.1 to 1.5)	84.00	871	-	-	2276.12	1364	23810.59	368554
2	Assam								
2.1	Assam (Artfed)	-	-	-	-	-	-	2410.00	7667
2.2	Assam (BC)	-	-	-	-	-	-	556.78	876
2.3	Assam (Electronics)	-	-	-	-	-	-	457.64	668
	Sub Total (2.1 to 2.3)	-	-	-	-	-	-	3424.42	9211
3	Bihar								
3.1	Bihar (BC)	-	-	-	-	-	-	3910.54	8928
3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	1078.81	1723
	Sub Total (3.1 to 3.2)	-	-	-	-	-	-	4989.35	10651
4	Chhattishgarh								
4.1	Chhattishgarh (Bahudeshiya)	50.00	200	-	-	-	-	1918.26	3276
4.2	Chhattishgarh Rajya Gramin Bank	967.58	534	1199.93	622	1408.06	655	5228.72	2764
	Sub Total (4.1 to 4.2)	1017.58	734	1199.93	622	1408.06	655	7146.98	6040
5	Goa (SC/ST/BC)	40.00	64	135.00	144	159.61	25	2860.13	2836
6	Gujarat								
6.1	Gujarat (BC)	-	-	399.20	670	-	-	8818.97	17951
6.2	Guajrat (Gopalak)	-	-	-	-	-	-	4221.61	10451
6.3	Guajrat (Thakor)	700.00	2020	500.00	1200	-	-	7085.01	20174
6.4	Guajrat (Nomadic)	-	-	21.33	80	-	-	246.89	833
6.5	Dena Gujarat Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	500.00	325
6.6	Saurashtra Gramin Bank	1000.10	1372	1173.47	2103	150.60	118	8711.66	21601
6.7	Gujarat (Others)	-	-	-	-	-	-	45.00	1200
	Sub Total (6.1 to 6.5)	1700.10	3392	2094.00	4053	150.60	118	29629.14	72535
7	Haryana								
7.1	Haryana (BC)	750.00	2780	500.00	2150	562.00	621	13164.42	48499
7.2	Sarva Haryana Gramin bank	-	-	-	-	-	-	1100.00	2862
	Sub Total (7.1 to 7.2)	750.00	2780	500.00	2150	562.00	621	14264.42	51361
8	Himachal Pradesh								
8.1	Himachal Pradesh (BC)	448.00	1905	500.00	1520	471.36	122	9199.23	14665
8.2	Himachal Pradesh Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	1351.00	3046
	Sub Total (8.1 to 8.2)	448.00	1905	500.00	1520	471.36	122	10550.23	17711

अनुलग्नक - 3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
31.03.2024 की स्थिति के अनुसार राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी-वार/राज्य-वार
सकल देय व वसूली को दर्शाने वाला विवरण

वित्तीय: रु. लाख में
 भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र. स	लाभार्थियों की संख्या	2021-22		2022-23		2023-24		31.03.2024 को संचयी	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
	राज्य								
1	आंध्र प्रदेश								
1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	20116.74	360543
1.2	आंध्र प्रदेश (टोडी टैपर)	-	-	-	-	-	-	1263.73	5546
1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	84.00	871	-	-	-	-	134.00	891
1.4	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	2276.12	1364	2276.12	1364
1.5	आंध्र प्रदेश (अन्य)	-	-	-	-	-	-	20.00	210
	उप योग (1.1 से 1.5)	84.00	871	-	-	2276.12	1364	23810.59	368554
2	असम								
2.1	असम (आर्टिफेड)	-	-	-	-	-	-	2410.00	7667
2.2	असम (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	556.78	876
2.3	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	-	-	-	-	-	-	457.64	668
	उप योग (2.1 से 2.3)	-	-	-	-	-	-	3424.42	9211
3	बिहार								
3.1	बिहार (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	3910.54	8928
3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1078.81	1723
	उप योग (3.1 से 3.2)	-	-	-	-	-	-	4989.35	10651
4	छत्तीसगढ़								
4.1	छत्तीसगढ़ (बहुउद्देशीय)	50.00	200	-	-	-	-	1918.26	3276
4.2	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	967.58	534	1199.93	622	1408.06	655	5228.72	2764
	उप योग (4.1 से 4.2)	1017.58	734	1199.93	622	1408.06	655	7146.98	6040
5	गोवा (एस.सी./एस.टी./बी.सी.)	40.00	64	135.00	144	159.61	25	2860.13	2836
6	गुजरात								
6.1	गुजरात (बी.सी.)	-	-	399.20	670	-	-	8818.97	17951
6.2	गुजरात (गोपालक)	-	-	-	-	-	-	4221.61	10451
6.3	गुजरात (ठाकोर)	700.00	2020	500.00	1200	-	-	7085.01	20174
6.4	गुजरात (नोमेडिक)	-	-	21.33	80	-	-	246.89	833
6.5	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	500.00	325
6.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	1000.10	1372	1173.47	2103	150.60	118	8711.66	21601
6.7	गुजरात (अन्य)	-	-	-	-	-	-	45.00	1200
	उप योग (6.1 से 6.7)	1700.10	3392	2094.00	4053	150.60	118	29629.14	72535
7	हरियाणा								
7.1	हरियाणा (बी.सी.)	750.00	2780	500.00	2150	562.00	621	13164.42	48499
7.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1100.00	2862
	उप योग (7.1 से 7.2)	750.00	2780	500.00	2150	562.00	621	14264.42	51361
8	हिमाचल प्रदेश								
8.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	448.00	1905	500.00	1520	471.36	122	9199.23	14665
8.2	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1351.00	3046
	उप योग (8.1 से 8.2)	448.00	1905	500.00	1520	471.36	122	10550.23	17711

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	2021-22		2022-23		2023-24		Cumulative as on 31.03.2024	
		Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Disbursement	No. of Beneficiaries
9	Jammu & Kashmir								
9.1	Jammu & Kashmir (SC)	320.00	1080	250.00	510	-	-	1691.88	3618
9.2	Jammu & Kashmir (Women)	350.00	1625	350.00	1200	242.35	98	3462.95	10467
	Sub Total (9.1 to 9.2)	670.00	2705	600.00	1710	242.35	98	5154.83	14085
10	Jharkhand								
10.1	Jharkhand (Tribal)	-	-	-	-	-	-	945.30	1748
10.2	Vananchal Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	600.00	1839
10.3	Jharkhand Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	600.00	910
	Sub Total (10.1 to 10.3)	-	-	-	-	-	-	2145.30	4497
11	Karnataka								
11.1	D. Devraj Urs (BC)	-	-	-	-	-	-	41399.19	243090
11.2	Karnataka (Vishwakarma)	-	-	-	-	-	-	1500.00	3394
11.3	Karnataka Grameena Bank	-	-	-	-	1065.34	1089	1065.34	1089
11.4	Karnataka Vikas Bank	-	-	-	-	2000.00	2169	2000.00	2169
	Sub Total (11.1 to 11.4)	-	-	-	-	3065.34	3258	45964.53	249742
12	Kerala								
12.1	Kerala (Artisan)	150.00	660	120.00	350	-	-	1250.29	3876
12.2	Kerala (BC)	11700.00	49507	10000.00	42945	9883.48	11214	151265.75	596592
12.3	Kerala (Christian Converts)	-	-	-	-	-	-	1106.53	3413
12.4	Kerala (Fisheries)	3250.00	15650	3800.00	15200	2500.00	7058	48659.83	336193
12.5	Kerala (Handicraft)	150.00	530	150.00	720	100.00	63	1491.50	4961
12.6	Kerala (Polmarah)	-	-	-	-	-	-	140.00	521
12.7	Kerala (Women)	4300.00	20660	3000.00	11000	3309.88	4136	30848.12	81273
	Sub Total (12.1 to 12.7)	19550.00	87007	17070.00	70215	15793.36	22471	234762.02	1026829
13	Madhya Pradesh								
13.1	Madhya Pradesh (SC)	-	-	-	-	-	-	1210.11	3516
13.2	Madhya Pradesh (BC)	-	-	-	-	-	-	3528.07	12895
13.3	Madhya Pradesh (Hastship)	-	-	-	-	-	-	546.25	2706
13.4	Madhyanchal Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	100.00	120
13.5	Madhya Pradesh Gramin Bank	2597.77	1620	-	-	-	-	13848.17	12683
	Sub Total (13.1 to 13.5)	2597.77	1620	-	-	-	-	19232.60	31920
14	Maharashtra								
14.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	-	-	-	-	-	-	2077.99	3659
14.2	Maharashtra (VJNT)	-	-	-	-	-	-	7172.83	23512
14.3	Maharashtra (Annasahib)	-	-	-	-	-	-	50.00	85
14.4	Maharashtra (OBC)	-	-	-	-	-	-	14814.16	46760
14.5	Maharashtra Gramin Bank	109.18	81	343.26	255	149.30	84	601.74	420
14.6	Maharashtra (Others)	-	-	-	-	-	-	25.00	330
	Sub Total (14.1 to 14.6)	109.18	81	343.26	255	149.30	84	24741.72	74766
15	Manipur								
15.1	Manipur (Tribal)	-	-	-	-	-	-	407.37	561
15.2	Manipur (Women)	-	-	-	-	-	-	75.67	500
	Sub Total (15.1 to 15.2)	-	-	-	-	-	-	483.04	1061
16	North Eastern Dev. Fin. Corpn.	-	-	-	-	-	-	6300.00	58882
17	Orissa								
17.1	Orissa (BC)	-	-	-	-	-	-	1401.21	6039
17.2	Orissa (Others)	-	-	-	-	-	-	34.40	708

क्र. स	लाभार्थियों की संख्या	2021-22		2022-23		2023-24		31.03.2024 को संचयी	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
9	जम्मू एवं कश्मीर								
9.1	जम्मू एवं कश्मीर (एस.सी.)	320.00	1080	250.00	510	-	-	1691.88	3618
9.2	जम्मू एवं कश्मीर (वीमेन)	350.00	1625	350.00	1200	242.35	98	3462.95	10467
	उप योग (9.1 से 9.2)	670.00	2705	600.00	1710	242.35	98	5154.83	14085
10	झारखंड								
10.1	झारखंड (ट्राइबल)	-	-	-	-	-	-	945.30	1748
10.2	वनांचल ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	600.00	1839
10.3	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	600.00	910
	उप योग (10.1 से 10.3)	-	-	-	-	-	-	2145.30	4497
11	कर्नाटक								
11.1	डी. देवराज उर्स (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	41399.19	243090
11.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	-	-	-	-	-	-	1500.00	3394
11.3	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	1065.34	1089	1065.34	1089
11.4	कर्नाटक विकास बैंक	-	-	-	-	2000.00	2169	2000.00	2169
	उप योग (11.1 से 11.4)	-	-	-	-	3065.34	3258	45964.53	249742
12	केरल								
12.1	केरल (आर्टीसन)	150.00	660	120.00	350	-	-	1250.29	3876
12.2	केरल (बी.सी.)	11700.00	49507	10000.00	42945	9883.48	11214	151265.75	596592
12.3	केरल (क्रिश्चियन कन्वर्ट्स)	-	-	-	-	-	-	1106.53	3413
12.4	केरल (फिशरीज)	3250.00	15650	3800.00	15200	2500.00	7058	48659.83	336193
12.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	150.00	530	150.00	720	100.00	63	1491.50	4961
12.6	केरल (पलमीराह)	-	-	-	-	-	-	140.00	521
12.7	केरल (वीमेन)	4300.00	20660	3000.00	11000	3309.88	4136	30848.12	81273
	उप योग (12.1 से 12.7)	19550.00	87007	17070.00	70215	15793.36	22471	234762.02	1026829
13	मध्य प्रदेश								
13.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	-	-	-	-	-	-	1210.11	3516
13.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	3528.07	12895
13.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	-	-	-	-	-	-	546.25	2706
13.4	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	100.00	120
13.5	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	2597.77	1620	-	-	-	-	13848.17	12683
	उप योग (13.1 से 13.5)	2597.77	1620	-	-	-	-	19232.60	31920
14	महाराष्ट्र								
14.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	-	-	-	-	-	-	2077.99	3659
14.2	महाराष्ट्र (बीजेएनटी)	-	-	-	-	-	-	7172.83	23512
14.3	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	-	-	-	-	-	-	50.00	85
14.4	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	14814.16	46760
14.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	109.18	81	343.26	255	149.30	84	601.74	420
14.6	महाराष्ट्र (अन्य)	-	-	-	-	-	-	25.00	330
	उप योग (14.1 से 14.6)	109.18	81	343.26	255	149.30	84	24741.72	74766
15	मणिपुर								
15.1	मणिपुर (ट्राइबल)	-	-	-	-	-	-	407.37	561
15.2	मणिपुर (वीमेन)	-	-	-	-	-	-	75.67	500
	उप योग (15.1 से 15.2)	-	-	-	-	-	-	483.04	1061
16	उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनैस कॉर्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	6300.00	58882
17	उड़ीसा								
17.1	उड़ीसा (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	1401.21	6039
17.2	उड़ीसा (अन्य)	-	-	-	-	-	-	34.40	708

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	2021-22		2022-23		2023-24		Cumulative as on 31.03.2024	
		Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Disbursement	No. of Beneficiaries
	Sub Total (17.1 to 17.2)	-	-	-	-	-	-	1435.61	6747
18	Punjab								
18.1	Punjab (BC)	500.00	2350	400.00	880	242.10	134	8687.98	24688
18.2	Punjab Gramin Bank	2014.00	3815	1800.00	3100	1500.00	1352	11794.87	21074
	Sub Total (18.1 to 18.2)	2514.00	6165	2200.00	3980	1742.10	1486	20482.85	45762
19	Rajasthan								
19.1	Rajasthan (SC)	-	-	-	-	-	-	676.35	1213
19.2	Rajasthan (OBC)	100.00	500	500.00	2500			9366.88	26935
	Sub Total (19.1 to 19.2)	100.00	500	500.00	2500			10043.23	28148
20	Sikkim (SC/ST)	-	-	50.00	100	200.00	48	3212.86	5610
21	Tamilnadu								
21.1	Tamilnadu (BC)	8000.00	38700	9399.64	28400	11000.00	20062	121111.58	899542
21.2	Tamilnadu (Women)	-	-	-	-	-	-	50.00	500
21.3	Tamilnadu Grama Bank	-	-	685.53	314	492.29	274	1177.82	588
21.4	Tamilnadu (Others)	-	-	-	-	-	-	6.00	60
	Sub Total (21.1 to 21.4)	8000.00	38700	10085.17	28714	11492.29	20336	122345.40	900690
22	Telangana								
22.1	Telangana Grameena Bank	-	-	-	-	588.00	607	632.35	639
22.2	Stree Nidhi Credit Coop. Federation Ltd.	-	-	-	-	-	-	2400.00	6000
	Sub Total (22.1 to 22.2)	-	-	-	-	588.00	607	3032.35	6639
23	Tripura								
23.1	Tripura (OBC)	100.00	500	300.00	3000	150.00	60	17385.11	49802
23.2	Tripura Gramin Bank	885.01	1183	155.87	256	454.00	606	2207.81	3634
	Sub Total (23.1 to 23.2)	985.01	1683	455.87	3256	604.00	666	19592.92	53436
24	Uttar Pradesh								
24.1	Uttar Pradesh (BC)	-	-	-	-	-	-	7477.80	27849
24.2	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.	600.00	2790	2300.00	4850	3140.60	1719	12515.60	25604
24.3	Sarva U.P. Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	530.00	1025
24.4	Purvanchal Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	500.00	1643
24.5	Aryavart Gramin Bank	1500.00	2189	3000.00	3753	4946.60	3462	20446.60	21559
24.6	Kashi Goumti Gramin Bank	-	-	-	-	-	-	1035.00	1225
24.7	Uttar Pradesh (Others)	-	-	-	-	-	-	5.00	50
	Sub Total (24.1 to 24.7)	2100.00	4979	5300.00	8603	8087.20	5181	42510.00	78955
25	Uttarakhand								
25.1	Uttarakhand (Bahuudeshiya)	-	-	-	-	-	-	555.81	989
25.2	Uttarakhand Gramin Bank	26.33	5	21.26	3	32.75	11	80.34	19
	Sub Total (25.1 to 25.2)	26.33	5	21.26	3	32.75	11	636.15	1008
26	West Bengal								
26.1	West Bengal (BC)	-	-	100.00	500			9779.02	40537
26.2	West Bengal (Minorities)	-	-	-	-			1100.00	7564
26.3	West Bengal (Others)	-	-	-	-			15.00	300
	Sub Total (26.1 to 26.3)	-	-	100.00	500			10894.02	48401
	TOTAL - STATES (1 - 26)	40691.97	153191	41154.49	128325	47024.44	57151	669644.69	3176077
II.	PSBs								
27	Canara Bank	-	-	1099.87	1409	1000.00	1266	2099.87	2675
28	Dena Bank	-	-	-	-	-	-	100.00	70

क्र. स	लाभार्थियों की संख्या	2021-22		2022-23		2023-24		31.03.2024 को संचयी	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
	उप योग (17.1 से 17.2)	-	-	-	-	-	-	1435.61	6747
18	पंजाब								
18.1	पंजाब (बी.सी.)	500.00	2350	400.00	880	242.10	134	8687.98	24688
18.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	2014.00	3815	1800.00	3100	1500.00	1352	11794.87	21074
	उप योग (18.1 से 18.2)	2514.00	6165	2200.00	3980	1742.10	1486	20482.85	45762
19	राजस्थान								
19.1	राजस्थान (एस.सी.)	-	-	-	-	-	-	676.35	1213
19.2	राजस्थान (ओ.बी.सी.)	100.00	500	500.00	2500			9366.88	26935
	उप योग (19.1 से 19.2)	100.00	500	500.00	2500			10043.23	28148
20	सिक्किम (एस.सी./एस.टी.)	-	-	50.00	100	200.00	48	3212.86	5610
21	तमिलनाडु								
21.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	8000.00	38700	9399.64	28400	11000.00	20062	121111.58	899542
21.2	तमिलनाडु (वीमेन)	-	-	-	-	-	-	50.00	500
21.3	तमिलनाडु ग्रामीण बैंक	-	-	685.53	314	492.29	274	1177.82	588
21.4	तमिलनाडु (अन्य)	-	-	-	-	-	-	6.00	60
	उप योग (21.1 से 21.4)	8000.00	38700	10085.17	28714	11492.29	20336	122345.40	900690
22	तेलंगाना								
22.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	588.00	607	632.35	639
22.2	स्त्री निधि क्रेडिट कॉ-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	2400.00	6000
	उप योग (22.1 से 22.2)	-	-	-	-	588.00	607	3032.35	6639
23	त्रिपुरा								
23.1	त्रिपुरा (ओ.बी.सी.)	100.00	500	300.00	3000	150.00	60	17385.11	49802
23.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	885.01	1183	155.87	256	454.00	606	2207.81	3634
	उप योग (23.1 से 23.2)	985.01	1683	455.87	3256	604.00	666	19592.92	53436
24	उत्तर प्रदेश								
24.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	7477.80	27849
24.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	600.00	2790	2300.00	4850	3140.60	1719	12515.60	25604
24.3	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	530.00	1025
24.4	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	500.00	1643
24.5	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	1500.00	2189	3000.00	3753	4946.60	3462	20446.60	21559
24.6	काशी गौमती ग्रामीण बैंक	-	-	-	-	-	-	1035.00	1225
24.7	उत्तर प्रदेश (अन्य)	-	-	-	-	-	-	5.00	50
	उप योग (24.1 से 24.7)	2100.00	4979	5300.00	8603	8087.20	5181	42510.00	78955
25	उत्तराखंड								
25.1	उत्तराखंड (बहुउद्देशीय)	-	-	-	-	-	-	555.81	989
25.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	26.33	5	21.26	3	32.75	11	80.34	19
	उप योग (25.1 से 25.2)	26.33	5	21.26	3	32.75	11	636.15	1008
26	पश्चिम बंगाल								
26.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	-	-	100.00	500			9779.02	40537
26.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	-	-	-	-			1100.00	7564
26.3	पश्चिम बंगाल (अन्य)	-	-	-	-			15.00	300
	उप योग (26.1 से 26.3)	-	-	100.00	500			10894.02	48401
	कुल - राज्य (1 - 26)	40691.97	153191	41154.49	128325	47024.44	57151	669644.69	3176077
II.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक								
27	केनरा बैंक	-	-	1099.87	1409	1000.00	1266	2099.87	2675
28	देना बैंक	-	-	-	-	-	-	100.00	70

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	2021-22		2022-23		2023-24		Cumulative as on 31.03.2024	
		Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Disbursement	No. of Beneficiaries
29	Bank of Baroda	1226.11	1181	2852.49	2732	-	-	19200.98	22551
30	Punjab National Bank	2699.99	2447	2785.00	2182	-	-	8127.56	6686
31	Union Bank of India	2499.37	2808	1387.75	3226	981.41	1087	4868.53	7121
	Sub Total - PSBs (27 - 31)	6425.47	6436	8125.11	9549	1981.41	2353	34396.94	39103
III.	UT's								
32	Chandigarh (SC/BC)	-	-	5.00	20	-	-	135.37	343
33	Delhi (SC/ST/OBC)	20.00	90	-	-	-	-	575.38	913
34	Puducherry								
34.1	Puducherry (Adidraavidar)	-	-	-	-	-	-	154.76	125
34.2	Puducherry (BC)	-	-	-	-	-	-	4367.37	17134
34.3	Puduval Bharathiar Grama Bank	-	-	1900.00	2449	3503.04	8868	5403.04	11317
	Sub Total (34.1 to 34.3)	-	-	1900.00	2449	3503.04	8868	9925.17	28576
	TOTAL - UTs (32 - 34)	20.00	90	1905.00	2469	3503.04	8868	10635.92	29832
III.	GRAND TOTAL (I + II+III)	47137.44	159717	51184.60	140343	52508.89	68372	714677.55	3245012

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

क्र. स	लाभार्थियों की संख्या	2021-22		2022-23		2023-24		31.03.2024 को संचयी	
		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
29	बैंक ऑफ बड़ौदा	1226.11	1181	2852.49	2732	-	-	19200.98	22551
30	पंजाब नेशनल बैंक	2699.99	2447	2785.00	2182	-	-	8127.56	6686
31	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2499.37	2808	1387.75	3226	981.41	1087	4868.53	7121
	उप योग - पीएसबी (27 - 31)	6425.47	6436	8125.11	9549	1981.41	2353	34396.94	39103
III.	संघ राज्य क्षेत्र								
32	चंडीगढ़ (एस.सी./बी.सी.)	-	-	5.00	20	-	-	135.37	343
33	दिल्ली (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी.)	20.00	90	-	-	-	-	575.38	913
34	पुडुचेरी								
34.1	पुडुचेरी (आदिप्रविदार)	-	-	-	-	-	-	154.76	125
34.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	-	-	-	-	-	-	4367.37	17134
34.3	पुडुवल भारतियर ग्राम बैंक	-	-	1900.00	2449	3503.04	8868	5403.04	11317
	उप योग (34.1 से 34.3)	-	-	1900.00	2449	3503.04	8868	9925.17	28576
	कुल - संघ राज्य क्षेत्र (32 - 34)	20.00	90	1905.00	2469	3503.04	8868	10635.92	29832
III.	कुल योग (I+II+III)	47137.44	159717	51184.60	140343	52508.89	68372	714677.55	3245012

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ANNEXURE - 3.1

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
Statewise & Schemewise Disbursement during the year 2023-24Financial : ₹ in Lakh
Physical: No. of Beneficiaries

Sl. No.	States/Uts	General Loan			Micro Finance			Mahila Samridhi			Total	
		Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	
1	Andaman & Nicobar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ANDHRA PRADESH	2005.58	913	681.47	997	0	0	2687.05	1910			
3	ASSAM	27.05	18	9.63	16	0	0	36.68	34			
4	BIHAR	21.25	13	5.71	12	0	0	26.96	25			
5	CHANDIGARH UT	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Chhattisgarh	1411.35	658	3.40	8	0	0	1414.75	666			
7	Dadar Nagr Hveli	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	DELHI	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	GOA	159.62	25	0	0	0	0	159.62	25			
10	GUJRAT	493.97	325	44.94	76	0	0	538.91	401			
11	HARYANA	586.05	601	54.86	118	0	0	640.91	719			
12	HIMACHAL PRADESH	471.36	122	0.74	2	0	0	472.10	124			
13	JAMMU & KASHMIR	242.35	98	0	0	0	0	242.35	98			
14	JHARKHAND	1.73	1	1.89	2	0	0	3.62	3			
15	KARNATAKA	3199.77	3344	240.43	419	0	0	3440.20	3763			
16	KERALA	5479.98	2265	5012.03	11169	0	0	15801.92	22482			
17	MADHYA PRADESH	29.46	12	7.66	18	0	0	37.12	30			
18	MAHARASHTRA	260.95	153	60.77	114	0	0	321.72	267			
19	MANIPUR	0	0	1.73	2	0	0	1.73	2			
20	Meghalya	0	0	0	0	0	0	0	0			

अनुलग्नक - 3.1

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान राज्यवार एवं योजनावार वितरण

वित्तीय: ₹. लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य ऋण		सूक्ष्म वित्त		महिला समृद्धि		कुल	
		वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संवितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	2005.58	913	681.47	997	0	0	2687.05	1910
3	असम	27.05	18	9.63	16	0	0	36.68	34
4	बिहार	21.25	13	5.71	12	0	0	26.96	25
5	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
6	छत्तीसगढ़	1411.35	658	3.40	8	0	0	1414.75	666
7	दादर नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
8	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गोवा	159.62	25	0	0	0	0	159.62	25
10	गुजरात	493.97	325	44.94	76	0	0	538.91	401
11	हरियाणा	586.05	601	54.86	118	0	0	640.91	719
12	हिमाचल प्रदेश	471.36	122	0.74	2	0	0	472.10	124
13	जम्मू एवं कश्मीर	242.35	98	0	0	0	0	242.35	98
14	झारखंड	1.73	1	1.89	2	0	0	3.62	3
15	कर्नाटक	3199.77	3344	240.43	419	0	0	3440.20	3763
16	केरल	5479.98	2265	5012.03	11169	5309.91	9048	15801.92	22482
17	मध्य प्रदेश	29.46	12	7.66	18	0	0	37.12	30
18	महाराष्ट्र	260.95	153	60.77	114	0	0	321.72	267
19	मणिपुर	0	0	1.73	2	0	0	1.73	2
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0

Sl. No.	States/Uts	General Loan		Micro Finance		Mahila Samridhi		Total	
		Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted
21	NAGALAND	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ODISHA	16.69	8	18.67	45	0	0	35.36	53
23	PONDICHERY	0	0	3503.04	8868	0	0	3503.04	8868
24	PUNJAB	1741.69	1486	1.68	2	0	0	1743.37	1488
25	RAJASTHAN	7.20	4	0.50	1	0	0	7.70	5
26	SIKKIM	201.47	49	0	0	0	0	201.47	49
27	TAMILNDU	2135.20	2385	474.11	919	9052.95	17314	11662.26	20618
28	TELANGANA	617.51	628	47.33	89	0	0	664.84	717
29	TRIPURA	499.20	345	107.93	324	0	0	607.13	669
30	UTTAR PRADESH	7236.99	3960	984.58	1378	0	0	8221.57	5338
31	UTTARAKHAND	32.75	11	1.75	4	0	0	34.50	15
32	WEST BENGAL	0	0	1.62	3	0	0	1.62	3
	Grand Total	26879.17	17424	11266.47	24586	14362.86	26362	52508.5	68372

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामान्य ऋण		सूक्ष्म वित्त		महिला समृद्धि		कुल	
		वर्ष के दौरान संचित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संचित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संचित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष के दौरान संचित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
21	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ओडिशा	16.69	8	18.67	45	0	0	35.36	53
23	पुडुचेरी	0	0	3503.04	8868	0	0	3503.04	8868
24	पंजाब	1741.69	1486	1.68	2	0	0	1743.37	1488
25	राजस्थान	7.20	4	0.50	1	0	0	7.70	5
26	सिक्किम	201.47	49	0	0	0	0	201.47	49
27	तमिलनाडु	2135.20	2385	474.11	919	9052.95	17314	11662.26	20618
28	तेलंगाना	617.51	628	47.33	89	0	0	664.84	717
29	त्रिपुरा	499.20	345	107.93	324	0	0	607.13	669
30	उत्तर प्रदेश	7236.99	3960	984.58	1378	0	0	8221.57	5338
31	उत्तराखंड	32.75	11	1.75	4	0	0	34.50	15
32	पश्चिम बंगाल	0	0	1.62	3	0	0	1.62	3
	कुल योग	26879.17	17424	11266.47	24586	14362.86	26362	52508.5	68372

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(दिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(दिन नं.09403132)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

**National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
Status of State Channelising Agencies (SCAs) which did not draw funds during 2023-24**

Sl. No.	Name of States/UT	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2023-24	Reasons
1.	Andhra Pradesh	01	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	1. Andhra Pradesh Backward Classes Co-operative Finance Corporation Ltd.,	Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agency (SCA).
2.	Assam	01	1. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd. (ARTFED)	1. Assam Apex Weavers & Artisans Coop. Federation Ltd. (ARTFED)	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has to repay the overdues.
3.	Bihar	01	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	1. Bihar State Backward Classes Finance & Development Corporation	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP). SCA has to repay the overdues.
4.	Chandigarh	01	1. Chandigarh SC, BC and Minorities Financial & Development Corporation	1. Chandigarh SC, BC and Minorities Financial & Development Corporation	SCA has not submitted demand.
5.	Chhattisgarh	01	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam	1. Chhattisgarh State Antyavasai Sahakari Vitta Evum Vikas Nigam	SCA has not submitted demand. SCA has to repay the overdues.
6.	Delhi	01	1. Delhi SC/ST/OBC Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation	1. Delhi SC/ST/OBC Minorities & Handicapped Financial & Development Corporation	SCA has not submitted demand.
7.	Gujarat	04	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	1. Gujarat Backward Classes Development Corporation. 2. Gujarat Gopalak Development Corporation Ltd., 3. Gujarat Thakor & Koli Vikas Nigam. 4. Gujarat Nomadic & Denotified Tribes Development Corporation.	SCAs have not submitted demand.
8.	Jammu & Kashmir	02	1. Jammu & Kashmir SCs,STs & OBCs Development Corporation Ltd. 2. Jammu & Kashmir State Women's Development Corporation	1. Jammu & Kashmir SCs,STs & OBCs Development Corporation Ltd.	SCA has not submitted demand.
9.	Jharkhand	01	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	1. Jharkhand State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd.,	SCA has not submitted demand. SCA has to submit the Utilization Certificate of earlier released funds.
10.	Karnataka	02	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	1. D. Devaraj Urs Backward Classes Development Corpn., 2. Karnataka Vishwakarma Communities Development Corporation Ltd.,	As per the directions of SCA's Board of Directors, SCA is not drawing funds from NBCFDC. Annual Action Plan (AAP) not submitted by State Channelising Agencies (SCAs).

अनुलग्नक - 3.2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
उन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) की स्थिति जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान
धनराशि का आहरण नहीं किया

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.चै.ए. की संख्या	नामित रा.चै.ए.का नाम	उन रा.चै.ए. का नाम जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
1.	आंध्र प्रदेश	01	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	1. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग सहकारी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
2.	असम	01	1. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि. (आर्टिफेड)	1. असम एपेक्स विवर्स एण्ड आर्टीजन्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.(आर्टिफेड)	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
2.	बिहार	01	1. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1. बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
4.	चंडीगढ़	01	1. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनोंरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1. चंडीगढ़ एस.सी./बी.सी. एण्ड माइनोंरीटीज फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई।
5	छत्तीसगढ़	01	1. छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	1. छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम,	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई। एससीए को अतिदेय राशि चुकानी होगी।
6.	दिल्ली	01	1. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनों-रीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1. दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. माइनोंरीटीज एण्ड हैन्डीकैप्ड फाइनेंसियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई।
7.	गुजरात	04	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लिमिटेड, 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम। 4. गुजरात घुमंतू एवं विमुक्त जनजाति विकास निगम।	1. गुजरात पिछड़ा वर्ग विकास निगम 2. गुजरात गोपालक विकास निगम लिमिटेड, 3. गुजरात ठाकोर और कोली विकास निगम। 4. गुजरात घुमंतू एवं विमुक्त जनजाति विकास निगम।	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई।
8.	जम्मू एण्ड कश्मीर	01	1. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. 2. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1. जम्मू एण्ड कश्मीर एससी/एसटी एण्ड ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई।
9.	झारखंड	01	1. झारखंड स्टेट ट्राइबल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0	1. झारखंड स्टेट ट्राइबल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को पूर्व में जारी की गई निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है।
10	कर्नाटक	02	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम, 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	1. डी. देवराज उर्स पिछड़ा वर्ग विकास निगम, 2. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्युनिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी के बोर्ड निदेशकों के निर्देशों के अनुसार, रा. चै.ए. ने एन.बी.सी. एफ.डी.सी. से धनराशि आहरित नहीं की गई।। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।

Sl. No.	Name of States/UT	No. of SCAs	Name of SCAs Nominated	Name of SCAs which did not draw funds during 2023-24	Reasons
11.	Madhya Pradesh	02	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	1. Madhya Pradesh Pichhara Varg Tatha Alpasankhayak Vitta Avam Vikas Nigam. 2. Madhya Pradesh Hastshilp Evam Hatha Kargha Vikas Nigam	As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC. SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP) As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC. SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
12.	Maharashtra	02	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantnao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	1. Maharashtra Rajya Itar Magas Vargiya Vitta AniVikas Mahamandal Ltd., 2. Vasantnao Naik Vimukta Jatis & Nomadic Tribes Development Corporation Ltd.,	As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC. SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP) As per the directions of State Government, SCA is not drawing funds from NBCFDC. SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
13.	Odisha	01	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	1. The Odisha Backward Classes Finance & Development Co-operative Corporation Ltd.,	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
14.	Uttar Pradesh	02	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd., 2. U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd.,	1. Uttar Pradesh Pichhara Varg VittaAvam Vikas Nigam Ltd.,	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
15.	Uttarakhand	01	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	1. Uttarakhand Bahuudeshiya Vitta Evam Vikas Nigam	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
16.	West Bengal	02	1. West Bengal SC, ST & OBC Development and Finance Corporation. 2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation,	2. West Bengal Minorities Development & Finance Corporation.	SCA has not submitted Annual Action Plan (AAP)
17.	Puducherry	01	1. Puducherry Backward Classes and MinoritiesDevelopment Corporation Ltd.,	2. Puducherry Backward Classes and MinoritiesDevelopment Corporation Ltd.,	Govt. Guarantee is not available & SCA has not submitted demand.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

क्र.सं.	राज्य का नाम	रा.चै.ए. की संख्या	नामित रा.चै.ए.का नाम	उन रा.चै.ए. का नाम जिन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान धनराशि का आहरण नहीं किया	कारण
11.	मध्य प्रदेश	02	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्याक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	1. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्याक वित्त एवं विकास निगम 2. मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से धनराशि आहरित नहीं की। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से धनराशि आहरित नहीं की। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
12.	महाराष्ट्र	02	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वर्गीय वित्त अनी विकास महामंडल लिमिटेड, 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लिमिटेड,	1. महाराष्ट्र राज्य इतर मगस वर्गीय वित्त अनी विकास महामंडल लिमिटेड, 2. वसंतराव नाइक विमुक्त जाति एवं घुमंतू जनजाति विकास निगम लिमिटेड,	राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से धनराशि आहरित नहीं की। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, रा.चै.ए.ने एनबीसीएफ डीसी से धनराशि आहरित नहीं की। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
13.	ओडिशा	01	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	1. ओडिशा पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
14.	उत्तर प्रदेश	02	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, 2. यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड,	1. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड,	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
15.	उत्तराखंड	01	1. उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	1. उत्तराखंड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
16.	पश्चिम बंगाल	02	1. पश्चिम बंगाल एससी, एसटी और ओबीसी विकास और वित्त निगम। 2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,	2. पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी द्वारा वार्षिक कार्य योजना (वा.का.यो.) प्रस्तुत नहीं की गई।
17.	पुडुचेरी	01	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड	1. पुडुचेरी पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड	शासकीय गारंटी की अनुलब्धता एवं राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से मांग प्राप्त नहीं हुई।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजय सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ANNEXURE - 3.3

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
STATE/UT SCHEME WISE DISBURSEMENT 2023-24

₹ in Lakh

Sl. No.	State/UT	Term Loan Schemes										Micro Finance Schemes						Total		
		Agriculture and Allied Activities		Small Businesses and Traditional Activities		Service Sector & Transport Sector		New Swamima Scheme		Education Loan (Abroad)		Education Loan (In India)		Micro Finance		Mahila Samridhhi Yojana		Small Loan		
		Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	
1	Andhra Pradesh	1,897.88	864	91.31	43	16.38	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681.47	997	2,687.04	1910
2	Assam	27.05	18	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.63	16	36.68	34
3	Bihar	21.26	13	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.70	12	26.96	25
4	Chhattisgarh	9.36	5	149.37	63	1,252.62	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40	8	1,414.75	666
5	Goa	-	-	-	-	142.95	24	-	-	16.67	1	-	-	-	-	-	-	-	159.61	25
6	Gujarat	475.91	318	18.06	7	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.94	76	538.91	401
7	Haryana	69.53	76	471.90	478	44.63	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.86	118	640.91	719
8	Himachal Pradesh	8.50	2	287.33	73	132.09	35	8.59	5	-	7	35.09	-	-	-	-	0.74	2	472.34	124
9	Jammu & Kashmir	-	-	225.65	89	-	0	17.10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.75	98
10	Jharkhand	1.73	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.88	2	3.62	3
11	Karnataka	155.85	103	2,963.29	3184	80.62	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.42	419	3,440.19	3763
12	Kerala	1,448.09	603	2,849.15	1245	733.18	239	109.50	95	-	83	340.06	-	-	-	-	5,816.98	10868	15,801.93	22482
13	Madhya Pradesh	29.45	12	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.67	18	37.12	30
14	Maharashtra	132.19	80	128.75	73	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.77	114	321.72	267
15	Manipur	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.73	2	1.73	2
16	Odisha	16.69	8	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.67	45	35.36	53
17	Puducherry	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,503.04	8868	3,503.04	8868
18	Punjab	330.84	322	650.95	469	460.31	379	300.00	316	-	-	-	-	-	-	-	1.68	2	1,743.77	1488
19	Rajasthan	7.20	4	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	1	7.70	5

अनुलग्नक - 3.3

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-योजनावार संवितरण

रु. लाख में

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सावधि ऋण योजना						सूक्ष्म वित्त योजना						कुल	
		कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	लघु व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय	सेवा एवं परिवहन क्षेत्र	नई स्तर्गिमा योजना	शिक्षा ऋण (विदेश में)	शिक्षा ऋण (भारत में)	सूक्ष्म वित्त	महिला समृद्धि योजना	लघु ऋण	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	वितरित धनराशि 1,897.88	वितरित धनराशि 91.31	वितरित धनराशि 16.38	वितरित धनराशि 6	वितरित धनराशि 16.67	वितरित धनराशि 1	वितरित धनराशि 340.06	वितरित धनराशि 83	वितरित धनराशि 681.47	वितरित धनराशि 997	वितरित धनराशि 2,687.04	वितरित धनराशि 1910		
2	असम	वितरित धनराशि 27.05	वितरित धनराशि 18	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 9.63	वितरित धनराशि 16	वितरित धनराशि 36.68	वितरित धनराशि 34		
3	बिहार	वितरित धनराशि 21.26	वितरित धनराशि 13	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 5.70	वितरित धनराशि 12	वितरित धनराशि 26.96	वितरित धनराशि 25		
4	छत्तीसगढ़	वितरित धनराशि 9.36	वितरित धनराशि 5	वितरित धनराशि 149.37	वितरित धनराशि 63	वितरित धनराशि 1,252.62	वितरित धनराशि 590	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 3.40	वितरित धनराशि 8	वितरित धनराशि 1,414.75	वितरित धनराशि 666		
5	गोवा	वितरित धनराशि 475.91	वितरित धनराशि 318	वितरित धनराशि 18.06	वितरित धनराशि 7	वितरित धनराशि 142.95	वितरित धनराशि 24	वितरित धनराशि 16.67	वितरित धनराशि 1	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 159.61	वितरित धनराशि 25		
6	गुजरात	वितरित धनराशि 69.53	वितरित धनराशि 76	वितरित धनराशि 471.90	वितरित धनराशि 478	वितरित धनराशि 44.63	वितरित धनराशि 47	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 44.94	वितरित धनराशि 76	वितरित धनराशि 538.91	वितरित धनराशि 401		
7	हरियाणा	वितरित धनराशि 8.50	वितरित धनराशि 2	वितरित धनराशि 287.33	वितरित धनराशि 73	वितरित धनराशि 132.09	वितरित धनराशि 35	वितरित धनराशि 8.59	वितरित धनराशि 5	वितरित धनराशि 0.74	वितरित धनराशि 2	वितरित धनराशि 472.34	वितरित धनराशि 124		
8	हिमाचल प्रदेश	वितरित धनराशि 1.73	वितरित धनराशि 1	वितरित धनराशि 225.65	वितरित धनराशि 89	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 17.10	वितरित धनराशि 9	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 242.75	वितरित धनराशि 98		
9	जम्मू एवं कश्मीर	वितरित धनराशि 155.85	वितरित धनराशि 103	वितरित धनराशि 2,963.29	वितरित धनराशि 3184	वितरित धनराशि 80.62	वितरित धनराशि 57	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 1.88	वितरित धनराशि 2	वितरित धनराशि 3.62	वितरित धनराशि 3		
10	झारखंड	वितरित धनराशि 1,448.09	वितरित धनराशि 603	वितरित धनराशि 2,849.15	वितरित धनराशि 1245	वितरित धनराशि 733.18	वितरित धनराशि 239	वितरित धनराशि 109.50	वितरित धनराशि 95	वितरित धनराशि 240.42	वितरित धनराशि 419	वितरित धनराशि 3,440.19	वितरित धनराशि 3763		
11	कर्नाटक	वितरित धनराशि 29.45	वितरित धनराशि 12	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 7.67	वितरित धनराशि 18	वितरित धनराशि 37.12	वितरित धनराशि 30		
12	केरल	वितरित धनराशि 132.19	वितरित धनराशि 80	वितरित धनराशि 128.75	वितरित धनराशि 73	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 60.77	वितरित धनराशि 114	वितरित धनराशि 321.72	वितरित धनराशि 267		
13	मध्य प्रदेश	वितरित धनराशि 16.69	वितरित धनराशि 8	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 1.73	वितरित धनराशि 2	वितरित धनराशि 1.73	वितरित धनराशि 2		
14	ओडिशा	वितरित धनराशि 330.84	वितरित धनराशि 322	वितरित धनराशि 650.95	वितरित धनराशि 469	वितरित धनराशि 460.31	वितरित धनराशि 379	वितरित धनराशि 300.00	वितरित धनराशि 316	वितरित धनराशि 18.67	वितरित धनराशि 45	वितरित धनराशि 35.36	वितरित धनराशि 53		
15	पंजाब	वितरित धनराशि 7.20	वितरित धनराशि 4	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 3,503.04	वितरित धनराशि 8868	वितरित धनराशि 3,503.04	वितरित धनराशि 8868		
16	राजस्थान	वितरित धनराशि 330.84	वितरित धनराशि 322	वितरित धनराशि 650.95	वितरित धनराशि 469	वितरित धनराशि 460.31	वितरित धनराशि 379	वितरित धनराशि 300.00	वितरित धनराशि 316	वितरित धनराशि 1.68	वितरित धनराशि 2	वितरित धनराशि 1,743.77	वितरित धनराशि 1488		
17	तमिल नाडु	वितरित धनराशि 7.20	वितरित धनराशि 4	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0	वितरित धनराशि 0.50	वितरित धनराशि 1	वितरित धनराशि 7.70	वितरित धनराशि 5		

Sl. No.	State/UT	Term Loan Schemes										Micro Finance Schemes						Total		
		Agriculture and Allied Activities		Small Businesses and Traditional Activities		Service Sector & Transport Sector		New Swamima Scheme		Education Loan (Abroad)		Education Loan (In India)		Micro Finance		Mahila Samridhi Yojana		Small Loan		
		Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	Amt Disb	Benf Count	
20	Sikkim	1.47	1	200.00	48	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.47	49
21	Tamil Nadu	546.92	323	989.97	976	-	0	598.31	1086	-	-	26.33	47	3,349.44	8333	6,151.28	9853	11,662.25	20618	
22	Telangana	29.51	21	323.32	195	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	312.01	501	664.83	717	
23	Tripura	1.70	1	497.50	344	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	107.94	324	607.13	669	
24	Uttar Pradesh	1,565.19	745	5,005.78	2615	424.50	306	-	-	27.10	5	100.00	200	-	-	1,098.91	1467	8,221.48	5338	
25	Uttarakhand	-	-	16.05	9	16.70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75	4	34.50	15	
26	West Bengal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.62	3	1.62	3	
	Grand Total	,776.34	3520	14,868.36	9911	3,303.96	1685	1,033.50	1511	16.67	1	126.33	247	9,166.43	19201	16,815.59	32201	52,509.42	68372	

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सावधि ऋण योजना												सूक्ष्म वित्त योजना				कुल			
		कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र		लघु व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय		सेवा एवं परिवहन क्षेत्र		नई स्वीयता योजना		शिक्षा ऋण (विदेश में)		शिक्षा ऋण (भारत में)		सूक्ष्म वित्त		महिला समृद्धि योजना		लघु ऋण		वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े
		वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े	वितरित धनराशि	लाभार्थी आंकड़े				
20	सिक्किम	1.47	1	200.00	48	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.47	49
21	तमिलनाडु	546.92	323	989.97	976	-	0	-	598.31	1086	-	-	-	26.33	47	3,349.44	8333	6,151.28	9853	11,662.25	20618
22	तेलंगाना	29.51	21	323.32	195	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.01	501	664.83	717
23	त्रिपुरा	1.70	1	497.50	344	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.94	324	607.13	669
24	उत्तर प्रदेश	1,565.19	745	5,005.78	2615	424.50	306	-	-	-	-	27.10	5	100.00	200	-	-	1,098.91	1467	8,221.48	5338
25	उत्तराखंड	-	-	16.05	9	16.70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.75	4	34.50	15
26	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.62	3	1.62	3
	कुल योग	6,776.34	3520	14,868.36	9911	3,303.96	1685	1	16.67	402.25	95	1	126.33	247	9,166.43	19201	16,815.59	32201	52,509.42	68372	

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह०/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ANNEXURE - 3.4

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
SCHEME FOR WOMEN DATA FY 2023-24

Amt in Lakh

Sl. No.	State/UT	New Swarnima		Mahila Samridhi Yojana	
		Amount Disbursement	Beneficiary Count	Amount Disbursement	Beneficiary Count
1	Himachal Pradesh			8.59	5
2	Jammu & Kashmir			17.10	9
3	Kerala	5,816.98	10868	109.50	95
4	Punjab			300.00	316
5	Tamil Nadu	3,349.44	8333	598.31	1086
	Grand Total	9,166.43	19201	1,033.50	1511

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

अनुलग्नक - 3.4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में महिला योजना के आंकड़े

(रू./लाख में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नई स्वर्णिमा		महिला समृद्धि योजना	
		वितरित राशि	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि	लाभार्थी संख्या
1	हिमाचल प्रदेश			8.59	5
2	जम्मू एवं कश्मीर			17.10	9
3	केरल	5,816.98	10868	109.50	95
4	पंजाब			300.00	316
5	तमिलनाडु	3,349.44	8333	598.31	1086
	कुल योग	9,166.43	19201	1,033.50	1511

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ANNEXURE - 3.5

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
DADETAILS OF AMOUNT DISBURSED, BENEFICIARIES ASSISTED
FROM 01.04.2023 TO 31.03.2024

Financial : ₹ in Lakh
Physical: No. of Beneficiaries

SI No.	NAME OF CHANNEL PARTNER	General Loan		
		Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount of utilisation Reccd.
1.1	Andhra Pradesh (BC)-I NEW	0.00	0	0.00
1.2	Andhra Pradesh (BC)-II OLD	0.00	0	0.00
1.3	Andhra Pradesh Grameena vikas Bank	0.00	0	0.00
1.4	Sapatgiri Grameena Bank	2276.12	1364	2276.12
1.5	Andhra Pradesh Geeta Parsrimika	0.00	0	0.00
1	Andhra Pradesh	2276.12	1364	2276.12
2.1	Assam (BC)	0.00	0	0.00
2.2	Assam (Electronics)	0.00	0	0.00
2.3	Assam (Artfed)	0.00	0	0.00
2	Assam	0.00	0	0.00
3.1	Bihar (BC)	0.00	0	0.00
3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	0.00	0	0.00
3	Bihar	0.00	0	0.00
4	Chandigarh SC/ST/BC	0.00	0	0.00
5.1	Chattisgarh Bahudeshiya	0.00	0	0.00
5.2	Chattisgarh Gramin Bank	1408.06	655	1408.06
5	Chhattisgarh	1408.06	655	1408.06
6	Delhi SC/ST/BC	0.00	0	0.00
7	Goa SC/ST/BC	159.61	25	159.61
8.1	Gujrat (BC)	0.00	0	0.00
8.2	Gujrat (Gopalak)	0.00	0	0.00
8.3	Gujrat (D&NT)	0.00	0	0.00
8.4	Gujrat Takor Koli	0.00	0	0.00
8.5	Dena/ BOB Gujrat Gramin Bank	0.00	0	0.00
8.6	Saurashtra Gramin Bank	150.60	118	150.60
8	Gujrat	150.60	118	150.60
9.1	Haryana(BC)	562.00	621	448.76
9.2	Sarv Haryana Gramin Bank	0.00	0	0.00
9	Haryana	562.00	621	448.76
10.1	Himachal Pradesh (BC)	471.36	122	469.67
10.2	Himacahl Gramin Bank	0.00	0	0.00
10	Himachal Pradesh	471.36	122	469.67
11.1	Jammu & Kashmir SC/ST/BC	0.00	0.00	0.00
11.2	Jammu & Kashmir (WOMEN)	242.35	98	241.48
11	Jammu & Kashmir	242.35	98	241.48
12.1	Jharkhand (ST)	0.00	0	0.00
12.2	Jharkhand gram in Bank	0.00	0	0.00
12.3	Vananchal gram in Bank	0.00	0	0.00
12	Jharkhand	0.00	0	0.00

अनुलग्नक - 3.5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
01.04.2023 से 31.03.2024 तक वितरण राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थी का विवरण

वित्तीय: रु. लाख में
भौतिक: लाभार्थियों की संख्या

क्र.स.	चैनल सहभागी का नाम	सामान्य ऋण		अभिलेखित उपभोग राशि
		वर्ष के दौरान वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	
1.1	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-I नया	0.00	0	0.00
1.2	आंध्र प्रदेश (बी.सी.)-II पुराना	0.00	0	0.00
1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	0.00	0	0.00
1.4	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	2276.12	1364	2276.12
1.5	आंध्र प्रदेश गीता पारश्रमिक	0.00	0	0.00
1	आंध्र प्रदेश	2276.12	1364	2276.12
2.1	असम (बी.सी.)	0.00	0	0.00
2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	0.00	0	0.00
2.3	असम (आर्टिफेड)	0.00	0	0.00
2	असम	0.00	0	0.00
3.1	बिहार (बी.सी.)	0.00	0	0.00
3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
3	बिहार	0.00	0	0.00
4	चंडीगढ़ एस.सी./एस.टी./बी.सी.	0.00	0	0.00
5.1	छत्तीसगढ़ बहुउद्देशिय	0.00	0	0.00
5.2	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	1408.06	655	1408.06
5	छत्तीसगढ़	1408.06	655	1408.06
6	दिल्ली एस.सी./एस.टी./बी.सी.	0.00	0	0.00
7	गोवा एस.सी./एस.टी./बी.सी.	159.61	25	159.61
8.1	गुजरात (बीसी)	0.00	0	0.00
8.2	गुजरात (गोपालक)	0.00	0	0.00
8.3	गुजरात (डी एंड एनटी)	0.00	0	0.00
8.4	गुजरात टकोर कोली	0.00	0	0.00
8.5	देना/बीओबी गुजरात ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
8.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	150.60	118	150.60
8	गुजरात	150.60	118	150.60
9.1	हरियाणा (बी.सी.)	562.00	621	448.76
9.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
9	हरियाणा	562.00	621	448.76
10.1	हिमाचल प्रदेश (बी.सी.)	471.36	122	469.67
10.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	471.36	122	469.67
11.1	जम्मू एवं कश्मीर एस.सी./एस.टी./बी.सी.	0.00	0.00	0.00
11.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	242.35	98	241.48
11	जम्मू एवं कश्मीर	242.35	98	241.48
12.1	झारखंड (एस.टी.)	0.00	0	0.00
12.2	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
12.3	वनांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
12	झारखंड	0.00	0	0.00

SI No.	NAME OF CHANNEL PARTNER	General Loan		
		Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	Amount of utilisation Recd.
13.1	Karnatka (BC)	0.00	0	0.00
13.2	Karnatka (Vishkarma)	0.00	0	0.00
13.3	Karnatka Grameena Bank	1065.34	1089	1065.34
13.4	Karnatka vikas Bank	2000.00	2169	2000.00
13	Karnatka	3065.34	3258	3065.34
14.1	Kerala (Artisan)	0.00	0	0.00
14.2	Kerala (BC)	9883.48	11214	9881.13
14.3	Kerala (CC)	0.00	0	0.00
14.4	Kerala (Fisheries)	2500.00	7058	2415.69
14.5	Kerala (Handicraft)	100.00	63	58.13
14.6	Kerala (Palmarah)	0.00	0	0.00
14.7	Kerala (Womens)	3309.88	4136	3309.88
14	Kerala	15793.36	22471	15664.82
15.1	Madhya Pradesh (sc)	0.00	0	0.00
15.2	Madhya Pradesh (BC)	0.00	0	0.00
15.3	Madhya Pradesh (Hastshilp)	0.00	0	0.00
15.4	Madhya Pradesh Gramin Bank	0.00	0	0.00
15.5	Madhyanchal Gramin Bank	0.00	0	0.00
15	Madhya Pradesh	0.00	0	0.00
16.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	0.00	0	0.00
16.2	Maharashtra (VJNT)	0.00	0	0.00
16.3	Maharashtra (OBC)	0.00	0	0.00
16.4	Maharashtra (Anashaib)	0.00	0	0.00
16.5	Maharashtra Gramin bank	149.30	84	149.30
16	Maharashtra	149.30	84	149.30
17.1	Manipur (Tribal)	0.00	0	0.00
17.2	Manipur (Women)	0.00	0	0.00
17	Manipur	0.00	0	0.00
18	Odisha (BC)	0.00	0	0.00
19.1	Puducherry (Adidridar)	0.00	0	0.00
19.2	Puducherry (BC)	0.00	0	0.00
19.3	Puduval Bharathiar Grama Bank	3503.04	8868	3503.04
19	Puducherry	3503.04	8868	3503.04
20.1	Punjab (BC)	242.10	134	190.18
20.2	Punjab Gramin Bank	1500.00	1352	1500.00
20	Punjab	1742.10	1486	1690.18
21.1	Rajasthan (SC)	0.00	0	0.00
21.2	Rajasthan (BC)	0.00	0	0.00
21	Rajasthan	0.00	0	0.00
22	Sikkim (Sc/ST/BC)	200.00	48	134.00
23.1	Tamilnadu (BC)	11000.00	20062	10999.99
23.2	Tamilnadu Grama Bank	492.29	274	492.29
23.3	Tamilnadu (womens)	0.00	0	0.00
23	Tamilnadu	11492.29	20336	11492.28
24.1	Talangna Gramin Bank	588.00	607	588.00
24.2	Stree Nidhi Credit coop. fed. Ltd	0.00	0	0.00
24	Talangna	588.00	607	588.00
25.1	Tripura (BC)	150.00	60	0.00
25.2	Tripura Gramin Bank	454.00	606	454.00

क्र.स.	चैनल सहभागी का नाम	सामान्य ऋण		अभिलेखित उपभोग राशि
		वर्ष के दौरान वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	
13.1	कर्नाटक (बी.सी.)	0.00	0	0.00
13.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	0.00	0	0.00
13.3	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	1065.34	1089	1065.34
13.4	कर्नाटक विकास बैंक	2000.00	2169	2000.00
13	कर्नाटक	3065.34	3258	3065.34
14.1	केरल (आर्टीसन)	0.00	0	0.00
14.2	केरल (बी.सी.)	9883.48	11214	9881.13
14.3	केरल (क्रिश्चियन कन्वर्ट्स)	0.00	0	0.00
14.4	केरल (फिशरीज)	2500.00	7058	2415.69
14.5	केरल (हैण्डीक्राफ्ट)	100.00	63	58.13
14.6	केरल (पलमीराह)	0.00	0	0.00
14.7	केरल (वीमेन)	3309.88	4136	3309.88
14	केरल	15793.36	22471	15664.82
15.1	मध्य प्रदेश (एस.सी.)	0.00	0	0.00
15.2	मध्य प्रदेश (बी.सी.)	0.00	0	0.00
15.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	0.00	0	0.00
15.4	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
15.5	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
15	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00
16.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	0.00	0	0.00
16.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	0.00	0	0.00
16.3	महाराष्ट्र (ओ.बी.सी.)	0.00	0	0.00
16.4	महाराष्ट्र (अन्नासाहिब)	0.00	0	0.00
16.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	149.30	84	149.30
16	महाराष्ट्र	149.30	84	149.30
17.1	मणिपुर (टाइबल)	0.00	0	0.00
17.2	मणिपुर (वीमेन)	0.00	0	0.00
17	मणिपुर	0.00	0	0.00
18	ओडिशा (बी.सी.)	0.00	0	0.00
19.1	पुडुचेरी (आदिद्रिदार)	0.00	0	0.00
19.2	पुडुचेरी (बी.सी.)	0.00	0	0.00
19.3	पुडुवल भरथियर ग्राम बैंक	3503.04	8868	3503.04
19	पुडुचेरी	3503.04	8868	3503.04
20.1	पंजाब (बी.सी.)	242.10	134	190.18
20.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	1500.00	1352	1500.00
20	पंजाब	1742.10	1486	1690.18
21.1	राजस्थान (एस.सी.)	0.00	0	0.00
21.2	राजस्थान (बी.सी.)	0.00	0	0.00
21	राजस्थान	0.00	0	0.00
22	सिक्किम (एस.सी./एस.टी./बी.सी.)	200.00	48	134.00
23.1	तमिलनाडु (बी.सी.)	11000.00	20062	10999.99
23.2	तमिलनाडु ग्राम बैंक	492.29	274	492.29
23.3	तमिलनाडु (वीमेन)	0.00	0	0.00
23	तमिलनाडु	11492.29	20336	11492.28
24.1	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	588.00	607	588.00
24.2	स्त्री निधि क्रेडिट कॉ-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड	0.00	0	0.00
24	तेलंगाना	588.00	607	588.00
25.1	त्रिपुरा (बीसी)	150.00	60	0.00
25.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	454.00	606	454.00

SI No.	NAME OF CHANNEL PARTNER	General Loan		Amount of utilisation Recd.
		Amount Disbursed During the year	No. of Beneficiaries Assisted	
25	Tripura	604.00	666	454.00
26.1	Uttar Pradesh (BC)	0.00	0	0.00
26.2	Uttar Pradesh land Dev. & Sahkari Bank	3140.60	1719	3087.49
26.3	Gramin Bank of Aryavart	4946.60	3462	4946.60
26.4	Kashi Gomti SamyuktA Gramin Bank	0.00	0	0.00
26.5	Sarv UP Gramin Bank	0.00	0	0.00
26.6	Purvanchal Gramin Bank	0.00	0	0.00
26	Uttar Pradesh	8087.20	5181	8034.09
27.1	Uttrakhand Bahudehiya	0.00	0	0.00
27.2	Uttrakhand Gramin Bank	32.75	11	32.75
27	Uttrakhand	32.75	11	32.75
28.1	West Bengal (BC)	0.00	0	0.00
28.2	West Bengal (Minorties)	0.00	0	0.00
28.3	West Bengal	0.00	0	0.00
28	West Bengal	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	50527.49	66019	48881.82
29	Public Sector Bank			
29.1	Canara bank	1000.00	1266	1000.00
29.2	Dena Bank	0.00	0	0.00
29.3	Punjab National Bank	0.00	0	0.00
29.4	Vijaya /BOB Bank	0.00	0	0.00
29.5	Union Bank Of India	981.41	1087	981.41
	Sub Total	1981.41	2353	1981.41
30	NGOS	0.00	0	0.00
	Grand Total	52508.90	68372	50863.22
	%age of utilisation			96.87

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

क्र.स.	चैनल सहभागी का नाम	सामान्य ऋण		अभिलेखित उपभोग राशि
		वर्ष के दौरान वितरित राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	
25	त्रिपुरा	604.00	666	454.00
26.1	उत्तर प्रदेश (बी.सी.)	0	0.00	0.00
26.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	3140.60	1719	3087.49
26.3	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यव्रत	4946.60	3462	4946.60
26.4	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26.5	सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26.6	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	0.00	0	0.00
26	उत्तर प्रदेश	8087.20	5181	8034.09
27.1	उत्तराखंड बहुउद्देशिय	0.00	0	0.00
27.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	32.75	11	32.75
27	उत्तराखंड	32.75	11	32.75
28.1	पश्चिम बंगाल (बी.सी.)	0.00	0	0.00
28.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	0.00	0	0.00
28.3	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
	उप योग	50527.49	66019	48881.82
29	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			
29.1	केनरा बैंक	1000.00	1266	1000.00
29.2	देना बैंक	0.00	0	0.00
29.3	पंजाब नेशनल बैंक	0.00	0	0.00
29.4	विजया/बीओबी बैंक	0.00	0	0.00
29.5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	981.41	1087	981.41
	उप योग	1981.41	2353	1981.41
30	गैर सरकारी संगठन	0.00	0	0.00
	कुल योग	52508.90	68372	50863.22
	उपभोग का प्रतिशत			96.87

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE YEAR 2023-24

1. BRIEF OUTLINE OF THE CORPORATION'S CSR POLICY

The 'Corporate Social Responsibility Policy' (CSR Policy) of the Corporation was formulated in line with the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Corporate Social Responsibility) Rules, 2014 made thereunder and 'DPE Guidelines'. The CSR policy was approved by the Board of Directors.

The salient features of the 'CSR Policy' of the Corporation are as under:

Approach: NBCFDC shall endeavor to spend significant part of the budget in and around in notified backward districts or where the OBC clusters are located. NBCFDC will implement CSR activities to empower weaker, less-privileged and marginalized sections of the Society to create Social Capital.

Broad activities under Corporate Social Responsibility: The Corporation shall ensure to carry out CSR projects/programmes in line with activities prescribed under Schedule VII of the Companies Act, 2013 as amendment from time to time.

Financial Component: In line with Section 135 (5) of the Companies Act, 2013, at least 2% of the average 'Surplus of income over expenditure' of the Corporation during the three immediately preceding financial years shall be spent on Corporate Social Responsibility. The unutilized budget will not lapse and get carried forward to the next financial year.

Institutional set up under Corporate Social Responsibility: The institutional set up shall be as follows:

A Corporate Social Responsibility Committee of the Board ('CSR Committee') shall be constituted consisting of three or more Directors. The role and responsibility of the CSR Committee shall inter-alia include formulating and recommending CSR Policy to the Board and oversee the implementation and monitoring of the CSR Policies and all related activities included in Schedule VII of the said Act etc.

While Corporate Social Responsibility Committee of the Board shall keep an oversight on the entire activities. A CSR Management Committee comprising of senior officials of NBCFDC shall be constituted and deployed for screening and putting up of CSR project proposals as per the Delegation of Powers. The Management Committee also monitors the progress and guide the CSR initiatives of the Corporation.

Mechanism of carrying out CSR activities: The CSR activities shall be undertaken by the Company as per its approved CSR Policy. The Corporation may decide to undertake its CSR activities through suitable partnerships with various institutions, in line with its CSR policy.

2. COMPOSITION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE:

In line with the Companies Act, 2013, the Corporation shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board consisting of three or more Directors.

The Composition of the CSR Committee of Directors during the year under report:

Name of Director (S)	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meeting of CSR Committee attended during the year
Mr. Rajan Sehgal, Managing Director	Member	Two meeting held on 03.05.2023 and 29.09.23	2
Mr. Sanjay Pandey, JS &FA, MOSJE	Member		2
Mr. Subranshu Shekhar Acharya CGM, SDBI	Member		1
Mrs. Pinki Kumari, NOD	Member		2

3. The Corporation shall carry out implementation/monitoring of CSR projects in line with its CSR Policy. For detailed Corporate Social Responsibility Policy, visit the website of the Corporation under CSR Policy at the link: www.nbcfdc.gov.in. (<https://nbcfdc.gov.in/csr-policy/en>) & Annual Report at the link: (<https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en>).

अनुलग्नक - 3.6

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

वर्ष 2023-24 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. निगम की सी.एस.आर. नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिसे कंपनी के नियमों (निगमित सामाजिक दायित्व), 2014 के साथ पढा जाता है, निगम की 'निगमित सामाजिक दायित्व नीति' (सी.एस.आर. नीति) के तहत एवं लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अंतर्गत तैयार की गई। सी.एस.आर. नीति को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

निगम की 'सी.एस.आर. नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

पहुंच बनाना: एन.बी.सी.एफ.डी.सी. अधिसूचित पिछड़े जिलों में और आस-पास अथवा जहाँ पर ओ.बी.सी. के समूह रहते हैं, स्थानों पर बजट के महत्वपूर्ण भाग को खर्च करने का प्रयास करेगा, सामाजिक पूंजी बनाने के लिए कमजोर, कम-विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित वर्गों को संशक्त बनाने के लिए सी.एस.आर. कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक कार्यकलाप: कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची-VII के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यकलापों के अनुसार निगम समय-समय पर सी.एस.आर. परियोजनाओं/कार्यक्रमों को संचालित करना सुनिश्चय करेगा।

वित्तीय अवयव: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार निगम ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के व्यय से आय के आधिक्य के औसत का कम से कम 2% निगमित सामाजिक दायित्व पर खर्च करेगा। अनुपभुक्त बजट समाप्त नहीं होगा तथा इसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु अप्रेषित किया जाएगा।

निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत संस्थागत स्थापना: संस्थागत स्थापना निम्नानुसार होगी:

निदेशक मण्डल की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन तीन अथवा अधिक निदेशकों से किया जाएगा। सी.एस.आर. समिति की भूमिका और दायित्व में अन्य सभी मामलों के साथ-साथ निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना व संस्तुति करना तथा सी.एस.आर. नीतियों का कार्यान्वयन और निगरानी करना व अधिनियम की अनुसूची-VII में सम्मिलित सभी संबंधित कार्यकलाप सम्मिलित हों।

तथापि, निदेशक मण्डल की सी.एस.आर. समिति समस्त कार्यकलापों पर नजर रखेगी। सी.एस.आर. प्रबंधन समिति एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनेगी एवं प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सी.एस.आर. परियोजना प्रस्तावों की छटनी एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रबंधन समिति, निगम के सी.एस.आर. पहल की प्रगति की निगरानी करती है तथा निगम के निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलापों के लिए मार्गदर्शन भी करती है।

सी.एस.आर. कार्यकलापों को चलाने का तंत्र: कंपनी द्वारा अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार कार्यकलापों को किया जाएगा। निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुरूप विभिन्न संस्थानों के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से अपने सी.एस.आर. कार्यकलापों को करने का निर्णय ले सकता है।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना:

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप निदेशक मण्डल स्तर की निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा जो तीन अथवा अधिक निदेशकों से मिलकर बनेगी।

वर्तमान सी.एस.आर. समिति में निदेशकों की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशकों का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	पदनाम/निदेशक की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान आयोजित समिति की बैठकों में भाग लेने की संख्या
श्री राजन सहगल, प्रबंध निदेशक	सदस्य		2
श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय	सदस्य	दिनांक 03.05.2023 एवं 29.09.23 को दो बैठकें आयोजित की गईं	2
डॉ० सुभ्रांशु शेखर आचार्य, मुख्य महाप्रबन्धक, सीडबी	सदस्य		1
श्रीमती पिकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	सदस्य		2

3. निगम अपनी सी.एस.आर. नीति के अनुसार सी.एस.आर. परियोजनाओं का कार्यान्वयन निगरानी करेगा। निगम की निगमित सामाजिक दायित्व नीति की विस्तृत जानकारी हेतु निगम की वेबसाइट लिंक: www.nbcfdc.gov.in (<https://nbcfdc.gov.in/cs-policy/en>) एवं वार्षिक रिपोर्ट के लिए लिंक (<https://nbcfdc.gov.in/annual-report/en>) पर अवलोकन किया जा सकता है।

4. PROVIDE THE DETAILS OF IMPACT ASSESSMENT OF CSR PROJECTS CARRIED OUT IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 8 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014, IF APPLICABLE (ATTACH THE REPORT).

NOT APPLICABLE

5. DETAILS OF THE AMOUNT AVAILABLE FOR SET OFF IN PURSUANCE OF SUB-RULE (3) OF RULE 7 OF THE COMPANIES (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY) RULES, 2014 AND AMOUNT REQUIRED FOR SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.

NOT APPLICABLE

6. AVERAGE SURPLUS OF THE CORPORATION LAST THREE FINANCIAL YEARS

The surplus (Excess of income over expenditure) of the Corporation for the last three financial years, as per Companies Act, 2013 was as under:

Financial Year 2020-21 ₹3421.25 lakhs

Financial Year 2021-22 ₹3064.70 lakhs

Financial Year 2022-23 ₹3037.79 lakhs

Average Surplus ₹3174.58 lakhs

7. (a) **PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (TWO PERCENT OF THE AVERAGE AMOUNT AS IN ITEM 3 ABOVE): ₹63.49 Lakhs.** The Board of Directors has approved CSR budget of ₹64.22 Lakhs for financial year 2023-24 and also permitted to spend more than statutory requirements, within the revenue budget to reach out to the needy and marginalized.

(b) **SURPLUS ARISING OUT OF THE CSR PROJECTS OR PROGRAMME OR ACTIVITIES OF THE PREVIOUS FINANCIAL YEAR**

NOT APPLICABLE

(c) **AMOUNT REQUIRED TO BE SET OFF FOR THE FINANCIAL YEAR, IF ANY.**

NOT APPLICABLE

(d) **TOTAL CSR OBLIGATION FOR THE FINANCIAL YEAR (7a+7b-7c): ₹63.49 lakhs**

8. (a) **CSR AMOUNT SPENT OR UNSPENT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24:**

Total Amount Spent for the Financial Year. (₹ in lakh)	Amount Unspent (₹ in lakh)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
31.54	32.68	16.04.2024	PMNRF	1.41	29.9.23
				21.76	29.9.23
				3.08	28.3.24

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year: ₹21,78,655/- (Details at Annexure – 3.7)

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year 2023-24: ₹ 8,08,459/- (Details at Annexure - 3.8)

(d) Amount spent in Administrative Overheads: ₹1,66,897/-

(e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: **NOT APPLICABLE**

(f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e): **₹31,54,011/-**

(g) **Excess amount for set off, if any**

4. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सी.एस.आर. परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें यदि लागू हो, (रिपोर्ट संलग्न करें):-

लागू नहीं

5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम 2014, के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में समायोजन (सैट ऑफ) के लिए उपलब्ध राशि का विवरण एवं वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि लागू हो:-

लागू नहीं

6. गत तीन वित्तीय वर्षों में निगम का औसत आधिक्य

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गत तीन वित्तीय वर्षों में निगम का आधिक्य (व्यय से आय का आधिक्य) निम्नानुसार था:

वित्तीय वर्ष, 2020-21	रु. 3421.25 लाख
वित्तीय वर्ष, 2021-22	रु. 3064.70 लाख
वित्तीय वर्ष, 2022-23	रु. 3037.79 लाख
औसत आधिक्य	रु. 3174.58 लाख

7. (क) निर्धारित सी.एस.आर. व्यय(उपरोक्त मद 3 में दी गई औसत राशि का दो प्रतिशत): रु. 63.49 लाख निदेशक मण्डल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रु. 64.22 लाख के सी.एस.आर. बजट अनुमोदित किया है एवं राजस्व बजट के अन्दर जरूरतमंदों और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंच बनाने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक खर्च करने की अनुमति दी है।

(ख) सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:

लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए वांछित समायोजन की जाने वाली राशि, यदि कोई हो।।

लागू नहीं

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग): रु. 63.49 लाख

8. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रयुक्त/अप्रयुक्त सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु. में)	अप्रयुक्त राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में हस्तांतरित अव्यय कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण तिथि	फंड का नाम	राशि	हस्तांतरण तिथि
31.54	32.68	16.04.2024	पी. एम. एन. आर. एफ.	1.41	29.9.23
				21.76	29.9.23
				3.08	28.3.24

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण: रु. 21,78,655/- (ब्यौरा अनुलग्नक - 3.7 पर उपलब्ध है)।

(ग) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण: रु.8,08,459/- (ब्यौरा अनुलग्नक - 3.8 पर है)।

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड में व्यय की गई राशि: रु.1,66,897/-.

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): रु. 31,54,011/-

(छ) समायोजन (सैट ऑफ) के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो

Sl. No.	Particular	Amount (₹ in lakh)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135 (5)	63.49
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	31.54
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	--
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programme or activities of the previous financial year, if any	NA
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	NIL

9. (a) DETAILS OF UNSPENT CSR AMOUNT FOR THE PRECEDING THREE FINANCIAL YEARS:

(₹ In Lakhs)

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in ₹)
				Name of the fund	Amount (in ₹)	Date of Transfer	
1.	2020-21	--	136.43				--
2.	2021-22	22.41	44.64		NIL		11.37
3.	2022-23	45.65	14.79				25.33
	Total		195.86				36.70

(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR ONGOING PROJECTS OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):- (Details at Annexure – 3.8).

10. IN CASE OF CREATION OR ACQUISITION OF CAPITAL ASSET, FURNISH THE DETAILS RELATING TO THE ASSET SO CREATED OR ACQUIRED THROUGH CSR SPENT IN THE FINANCIAL YEAR (2023-24) (ASSET-WISE DETAILS).

- Date of creation or acquisition of the capital asset(s).
- Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.
- Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.
- Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).

11. SPECIFY THE REASON(S), IF THE COMPANY HAS FAILED TO SPEND TWO PER CENT OF THE AVERAGE NET PROFIT AS PER SECTION 135(5).

The unspent amount is due to some ongoing projects for which payment will be released in the subsequent year, as the total sanctioned amount is released on milestone basis.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

क्र.स.	विवरण	राशि (रू. लाख में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	63.49
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	31.54
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)-(i)	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रम या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	लागू नहीं
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सी.एस.आर. राशि का विवरण:

(रू. लाख में)

क्र. स.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रू. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135(6) की अनुसूचि VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी धनराशि को विशिष्ट निधि में अंतरण यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रू. में)
				धनराशि का नाम	राशि (रू. में)	हस्तांतरण तिथि	
1.	2020-21	-	136.43				-
2.	2021-22	22.41	44.64		शून्य		11.37
3.	2022-23	45.65	14.79				25.33
	योग		195.86				36.70

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर. राशि का विवरण:- ब्यौरा अनुलग्नक - 3.8 पर दिया गया है।

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष (2023-24) में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति-वार विवरण)

(क) पूंजीगत संपत्ति(यों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, उसका पता आदि जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है।

(घ) सृजित या अर्जित (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें।

11. कारण (कारणों) का उल्लेख करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।

खर्च न की गई राशि कुछ चालू परियोजनाओं को देय है, जिनके लिए भुगतान अगले वर्ष में जारी किया जाएगा, क्योंकि कुल स्वीकृत राशि उपलब्धि की सूचना के आधार पर जारी की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ANNEXURE - 3.7

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
8(b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR (2022-23)

(1) Sl. No.	(2) Name of the Project.	(3) Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	(4) Local area (Yes/No)	(5) Location of the project.		(6) Project duration	(7) Amount allocated for the project (in Rs.)	(8) Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	(9) Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.).	(10) Mode of Implementation-Direct (Yes/No).	(11) Mode of Implementation – Through Implementing Agency	
				State.	District.						Name	CSR Registration number.
1.	Construction of three (3) Sports facilities viz: Volleyball Court, Basketball Court, & Lawn Tennis Court in Tikamgarh, Madhya Pradesh	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Madhya Pradesh	Tikamgarh District	Twelve Months	54,46,638.00	21,78,655.00	3267983.00	No	MP Police Kalyan Samiti, Police Head Office, Kalyan branch, Jahagirabad, Bhopal.	CSR00046105
						Total	54,46,638.00	21,78,655.00	3267983.00			

Amount in ₹

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
 Managing Director
 (DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
 Director
 (DIN No.09403132)

Place: New Delhi
 Date: 11.09.2024

अनुलग्नक - 3.7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिए चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण 8(ख)

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची में मद	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना अवधि	(7) परियोजना के लिए आवंटित राशि (रु. में)	(8) चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	(9) धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि में हस्तांतरित राशि (रु. में)	(10) कार्यान्वयन प्रणाली- सीधे (हाँ/नहीं)	(11) कार्यान्वयन प्रणाली - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सी.एस.आर. पंजीकरण संख्या
1.	मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वीन (3) खेल सुविधाओं अर्थात् वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और लॉन टेनिस कोर्ट का निर्माण	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन; निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हाँ	मध्य प्रदेश	जिला- टीकमगढ़	बारह माह	54,46,638.00	21,78,655.00	3267983.00	नहीं	मध्य प्रदेश पुलिस कल्याण समिति, पुलिस मुख्यालय, कल्याण शाखा, जहांगीराबाद, भोपाल।	सीएसआर 00046105
					योग	54,46,638.00	21,78,655.00	3267983.00				

राशि ₹ में

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ह०/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ANNEXURE - 3.8

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

8(c) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT AGAINST OTHER THAN ONGOING PROJECTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

Amount in ₹

(1) Sl. No.	(2) Name of the Project	(3) Item from the list of activities in Schedule VII	(4) Local area (Yes/No)	(5) Location of the project		(6) Amount spent in Financial Year (in Rs.)	(7) Mode of Implementation-Direct (Yes/No)	(8) Mode of Implementation – Through Implementing Agency	
				State	District			Name	CSR Registration number
1.	Health Awareness in the Block of Lakhisarai District of Bihar State	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Bihar	Lakhisarai	4,22,000.00	No	Shambhu Shivani Foundation, Patna, Bihar	CSR00049033
2.	Swachha Bharat Abhiyan	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Delhi	Delhi	31,104.00	Yes	-	-
3.	Medical Camps (02 camps)	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Uttar Pradesh	Chandauli and Behraich	1,08,000.00	No	HLPPT	CSR00010248
4.	Support for the summer clothes for the abandoned Sr citizens and disabled people.	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health care and making available safe drinking water	Yes	Haryana	Gurugram	2,47,355.00	No	The Earth Savours Foundation, Gurugram, Haryana	CSR00002026
					Total	8,08,459.00			

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

अनुलग्नक - 3.8

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण 8(ग)

राशि ₹ में

(1) क्र. सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची VII में से गतिविधियों की मद सूची	(4) स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹. में)	(7) कार्यान्वयन प्रणाली- सीधे (हां/नहीं)	(8) कार्यान्वयन प्रणाली - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	बिहार राज्य के जिला लखीसराय के प्रखंड में स्वास्थ्य जागरूकता	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हाँ	बिहार	लखीसराय	4,22,000.00	नहीं	शंभु शिवानी फाउंडेशन, पटना, बिहार	सीएसआर 00049033
2.	स्वच्छ भारत अभियान	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	31,104.00	हाँ	-	-
3.	चिकित्सा शिविर (02 शिविर)	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हाँ	उत्तर प्रदेश	चंदौली एवं बहराइच	1,08,000.00	नहीं	एचएलएफपीपीटी	सीएसआर 00010248
4.	परिव्यक्त वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए ग्रीष्मकालीन कपड़ों हेतु सहायता।	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	हाँ	हरियाणा	गुरुग्राम	2,47,355.00	नहीं	अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन, गुरुग्राम, हरियाणा	सीएसआर 00002026
					योग	8,08,459.00			

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ANNEXURE - 3.9

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)

9. (b) DETAILS OF CSR AMOUNT SPENT IN THE FINANCIAL YEAR FOR ONGOING PROJECTS OF THE PRECEDING FINANCIAL YEAR(S):

Amount in ₹

(1) Sl. No.	(2) Name of the Project.	(3) Financial Year in which the project was commenced.	(4) Project duration.	(5) Total amount allocated for the project (in Rs.)	(6) Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs.)	(7) Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)	(8) Status of the project- Completed/ Ongoing.
1.	Construct of Toilet Block Ranir Bazar, West Tripura District, Tripura.	2021-22	Two Months	4,56,000.00	1,82,400.00	4,10,400.00	Completed*
2.	Dissemination of Natural fiber water-tanks in rural areas of Beed district of Maharashtra (18 tanks)	2021-22	Eight Months	5,50,000.00	1,10,000.00	5,50,000.00	Completed
3.	Delivering Desired Quantity of Water Supply with High Reliability using Hydraulic Isolation Structure (Shaft) in two districts (one Aspirational District) of Maharashtra	2022-23	12 Months	9,00,000.00	3,60,000.00	7,20,000.00	Ongoing
4.	Construction of Restrooms (Toilets) in a Government Higher Secondary Schools of Cuddalore District, Tamil Nadu	2022-23	3 Months	5,19,550.00	3,11,730.00	5,19,550.00	Completed
	Total			24,25,550.00	9,64,130.00	21,99,950.00	

* The project has been completed and there is no further requirement of funds as informed by the Implementing Agency.

For & on behalf of Board of Directors

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

अनुलग्नक - 3.9

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण 9. (बी)

राशि ₹ में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹. में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹. में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चालू
1.	शौचालय ब्लॉक रानीर बाजार का निर्माण, जिला-पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा।	2021-22	2 माह	4,56,000.00	1,82,400.00	4,10,400.00	पूर्ण*
2.	महाराष्ट्र के बीड जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक फाइबर जल-टैंकों का प्रसार (18 टैंक)	2021-22	8 माह	5,50,000.00	1,10,000.00	5,50,000.00	पूर्ण
3.	महाराष्ट्र के दो जिलों (एक आकांक्षी जिला) में हाइड्रोलिक आइसोलेशन स्ट्रक्चर (शाफ्ट) का उपयोग करके उच्च विश्वसनीयता के साथ वांछित मात्रा में जल आपूर्ति प्रदान करना	2022-23	12 माह	9,00,000.00	3,60,000.00	7,20,000.00	चालू
4.	तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण	2022-23	3 माह	5,19,550.00	3,11,730.00	5,19,550.00	पूर्ण
	योग			24,25,550.00	9,64,130.00	21,99,950.00	

* परियोजना पूर्ण हो चुकी है एवं कार्यन्वयन एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब आगे किसी धनराशि की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

ह०/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ह०/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

**National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
CSR ACTIVITIES/PROJECTS DURING THE YEAR 2023-24**

The Corporation undertook various CSR initiatives during the year. Highlights of some of the projects are as follows:-

SCHEDULE VII ITEM:

Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventive health

- a) Construction of Sports facilities like Volleyball Court, Basketball Court & Lawn Tennis Court in Tikamgarh, Madhya Pradesh.
- b) Health Awareness programmes in the Block of Lakhisarai District of Bihar State.
- c) Medical camps in the Chandauli and Behraich districts of Uttar Pradesh.
- d) Support to the abandoned Senior citizens and disabled person in the Bandhwari shelter home, Gurgoan, Haryana by providing summer cloths.
- e) Organized Swachha Bharat Abhiyan inside the NCUI campus and the surrounding areas including the Shahpurjaat Area.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

**Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)**

**Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)**

**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2023-24 की अवधि में निगमित सामाजिक दायित्व के कार्यकलाप/परियोजनाएँ**

निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न सीएसआर पहलें की हैं। कुछ परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं:-

अनुसूची VII मद:

भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना

- क) मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और लॉन टेनिस कोर्ट जैसी खेल सुविधाओं का निर्माण।
- ख) बिहार राज्य के लखीसराय जिले के एक विकास खंड में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम।
- ग) उत्तर प्रदेश के चंदौली और बहराइच जिलों में चिकित्सा शिविर।
- घ) हरियाणा के गुड़गांव स्थित बंधवाड़ी आश्रय गृह में परित्यक्त वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को गर्मी के कपड़े उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करना।
- ड) एनसीयूआई परिसर और शाहपुरजाट क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
STATEMENT SHOWING SCA WISE/STATE WISE CUMULATIVE DUES AND
RECOVERIES UPTO 31ST MARCH, 2024

Amount in ₹

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
1	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
1	Andhra Pradesh				
1.1	Andhra Pradesh (BC)-I NEW	2431.83	1741.81	690.02	71.63
1.2	Andhra Pradesh (BC)-II OLD	19230.76	19230.76	0.00	100.00
1.3	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	20.89	20.89	0.00	100.00
1.4	Sapatgiri Grameena Bank	12.74	12.74	0.00	100.00
1.5	Andhra Pradesh Geeta Parsrimika	1571.49	1571.49	0.00	100.00
	Sub Total	23267.70	22577.68	690.02	97.03
2	Assam				
2.1	Assam (BC)	768.12	768.12	0.00	100.00
2.2	Assam (Electronics)	367.08	367.08	0.00	100.00
2.3	Assam (Artfed)	2413.36	1073.34	1340.02	44.47
	Sub Total	3548.55	2208.53	1340.02	62.24
3	Bihar				
3.1	Bihar (BC)	5712.72	2275.35	3437.37	39.83
3.2	Dakshin Bihar Gramin Bank	661.83	661.83	0.00	100.00
	Sub Total	6374.55	2937.19	3437.37	46.08
4	Chandigarh SC/ST/BC	125.29	123.97	1.32	98.95
5	Chhattisgarh				
5.1	Chattisgarh Bahudeshiya	1961.70	1569.97	391.72	80.03
5.2	Chattisgarh Gramin Bank	1049.68	1049.68	0.00	100.00
	Sub Total	3011.38	2619.66	391.72	86.99
6	Delhi SC/ST/BC	445.89	440.55	5.34	98.80
7	Goa SC/ST/BC	2679.69	2679.69	0.00	100.00
8	Gujrat				
8.1	Gujrat (BC)	10194.98	10194.98	0.00	100.00
8.2	Gujrat (Gopalak)	3817.33	3817.34	0.00	100.00
8.3	Gujrat (D&NT)	209.18	209.18	0.00	100.00
8.4	Gujrat Takor Koli	5533.07	5331.42	201.66	96.36
8.5	Dena/ BOB Gujrat Gramin Bank	38.75	38.75	0.00	100.00
8.6	Saurashtra Gramin Bank	4673.15	4673.15	0.00	100.00
	Sub Total	24466.46	24264.81	201.66	99.18
9	Haryana				
9.1	Haryana(BC)	9922.45	9922.45	0.00	100.00
9.2	Sarv Haryana Gramin Bank	59.90	59.90	0.00	100.00
	Sub Total	9982.35	9982.35	0.00	100.00
10	Himachal Pradesh				
10.1	Himachal Pradesh (BC)	7456.89	7456.89	0.00	100.00
10.2	Himacahl Gramin Bank	55.67	55.67	0.00	100.00

अनुलग्नक - 4

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

31 मार्च, 2024 तक एस.सी.ए. वार/राज्यवार सकल बकाया एवं वसूली को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(रू./लाख)

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचयी बकाया	संचयी वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
1	आंध्र प्रदेश				
1.1	आंध्र प्रदेश (बीसी)-I नया	2431.83	1741.81	690.02	71.63
1.2	आंध्र प्रदेश (बीसी)-II पुराना	19230.76	19230.76	0.00	100.00
1.3	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	20.89	20.89	0.00	100.00
1.4	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	12.74	12.74	0.00	100.00
1.5	आंध्र प्रदेश गीता पारस्रमिका	1571.49	1571.49	0.00	100.00
	उप योग	23267.70	22577.68	690.02	97.03
2	असम				
2.1	असम (बीसी)	768.12	768.12	0.00	100.00
2.2	असम (इलेक्ट्रॉनिक्स)	367.08	367.08	0.00	100.00
2.3	असम (आर्टफेड)	2413.36	1073.34	1340.02	44.47
	उप योग	3548.55	2208.53	1340.02	62.24
3	बिहार				
3.1	बिहार (बीसी)	5712.72	2275.35	3437.37	39.83
3.2	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	661.83	661.83	0.00	100.00
	उप योग	6374.55	2937.19	3437.37	46.08
4	चंडीगढ़ एससी/एसटी/बीसी	125.29	123.97	1.32	98.95
5	छत्तीसगढ़				
5.1	छत्तीसगढ़ बहुदेशिय	1961.70	1569.97	391.72	80.03
5.2	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	1049.68	1049.68	0.00	100.00
	उप योग	3011.38	2619.66	391.72	86.99
6	दिल्ली एससी/एसटी/बीसी	445.89	440.55	5.34	98.80
7	गोवा एससी/एसटी/बीसी	2679.69	2679.69	0.00	100.00
8	गुजरात				
8.1	गुजरात (बीसी)	10194.98	10194.98	0.00	100.00
8.2	गुजरात (गोपालक)	3817.33	3817.34	0.00	100.00
8.3	गुजरात (डी एंड एनटी)	209.18	209.18	0.00	100.00
8.4	गुजरात ठाकोर कोली	5533.07	5331.42	201.66	96.36
8.5	देना/बीओबी गुजरात ग्रामीण बैंक	38.75	38.75	0.00	100.00
8.6	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	4673.15	4673.15	0.00	100.00
	उप योग	24466.46	24264.81	201.66	99.18
9	हरियाणा				
9.1	हरियाणा (बीसी)	9922.45	9922.45	0.00	100.00
9.2	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	59.90	59.90	0.00	100.00
	उप योग	9982.35	9982.35	0.00	100.00
10	हिमाचल प्रदेश				
10.1	हिमाचल प्रदेश (बीसी)	7456.89	7456.89	0.00	100.00
10.2	हिमाचल ग्रामीण बैंक	55.67	55.67	0.00	100.00

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
I	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
	Sub Total	7512.55	7512.55	0.00	100.00
11	Jammu & Kashmir				
11.1	Jammu & Kashmir SC/ST/BC	910.97	858.62	52.35	94.25
11.2	Jammu & Kashmir (WOMEN)	2516.33	2516.33	0.00	100.00
	Sub Total	3427.30	3374.95	52.35	98.47
12	Jharkhand				
12.1	Jharkhand (ST)	657.51	639.31	18.20	97.23
12.2	Jharkhand gramin Bank	295.66	295.66	0.00	100.00
12.3	Vananchal gramin Bank	341.77	341.77	0.00	100.00
	Sub Total	1294.94	1276.74	18.20	98.59
13	Karnatka				
13.1	Karnatka (BC)	41847.17	41847.17	0.00	100.00
13.2	Karnatka (Vishkarma)	968.56	927.49	41.07	95.76
13.3	Karnatka Grameena Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	Karnatka Vikas Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub Total	42815.73	42774.66	41.07	99.90
14	Kerala				
14.1	Kerala (Artisan)	971.41	971.41	0.00	100.00
14.2	Kerala (BC)	121981.15	121981.15	0.00	100.00
14.3	Kerala (CC)	1128.81	1128.81	0.00	100.00
14.4	Kerala (Fisheries)	42930.81	42930.81	0.00	100.00
14.5	Kerala (Handicraft)	1002.71	1002.71	0.00	100.00
14.6	Kerala (Palmarah)	180.86	80.52	100.34	44.52
14.7	Kerala (Womens)	18639.54	18639.54	0.00	100.00
	Sub Total	186835.28	186734.94	100.34	99.95
15	Madhya Pradesh				
15.1	Madhya Pradesh (sc)	1562.47	1393.17	169.29	89.17
15.2	Madhya Pradesh (BC)	4633.93	4398.23	235.70	94.91
15.3	Madhya Pradesh (Hasthilp)	623.74	623.74	0.00	100.00
15.4	Madhya Pradesh Gramin Bank	7496.05	7496.05	0.00	100.00
15.5	Madhyanchal Gramin Bank	24.47	24.47	0.00	100.00
	Sub Total	14340.66	13935.67	404.99	97.18
16	Maharashtra				
16.1	Maharashtra (Mahatma Phule)	2284.68	2204.49	80.19	96.49
16.2	Maharashtra (VJNT)	8580.68	8580.68	0.00	100.00
16.3	Maharashtra (OBC)	17564.34	17564.34	0.00	100.00
16.4	Maharashtra (Anashaib)	3.94	3.94	0.00	100.00
16.5	Maharashtra Gramin Bank	69.86	69.86	0.00	100.00
	Sub Total	28503.51	28423.32	80.19	99.72
17	Manipur				
17.1	Manipur (Tribal)	684.54	684.54	0.00	100.00
17.2	Manipur (Women)	91.44	91.44	0.00	100.00
	Sub Total	775.98	775.98	0.00	100.00

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचयी बकाया	संचयी वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत	
	1	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
	उप योग	7512.55	7512.55	0.00	100.00	
11	जम्मू एवं कश्मीर					
11.1	जम्मू एवं कश्मीर एससी/एसटी/बीसी	910.97	858.62	52.35	94.25	
11.2	जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	2516.33	2516.33	0.00	100.00	
	उप योग	3427.30	3374.95	52.35	98.47	
12	झारखंड					
12.1	झारखंड (एसटी)	657.51	639.31	18.20	97.23	
12.2	झारखंड ग्रामीण बैंक	295.66	295.66	0.00	100.00	
12.3	वनांचल ग्रामीण बैंक	341.77	341.77	0.00	100.00	
	उप योग	1294.94	1276.74	18.20	98.59	
13	कर्नाटक					
13.1	कर्नाटक (बीसी)	41847.17	41847.17	0.00	100.00	
13.2	कर्नाटक (विश्वकर्मा)	968.56	927.49	41.07	95.76	
13.3	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	
13.4	कर्नाटक विकास बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	
	उप योग	42815.73	42774.66	41.07	99.90	
14	केरल					
14.1	केरल (आर्टीसन)	971.41	971.41	0.00	100.00	
14.2	केरल (बीसी)	121981.15	121981.15	0.00	100.00	
14.3	केरल (सीसी)	1128.81	1128.81	0.00	100.00	
14.4	केरल (फिशरीज)	42930.81	42930.81	0.00	100.00	
14.5	केरल (हैण्डिक्राफ्ट)	1002.71	1002.71	0.00	100.00	
14.6	केरल (पालमीराह)	180.86	80.52	100.34	44.52	
14.7	केरल (वीमेन)	18639.54	18639.54	0.00	100.00	
	उप योग	186835.28	186734.94	100.34	99.95	
15	मध्य प्रदेश					
15.1	मध्य प्रदेश (एससी)	1562.47	1393.17	169.29	89.17	
15.2	मध्य प्रदेश (बीसी)	4633.93	4398.23	235.70	94.91	
15.3	मध्य प्रदेश (हस्तशिल्प)	623.74	623.74	0.00	100.00	
15.4	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	7496.05	7496.05	0.00	100.00	
15.5	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	24.47	24.47	0.00	100.00	
	उप योग	14340.66	13935.67	404.99	97.18	
16	महाराष्ट्र					
16.1	महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	2284.68	2204.49	80.19	96.49	
16.2	महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	8580.68	8580.68	0.00	100.00	
16.3	महाराष्ट्र (ओबीसी)	17564.34	17564.34	0.00	100.00	
16.4	महाराष्ट्र (अन्नाशाहिब)	3.94	3.94	0.00	100.00	
16.5	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	69.86	69.86	0.00	100.00	
	उप योग	28503.51	28423.32	80.19	99.72	
17	मणिपुर					
17.1	मणिपुर (ट्राइबल)	684.54	684.54	0.00	100.00	
17.2	मणिपुर (वीमेन)	91.44	91.44	0.00	100.00	
	उप योग	775.98	775.98	0.00	100.00	

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
I	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
18	North Eastern Fin. & Dev. Corpo	6533.36	6533.36	0.00	100.00
19	Odisha (BC)	2287.73	2287.73	0.00	100.00
20	Puducherry				
20.1	Puducherry (Adidridar)	177.65	177.65	0.00	100.00
20.2	Puducherry (BC)	4590.77	4215.32	375.44	91.82
20.3	Puduval Bharathiar Grama Bank	402.84	402.84	0.00	100.00
	Sub Total	5171.25	4795.81	375.44	92.74
21	Punjab				
21.1	Punjab (BC)	6971.00	6971.00	0.00	100.00
21.2	Punjab Gramin Bank	5685.63	5685.63	0.00	100.00
	Sub Total	12656.63	12656.63	0.00	100.00
22	Rajasthan				
22.1	Rajasthan (SC)	462.81	462.81	0.00	100.00
22.2	Rajasthan (BC)	6853.87	6531.97	321.90	95.30
	Sub Total	7316.68	6994.78	321.90	95.60
23	Sikkim (Sc/ST/BC)	3468.57	3432.03	36.54	98.95
24	Tamilnadu				
24.1	Tamilnadu (BC)	98496.78	98496.78	0.00	100.00
24.2	Tamilnadu Grama bank	67.83	67.83	0.00	100.00
24.3	Tamilnadu (womens)	52.67	52.67	0.00	100.00
	Sub Total	98617.28	98617.28	0.00	100.00
25	Talangna				
25.1	Talangna Gramin Bank	15.16	15.16	0.00	100.00
25.2	Stree Nidhi Credit coop. fed. Ltd	1945.61	1945.61	0.00	100.00
	Sub Total	1960.76	1960.76	0.00	100.00
26	Tripura				
26.1	Tripura (BC)	15457.54	12143.01	3314.53	78.56
26.2	Tripura Gramin Bank	841.26	841.26	0.00	100.00
	Sub Total	16298.81	12984.27	3314.53	79.66
27	Uttar Pradesh				
27.1	Uttar Pradesh (BC)	10845.53	10845.53	0.00	100.00
27.2	Uttar Pradesh land Dev. & Sahkari	5412.63	5412.63	0.00	100.00
27.3	Bank				
27.4	Gramin Bank of Aryavart	7791.77	7791.77	0.00	100.00
27.5	Kashi Gomti SamyuktA Gramin Bank	802.02	802.02	0.00	100.00
27.6	Sarv UP Gramin Bank	22.07	22.07	0.00	100.00
	Purvanchal Gramin Bank	8.39	8.39	0.00	100.00
	Sub Total	24882.41	24882.41	0.00	100.00
28	UTTRAKHAND				
28.1	Uttrakhand Bahudehiya	393.38	388.92	4.46	98.87
28.2	Uttrakhnad Gramin Bank	10.10	10.10	0.00	100.00
	Sub Total	403.48	399.02	4.46	98.89

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचयी बकाया	संचयी वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत	
	1	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
18	उत्तर पूर्वी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन	6533.36	6533.36	0.00	100.00	
19	ओडिशा (बीसी)	2287.73	2287.73	0.00	100.00	
20	पुडुचेरी					
20.1	पुडुचेरी (अदिद्रविदार)	177.65	177.65	0.00	100.00	
20.2	पुडुचेरी (बीसी)	4590.77	4215.32	375.44	91.82	
20.3	पुडुवल भारथिर ग्राम बैंक	402.84	402.84	0.00	100.00	
	उप योग	5171.25	4795.81	375.44	92.74	
21	पंजाब					
21.1	पंजाब (बीसी)	6971.00	6971.00	0.00	100.00	
21.2	पंजाब ग्रामीण बैंक	5685.63	5685.63	0.00	100.00	
	उप योग	12656.63	12656.63	0.00	100.00	
22	राजस्थान					
22.1	राजस्थान (एससी)	462.81	462.81	0.00	100.00	
22.3	राजस्थान (बीसी)	6853.87	6531.97	321.90	95.30	
	उप योग	7316.68	6994.78	321.90	95.60	
23	सिक्किम (एससी/एसटी/बीसी)	3468.57	3432.03	36.54	98.95	
24	तमिलनाडु					
24.1	तमिलनाडु (बीसी)	98496.78	98496.78	0.00	100.00	
24.2	तमिलनाडु ग्राम बैंक	67.83	67.83	0.00	100.00	
24.3	तमिलनाडु (वीमेन)	52.67	52.67	0.00	100.00	
	उप योग	98617.28	98617.28	0.00	100.00	
25	तेलंगना					
25.1	तेलंगना ग्रामीण बैंक	15.16	15.16	0.00	100.00	
25.2	स्त्री निधि क्रेडिट को-आपरेटिव फेडरेशन लि.	1945.61	1945.61	0.00	100.00	
	उप योग	1960.76	1960.76	0.00	100.00	
26	त्रिपुरा					
26.1	त्रिपुरा (बीसी)	15457.54	12143.01	3314.53	78.56	
26.2	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	841.26	841.26	0.00	100.00	
	उप योग	16298.81	12984.27	3314.53	79.66	
27	उत्तर प्रदेश					
27.1	उत्तर प्रदेश (बीसी)	10845.53	10845.53	0.00	100.00	
27.2	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	5412.63	5412.63	0.00	100.00	
27.3	ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त	7791.77	7791.77	0.00	100.00	
27.4	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक	802.02	802.02	0.00	100.00	
27.5	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	22.07	22.07	0.00	100.00	
27.6	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	8.39	8.39	0.00	100.00	
	उप योग	24882.41	24882.41	0.00	100.00	
28	उत्तराखंड					
28.1	उत्तराखंड बहुदेशिय	393.38	388.92	4.46	98.87	
28.2	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	10.10	10.10	0.00	100.00	
	उप योग	403.48	399.02	4.46	98.89	

Sl. No.	State Channelling Agencies (SCA)/States/UT's	Cumulative Dues	Cumulative Recoveries	Overdues	% age of Recoveries
I	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
29	West Bengal				
29.1	West Bengal (BC)	7910.79	7885.93	24.86	99.69
29.2	West Bengal (Minorties)	934.82	890.96	43.86	95.31
	Sub Total	8845.60	8776.89	68.71	99.22
30	NGOS	158.32	146.11	12.22	92.28
	Sub Total	548008.70	537110.31	10898.39	98.01
31	Public Sector Banks				
31.1	Canara Bank	300.83	300.83	0.00	100.00
31.2	Dena Bank	0.62	0.62	0.00	100.00
31.3	Punjab National Bank	2407.94	2407.94	0.00	100.00
31.4	Union Bank of India	950.07	950.07	0.00	100.00
31.5	Vijaya /BOB Bank	10702.52	10700.94	1.58	99.99
	Sub Total	14361.98	14360.40	1.58	99.99
	Grand Total	562370.68	551470.71	10899.97	98.06

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसी (एस.सी.ए.)/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचयी बकाया	संचयी वसूली	अतिदेय	वसूली का प्रतिशत
1	2	3	4	5=3-4	6 = 4/3%
29	पश्चिम बंगाल				
29.1	पश्चिम बंगाल (बीसी)	7910.79	7885.93	24.86	99.69
29.2	पश्चिम बंगाल (अल्पसंख्यक)	934.82	890.96	43.86	95.31
	उप योग	8845.60	8776.89	68.71	99.22
30	गैर सरकारी संगठन	158.32	146.11	12.22	92.28
	उप योग	548008.70	537110.31	10898.39	98.01
31	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक				
31.1	केनरा बैंक	300.83	300.83	0.00	100.00
31.2	देना बैंक	0.62	0.62	0.00	100.00
31.3	पंजाब नेशनल बैंक	2407.94	2407.94	0.00	100.00
31.4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	950.07	950.07	0.00	100.00
31.5	विजया/बीओबी बैंक	10702.52	10700.94	1.58	99.99
	उप योग	14361.98	14360.40	1.58	99.99
	कुल योग	562370.68	551470.71	10899.97	98.06

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ANNEXURE - 5

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
STATE-WISE SKILL DEVELOPMENT TRAINING PROVIDED TO TARGET GROUPS UNDER
PM-DAKSH YOJANA DURING THE FY 2023-24 (AS ON 31.03.2024)

Sl. No.	Name of the State/UTs	No. of Trainees	Amount Allocated (Rs. In lakhs)	Amount Disbursed (Rs. in Lakhs)
1	Andhra Pradesh	120	68.33	4.78
2	Assam	1896	469.11	6.48
3	Bihar	882	290.60	4.05
4	Chhattisgarh	440	165.97	0.00
5	Delhi	55	17.58	3.79
6	Gujarat	295	55.84	1.53
7	Haryana	740	181.71	17.01
8	Himachal Pradesh	360	56.95	3.65
9	Jammu & Kashmir	770	246.66	14.95
10	Jharkhand	415	178.77	4.42
11	Karnataka	959	288.37	13.81
12	Kerala	85	39.68	4.68
13	Ladakh	30	7.55	0.00
14	Madhya Pradesh	7815	2833.34	178.15
15	Maharashtra	5029	1771.29	14.54
16	Odisha	549	252.09	26.59
17	Punjab	839	208.43	8.68
18	Rajasthan	3456	1219.35	29.40
19	Sikkim	25	4.58	0.00
20	Tamilnadu	615	234.76	0.98
21	Telangana	410	198.98	40.51
22	Tripura	285	64.35	1.21
23	Uttar Pradesh	10730	4031.57	133.78
24	Uttarakhand	497	147.28	12.28
25	West Bengal	110	42.22	1.25
	Total	37407	13075.36	526.52
	With monitoring cost		13206.12	

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

अनुलग्नक - 5

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
वर्ष 2023-24 (31.03.2024 तक) के दौरान पीएम-दक्ष योजना के तहत
लक्षित समूहों को राज्य-वार प्रदत्त कौशल विकास प्रशिक्षण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	आवंटित राशि (₹ लाख में)	वितरित राशि (₹ लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	120	68.33	4.78
2	असम	1896	469.11	6.48
3	बिहार	882	290.60	4.05
4	छत्तीसगढ़	440	165.97	0.00
5	दिल्ली	55	17.58	3.79
6	गुजरात	295	55.84	1.53
7	हरियाणा	740	181.71	17.01
8	हिमाचल प्रदेश	360	56.95	3.65
9	जम्मू एवं कश्मीर	770	246.66	14.95
10	झारखंड	415	178.77	4.42
11	कर्नाटक	959	288.37	13.81
12	केरल	85	39.68	4.68
13	लद्दाख	30	7.55	0.00
14	मध्य प्रदेश	7815	2833.34	178.15
15	महाराष्ट्र	5029	1771.29	14.54
16	ओडिशा	549	252.09	26.59
17	पंजाब	839	208.43	8.68
18	राजस्थान	3456	1219.35	29.40
19	सिक्किम	25	4.58	0.00
20	तमिलनाडु	615	234.76	0.98
21	तेलंगाना	410	198.98	40.51
22	त्रिपुरा	285	64.35	1.21
23	उत्तर प्रदेश	10730	4031.57	133.78
24	उत्तराखंड	497	147.28	12.28
25	पश्चिम बंगाल	110	42.22	1.25
	कुल	37407	13075.36	526.52
	निगरानी लागत सहित		13206.12	

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
LIST OF TRAINING INSTITUTE

Sl. No	Name of Training Institutes
1	Aarti Educare
2	Abhiyan Foundation
3	Acadecraft Private Limited
4	Acme India Microsys Pvt Ltd
5	Akshay Baheti and Co.
6	Ambishine Skills Private limited
7	Amulett Educational Services Pvt Ltd
8	Apitco Limited
9	Apna Prayas Youth Entrepreneur & Social Welfare Society
10	Apollo Medskills Ltd.
11	APPAREL TRAINING & DESIGN CENTRE
12	Assam Professional Academy Society
13	Auraedu Group Learning Private Limited
14	Azaan International
15	BASELINE MANAV UTTHAN SAMITI
16	BHARTIYA VIKAS FOUNDATION
17	Career Training and Classes Private Limited
18	Central Institute Of Hand Tools, Jalandhar
19	Central Institute Of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET)
20	Central Tool Room & Training Centre, Bhubaneswar
21	Central Tool Room, Ludhiana
22	Centre For Entrepreneurship Development Madhya Pradesh (CEDMAP)
23	Computer Institution of Information Tutorial Society
24	Creative Brains Educational and Welfare Society
25	Emen Star Private Limited
26	Everest Educational Society
27	Evergreen Education Trust
28	Ganga Gyan Vikas Samiti
29	Gayatri Sewa Sansthan
30	Give Education and Management Services Private Limited
31	Green Park Skills Foundation
32	H2V Fortune Private Limited
33	Himachal Consultancy Organization Ltd. (HIMCON)
34	Indian Institute of Carpet Technology (IICT), Srinagar
35	Indian Institute Of Entrepreneurship
36	Indian institute of Multimedia Animation Technology(li-MAT)
37	Indo German Tool Room Ahmedabad
38	Indo German Tool Room, Indore (MSME Technology Centre, Indore)

**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
प्रशिक्षण संस्थानों की सूची**

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों का नाम
1	आरती एजुकेयर
2	अभियान फाउंडेशन
3	एकेडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
4	एक्मे इंडिया माइक्रोसिस प्राइवेट लिमिटेड
5	अक्षय बहेती एंड कंपनी
6	एंबिशन स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	एमुलेट एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
8	एपिटको लिमिटेड
9	अपना प्रयास युवा उद्यमी और समाज कल्याण सोसायटी
10	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड
11	परिधान प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र
12	असम प्रोफेशनल अकादमी सोसायटी
13	ऑरेंडू ग्रुप लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
14	अज्ञान इंटरनेशनल
15	बेसलाइन मानव उत्थान समिति
16	भारतीय विकास फाउंडेशन
17	करियर ट्रेनिंग एंड क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड
18	केंद्रीय हस्त औजार संस्थान, जालंधर
19	केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)
20	केंद्रीय उपकरण कक्ष और प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर
21	केंद्रीय उपकरण कक्ष, लुधियाना
22	मध्य प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीएमएपी)
23	कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्यूटोरियल सोसायटी
24	क्रिएटिव ब्रेन्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी
25	एमेन स्टार प्राइवेट लिमिटेड
26	एवरेस्ट एजुकेशनल सोसाइटी
27	एवरग्रीन एजुकेशन ट्रस्ट
28	गंगा ज्ञान विकास समिति
29	गायत्री सेवा संस्थान
30	गिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
31	ग्रीन पार्क स्किल्स फाउंडेशन
32	एच2वी फॉर्च्यून प्राइवेट लिमिटेड
33	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (हिमकॉन)
34	भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), श्रीनगर
35	भारतीय उद्यमिता संस्थान
36	भारतीय मल्टीमीडिया एनिमेशन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआई-एमएटी)
37	इंडो जर्मन टूल रूम अहमदाबाद
38	इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर (एम.एस.एम.ई. प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर)

Sl. No	Name of Training Institutes
39	INNOVISION LIMITED
40	Insight Customer Call Solutions Limited (ICCS)
41	Institute For Skill Development
42	ISHAAN EDUCATION SOCIETY
43	Kongokz Infra Private Limited
44	Krishna Charitable Trust
45	Late Yagya Narayan Mishra Memorial Sewa Samiti
46	Leisure and Lifestyle Global Services Pvt. Ltd
47	LEKHRAJ SINGH SHIKSHA SAMITI
48	Lord Ganesha Institute of Management and Technology
49	Ma Foi Strategic Consultants Private Limited
50	MAA SAMALESWARI EDUCATION AND WELFARE TRUST
51	Madhya Pradesh State Cooperative Information And Advanced Technology Federation Ltd Bhopal
52	Madhya Pradesh State Cooperative Union Limited Bhopal
53	Madhyanchal Utkarsh Bahuuddeshiya Vikas Samiti
54	Manorama Mahila Mandal
55	Mathura Devi Shiksha Prasar Evam Samaj Kalyan Samiti
56	Medha Skill Development Training Centre
57	Medhavi Foundation
58	Mhahatma Gnadhi Statae Institute of Rural Development and Panchyatraj
59	MPCON Ltd
60	MSME TECHNOLOGY CENTRE - INDO GERMAN TOOL ROOM AURANGABAD
61	MSME Technology Centre Bhiwadi
62	MSME Technology Centre, Rohtak
63	MSME technology Development Centre (PPDC), Meerut
64	MUSE STUDY EDUCATION SOCIETY
65	National Federation Of Farmers Procurement, Processing & Retailing Cooperatives Of India Ltd (NACOF)
66	Nihit Infracon Pvt Ltd
67	North Eastern Handicrafts & Handlooms Development Corporation
68	PEOPELS GENERAL ASSOCIATION
69	Pithampur Auto Cluster
70	Right to Education Private Limited
71	RIT EDUCATION & WELFARE SOCIETY
72	SANSKAR EDUCATION HUB
73	Shanti Overseas (India) LTD
74	Shaping Careers Education Society
75	Sheel Biotech Limited
76	Shiv Education Society
77	SHRI VINAYAK CREATIVE FASHIONS PVT LTD
78	SHRI VISHWAMITRA SHIKSHAN SAMITI
79	Shristi Educational and Welfare Association
80	SKILLS ROOT EDU TECH CONSULTING INDIA PVT. LTD.

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों का नाम
39	इनोवेशन लिमिटेड
40	इनसाइट कस्टमर कॉल सॉल्यूशंस लिमिटेड (आईसीसीएस)
41	कौशल विकास संस्थान
42	ईशान शिक्षा सोसाइटी
43	कोंगोक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
44	कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट
45	स्वर्गीय यज्ञ नारायण मिश्रा स्मारक सेवा समिति
46	अवकाश और जीवन शैली ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
47	लेखराज सिंह शिक्षा समिति
48	भगवान गणेश प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
49	मा फोर्ड स्ट्रेटिजिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
50	माँ समलेश्वरी शिक्षा एवं कल्याण ट्रस्ट
51	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी सूचना एवं उन्नत प्रौद्योगिकी संघ लिमिटेड भोपाल
52	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ लिमिटेड भोपाल
53	मध्यांचल उत्कर्ष बहुउद्देशीय विकास समिति
54	मनोरमा महिला मंडल
55	मथुरा देवी शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति
56	मेधा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र
57	मेधावी फाउंडेशन
58	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत संस्थान
59	एमपीकॉन लिमिटेड
60	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र - इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद
61	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी
62	एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक
63	एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ
64	म्यूज अध्ययन शिक्षा समिति
65	नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीओएफ)
66	निहित इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
67	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
68	पीपुल्स जनरल एसोसिएशन
69	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर
70	राइट टू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
71	आरआईटी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी
72	संस्कार एजुकेशन हब
73	शांति ओवरसीज (इंडिया) लिमिटेड
74	शेपिंग करियर एजुकेशन सोसाइटी
75	शील बायोटेक लिमिटेड
76	शिव एजुकेशन सोसाइटी
77	श्री विनायक क्रिएटिव फैशन प्राइवेट लिमिटेड
78	श्री विश्वामित्र शिक्षण समिति
79	सृष्टि एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन
80	स्किल्स रूट एडु टेक कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

Sl. No	Name of Training Institutes
81	SPURTHI RURAL DEVELOPMENT SOCIETY
82	Sri Balaji Trading
83	Startech jankalyan shikshan evam koushal vikas aur prabandhan sanstha
84	State Institute Of Agriculture Extension And Training
85	STEP EDUCATION& TRAINING SERVICES PVT. LTD.
86	Sumvedna She Woman Health Care Society
87	SWA JAGRITI YOG SAMITI
88	Swami Ambrish Chetanya Sewa Samiti
89	TBL Education (I) Pvt. Ltd.
90	The Manav Kalyan Avam Vikas Sanstha
91	Tool Room And Training Centre, Patna (An Extension Centre Of Indo Danish Tool Room, Jamshedpur)
92	TRULY YOURS WELFARE SOCIETY
93	Up Industrial Consultants Limited
94	Vikrant Educational and Social Welfare Society
95	VILLAGE INDIA KALYAN SANSTHAN
96	VOC SKILLS
97	NSB BPO Solution Pvt. Ltd.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थानों का नाम
81	स्पर्धी ग्रामीण विकास सोसाइटी
82	श्री बालाजी ट्रेडिंग
83	स्टारटेक जनकल्याण शिक्षण एवं कौशल विकास और प्रबंधन संस्था
84	राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान
85	स्टेप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
86	सुमवेदना शी वूमन हेल्थ केयर सोसाइटी
87	स्व जागृति योग समिति
88	स्वामी अम्बरीश चेतन्य सेवा समिति
89	टीबीएल एजुकेशन (आई) प्राइवेट लिमिटेड
90	मानव कल्याण एवं विकास संस्था
91	टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, पटना (इंडो डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर का विस्तार केंद्र)
92	टूली योर्स वेलफेयर सोसाइटी
93	यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड
94	विक्रान्त एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी
95	विलेज इंडिया कल्याण संस्थान
96	वीओसी स्किल्स
97	एन.एस.बी. बी.पी.ओ. सॉल्यूशन प्रा. लि.

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

ANNEXURE - 7

**National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC)
MARKETING LINKAGES (2023-2024)**

S.No.	Name of Mela	State/UT	Date	No of Beneficiary
1.	Shilp Samagam Mela	Gwalior, Madhya Pradesh	22-30 Sept.23	43
2.	East Himalayan Trade Expo.	Guwahati, Assam	01-08 Oct. 23	05
3.	Shilp Samagam Mela	Lucknow, Uttar Pradesh	07-15 Oct. 23	25
4.	India International Trade Fair	Delhi	14-27 Nov 23	32
5.	Atmanirbhar Bharat Exhibition	Delhi	03-10 Jan 24	37
6.	Goa Lokutsov Mela	Goa	09-17 January, 24	05
7.	Shilp Samagam Mela	Amritsar, Punjab	12-21 January, 24	68
8.	Shilp Samagam Mela	Bengaluru, Karnataka	12-20 January, 24	25
9.	Surajkund International Craft Mela	Faridabad, Haryana	02-18 February 24	29
10.	Shilp Samagam Mela	Jodpur, Rajasthan	29 February–08 March 24	25
			Total:	294

ANNEXURE - 8

MAJOR OUTCOMES OF EVALUATION STUDIES FINALISED DURING FY 2023-2024

State : Kerla		
Sr. No.	Major Outcomes	Percentage %
1.	Monthly income enhancement after training	148.29%
2.	Percentage of training material provided by the TI	94.7%
3.	Percentage of effectiveness of the training	99.3%.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

अनुलग्नक - 7

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
विपणन संयोजन (2023-24)

क्र.स.	मेले का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	तिथि	लाभार्थियों की संख्या
1.	शिल्प समागम मेला	ग्वालियर, मध्य प्रदेश	22-30 सितम्बर, 2023	43
2.	पूर्वी हिमालयन ट्रेड फेयर	गुवाहाटी, असम	01-08 अक्टूबर, 2023	05
3.	शिल्प समागम मेला	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	07-15 अक्टूबर, 2023	25
4.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	दिल्ली	14-27 नवंबर, 2023	32
5.	आत्मनिर्भर भारत प्रदर्शनी	दिल्ली	03-10 जनवरी, 2024	37
6.	गोवा लाकोत्सव मेला	गोवा	09-17 जनवरी, 2024	05
7.	शिल्प समागम मेला	अमृतसर, पंजाब	12-21 जनवरी, 2024	68
8.	शिल्प समागम मेला	बेंगलुरु, कर्नाटक	12-20 जनवरी, 2024	25
9.	अंतर्राष्ट्रीय सुरजकुंड शिल्प मेला	फरीदाबाद, हरियाणा	02-18 फरवरी, 2024	29
10.	शिल्प समागम मेला	जोधपुर, राजस्थान	29 फरवरी से 08 मार्च 2024	25
			योग	294

अनुलग्नक - 8

वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अवधि में मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख परिणामों का अंतिम रूप

राज्य : केरल		
क्र.स.	प्रमुख परिणाम	प्रतिशत %
1.	प्रशिक्षण के पश्चात् मासिक आय में वृद्धि	148.29%
2.	टीआई द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण सामग्री का प्रतिशत	94.7%
3.	प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का प्रतिशत	99.3%.

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)

National Backward Classes Finance and Development Corporation (NBCFDC) REPORT OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is a set of systems and practices to ensure that the affairs of the company are being managed in a way which ensures accountability, transparency and fairness in all its transactions in the widest sense and meet its stakeholder's aspirations and societal expectations. The Corporation's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of transparency, compliance of laws, procedures and meeting ethical standards to take care of the interest of all the stakeholders.

NBCFDC believes that good governance should entail trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to the Government policies. The main objectives of the Corporation are to promote economic and developmental activities for the benefit of members of backward classes through State Channelizing Agencies nominated by the concerned State Governments/Union Territories and additionally through Public Sector & Regional Rural Banks (PSBs & RRBs) entering into MoA with the Corporation. The Corporation constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimizes the value of all its stakeholders and the society at large.

1. Board of Directors: Composition

NBCFDC is a Govt. of India Company within the meaning of section 2(45) of the Companies Act 2013. The appointment / nomination of all Directors is done by the President of India, through Ministry of Social Justice & Empowerment. Under the provisions of the Articles of Association of the Corporation, the number of Directors shall not be less than four and not more than thirteen. The Board comprises Whole Time Director i.e. Managing Director and others part-time/non-executive/Govt. Directors who bring a wide range of skills and experience. The members of the Board are from diversified backgrounds and have varied expertise and considerable experience in the respective fields. The Board of the Corporation strives to optimize value for all stakeholders like shareholders, employees, channel partners and the society at large. The Board defines the policies and programmes and oversees its implementation.

None of the Directors/KMP of the Company are related to each other and there are no inter-se relationships between the Directors/ KMP. As on March 31, 2024, none of the Non-Executive Directors holds equity shares in the Company except Shri Amit Kumar Ghosh, Official Director, who holds One (01) equity shares of the Company on behalf of President of India.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Name of Director (S/Sri/Smt./Dr)	Category	Attendance at Board Meeting/ Total Meetings after appt. as Director	Whether attended last AGM (Yes/No)	No. of Directorships other than NBCFDC
Shri Rajan Sehgal (DIN 03633935)	Executive	4/4	Yes	-
Shri Rajnish Kumar Jenaw (DIN 09056584)	Non-Executive	4/4	Yes	2
Shri Amit Kumar Ghosh* (DIN 01092172)	Non-Executive	0/4	No	-
Shri Sanjay Pandey (DIN 08453230)	Non-Executive	4/4	Yes	3
Dr. Subhransu Sekhar Acharya (DIN 06727939) \$	Non-Executive	3/4	No	2
Shri S S Vaseeharan** (DIN 09662775)	Non-Executive	2/4	No	-
Shri R.V. Ramakrishna (DIN 09284312)@	Non-Executive	2/4	No	2
Shri Sanjay Kumar Singh (DIN 09403132)	Non-Executive	4/4	Yes	-
Smt. Pinki Kumari (DIN 09433819)	Non-Executive	2/4	Yes	-

Note: * Appointed as Director w.e.f. 28.03.2024
 ** Appointed as Director w.e.f. 27.10.2023
 @ Ceased to be Directors w.e.f. 27.10.2023
 \$ Ceased to be Directors w.e.f. 08.07.2024

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) निगमित प्रशासन पर निदेशकों का प्रतिवेदन

कॉरपोरेट प्रशासन, तंत्रों एवं कार्य प्रणालियों का समुच्चय है जिसके माध्यम से कम्पनी के कार्य का प्रबंधन इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाता है कि इसके समस्त लेन-देन में व्यापक रूप से जवाबदेही, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके एवं इसके द्वारा अंशधारकों की आकांक्षा एवं सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। निगम के कॉरपोरेट प्रशासन का मूल विचार पारदर्शिता के सिद्धान्तों, कानूनी एवं प्रक्रिया का अनुपालन करना तथा समस्त अंशधारकों के लाभार्थ नैतिक मानकों का संरक्षण करना है।

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का मानना है कि प्रबंधन के अच्छे प्रशासन में न्यासधारिता, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व अपरिहार्य होना चाहिए; जबकि शेष सरकार की नीतियों के लिए अग्रसक्रिय रहना चाहिए। निगम का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) एवं इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पीएसबी/आरआरबी) जिन्होंने निगम के करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, के माध्यम से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है। निगम का निरंतर यह प्रयास रहता है कि कॉरपोरेट प्रशासन के सर्वोत्तम सिद्धान्तों का पालन कर अपने हितधारकों तथा व्यापक रूप से समाज के हितों की सुरक्षा निश्चित की जाए।

1. निदेशक मण्डल का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्निर्णयों के

अंतर्गत एन.बी.सी.एफ.डी.सी. भारत सरकार की एक कंपनी है। निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। निगम के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की संख्या चार से कम व तेरह से अधिक नहीं होगी। निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् प्रबंध निदेशक तथा अन्य अंशकालिक/ गैर-कार्यपालक/सरकारी निदेशक होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशलों और अनुभवों से युक्त होते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य विविध पृष्ठभूमि से होते हैं तथा उनके पास सम्बंधित क्षेत्रों में उपयुक्त अनुभव एवं विविध विशेषताएं होती हैं। निगम का निदेशक मण्डल सभी हितधारकों जैसे अंशधारकों, कर्मचारियों, चैनल सहभागियों एवं वृहत स्तर पर समाज के मूल्यों को अधिकतम करने का प्रयास करता है। निदेशक मंडल नीतियों एवं कार्यक्रमों को परिभाषित करते हैं व क्रियान्वयन पर नजर रखते हैं।

कंपनी का कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं और निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार श्री अमित कुमार घोष, गैर कार्यकारी निदेशक, जिनके के पास भारत के राष्ट्रपति की ओर से कंपनी का एक (01) इक्विटी शेयर हैं, को छोड़कर किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी का इक्विटी शेयर नहीं हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक का नाम (श्री/श्रीमती/डा.)	श्रेणी	निदेशक मण्डल की बैठकों में उपस्थिति/ निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद कुल बैठकें	क्या पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लिया(हाँ/नहीं)	एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के अलावा निदेशक पद पर नियुक्त की सं.
श्री राजन सहगल (डिन 03633935)	कार्यकारी	4/4	हाँ	-
श्री रजनीश कुमार जैनव (डिन 09056584)	गैर- कार्यकारी	4/4	हाँ	2
श्री अमित कुमार घोष* (डिन 01092172)	गैर- कार्यकारी	0/4	नहीं	-
श्री संजय पाण्डेय (डिन 08453230)	गैर- कार्यकारी	4/4	हाँ	3
डा0 सुभ्रांशु शेखर आचार्य (डिन 06727939) @@	गैर- कार्यकारी	3/4	नहीं	2
श्री एस एस वसीहरन** (डिन 09662775)	गैर- कार्यकारी	2/4	नहीं	-
श्री आर.वी. रामाकृष्ण (डिन 09284312)@	गैर- कार्यकारी	2/4	नहीं	2
श्री संजय कुमार सिंह (डिन 09403132)	गैर- कार्यकारी	4/4	हाँ	-
श्रीमती पिकी कुमारी (डिन 09433819)	गैर- कार्यकारी	2/4	हाँ	-

नोट: * दिनांक 28.03.2024 से निदेशक के रूप में नियुक्ति
** दिनांक 27.10.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति
@ दिनांक 27.10.2023 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त
\$ दिनांक 08.07.2024 से निदेशक के रूप में नियुक्ति समाप्त

2. Responsibilities

The Board has a formal schedule of matters reserved for its consideration and decision which includes reviewing corporate performance, ensuring adequate accountability of financial resources and reporting to Shareholders.

Further, an annual Memorandum of Understanding (MoU) is entered into by the Corporation with the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI in the beginning of the year, setting the targets in the financial and nonfinancial area with weightages decided in consultation with the GOI. The performance of the Company is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to the MOU is reviewed regularly within the Company on a quarterly basis as well as in the administrative Ministry. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to the Ministry of Social Justice & Empowerment and performance of the company is evaluated by the Ministry of Social Justice & Empowerment and Department of Public Enterprises on the basis of actual achievements as per the signed MoU.

3. Board Meetings

3.1 Size of the Board;

NBCFDC is covered within the meaning of Section 2 (45) of the Companies Act 2013, as the

President of India presently hold 100% of the total paid up share capital. As per Article of Association, the power to appoint Directors vests with the President of India. In terms of the Articles of Association of the Corporation strength of the Board shall not be less than four and not more than thirteen Directors.

3.2 Board Procedure;

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Company’s Registered Office of the Corporation at New Delhi. The meetings are scheduled well in advance. In case of exigencies or urgency, resolutions are passed by circulation. The Board meets at least once a quarter to review the quarterly performance and the financial results. The Board of Directors plays the primary role in ensuring good governance and functioning of the Company. The meetings are governed by a structured agenda. All the agenda items are backed by comprehensive agenda notes, containing all the vital information, so as to enable the Directors to have focused discussion at the meeting and to take decisions. The agenda and agenda notes are circulated to all the Directors in advance of each meeting of the Board of Directors. Where it is not practical to send the relevant information as a part of the agenda paper, the same were tables in the meeting. All the decisions are taken after detailed discussions by the Board Members at the meetings. During the financial year 2023-24, four Board meetings were held. Attendance of the directors at the above Board meetings has been as under:

BOARD MEETING NO.	HELD ON	DIRECTORS PRESENT	DIRECTORS ABSENT
131	03.05.2023	SHRI RAJAN SEHGAL,MD, NBCFDC SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,CMD, NSFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI, NOD	SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, CGM, SIDBI
132	30.06.2023	SHRI RAJAN SEHGAL,MD, NBCFDC SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,CMD, NSFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, CGM, SIDBI SHRI R.V. RAMAKRISHNA,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD	SMT. PINKI KUMARI, NOD
133	27.10.2023	SHRI RAJAN SEHGAL,MD,NBCFDC SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,CMD, NSFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, CGM, SIDBI SHRI VASEEHARAN S S,GM, NABARD SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD SMT. PINKI KUMARI, NOD	–
134	28.03.2024	SHRI RAJAN SEHGAL,MD,NBCFDC SHRI RAJNISH KUMAR JENAW,CMD, NSFDC SHRI SANJAY PANDEY, JS&FA, M/O SJ&E SHRI SUBRANSHU SEKHAR ACHARYA, CGM, SIDBI SHRI S S VASEEHARAN,GM, NABARD(Through VC) SHRI SANJAY KUMAR SINGH, NOD	SMT. PINKI KUMARI, NOD

2. दायित्व

निदेशक मण्डल के पास मामलों की औपचारिक सूची जो इसके विचारार्थ और निर्णय हेतु आरक्षित होती है जिसमें कोरपोरेट कार्य-निष्पादन की समीक्षा, वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त जवाबदेही तथा अंशधारकों को सूचना सुनिश्चित करना शामिल होता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष के आरंभ में वित्तीय एवं गैर वित्तीय क्षेत्रों में भारत सरकार से परामर्श के आधार पर भार निर्धारण लक्ष्यों को निर्धारित करते हेतु निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रत्येक वर्ष एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करता है। कम्पनी का कार्य निष्पादन तथा इसके लक्ष्यों को वर्ष के अंत में आंका जाता है। समझौता-ज्ञापन के संबंध में लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशासनिक मंत्रालय के साथ-साथ कंपनी में भी कार्य निष्पादन की त्रैमासिक आधार पर नियमित समीक्षा की जाती है। यदि कोई कमी रह जाती है, तो इसकी पहचान की जाती है और इन मंचों में आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही हेतु सुझाव दिए जाते हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एम.ओ.यू. की उपलब्धियों की रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाती है तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर कम्पनी का मूल्यांकन किया जाता है।

3. निदेशक मण्डल की बैठकें

3.1 निदेशक मण्डल का आकार

एन.बी.सी.एफ.डी.सी., कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अन्तर्गत आती है, चूंकि भारत के राष्ट्रपति कुल प्रदत्त अंश

पूजी के 100% के अंशधारक है। संस्था के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। निगम के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मण्डल में निदेशकों की संख्या चार से कम और तेरह से अधिक नहीं होगी।

3.2 निदेशक मण्डल की प्रक्रिया

निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। बैठकें पहले से निर्धारित की जाती हैं। आवश्यकता या तात्कालिकता की स्थिति में प्रचलन प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। तिमाही कार्य निष्पादन और वित्तीय परिणामों की समीक्षा के लिए निदेशक मण्डल की तिमाही में कम से कम एक बैठक होती है। निदेशक मण्डल अच्छे प्रशासन एवं कम्पनी की कार्यप्रगति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। संरचित एजेण्डा के माध्यम से बैठकें संचालित की जाती हैं। प्रत्येक एजेण्डा मद में विस्तृत एजेण्डा टिप्पणी होती है तथा सभी महत्वपूर्ण जानकारी सम्मिलित की जाती है, ताकि निदेशकगण बैठक में विचार-विमर्श पर ध्यान केन्द्रित कर सकें और निर्णय ले सकें। एजेण्डा एवं एजेण्डा टिप्पणियां सभी निदेशकों को प्रत्येक निदेशक मण्डल की बैठक से पूर्व प्रेषित की जाती हैं। एजेण्डा कागजातों के रूप में जहां कहीं भी इन कागजातों को भेजना व्यावहारिक नहीं होता है, को बैठक में प्रदान किया गया। बैठक में सभी निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों के विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त लिए जाते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें आयोजित की गईं। निदेशक मण्डल की उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :

बैठक सं	बैठक की तिथि	उपस्थित निदेशक	अनुपस्थित निदेशक
131	03.05.2023	श्री राजन सहगल, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री रजनीश कुमार जैनव, अ. एवं प्र.नि., एन.एस.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक श्रीमती पिकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	डॉ० सुभ्रांशू शेखर आचार्य, मुख्य महाप्रबन्धक, सिडबी
132	30.06.2023	श्री राजन सहगल, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री रजनीश कुमार जैनव, अ. एवं प्र.नि., एन.एस.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ० सुभ्रांशू शेखर आचार्य, मुख्य महाप्रबन्धक, सिडबी श्री आर.वी.रामाकृष्ण, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक	श्रीमती पिकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक
133	27.10.2023	श्री राजन सहगल, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री रजनीश कुमार जैनव, अ. एवं प्र.नि., एन.एस.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ० सुभ्रांशू शेखर आचार्य, मुख्य महाप्रबन्धक, सिडबी श्री वसीहरन एस एस, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक श्रीमती पिकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक	-
134	28.03.2024	श्री राजन सहगल, प्र.नि., एन.बी.सी.एफ.डी.सी. श्री रजनीश कुमार जैनव, अ. एवं प्र.नि., एन.एस.एफ.डी.सी. श्री संजय पाण्डेय, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सा.न्या. और अधि. मंत्रालय डॉ० सुभ्रांशू शेखर आचार्य, मुख्य महाप्रबन्धक, सिडबी श्री वसीहरन एस एस, महाप्रबन्धक, नाबार्ड श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक	श्रीमती पिकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक

3.3. Code of Conduct

NBCFDC follows a well-defined Code of Conduct, which fairly addresses the issues of integrity, conflict of interest and confidentiality and stresses the need of ethical conduct, which is the basis of good governance. Code of Conduct as applicable to Board level and below Board level, i.e. one grade below Board level up to General Manager Cadre is in existence. A copy of the Code of Conduct is available on the website of the Corporation i.e. www.nbcfdc.gov.in. All the Board Members and Senior Managerial Personnel have affirmed compliance to the Code of Conduct.

4. Sub-Committees of the Board

The Board of Directors of the Corporation has constituted various sub-committees of Directors to look into different areas of strategic impotence in terms of Companies Act 2013 as well as Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE.

4.1 Audit Committee

The Corporation is registered under Section 8 of the Companies Act 2013 (earlier section 25 of the Companies Act, 1956) as a Company not for profit. It is neither a Public Company nor a subsidiary of a Public Company. It is a Private Govt. Company and not listed with any Stock Exchanges. Since the Company does not fall under the definition of listed Public Company, the provision of the constitution of the Audit Committee was not applicable to the Corporation. However, keeping in view the Corporate Governance guidelines for CPSEs issued by DPE, Audit Committee of the Board was reconstituted on 27.12.2021. During the financial year four meetings of the audit committee was held on 03.05.2023, 30.06.2023, 27.10.2023 & 28.03.2024.

The Committee acts as a link between the Management, the Auditors and the Board of Directors to oversee the financial reporting process. During the year under review, the Audit Committee met with Auditor's to get their inputs on significant matters relating to their areas of audit. The composition of Audit Committee as on 31.03.2024 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Shri Sanjay Pandey, Chairman	Official Director
Shri Rajan Sehgal, Member	Functional Director
Shri S S Vaseeharan, Member	Non-Executive Director
Shri Sanjay Kumar Singh, Member	Independent Director

None of the non-executive Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year. The part time Government Directors are ex-officio appointees and their terms is co-terminus with the term of the respective position held by them in Government at the time of appointment on the Company's Board.

4.2 CSR Committee

In line with section 135 and Schedule VII of the Companies Act 2013 and the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules 2014, the Company has reconstituted CSR Committee on 27.12.2021. The

role of the committee should inter-alia include the following;

- Formulation & recommendation of CSR Policy to the Board.
- Recommendation of CSR Expenditure.
- Monitoring & implementation of CSR Projects

The Committee met twice during the year under review on 03.05.2023 & 29.09.2023. The composition of CSR committee as on 31.03.2024 is as under:

Name of Director (S/Shri/Smt)	Category
Shri Rajan Sehgal, Member	Functional Director
Shri Sanjay Pandey, Member	Official Director
Dr. Subranshu Sekhar Acharya, Member	Non-Executive Director
Smt. Pinki Kumari (NOD), Member	Independent Director

4.3 Remuneration Committee

The Department of Public Enterprises (DPE) vide Office Memorandum dated 03.08.2017, has notified the revision of pay scales for Board level and below Board level executives and Non-Unionized Supervisors w.e.f. 01.01.2017. As per guidelines issued by DPE each CPSE shall constitute a Remuneration Committee comprising of part time directors or independent directors, which will decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executive and Non-Unionized Supervisors within the prescribed limits.

In accordance with the directions of DPE, the Board of NBCFDC had constituted a Remuneration Committee to decide the Performance Related Payment/variable pay pool for employees of the Corporation. The Remuneration Committee was reconstituted from time to time. During the financial year, only one meeting of the Remuneration Committee held on 18.03.2024. The composition of Remuneration committee as on 31.03.2024 is as under:

Name of Director (S/Shri)	Category
Shri. Sanjay Pandey, Member	Official Director
Shri Rajan Sehgal, Member	Functional Director
Shri Sanjay Kumar Singh (NOD), Member	Independent Director

5. Remuneration to Directors

Being a Central Government Public Sector Enterprise, the appointment, tenure and remuneration of Managing Director is decided by the Government of India. The Government's letter of appointing Managing Director indicate the detailed terms & conditions of their appointment, including the period of appointment, scale of pay etc., and it also indicates that in respect of other terms & conditions not covered in the letter, the relevant rules of the Corporation shall apply.

5.1 Non-Official Part Time Govt. Nominee Directors

Non Official Part Time Government Nominee Directors are not paid any remuneration and also not

3.3. आचार संहिता

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एक सुपरिभाषित आचार संहिता का अनुपालन करता है जिसमें सत्यनिष्ठा, हितों की टकराहट, गोपनीयता एवं नैतिक आचरण पर बल देने संबंधी मामलों का उचित रूप से निवारण किया जाता है, जो अच्छे प्रशासन का आधार है। आचार संहिता निदेशक मण्डल स्तर एवं निदेशक मंडल स्तर से एक श्रेणी नीचे यानी महाप्रबन्धक संवर्ग तक लागू होती है। आचार संहिता की प्रति निगम की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबन्धकीय कार्मिकों ने इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

4. निदेशक मण्डल की उप-समितियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि रखने हेतु निगम के निदेशक मण्डल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

4.1 लेखा-परीक्षा समिति

निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 (इससे पूर्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत) बिना लाभ की कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। यह न तो एक सार्वजनिक कम्पनी है और न ही किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है। यह एक निजी सरकारी कम्पनी है तथा किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध नहीं है। चूंकि यह कम्पनी सूचीबद्ध सार्वजनिक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है, अतः इस कम्पनी पर लेखापरीक्षा समिति के गठन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यद्यपि लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु जारी दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 27.12.2021 को किया गया था। वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षा समिति की मात्र चार बैठकें दिनांक 03.05.2023, 30.06.2023 27.10.2023 एवं 28.03.2024 को आयोजित हुई थी।

प्रबंधन, अंकेक्षकों एवं निदेशक मण्डल के निदेशकों के मध्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए समिति संयोजन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान समीक्षा अवधि में लेखा परीक्षा समिति अंकेक्षकों से उनके अंकेक्षण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर इनपुट प्राप्त करने हेतु बैठक की। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पाण्डेय, अध्यक्ष	सरकारी निदेशक
श्री राजन सहगल, सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री एस एस वसीहरन, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक
श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

वर्ष के दौरान किसी भी गैर सरकारी निदेशक का कम्पनी के साथ कोई आर्थिक संबंध अथवा लेन देन नहीं हुआ। अंशकालिक सरकारी निदेशकों की नियुक्ति पदेन होती है एवं सरकार में उनकी नियुक्ति के समय उनकी कार्यकाल की अवधि उनकी संबंधित अवधि से को-टर्मिनस होती है तथा निगम के निदेशक मण्डल में नियुक्ति संबंधित अवधि के अनुसार ही समाप्त होती है।

4.2 सी.एस.आर. समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची-VII तथा कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के

अनुसार कंपनी ने दिनांक 27.12.2021 को सी.एस.आर. समिति का गठन किया है। अन्य कार्यों के साथ-साथ समिति की भूमिका में निम्न सम्मिलित है :

- निदेशक मण्डल के लिए सी.एस.आर. नीति तैयार करना एवं संस्तुति करना।
- सी.एस.आर. व्यय की संस्तुति।
- सी.एस.आर. परियोजनाओं की देख-रेख एवं क्रियान्वयन।

वर्ष के दौरान समीक्षाधीन अवधि में समिति की दो बार दिनांक 03.05.2023 एवं 29.09.2023 को बैठक हुई। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री राजन सहगल, सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री संजय पाण्डेय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री सुभांशू शेखर आचार्य, सदस्य	गैर-कार्यकारी निदेशक
श्रीमती पिकी कुमारी, गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

4.3 पारिश्रमिक समिति

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड से नीचे के कार्यकारियों एवं गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए 01.01.2017 से वेतनमानों के संशोधन को अधिसूचित किया है। लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को अंशकालिक निदेशकों अथवा स्वतंत्र निदेशकों से गठित एक पारिश्रमिक समिति बनाने का निर्देश दिया, जो निर्धारित सीमा में कार्यकारी तथा गैर-यूनियनकृत पर्यवेक्षकों के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय पूल एवं इसके वितरण की पॉलिसी का निर्णय करेगी।

लोक उद्यम विभाग के निर्देशों के अनुसार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल ने निगम के कर्मचारियों के लिए निष्पादन से जुड़े भुगतान/परिवर्तनीय मूल वेतन के लिए पारिश्रमिक समिति गठित की थी। पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन समय-समय पर किया गया। इस वित्तीय वर्ष में पारिश्रमिक समिति की मात्र एक बैठक दिनांक 18.03.2024 को हुई थी। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक समिति की संरचना निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	श्रेणी
श्री संजय पाण्डेय, सदस्य	सरकारी निदेशक
श्री राजन सहगल, सदस्य	कार्यकारी निदेशक
श्री संजय कुमार सिंह, गैर-सरकारी निदेशक, सदस्य	स्वतंत्र निदेशक

5. निदेशकों को पारिश्रमिक

केन्द्र सरकार का उद्यम होने के नाते प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, कार्यकाल एवं पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रबंध निदेशक के नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की विस्तृत सेवा शर्तें, नियुक्ति की अवधि सहित वेतनमान इत्यादि सहित दर्शाए जाते हैं और यह भी संसूचित होता है कि अन्य सेवा-शर्तें जो नियुक्ति पत्र में आच्छादित न हों, निगम के संगत नियम लागू होंगे।

5.1 सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

सरकार के नामिनी गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है और न ही निदेशक

paid sitting fees for attending Board/ Committee meetings. None of the Govt. Nominee Directors have any pecuniary relationship or transactions with the Company during the year.

5.2 Independent Directors

Independent Directors are currently paid sitting fee of ₹ 5000/- per meeting of Board/Committee of Board attended which is within the overall limit prescribed under the Companies Act 2013.

5.3. Extract of Annual Return

In terms of Section 92(3) of the Companies Act 2013 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, an extract of the Annual Return in form MGT 9 uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in.

6. Risk Management

As a part of the implementation of the guidelines on Corporate Governance issued by DPE, a Risk Management Policy for drawing of appropriate risk assessment, management and minimization framework as also internal risk assessment framework, integrated and aligned with Corporate has been approved by the Board of Directors of NBCFDC.

7. Annual General Meetings

Annual General Meetings are held either at the Registered Office of the Corporation at Delhi or within the NCT of Delhi. The location, date & time for the last three AGMs are as under:

Sl. No.	Financial Year	Date & Time	Venue
1	2020-2021	24.11.2021 1230 hours	Through Video Conference (VC), at Registered Office of the Corporation.
2	2021-2022	28.09.2022 1130 hours	New Conference Room No. 627, Shastra Bhawan, New Delhi-110001
3	2022-2023	18.09.2023 1230 hours	New Conference Room No. 627, Shastra Bhawan, New Delhi-110001

8. Disclosures

- There was no material transaction with the Directors or the Management or their relatives that may have potential conflict with the interest of the Company at large.
- The Company has adopted all suggested items to be included in the Report on Corporate Governance as required under the Code of Corporate Governance issued by DPE.
- There is no inter-se relationship between Directors of the Company, as per declarations received.
- The financial statements are prepared in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act.

9. Shareholdings

The paid up Capital of the Corporation as on 31.03.2024 is ₹ 1514.40 Crore. The Corporation received Rs. 15.00 Crore as budgetary support from the Govt. during the year under report. Against the paid up capital received from Govt. of India 15,14,399 shares of ₹ 1000/- each have been allotted and registered in the name of the President of India. 01 share of ₹ 1000/- only has been allotted and registered in the name of Additional Secretary (BC), SJ&E, Govt. of India on behalf of President of India.

10. Means of Communication

Company's financial results, official news release and other general information about the Company are uploaded on the Company's website i.e. www.nbcfdc.gov.in. Shareholders are apprised about the working performance of the Company at the Annual General Meetings. Monthly/quarterly progress/performance of the Corporation is sent to the Ministry from time to time. An MOU is also signed between Corporation & the Administrative Ministry in consultation with DPE which is also reviewed by the Ministry at the end of the financial year. Besides, the working and progress of the Corporation is also reviewed by the Joint Parliamentary Committee/Standing Committee and other such committees, from time to time.

For & on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi

Date: 11.09.2024

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN- 03633935)

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान सरकार के नामिनी निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन-देन नहीं किया गया।

5.2 स्वतंत्र निदेशक

स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में निदेशक मण्डल/निदेशक मण्डल की समितियों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक रु. 5000/- का भुगतान किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 में वर्णित सम्पूर्ण सीमा के अन्दर है।

5.3. वार्षिक रिटर्न का अंश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अन्तर्गत जो कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिटर्न का अंश फार्म एमजीटी-9 कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड किया गया है।

6. जोखिम प्रबन्धन

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के एक हिस्से के रूप में, उचित जोखिम मूल्यांकन, प्रबंधन और न्यूनतम ढांचे के साथ-साथ आंतरिक मूल्यांकन ढांचे, एकीकृत और कॉरपोरेट के साथ एकरूप करने हेतु एक जोखिम प्रबंधन नीति को एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. वार्षिक सामान्य बैठकें

वार्षिक सामान्य बैठकें या तो नई दिल्ली स्थित निगम कार्यालय में अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। गत तीन वार्षिक सामान्य बैठकों का स्थान, तारीखें एवं समय इस प्रकार है:

क्र. स.	वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान
1	2020-2021	24.11.2021 1230 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, निगम पंजीकृत कार्यालय
2	2021-2022	28.09.2022 1130 बजे	न्यू कॉन्फ्रेंस कक्ष सं. 627, शात्री भवन, नई दिल्ली-110001
3	2022-2023	18.09.2023 1230 बजे	न्यू कॉन्फ्रेंस कक्ष सं. 627, शात्री भवन, नई दिल्ली-110001

8. प्रकटन

- निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ कोई भौतिक लेनदेन नहीं किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर कम्पनी के हितों पर संभावित विवाद पैदा हुआ हो।
- कारपोरेट प्रशासन रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु कम्पनी ने केन्द्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट प्रशासन संहिता के अंतर्गत सुझाई गई समस्त आवश्यक मदों को अंगीकार किया है।
- प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कम्पनी के निदेशकों के मध्य कोई परस्पर संबंध नहीं है।
- वित्तीय विवरण लागू आवश्यक लेखाकरण मानकों और कम्पनी अधिनियम के संगत प्रस्तुतिकरण के अनुसार तैयार किए गए हैं।

9. अंशधारिता

दिनांक 31.03.2024 को निगम की प्रदत्त अंश पूंजी रु. 1514.40 करोड़ है। निगम को संदर्भाधीन अवधि में वर्ष के दौरान भारत सरकार से रु. 15.00 करोड़ की बजटीय सहायता प्राप्त हुई है। भारत सरकार से प्राप्त प्रदत्त पूंजी की तुलना में रु. 1000/- प्रत्येक के 15,14,399 अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम आवंटित और पंजीकृत किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति के निमित्त रु. 1000/- मात्र का 01 शेयर सरकारी हैसियत से अपर सचिव (बी.सी.), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नाम आवंटित एवं पंजीकृत किया गया है।

10. संचार के साधन

कंपनी के वित्तीय परिणाम, कार्यालयी समाचार विज्ञप्तियां एवं कंपनी के बारे में अन्य सामान्य सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट www.nbcfdc.gov.in पर अपलोड की जाती हैं। शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठकों में कम्पनी के कार्य-निष्पादन के बारे में जानकारी दी जाती है। मंत्रालय को समय-समय पर निगम की मासिक/तिमाही प्रगति/कार्य निष्पादन रिपोर्ट भेजी जाती है। लोक उद्यम विभाग के परामर्श से निगम और प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसकी समीक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम के कार्य और प्रगति की समीक्षा संयुक्त संसदीय समिति/स्थायी समिति एवं इस प्रकार की अन्य समितियों द्वारा भी समय-समय पर की जाती है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके निमित्त

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
(राजन सहगल)
प्रबन्ध निदेशक
(डिन 03633935)

ह0/-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन नं.09403132)



Head Office:
387, First Floor, Shakti Khand-3,
Indirapuram, Ghaziabad-201010, U.P.
Tel: +91-0120-4272409
M: +91-9910091070,9711670085
E-mail: vapassociatespcs@gmail.com

THE CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE NORMS

To

**The Members,
National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company')
5th Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area,
Khelgaon Marg, New Delhi - 110016.**

We have examined the relevant books, records and statements in connection with compliance of the conditions of Corporate Governance by National Backward Classes Finance and Development Corporation ('the Company') for the financial year ended 31st March, 2024, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance Norms for Central Public Sector Enterprises 2007 issued by the Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises (DPE) and revised further vide Office Memorandum No. 18(8)/2005-GM, dated May 14, 2010.

The compliance of the conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as laid down in the above said guidelines. Our Certification is neither an audit nor an expression of the opinion on the financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Company has substantially complied with the conditions of Corporate Governance Norms as stipulated in the abovementioned DPE Guidelines, except the following observations:

- 1. The composition of the Board and its Committees was not in compliance with the DPE Guidelines. One-third of the Board did not consist of Independent Directors. Two-thirds of the Audit Committee members must be Independent Directors, and the Chairman of the Audit Committee must be an Independent Director. All members of the Remuneration Committee shall be part-time Directors, specifically Nominee Directors or Independent Directors. The Remuneration Committee shall be chaired by an Independent Director.*
- 2. The Board shall convene at least once every three months, ensuring that the interval between any two Board Meetings does not exceed three months. However, upon examination of the Company's records, it was observed that the intervals between the Board Meetings held on 30.06.2023, 27.10.2023, and 28.03.2024 exceeded the stipulated three-month period.*
- 3. The time gap between two Audit Committee meetings should not exceed four months. However, upon reviewing the Company's records, we observed that the interval between the meetings held on 27.10.2023 and 28.03.2024 exceeded this four-month limit.*

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For VAP & Associates
Company Secretaries
FRN: P2023UP098500
Peer Review No: 1083/2021

Sd/-
Parul Jain
Managing Partner
M. No. F8323
CP No. 13901
UDIN: F008323F001191780

Place: Ghaziabad
Date: 11.09.2024

कॉरपोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवा में

सदस्यगण

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ('द कंपनी')

5वाँ तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,

खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली - 110016

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में, हमने संगत बहियों, रिकार्ड और विवरणों का परीक्षण, भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उद्यम, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, 2007 के लिए जारी दिशा-निर्देशों एवं संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 18 (8)/2005-जीएम., दिनांक 14 मई, 2010 के अनुसार किया है।

कॉरपोरेट प्रशासन की दशाओं के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन में ग्राह्य उक्त कथित दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित था। हमारा प्रमाणन न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए जारी उक्त कारपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश में निहित समस्त दशाओं का निगम द्वारा अनुपालन किया गया है; निम्नलिखित प्रेक्षणों के अतिरिक्त:

1. निदेशक मण्डल और इसकी समितियों की संरचना डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। निदेशक मण्डल में एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अंकेक्षण समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए एवं अंकेक्षण समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। पारिश्रमिक समिति के सभी सदस्य अंशकालिक निदेशक, विशेष रूप से नामित निदेशक या स्वतंत्र निदेशक होंगे। पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।
2. निदेशक मण्डल प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा, यह भी सुनिश्चित करेगा कि किन्हीं दो निदेशक मण्डल बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से अधिक न हो। हालाँकि, कंपनी के रिकॉर्ड की जांच करने पर यह पाया गया कि 30.06.2023, 27.10.2023 और 28.03.2024 को आयोजित निदेशक मण्डल बैठकों के बीच का अंतराल निर्धारित तीन महीने की अवधि से अधिक था।
3. अंकेक्षण समिति के 2 बैठकों बीच का समय अंतराल चार माह से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, कंपनी के अभिलेखों की समीक्षा करने पर हमने पाया कि 27.10.2023 और 28.03.2024 को आयोजित बैठकों के बीच का समय अंतराल चार माह से अधिक है।

आगे हम यह व्यक्त करते हैं कि इस तरह के अनुपालन कंपनी के लिए ना तो भविष्य की व्यवहारिकता के रूप में आश्वासन है और न ही प्रभाविता की दक्षता के, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते वीएपी एण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव
फर्म पंजीकरण सं. P2023UP098500
पीर रिव्यू सं. 1083/2021

स्थान: गाज़ियाबाद
दिनांक: 11.09.2024

ह0/-
पारूल जैन
प्रबंध भागीदार
सदस्य सं. एफ 8323
सी.पी.न. 13901
यूडीआईएन: एफ008323एफ001191780



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

No.:CW/1-21/NBCFDC/2024-25/301

Dated: 12.09.2024

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
3, सिरी इन्स्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110016

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण पर अनंतिम टिप्पणी।

महोदय,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत **नैशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली** के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर '**शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र**' भेजी जा रहा है। आपसे प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की 5 प्रतियाँ भेजने का अनुरोध किया जाता है।

आपसे अनुरोध है की इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(प्रोमी)

उप निदेशक(वा.ले.प.)

संलग्न: उपरिलिखित।

Ph.: 91-11-23702422

Fax: 91-11-23702271

e-mail : dgace@cag.gov.in

Website: <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)

डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi – 110 002

No.:CW/1-21/NBCFDC/2024-25/301

Dated: 12.09.2024

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
 नैशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
 पंचम तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग,
 3, सिरी इन्स्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
 नई दिल्ली-110016

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए नैशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरण पर अनंतिम टिप्पणी।

महोदय,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत **नैशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली** के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर 'शून्य टिप्पणियां प्रमाणपत्र' भेजी जा रहा है। आपसे प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की 5 प्रतियाँ भेजने का अनुरोध किया जाता है।

आपसे अनुरोध है की इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें।

भवदीय,

(प्रोमी)

उप निदेशक(वा.ले.प.)

संलग्न: उपरिलिखित।

Ph.: 91-11-23702422

Fax: 91-11-23702271

e-mail : dgace@cag.gov.in

Website: <https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/ten>

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, NEW DELHI FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2024.

The preparation of the financial statements of National Backward Classes Finance & Development Corporation Limited, New Delhi for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (The Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 11th July 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Backward Classes Finance & Development Corporation Limited, New Delhi for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**



(Rajiv Kumar Pandey)
Director General of Audit
(Central Expenditure), New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 12.09.2024

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व अधिनियम की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुरूप धारा 143 पर आधारित इन वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह उल्लेख किया जाता है कि यह उनकी अंकेक्षित रिपोर्ट दिनांक 11 जुलाई, 2024 के द्वारा की गई है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से **नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली** का 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत वित्तीय लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना की गई है तथा मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ व कुछ चुनिन्दा लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जिससे अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जाय।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके निमित्त



(राजीव कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय), नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12.09.2024

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone IND AS standalone financial statements of **National Backward Classes Finance and Development Corporation** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2024**, the Statement of Income and Expenditure (including Comprehensive Income), Statement of changes in Equity, Statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by **the Companies Act, 2013** ('Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **March 31, 2024**, its surplus, changes in equity and its statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for opinion

We conducted our audit of the Standalone financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Reporting of key audit matters as per SA 701, Key Audit Matters are not applicable to the Company as it is an unlisted company.

Information other than the financial statements and auditors' report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

डी.सी.गर्ग एण्ड क.
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)
फर्म पंजीकरण सं. 500035एन

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एकल वित्तीय खातों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ("एक निगम") के अंकेक्षित एकल वित्तीय वक्तव्यों जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय पर वक्तव्य (व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, समाप्त वर्ष पर रोकड़ प्रवाह वक्तव्य, एवं एकल वित्तीय विवरणों पर वक्तव्य जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना सम्मिलित है, का लेखा परीक्षण किया है।

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक सूचना की जानकारी इस रूप में देते हैं, जैसा कि आवश्यक है, अधिनियम की धारा 133 के तहत भारतीय लेखाकरण मानांक (भा.ले.मा.), लेखाकरण सिद्धांतों व अनुरूपता के दृष्टिगत भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी के कार्यों की 31 मार्च, 2024 को स्थिति एवं उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ/हानि एवं इसके नकदी प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों (एस ए एस) के अनुसार प्रथक भारतीय लेखाकरण मानकों के रूप एकल वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण खण्ड के अंकेक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को आगे बताया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता तथा साथ ही साथ नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं वह हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय बयानों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में इन मामलों का समाधान एकल वित्तीय वक्तव्यों और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय नहीं रखते हैं।

एस.ए. 701 के अनुसार, प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का है। अन्य जानकारी में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट सहित निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट सम्मिलित है किन्तु इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

एकल वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं, जो उस पर परिणामतः हो।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तव में असंगत है अथवा अन्यथा वास्तव में गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का एक भौतिक बयान गलत है तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Company's board of directors are responsible for the matters stated in section 134 (5) of the Act with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, including other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The boards of directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the standalone financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statement may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the standalone financial statements.

एकल वित्तीय खातों के लिए प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रभारी लोगों का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) के मामलों हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व-इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित, वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन सम्मिलित है एवं कंपनी के नकदी प्रवाह के दृष्टिगत एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, और वे सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप हैं। दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लेखाकरण अभिलेखों का पर्याप्त रूप से अनुरक्षण करने तथा धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग, निर्णय लेने एवं उपयुक्तता व मितव्यता का अनुमान करने, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिकल्पन, जो लेखाकरण अभिलेखों के यथार्थ व परिपूर्ण क्रियान्वयन एवं संचालन को प्रभावशाली रूप से संचालित करते हुए वित्तीय विवरणों को उपयुक्त रूप से तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतिकरण जिससे एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जाती है, जो मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों से होती हैं, भी सम्मिलित है।

कंपनी की योग्यता का आकलन करने हेतु वित्तीय लेखों को दैनिक आधार पर तैयार करना एवं लेखाकरण का दैनिक आधार पर प्रयोग करना जब तक कि कंपनी को बंद करने की अथवा संचालन को रोकने की इच्छा प्रबंधन की न हो अथवा उचित विकल्प न हो, फिर भी ऐसा करें, कि प्रकटन का दायित्व प्रबंधन का है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय खातों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्व:

उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमारे उद्देश्य हैं कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय बयान गलत बयान से मुक्त हैं चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। आश्वासन उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा से हमेशा भौतिक गलत बयानबाजी, जब भी यह हो, का पता लगाया जा सके। गलत बयानबाज धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और इसे भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर यथोचित इन वित्तीय बयानों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा हो।

एस.ए.एस. के अनुसार लेखापरीक्षा के अंग के रूप में हमने लेखापरीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक निर्णय एवं व्यावसायिक संशयवाद को अनुरक्षित करने की कवायद की है। हम यह भी

- वित्तीय विवरणों के संबंध में भौतिक गलत बयानबाजी की पहचान की और मूल्यांकन चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि से, अंकेक्षण प्रक्रिया का उन जोखिमों हेतु जिम्मेदार है; अंकेक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए उपयुक्त एवं समुचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी से भौतिक गलत बयानबाजी का पता न लगाने के खतरे का परिणाम त्रुटि से होने वाले खतरे से अधिक से होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण अथवा आंतरिक नियंत्रण को नजरअंदाज करना सम्मिलित होते हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के क्रम में आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त की जो परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) के तहत हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों और संबंधित पार्टि प्रकटन का मूल्यांकन किया।
- प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु लागू लेखांकन एवं लेखापरीक्षा हेतु प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कि क्या घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, और किए जा रहे कार्यकलापों पर कंपनी को योग्यता की कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को बदलना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण कंपनी की सतता समाप्त हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति संरचना एवं विषय वस्तु का मूल्यांकन सहित प्रकटन और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं एवं घटनाएं इस प्रकार हैं जो उचित प्रस्तुतिकरण करते हैं।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानबाजी की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि समुचित जानकार व्यक्ति के आर्थिक निर्णय एकल वित्तीय विवरण को प्रभावित कर सकते हैं। हम निम्नलिखित में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं: (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on other legal and regulatory requirements

The provisions of the **Companies (Auditor's Report) Order, 2020** ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company as the company licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013.

1. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

- (a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;
- (c) The balance sheet, the statement of Income and Expenditure including other comprehensive income, statement of changes in equity and the statement of cash flow dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Ind AS specified under section 133 of the Act.
- (e) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2024 taken on record by the board of directors, none of the directors is disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;
- (f) With respect to the adequacy of internal financial controls with reference to standalone financial statements of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to standalone financial statements.
- (g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act,

In our opinion and according to the information and explanation given to us, Government companies vide MCA's notification published in Gazette Dt. 5th June, 2015 are exempts from the applicability of provisions of section 197 read with schedule V to the companies Act regarding managerial remuneration.

- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2020, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;
 - i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position in its standalone financial statements.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses; and
 - iii. Regarding this clause which deals with the delay, if any, in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company is not applicable being section 8 of the Companies Act, 2013 company.
- iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, to the Standalone Financial

अन्य मामलों के अतिरिक्त, पहचान किए गए मामलों में से जिन्हें प्रशासन के संबंध में अधिकार दिए गए है आयोजनाबद्ध कार्यक्षेत्र एवं अंकेक्षण का समय, महत्वपूर्ण अंकेक्षण परिणाम जिसमें आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ सम्मिलित हैं; जिन्हें हमने अंकेक्षण अवधि में चिन्हित किया है, को संसूचित करते हैं।

हम उन प्रभारों को प्रशासन के साथ एक संबंधित सुरक्षा उपाय पर वक्तव्य प्राप्त करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ उन सभी संबंधों और जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है और जहां लागू हो संबंधित सुरक्षा व अन्य मामलों को संसूचित करना है। प्रशासन के बारे में उन प्रभारों के मामलों को संसूचित करते हैं हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे; अतः इसलिए ये मामले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन करते हैं चाहे कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण करता हो, अथवा अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी ऐसे मामले को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद हो।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश 2020 ("द ऑर्डर") के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालित करने का लाइसेंस है।

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) में वांछित है, हम सूचित करते हैं कि:

- क) हमने उन सभी सूचनाओं व स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किए, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार अंकेक्षण के लिए आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित लेखों की बहियों को तैयार किया गया है तथा उन बहियों को हमारे परीक्षण में दिखाया गया है।
- ग) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय के ब्यौरे और अन्य व्यापक आय सहित नकदी प्रवाह के ब्यौरे एवं अंशों में परिवर्तन के ब्यौरे, लेखों की बहियों के समानुरूप है।
- घ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणी कंपनी अधिनियम की धारा-133 के अंतर्गत निहित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ड) 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रतिवेदनों के आधार पर निदेशक-मंडल द्वारा इन्हें रिकार्ड में लिया गया है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- च) कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्ययाप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, नए "अनुलग्नक ए" पर दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।
- छ) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में,

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सरकारी कंपनियों को 5 जून, 2015 के राजपत्र में प्रकाशित एमसीए की अधिसूचना के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 197 के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

- ज) कंपनी (अंकेक्षण व अंकेक्षक) नियम, 2020 के नियम-11 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय व हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार: -
 - i) कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके एकल वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित किया होगा।
 - ii) कंपनी के पास अमौलिक अनुबंध सहित लंबी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिससे कोई पूर्वाभासी भौतिक हानि हुई हो।
 - iii) विलंब से संबंधित उप-नियम के संबंध में यदि कोई हो, धनराशि अंतरित करने में, जिसे कंपनी द्वारा इनवेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्सन फंड में अंतरित करना अपेक्षित हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8 की कंपनी होने के कारण कंपनी पर लागू नहीं है।
- iv) (क) प्रबंधन ने वर्णन किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, एकल वित्तीय विवरणों में, कंपनी द्वारा या किसी

Statements, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entity ("intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

(b) The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in aggregate) have been received by the company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties), with the understanding, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries) or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

- v. The company has neither declared nor paid any dividend during the year.
- vi. Based on our examination ,which includes test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of account for the financial year ended 31st March, 2024 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software's. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tempered with.

Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, is applicable from 1st April, 2023, reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2020 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended 31st March, 2024.

- 2. As required under Section 143(5) of the Companies Act 2013, we enclose herewith, as per Annexure-B, our report for the Company on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 24075312BKEQTT224

Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

अन्य व्यक्ति या इकाई को जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश (न तो उधार ली गई धनराशि अथवा शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत अथवा निधियों के प्रकार से) वचन-बंध से नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, मध्यस्थ से चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रबंधन ने वर्णन किया है, कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियों) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धन (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं से किसी भी तरह से उधार या निवेश या अंतिम लाभार्थियों के निमित्त कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा इस जैसे अन्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं;

(ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत व उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) व (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण सम्मिलित हो।

- v) वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही दिया है।
- vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच सम्मिलित है, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की बहियों को बनाए रखने के लिए एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे अंकेक्षण के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला।

कंपनी (लेखा), नियम के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2020 के नियम 11 (जी) के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार वांछित है, भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इसके साथ कंपनी के लिए हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-

सी.ए. संदीप गर्ग

पार्टनर

सदस्य सं. 075312

यू.डी.आई.एन.: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.07.2024

ANNEXURE – A TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Backward Classes Finance And Development Corporation("the Corporation") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the Guidance Note) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and the guidance notes on audit of internal financial control over financial reporting, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence, we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my /our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा-143 की उप-धारा 3 के क्लॉज (i) के अन्तर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कंपनी) के 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल वित्तीय लेखों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी प्रबंधन का दायित्व कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस टिप्पणी) पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करना, और यह मानते हुए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के गाइडेंस टिप्पणी में वर्णित (दिशानिर्देश टिप्पणी) आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अवयवों को स्थापित करना और उसको बनाए रखना है। जैसा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण सम्मिलित है जिससे व्यवसाय का संचालन यथाक्रम एवं दक्षतापूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जा सके जिसमें जो कंपनी की नीतियों से संबद्धता, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, किसी भी धोखे व त्रुटियों की रोकथाम व उनका पता लगाने, लेखाकरण रिकार्ड की शुद्धता व पूर्णता और भरोसेमंद वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने का अनुपालन करना शामिल है।

लेखापरीक्षकों का दायित्व

वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु लेखापरीक्षण पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा दायित्व है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु (गाइडेंस टिप्पणी) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी गाइडेंस टिप्पणी एवं लेखापरीक्षण के मानकों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्धारित है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग दोनों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की मार्गदर्शन टिप्पणियाँ लागू होती हैं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार हमने लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणी की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन और योजना व लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई और उसे बनाए रखा गया था और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित किए गए।

हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यनिष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना सम्मिलित है कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्पन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना सम्मिलित है। चयनित कार्यप्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयान के जोखिमों का आकलन सम्मिलित है, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकार्य सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग एवं वित्तीय विवरण तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में बाह्य उद्देश्यों हेतु पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से सम्बंधित, उपयुक्त विवरण, लेन-देन का शुद्ध एवं उचित रूप से विवरण एवं कंपनी की परिसम्पत्तियों की स्थिति के बारे में (2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करना जैसा कि आवश्यक हो। सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमति के लिए लेन-देन रिकार्ड किए जाते हैं एवं (3) कंपनी की अनाधिकृत परिसंपत्तियों के अर्जन, प्रयोग, अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों की स्थिति जिससे मूर्त रूप से वित्तीय विवरणों पर प्रभाव हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाएं :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अन्तर्निहित सीमाओं के कारण साँठ-गाँठ की संभावना को सम्मिलित करते हुए नियंत्रण की अवहेलना हेतु अनुपयुक्त प्रबंधन, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण मूर्त मिथ्या कथन हो सकते हैं और पता नहीं किया जा सकता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई मूल्यांकन भविष्य की समयावधि हेतु जोखिम के अधीन होते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग

to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, to the best of our information and according to the explanations given to us, the company has, in all material respects has an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 24075312BKEQTT224

पर, दशाओं के परिवर्तन, अथवा नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की तीव्रता आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा प्रक्रिया का क्षय कर सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे प्रेक्षण के अधीन मूर्त सामग्रियों के सम्बंध में कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग का पर्याप्त आंतरिक वित्तीय तंत्र है और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर जारी मार्गदर्शन टिप्पणी में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आवश्यक घटक पर विचार करने पर आधारित थे।

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-

सी.ए. संदीप गर्ग

पार्टनर

सदस्य सं. 075312

यू.डी.आई.एन.: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.07.2024

ANNEXURE – “B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

Report on direction issued under section 143(5) of the Companies Act, 2013 by the Comptroller & Auditor General of India

S. No.	Directions	Reply
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of the accounting transactions outside IT system on the integrity of their accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the corporation has system in place to process all accounting transaction through IT system. The corporation is using Tally ERP 9 and LEAP software for accounting. No accounting transaction have been processed/ carried outside IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company.)	There is no case of any loan/ credit facility being waived/ written off by any lender. Moreover, as a Lender Company, the corporation had not restructured, waived/ write off any loan/ debts during the financial year 2023-24.
3	Whether funds (grants/subsidy) received/ receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for /utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	As per information and explanation given to us and based on the examination of records of funds (grant/subsidy) received/ receivable for specific scheme from state/ central agencies are utilised as per the respective terms and conditions. Also refer para no. 15.1 of Notes to account regarding unutilized grants as on 31.03.24.

For D.C Garg & Company
(Chartered Accountants)
FRN: 500035N

Sd/-
CA Sandeep Garg
Partner
M.No:075312
UDIN: 24075312BKEQTT224

Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एकल वित्तीय लेखों पर समसंख्यक तारीख को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र. स.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत करने के लिए तंत्र है ? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ आई.टी. प्रणाली के बिना लेखांकन लेनदेन के प्रक्रियागत निहितार्थ, यदि कोई हों, बताए जाएं ।	जी हां, निगम के पास आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को प्रक्रियागत करने की प्रणाली है। निगम लेखांकन के लिए टैली ई.आर.पी. 9 और लीप सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। कोई भी लेखांकन लेनदेन आई.टी. तंत्र के बाहर नहीं संसाधित/किया नहीं गया है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण की भुगतान सूची पुनः बनाई गई है या कंपनी को ऋण देने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट मामले हैं माफी के? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का समुचित रूप से लेखांकन किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।	ऋणदाता द्वारा किसी भी ऋण/क्रेडिट सुविधा को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा, एक ऋणदाता कंपनी के रूप में, निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी ऋण को पुनर्गठित, माफ/बट्टे खाते में नहीं डाला गया था।
3	क्या केन्द्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी) प्राप्त/प्राप्य धनराशि को उसकी सेवा एवं शर्तों के अनुसार उपयोग करने के लिए ठीक से आगणन किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और राज्य/केंद्रीय, विशिष्ट योजना के लिए (अनुदान/ सब्सिडी) प्राप्त/प्राप्य धनराशि के रिकार्ड की जांच के आधार पर संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया। 31.03.24 तक अनुपयुक्त अनुदानों के संबंध में लेखा टिप्पणियों के पैरा सं 15.1 का भी संदर्भ लें।

कृते डी. सी. गर्ग एण्ड क.

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

एफ.आर.एन.सं.: 500035एन

ह0/-

सी.ए. संदीप गर्ग

पार्टनर

सदस्य सं. 075312

यू.डी.आई.एन.: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.07.2024

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
I. ASSETS			
1 Non-current assets			
(a) Property, plant and equipment	3	112.77	72.54
(b) Other intangible assets	4	4.29	7.79
(i) Intangible asset under development		4.72	-
(c) Right of Use Assets	3.1	37.61	38.20
(d) Financial assets			
(i) Loans	6	150,978.78	150,641.56
(ii) Others	7	615.47	618.07
(e) Other non-current assets	8	98.51	65.51
		151,852.15	151,443.66
2 Current assets			
(a) Financial assets			
(i) Trade Receivable/Debtors	5	-	-
(ii) Cash and cash equivalents	9	1,097.78	3,410.28
(iii) Grant Fund	10	3,481.83	1,374.87
(iv) Loans	6	60,328.66	53,746.29
(v) Others	7	1,397.02	1,377.77
(b) Current tax asset (Net)	11	1.21	0.59
(c) Other current assets	8	17.15	10.96
		66,323.65	59,920.76
		218,175.80	211,364.43
Total Assets			
II. EQUITY AND LIABILITIES			
1 Equity			
(a) Equity share capital	12	151,440.00	149,940.00
(b) Other equity	13	63,103.00	59,987.15
		214,543.00	209,927.15
2 Liabilities			
(i) Non-current liabilities			
(a) Borrowings		-	-
(b) Provisions	14	50.91	38.99
		50.91	38.99
(ii) Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Others			
-Total outstanding dues of Grants & Creditors other than micro enterprises and small enterprises	15	3,387.21	1,266.66
T-otal outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-	-
(b) Other Current Liabilities	16	81.78	6.05
(c) Provisions	14	112.89	125.58
		3,581.88	1,398.30
		218,175.80	211,364.43
Total Equity and Liabilities			
III. See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements	1 - 51		

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Partner: Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN: 24075312BKEQTT224

Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
(Ajit Kumar Samal)
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी नं.	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
I. परिसंपत्तियाँ			
1 गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	112.77	72.54
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	4.29	7.79
(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		4.72	-
(ग) संपत्ति उपयोग का अधिकार	3.1	37.61	38.20
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) ऋण		150,978.78	150,641.56
(ii) अन्य		615.47	618.07
(ड.) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	98.51	65.51
		151,852.15	151,443.66
2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) प्राप्य व्यवसाय/देनदार	5	-	-
(ii) नकदी एवं नकदी समकक्ष	9	1,097.78	3,410.28
(iii) अनुदान निधि	10	3,481.83	1,374.87
(iv) ऋण	6	60,328.66	53,746.29
(v) अन्य		1,397.02	1,377.77
(ख) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)		1.21	0.59
(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	8	17.15	10.96
		66,323.65	59,920.76
		218,175.80	211,364.43
योग परसंपत्तियाँ			
II. इक्विटी एवं देयताएँ			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	151,440.00	149,940.00
(ख) अन्य इक्विटी		63,103.00	59,987.15
		214,543.00	209,927.15
2 देयताएं			
(i) गैर मौजूदा देयताएं			
(क) उधारी		13.9	-
(ख) प्रावधानों	14	50.91	38.99
		50.91	38.99
(ii) वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) अन्य			
-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अनुदानों एवं उधारदाताओं के देय योग बकाया	15	3,387.21	1,266.66
-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के योग देय बकाया		-	-
(ख) अन्य वर्तमान देयताएँ	16	81.78	6.05
(ग) प्रावधान	14	112.89	125.58
		3,581.88	1,398.30
		218,175.80	211,364.43
योग इक्विटी एवं देयताएँ			
III. वित्तीय विवरण के लिए लेखांकन नीतियाँ एवं संगत टिप्पणियाँ देखें	1 - 51		

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
एम.नं. 075312
यूडीआईएन: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.07.2024

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन सं. 09403132)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
(अजित कुमार सामल)
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

INCOME & EXPENDITURE STATEMENT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

₹ in Lakhs)

Particulars		Note No.	For the Year ended 31st March 2024	For the Year ended 31st March 2023
I.	Revenue from operations	17	5,491.03	5,312.74
II	Other Income	18	286.08	239.60
III	Total Revenue (I+II)		5,777.11	5,552.35
IV	Expenses			
	Allowance/Reversal for Loans & advances	19	460.91	511.85
	Penal Interest waived off and others	20	-	63.65
	Employee Benefit Expense	21	1,360.73	1,241.15
	Finance Cost	21.1	25.07	-
	Depreciation and Amortization Expense	22	38.49	27.51
	Training & Development Expenses	23	132.17	192.95
	Rebate on Interest on Loans & Advances	24	33.50	25.96
	Other Expenses	25	590.94	470.77
	Corporate Social Responsibility Expenses	28	65.04	25.42
	Total Expenses (IV)		2,706.84	2,559.24
V	Excess of Income over expenditure before Exceptional Items and Tax (III - IV)		3,070.27	2,993.11
VI	Exceptional Items	27	(11.52)	(42.16)
VII	Excess of Income over expenditure before Tax (V - VI)		3,081.79	3,035.27
VIII	Tax expense:			
	(1) Current tax		-	-
	(2) Deferred tax		-	-
IX	Excess of Income over expenditure for the period from continuing operations (VII-VI-II)		3,081.79	3,035.27
X	Excess of Income over expenditure from discontinued operations		-	-
XI	Tax expense of discontinued operations		-	-
XII	Excess of Income over expenditure discontinued operations (X - XI)		-	-
XIII	Excess of Income over expenditure for the period (IX + XII)		3,081.79	3,035.27
XIV	Other Comprehensive Income / (Expenses)			
	A. (i) Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account	26	1.27	2.15
	(ii) Income Tax relating to Items that will not be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	B. (i) Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
	(ii) Income Tax relating to Items that will be reclassified to Income & Expenditure Account		-	-
XV	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV) (Comprising Excess of Income over expenditure and Other Comprehensive Income for the period)		3,083.06	3,037.42
XVI	Earning Per Equity share:			
	(1) Basic (₹)	(b)	20.55	20.24
	(2) Diluted (₹)		20.54	20.24
XVII	Earnings Per Equity Share:			
	(For discontinuing Operation)			
	(1) Basic (₹)		-	-
	(2) Diluted (₹)		-	-
XVIII	Earnings Per Equity Share:			
	(For discontinued and continuing Operation)			
	(1) Basic (₹)	29	20.55	20.24
	(2) Diluted (₹)		20.54	20.24
XIX	See Accounting Policies and accompanying notes to the financial statements	1 - 51		

For and on behalf of the Board of Directors

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
Partner: Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN: 24075312BKEQTT224

Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

Sd/-
(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Sd/-
(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
(Ajit Kumar Samal)
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	संचालनों से आय	17	5,491.03	5,312.74
II.	अन्य आय	18	286.08	239.60
III.	योग आय (I+II)		5,777.11	5,552.35
IV.	व्यय			
	ऋणों एवं अग्रिमों की अनुमति/परिवर्तन	19	460.91	511.85
	माफ किया देंड ब्याज एवं अन्य	20	-	63.65
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	1,360.73	1,241.15
	वित्तीय लागत	21.1	25.07	-
	मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	22	38.49	27.51
	प्रशिक्षण एवं विकास व्यय	23	132.17	192.95
	ऋणों पर ब्याज एवं अग्रिमों पर छूट	24	33.50	25.96
	अन्य व्यय	25	590.94	470.77
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	28	65.04	25.42
	योग व्यय (IV)		2,706.84	2,559.24
V.	असाधारण मदों एवं कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (III - IV)		3,070.27	2,993.11
VI.	असाधारण मदें	27	(11.52)	(42.16)
VII.	कर से पूर्व व्यय से आय का आधिक्य (V - VI)		3,081.79	3,035.27
VIII.	कर व्यय:			
	(1) वर्तमान कर		-	-
	(2) आस्थगित कर		-	-
IX.	सतत् संचालन से अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य (VII-VIII)		3,081.79	3,035.27
X.	संचालन बंद करने से व्यय से आय का आधिक्य		-	-
XI.	बंद संचालनों पर कर व्यय		-	-
XII.	संचालन बंद करने से व्यय आय का आधिक्य (X - XI)		-	-
XIII.	अवधि में व्यय से आय का आधिक्य (IX + XII)		3,081.79	3,035.27
XIV.	अन्य व्यापक आय / (व्यय)			
	क. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी	26	1.27	2.15
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय एवं व्यय लेखे के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाएगी		-	-
	ख. (i) मदें जो आय एवं व्यय लेखे में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) आयकर से संबंधित मदें जिन्हें आय एवं व्यय लेखे के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV.	अवधि के योग व्यापक आय (XIII+XIV) (अवधि के लिए व्यय से आय का आधिक्य एवं समग्र आय से निर्मित)		3,083.06	3,037.42
XVI.	प्रति साम्य अंश अर्जन:			
	(1) मूलभूत (₹)	(ख)	20.55	20.24
	(2) तनुकृत (₹)		20.54	20.24
XVII.	प्रति साम्य अंश अर्जन:			
	(बंद परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)		-	-
	(2) तनुकृत (₹)		-	-
XVIII.	प्रति साम्य अंश अर्जन:			
	(बंद एवं निरंतर परिचालन से)			
	(1) मूलभूत (₹)	29	20.55	20.24
	(2) तनुकृत (₹)		20.54	20.24
XIX.	वित्तीय विवरण के लिए लेखांकन नीतियाँ एवं संगत टिप्पणियाँ देखें	1 - 51		

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
एम.नं. 075312
यूडीआईएन: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.07.2024

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन सं. 09403132)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
(अजित कुमार सामल)
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

National Backward Classes Finance and Development Corporation

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024		For the Year ended March 31, 2023	
A. Cash flow from Operating Activities				
Net Profit before Extraordinary Items and Tax		3,070.27		2,993.11
Adjustments for:				
Exceptional Items	11.52		42.16	
Depreciation & Amortization	38.49		27.51	
Other Comprehensive Income/(Expense)	1.27		2.15	
Adjustment for General Reserve	(0.01)		(0.99)	
Interest- Other Income	(252.67)		(223.01)	
		(201.40)		(152.18)
Operating Profit Before Working Capital Changes		2,868.8		2,840.93
Changes in working capital:				
Decrease / (Increase) in Current Trade receivable	-		1.68	
Decrease / (Increase) in Non-Current loans	(337.23)		(609.22)	
Decrease / (Increase) in Other Non-Current financial assets	2.60		37.41	
Decrease / (Increase) in Current loans	(6,582.36)		(3,064.15)	
Decrease / (Increase) in other current financial assets-others	(19.25)		245.32	
Decrease / (Increase) in other non current assets	(33.00)		3.04	
Decrease / (Increase) in current tax assets	(0.61)		29.13	
Decrease / (Increase) in other current assets	(6.19)		13.87	
(Decrease) / Increase in other current financial liability	2,120.55		(3,915.86)	
(Decrease) / Increase in other current liability	75.73		(67.64)	
(Decrease)/ Increase in non current Financial Liability	11.92		12.70	
Changes in Other Bank Balances		-		
(Decrease)/ Increase in Current provisions	(12.69)	(4,780.54)	(322.71)	(7,636.42)
Cash generated from operations		(1,911.67)		(4,795.49)
Net Income Tax (Paid) net of Refunds		-		-
Net Cash Flow from / (used in) Operating Activities (A)		(1,911.67)		(4,795.49)
B. Cash Flow from Investing Activities				
Sale/Disposal of Property, Plant and Equipment's	0.03		0.42	
Purchase of Property, Plant and Equipment's	(79.38)		(18.90)	
Interest Income	252.67		223.01	
		173.32		-
Net Cash Flow from/(used in) Investing Activities (B)		173.32		204.54
C. Cash Flow from Financing Activities				
Issue of Share Capital	1,500.00			
Adjustment in Other Equity	32.80		26.16	
Increase in share application money pending allotment				
Net Cash Flow from/(used in) Financing Activities (C)		1,532.80		26.16
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)		(205.55)		(4,564.80)
Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year (Refer note :- 9&9.1)		4,785.15		9,349.95
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year		4,579.61		4,785.15

Components of Cash & Cash Equivalents as at the end of the year:

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024		For the Year ended March 31, 2023	
Cash - in - hand		-		-
Saving Bank Accounts		1,097.78		3,410.28
Other Bank Balance (Grant Funds)-Saving Bank		3,481.83		1,374.87
Share Application Money Pending allotment		-		-
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months				
Cash & Bank Balances		4,579.61		4,785.15
Less : Deposits having maturity of more than 3 Months				
Cash & Cash Equivalent at the end of the year		4,579.61		4,785.15

Notes:

- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect method as set out in Ind AS-7 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- Amendment to Ind-As 7**
Effective April 1, 2017, the company adopted the amendment to Ind-AS 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including both changes arising from cash flows and non-cash changes, suggesting inclusion of a reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosure requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.
- Previous year's figures are reclassified/regrouped to confirm and make them comparable with those of the current year.

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-

Partner: Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN: 24075312BKEQTT224Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Sd/-

(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-

(Ajit Kumar Samal)
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. संचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह				
असाधारण मदों एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ		3,070.27		2,993.11
समायोजन हेतु:				
असाधारण मदें	11.52		42.16	
अवमूल्यन एवं परिशोधन	38.49		27.51	
अन्य व्यापक आय/(व्यय)	1.27		2.15	
सामान्य आरक्षित के लिए समायोजन	(0.01)		(0.99)	
ब्याज- अन्य आय	(252.67)		(223.01)	
		(201.40)		(152.18)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		2,868.8		2,840.93
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन:				
वर्तमान व्यवसायिक प्राप्य में कमी / (वृद्धि)	-		1.68	
गैर-वर्तमान ऋण में कमी / (वृद्धि)	(337.23)		(609.22)	
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	2.60		37.41	
वर्तमान ऋण में कमी / (वृद्धि)	(6,582.36)		(3,064.15)	
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)-अन्य	(19.25)		245.32	
गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(33.00)		3.04	
वर्तमान कर परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(0.61)		29.13	
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	(6.19)		13.87	
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं में (कमी) / वृद्धि	2,120.55		(3,915.86)	
अन्य वर्तमान देयता में (कमी) / वृद्धि	75.73		(67.64)	
गैर वर्तमान वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि	11.92		12.70	
अन्य बैंक अवशेष में परिवर्तन	-		-	
वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि	(12.69)		(322.71)	
संचालन से सृजित नकदी		(1,911.67)		(4,795.49)
शुद्ध आयकर (भुगतान) की शुद्ध वापसी		-		-
परिचालन गतिविधियों (क) से शुद्ध नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)		(1,911.67)		(4,795.49)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री/निपटान	0.03		0.42	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(79.38)		(18.90)	
ब्याज आय	252.67		223.01	
	-	173.32	-	-
निवेश कार्यकलापों (ख) से/(में प्रयुक्त) शुद्ध नकदी प्रवाह		173.32		204.54
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
अंश पूंजी जारी करना	1,500.00			
अन्य इक्विटी में समायोजन	32.80		26.16	
अंश अनुप्रयोग राशि लंबित आवंटन में वृद्धि				
वित्तीय कार्यकलापों (ग) से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह		1,532.80		26.16
नकद एवं नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		(205.55)		(4,564.80)
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकदी समकक्ष (टिप्पणी 9 एवं 9.1 देखें)		4,785.15		9,349.95
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समकक्ष		4,579.61		4,785.15
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समकक्ष के घटक:				
				(₹ in Lakhs)
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
पास में नकदी	-	-		
बचत बैंक खातों में	1,097.78	3,410.28		
अन्य बैंक अवशेष (अनुदान निधि)-बचत खाता	3,481.83	1,374.87		
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-		
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियाँ				
नकद एवं बैंक अवशेष	4,579.61	4,785.15		
घटाएँ: 3 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियाँ				
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकदी समकक्ष	4,579.61	4,785.15		
टिप्पणियाँ:				
1. इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी रोकड़ प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखाकरण मानक -7 में निर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।				
2. भारतीय लेखा मानक-7 में संशोधन				
1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी है, कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक-7 संशोधन को अंगीकार किया है जिसके लिए संस्थाओं को प्रकटीकरण प्रदान करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, जिसमें नकदी प्रवाह और गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन सम्मिलित हैं, प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वित्त पोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए तुलन-पत्र के आरंभिक शेष और अंतःशेष में मिलान को शामिल करने का सुझाव देता है। संशोधन की ग्राह्यता का कोई भी भौतिक प्रभाव वित्तीय विवरणों पर नहीं है।				
3. गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने एवं पुष्टि हेतु इन्हें पुनः वर्गीकृत/पुनः समूहीकृत किया गया है।				

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
सदस्य सं. - 075312
यू.डी.आई.एन.: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.07.2024

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन सं. 09403132)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं. - 03633935)

ह0 /-
(अजित कुमार सामल)
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (SOCE) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at the beginning of the year	14,994,000.00	149,940.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year	150,000.00	1,500.00
Balance at the end of the year	15,144,000.00	151,440.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	Post Retirement Medical Fund	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.15
Prior period Adjustments/Change in Accounting Policy (Refer note no. 36)	-	-	-	-	-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the year	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.15
Profit for the year	-	-	-	-	3,081.78	3,081.78
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	1.27	1.27
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	3,083.05	3,083.05
Transfer to general reserve	-	-	-	3,083.05	(3,083.05)	-
Others	-	-	-	-	-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-	-
- Addition During The Year (See Note 13.5)	1,500.00	-	32.80	-	-	1,532.80
- Share Capital issued during the year	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
Balance at the end of the year	-	1,000.00	223.55	61,879.45	-	63,103.00

Statement of Changes in Equity (SOCE) for the year ended 31st March 2023

A. Equity share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	Number of shares	Amount
Balance at April 1, 2022	14,994,000.00	149,940.00
Changes in Equity Share Capital due to prior period errors		
Restated balance at the beginning of the current reporting period		
Changes in equity share capital during the current year	-	-
Balance at March 31, 2023	14,994,000.00	149,940.00

B. Other Equity

Particulars	Share Application money pending allotment	Special Reserve	Post Retirement Medical Fund	General Reserve	Retained Earnings	Total
Balance at the beginning of the year	-	1,000.00	164.58	5,759.97	-	56,924.56
Prior period Adjustments (Refer Note :- 36)	-	-	-	-	-	-
Adjustment of Depreciation	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the year	-	1,000.00	164.58	55,759.97	-	56,924.56
Profit for the year restated	-	-	-	-	3,034.29	3,034.29
Other Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	2.15	2.15
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	3,036.43	3,036.43
Others	-	-	-	-	-	-
- Adjustment of depreciation	-	-	-	-	-	-
Transfer to General Reserve	-	-	-	-	-	-
Addition During The Year	-	-	-	3,036.43	(3,036.43)	-
- Addition During The Year (See Note 13.5)	-	-	-	-	-	-
Share Capital issued during the year	-	-	26.16	-	-	26.16
Balance at the end of the year	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.15

As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-

Partner: Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN: 24075312BKEQTT224Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Kumar Singh)
Director
(DIN No.09403132)

Sd/-

(Rajan Sehgal)
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-

(Ajit Kumar Samal)
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

(सीआईएन नंबर U74899DL1992NPL047146)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	अशों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में अवशेष	14,994,000.00	149,940.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनः निर्धारित अवशेष राशि		
वर्तमान वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन	150,000.00	1,500.00
वर्ष के अंत में अवशेष	15,144,000.00	151,440.00

ख. अन्य साम्य

(₹ लाख में)

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेष आरक्षित	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा निधि	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.15
पूर्वावधि समायोजन/लेखा नीति में परिवर्तन (टिप्पणी 36 देखें)।	-	-	-	-	-	-
- मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के आरंभ में पुनर्वर्णित अवशेष	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.16
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	3,081.78	3,081.78
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	1.27	1.27
वर्ष के लिए व्यापक आय का योग	-	-	-	-	3,083.05	3,083.05
सामान्य आरक्षित में अंतरित अन्य	-	-	-	3,083.05	(3,083.05)	-
मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-	-	-
- वर्ष के दौरान वृद्धि (टिप्पणी 13.5 देखें)	1,500.00	-	32.80	-	-	1,532.80
- वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
वर्ष के अंत में अवशेष	-	1,000.00	223.55	61,879.45	-	63,103.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य अशों में परिवर्तन का विवरण (एस.ओ.सी.ई.)

क. साम्य अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	अशों की संख्या	मात्रा
1 अप्रैल, 2022 को अवशेष	14,994,000.00	149,940.00
पूर्वावधि की त्रुटियों के कारण साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन		
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्निर्धारित अवशेष		
वर्तमान वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2023 को अवशेष	14,994,000.00	149,940.00

ख. अन्य साम्य

विवरण	आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	विशेष आरक्षित	सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा निधि	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	योग
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	1,000.00	164.58	5,759.97	-	56,924.56
पूर्वावधि समायोजन (टिप्पणी 36 देखें)	-	-	-	-	-	-
मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के आरंभ में पुनर्वर्णित अवशेष	-	1,000.00	164.58	55,759.97	-	56,924.56
वर्ष के लिए लाभ पुनर्वर्णित	-	-	-	-	3,034.29	3,034.29
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	2.15	2.15
वर्ष के लिए योग व्यापक आय	-	-	-	-	3,036.43	3,036.43
अन्य	-	-	-	-	-	-
- मूल्यहास का समायोजन	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित को अंतरित	-	-	-	3,036.43	(3,036.43)	-
वर्ष के दौरान जोड़े	-	-	-	-	-	-
- वर्ष के दौरान जोड़े (टिप्पणी 13.5 देखें)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी अंश पूंजी	-	-	26.16	-	-	26.16
वर्ष के अंत में अवशेष	-	1,000.00	190.75	58,796.40	-	59,987.15

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 500035एन

ह0/-

भागीदार: संदीप गर्ग

सदस्य सं. - 075312

यू.डी.आई.एन.: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.07.2024

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

निदेशक

(डिन सं. 09403132)

ह0/-

(राजन सहगल)

प्रबंध निदेशक

(डिन सं. - 03633935)

ह0/-

(अजित कुमार सामल)

वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

NOTES TO ACCOUNTS

Note 1 Corporate Information

National Backward Classes Finance and Development Corporation is a not for profit company domiciled in India and was incorporated on 13th January 1992 under Section 25 of the Companies Act 1956 (now section 8 of Companies Act 2013). Company provides concessional finance assistance to the person belonging to Other Backward Classes (OBC's) for the socio-economic development and to upgrade the technological and entrepreneurial skills of individuals or groups through state channelizing agents, financial institutions and skill sector councils training partners. The registered office of the company is located at 5th floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016.

Note 2 Accounting Policies

a) Statement of Compliance

The financial statements as at and for the year ended March 31, 2024 have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under section 133 of the Companies Act 2013 as companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, 2016 and Companies (Indian accounting standards) Amendment Rules 2017 & 2018.

b) Basis of preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and on an accrual basis, except for the following item that have been measured at fair value as required by relevant Ind-AS.

- (a) Defined benefit Plan and other long term employee benefits
- (b) Certain financial assets and liabilities

c) Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with Ind AS which requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements and the reported amount of income and expenses. Examples of such estimates include estimated useful life of property, plant and equipment, intangible assets and future obligation under employee benefit plan. Actual results may differ from these estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on a periodic basis. Future results could differ due to changes in these estimates and difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialize.

d) All financial information presented in Indian rupees and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals except where otherwise stated.

e) Statement of Cash Flow

Cash flows are reported using the indirect method, whereby "excess of income over expenditures before exceptional items and tax" is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purposes of statement of cash flow, cash and cash equivalents include cash in hand, cash at banks and demand deposits with banks, net of outstanding bank overdrafts that are repayable on demand are considered part of the Company's cash management system.

The Corporation has adopted the amendment to Ind- As 7, which require the entities to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities , including both changes arising from cash flow and non-cash changes, suggesting inclusion of reconciliation between the opening and closing balances in the Balance Sheet for liabilities arising from financing activities, to meet the disclosures requirement. The adoption of amendment did not have any material effect on the financial statements.

f) Functional and Presentation Currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company operates (i.e. Functional Currency).The financial statements are presented in Indian rupees, which is functional as well as presentation currency of company.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(सीआईएन सं. U74899DL1992NPL047146)
लेखों पर टिप्पणियां

टिप्पणी: 1 निगमित सूचना

नेशनल बैंकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बिना लाभ की कंपनी है तथा भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना दिनांक 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) के अंतर्गत की गई थी। कंपनी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों एवं स्किल सेक्टर काउंसिलों के प्रशिक्षण सहभागियों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के सामाजिक-आर्थिक विकास एवं समूहों अथवा व्यक्तिगत रूप से तकनीकी एवं उद्यमीय कौशलों हेतु रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वां तल, एन.सी.यू.आई. भवन, 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016 में स्थित है।

टिप्पणी: 2 लेखाकरण नीतियां

क) अनुपालन का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी के रूप में कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, 2016 एवं कंपनी के संशोधन नियम, 2017 व 2018 (भारतीय लेखाकरण मानकों) के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष एवं उसी तिथि की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

ख) तैयार करने का आधार

जैसा कि संगत भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार अपेक्षित है, निम्न मर्दों जिनका मापन वास्तविक मूल्य के आधार पर किया गया है, के अतिरिक्त वित्तीय विवरणी को व्यवहारिक ऐतिहासिक लागत एवं संभूति आधार के अंतर्गत तैयार किया गया है।

(क) परिभाषित लाभ योजना एवं अन्य लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ

(ख) निश्चित वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां

ग) अनुमानों का उपयोग

प्रबंधन को निर्णय लेने, अनुमान करने एवं पूर्वानुमानों जो लेखाकरण नीतियों को प्रभावित करते हैं एवं परिसम्पत्तियों की सूचित की गई मात्रा, दायित्व, आकस्मिक परिसम्पत्तियां व वित्तीय विवरण की तिथि पर उत्तरदायित्व एवं आय व व्यय की सूचित धनराशि की वित्तीय विवरणी भारतीय लेखाकरण मानकों के अनुरूप तैयार की गई है। उदाहरण के तौर पर, इस प्रकार के अनुमानों जिसमें संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान, संयंत्र व उपस्कर, अमूर्त परिसम्पत्तियां व कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत भविष्य की बाध्यताएं सम्मिलित हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलन एवं स्थापित किए गए पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। आकलनों में परिवर्तनों के कारण भविष्य में परिणाम भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणाम एवं आकलन के मध्य अंतर उस अवधि में जिसमें परिणाम संज्ञान में आए/प्रकट हुए हैं, माना गया है।

घ) समस्त वित्तीय सूचनाएं भारतीय रूप में प्रस्तुत की गई हैं एवं जहां अन्यथा वर्णित किया गया है, के अतिरिक्त सभी मान दशमलव के बाद दो अंकों तक लाख में पूर्ण कर प्रदर्शित किए गए हैं।

ङ) नकदी प्रवाह का विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति को उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है, जिसके द्वारा 'असाधारण मर्दों एवं कर से पूर्व व्यय से आय के आधिक्य' का समायोजन लेन-देन की नकदी रहित प्रवृत्ति और अस्थगित अदायगी, पिछले या भविष्य की संभूति रसीदों या भुगतानों के प्रभाव से हुआ है। नकदी प्रवाह कंपनी के परिचालन विनिवेश एवं वित्तीय कार्यकलापों को उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण नगद एवं नगदी समकक्ष जिसमें पास की नगद रकम, बैंक में नकदी एवं बैंकों के पास जमा मांगे, बैंक में बकाया शुद्ध अवशेष, बैंक डॉफ्ट जिनका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है, के उद्देश्य से कंपनी के नकद प्रबंधन तंत्र का भाग माना गया है।

निगम ने भारतीय लेखा मानक-7 के रूप में संशोधन को अपनाया है, जिसमें संस्थाओं को ऐसे प्रकटन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, नकदी प्रवाह और गैर-नकदी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तनों को तुलन-पत्र में प्रारंभिक जमा एवं अंतःशेष के मध्य मिलान को सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं। संशोधन को अपनाने से वित्तीय वक्तव्यों पर कोई वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ा।

च) क्रियाशील एवं प्रदर्शन मुद्रा

प्राथमिक आर्थिक माहौल की मुद्रा का उपयोग करके वित्तीय वक्तव्यों में शामिल वस्तुओं को मापा जाता है जिसमें कंपनी अपना कार्य संचालन (अर्थात् कार्यशील मुद्रा) करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रूपये को प्रदर्शित करते हैं जो कि कंपनी की प्रस्तुतीकरण मुद्रा के साथ-साथ प्रयोजन मूलक है।

- Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Income and Expenditure.
- Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

g) Revenue recognition

a) Corporation recognizes revenue from contracts with customers based on a five -steps as set out in Ind AS-115 :-

- (i) Identify contracts with a customer:** A contract is defined as an agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations and sets out the criteria for every contract that must be met.
- (ii) Identify performance obligations in the contract:** A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer a good or service to the customer.
- (iii) Determine the transaction price:** The transaction price is the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer, excluding amounts collected on behalf of third parties.
- (iv) Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract:** For a contract that has more than one performance obligation , the Corporation allocates the transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which the corporation expects to be entitled in exchange for satisfying each performance obligation.
- (v) Recognise revenue:** when or as the Corporation satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or services to a customer. An asset is transferred when the customer obtains control of the asset.

II Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the revenue can be reliably measured. However when an uncertainty arises about the collectability of an amount already included in revenue, the uncollectible amount, or the amount in respect of which recovery has ceased to be probable, is recognized as an expense rather than as an adjustment of the amount of revenue already recognized.

- b) Interest on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized on accrual basis at effective rate of interest.
- c) Interest on funds re-appropriated by SCAs in the other sanctioned schemes is recognized in the year of its determination after receipt of scheme wise details of utilization at effective rate of interest.
- d) The Corporation provides Loans through State Channelizing Agencies (SCAs), Rural Banks and other financial bodies is accounted on accrual basis at effective rate of interest.
- e) Penal Interest on delay in repayments is recognized on realization as per Ind AS-115 as its collectability is uncertain.
- f) Rebate on account of timely payment by borrowing agencies accounted for, on receipt of entire amount due on time.
- g) Payment of grants to SCAs/institutions for expenditure on developmental & promotional activities is accounted for on disbursement.

h) Other Revenue Recognition :

Interest incomes on FDR's and Bank deposits are recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the interest rate applicable using Effective Interest Rate Method

i) Revenue Grant from Government

Grants sanctioned by the Government (whether received or not) for programmes undertaken during the year for the development of the target group, are recognized and deducted from related expenses for reporting in Statement of Income & expenditure.

- Unspent grants & interest accrued in respect of Government grant are deferred & taken to current liabilities. Upon fully utilization and after audit of annual accounts of grant earning of interest shall be deposited in consolidated account of Government.
- Interest accrued from other i.e CPSE etc , if any are recognised and taken in to as other income to meet out administrative /evaluation expenses.

- विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन के समय में प्रचलित विनियम दर पर अभिलेखित किया गया है। आय एवं व्ययविवरण में विदेशी मुद्रा लेनदेन का निस्तारण उत्पन्न हुए विनियम अंतरों पर माना गया है।
- वित्तीय वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य को पुनः वर्णित किया जाता है एवं तुलन-पत्र की तिथि में लागू विनियम दरों का उपयोग करते हुए भारतीय रूपये में परिवर्तित किया जाता है एवं विनियम अंतर के परिणाम को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है।

छ) राजस्व मान्यता

- (क) ग्राहकों से ठेके पर राजस्व के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 पर आधारित पाँच चरणों को निगम मान्यता देता है
- एक ग्राहक के साथ अनुबंधों की पहचान:** एक अनुबंध दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लागू करने योग्य अधिकार और दायित्व बनाता है और हर अनुबंध के मानदंडों को निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।
 - अनुबंध में प्रदर्शन दायित्वों को पहचान:** अनुबंध में ग्राहक से कार्यनिष्पादन की बाध्यता सामग्री अथवा सेवाओं के हस्तान्तरण का एक वादा है।
 - लेन-देन की कीमत का निर्धारण:** लेन-देन का मूल्य उस विचार की राशि है, जिसके बारे में निगम को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि को छोड़कर, ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा।
 - अनुबंध में प्रदर्शित दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना:** एक अनुबंध जिसमें एक से अधिक दायित्व हैं, निगम प्रत्येक दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य को आवंटित करता है, जिसमें निगम को उम्मीद है कि प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करने के बदले में हकदारी राशि की मात्रा को दर्शाया गया है।
 - मान्य राजस्व:** निगम जब या जैसा कि एक ग्राहक से वादा किया सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करता है। जब ग्राहक परिसंपत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब परिसंपत्ति स्थानांतरित की जाती है।

॥ राजस्व की इस सीमा तक मान्यता है कि संभवतः कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और राजस्व का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। तथापि, जब किसी राजस्व में पहले से ही शामिल राशि की संग्रहणता के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, तो गैर-वसूली राशि, या जिस राशि के बारे में वसूली संभव नहीं रह जाती है, को पहले से ही राजस्व की मात्रा के समायोजन के बजाय एक व्यय के रूप में लिया जाता है।

- ख) उधार लेने वाले अभिकरणों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर माना गया है।
- ग) अन्य स्वीकृत योजनाओं में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा इसके विनिर्णयन के वर्ष में निधियों के पुनर्नियोजन पर ब्याज को योजना-वार उपभोग विवरण प्राप्त होने के बाद प्रभावी ब्याज दर पर माना गया है।
- घ) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं अन्य वित्तीय निकायों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है, का आगणन प्रभावी ब्याज दर पर संभूति आधार पर किया गया है।
- ङ) पुनर्भुगतानों में विलम्ब पर दण्ड ब्याज को लेखाकरण मानक-115 के अनुसार वसूली होने पर माना गया है क्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित है।
- च) उधार लेने वाली अभिकरणों द्वारा समय पर भुगतान पर खाते में छूट का आगणन समग्र देय धनराशि प्राप्ति के आधार पर किया गया है।
- छ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/संस्थाओं को विकासात्मक एवं अभिवृद्धि कार्यक्रमों के व्यय के लिए अनुदान का आगणन वितरण पर किया गया है।

ज) अन्य राजस्व मान्यता

बकाया धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए लागू ब्याज दर पर सावधि जमाओं एवं बैंक में जमाओं पर ब्याज आय समय के अनुपात के आधार पर माने गए हैं।

झ) सरकार से राजस्व अनुदान

वर्ष के दौरान लक्षित वर्ग के विकास हेतु किए गए कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान को आय-व्यय विवरणी से संबंधित व्यय माना गया है एवं उससे कटौती की गई है।

- सरकारी अनुदान के संबंध में अर्जित अनुपभुक्त अनुदान और ब्याज वर्तमान देनदारियों के लिए आस्थगित हैं एवं वर्तमान दायित्वों में लिया गया है। पूरी तरह से उपभोग करने पर एवं अनुदान उपार्जन के वार्षिक खातों के अंकेक्षण के बाद सरकार के संचित निधि में जमा किया जाएगा।
- अन्य अर्थात् केन्द्रीय लोक उद्यमों इत्यादि से उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, को मान्यता दी गई है तथा इसे अन्य आय के रूप में प्रशासनिक/मूल्यांकन व्यय को पूरा करने हेतु लिया गया है।

- Grants receivable from Government as compensation for expenses incurred in a previous accounting period are recognized in the Statement of Income & Expenditure of the period during which the sanction for grant is received

j) Corporate Social Responsibility (CSR) expenses , as per company act,2013 and any other grant are recognized on disbursal basis for reporting in Statement of Income and Expenditure

k) Income taxes

In view of the exemption available to the Corporation under section 10 (26B) of the Income Tax Act, 1961, the provision for income tax liability is not considered necessary. Consequently the provisions of the Indian Accounting Standard 12 (Ind AS-12) on Income tax, deferred taxes and income tax computation and disclosures standards issued by CBDT are not applicable to the Company.

l.) Impact on any change/modification in accounting policy shall be recognised in the year of its occurrence. In terms of Ind- AS 8

m) Property, plant and equipment

(a) Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any

Cost of asset includes the following:

- Cost directly attributable to the acquisition of the assets
 - Present value of the estimated costs of dismantling & removing the items & restoring the site on which it is located if recognition criteria are met.
- (b) Cost of replacement, major inspection, repair of significant parts is capitalized if the recognition criteria are met.
- (c) An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from continued use of assets. Any gain or loss arising on disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sale proceeds and the carrying amount of the asset and is recognised in the Statement of Income and Expenditure.

Depreciation on Property, plant and Equipment is provided on written down value method over the useful life of the assets as specified in Schedule II of the Companies Act, 2013.

Each part of an item of Property, Plant and Equipment is depreciated separately if the cost of part is significant in relation to the total cost of the item and useful life of that part is different from the useful life of remaining asset.

The estimated useful life of assets for current and comparative period of significant items of property plant and equipment are as follows:

Category of Assets Useful Life (years)	
Particulars	Useful Life (years)
Building	60
Furniture & Fixtures	10
Office Equipment's	5
Vehicles (Car/Scooter)	8/10
Air Conditioners & Coolers	10
EPABX	5
Data Processing Equipment's	3

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting

Residual values and useful lives are reviewed , and adjusted , if appropriate, for each reporting period

On tangible fixed assets added/disposed of during the year, depreciation is charged on pro-rata basis from the date of addition /till the date of disposal.

n) Intangible assets

Intangible assets are recognized when it is probable that the future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are stated at acquisition cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

- गत लेखाकरण अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए सरकार से प्राप्य अनुदानों को उस अवधि जिसमें अनुदान राशि प्राप्त हुई है, को आय एवं व्यय विवरण में लिया गया है

ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व(सीएसआर) व्यय एवं अन्य अनुदान को आय एवं व्यय के विवरण में रिपोर्टिंग के लिए वितरण के आधार पर माना गया है।

ट) आय कर

निगम के पास आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के अंतर्गत उपलब्ध छूट के दृष्टिगत आय कर दायित्व आवश्यक नहीं माना गया है। परिणामतः भारतीय लेखाकरण मानक 12 के प्रावधान आय कर पर, आस्थगित करों पर एवं आय कर आगणन एवं सीबीडीटी द्वारा जारी प्रकटन मानक कंपनी पर लागू नहीं है।

ठ) भारतीय लेखाकरण मानक-8 के अनुसार लेखाकरण नीति में किसी भी परिवर्तन/संशोधन का प्रभाव उसके होने के वर्ष में माना जाता है।

ड) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की लागत का मापन संचित हास एवं क्षति हानि पर, यदि कोई हो, किया जाता है। संपत्ति की लागत में निम्न सम्मिलित होते हैं

- परिसंपत्तियों के अर्जन में आरोप्य प्रत्यक्ष लागत।
- यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, मर्दों के विनष्टीकरण एवं हटाने तथा कार्यस्थल जहां वह अवस्थित है, पर पुनःसंग्रहण में अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

ख) यदि मान्यता मापदण्ड पूरे होते हैं, वापसी, वृहत निरीक्षण, महत्वपूर्ण कल-पुर्जों की मरम्मत की लागत को पूंजीगत किया गया है।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद की उसके निस्तारण अथवा भविष्य में लगातार संपत्ति के उपयोग से आर्थिक लाभ प्रत्याशित न हो, को पुर्नमान्यता दी गई है। संपत्ति, संयंत्र की किसी मद के निस्तारण अथवा निवृत्ति से उत्पन्न कोई भी प्राप्ति अथवा क्षति का निर्धारण बिक्री प्रक्रिया एवं संपत्ति की धारित राशि के अंतर के रूप में आय एवं व्यय विवरणी में माना गया है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर रिटेन डाउन मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में वर्णित है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है, यदि मद की योग लागत के संबंध में अंश की लागत महत्वपूर्ण है एवं उस हिस्से के महत्वपूर्ण जीवन एवं अवशेष लाभदायी जीवन में अंतर है।

चालू अवधि के लिए परसंपत्तियों का उपयोगी अनुमानित जीवन एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के महत्वपूर्ण मर्दों की तुलनात्मक अवधि निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन की श्रेणी (वर्ष)	
विवरण	उपयोगी जीवन (वर्ष)
भवन	60
फर्नीचर एवं मरम्मत	10
कार्यालय उपस्कर	5
वाहन (कार/स्कूटर)	8/10
एयर कंडीशनर एवं कूलर	10
ई.पी.ए.बी.एक्स	5
आंकड़ा प्रसंस्करण उपस्कर	3

हास पद्धति, उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग पर की गई है।

अवशेष मूल्य एवं उपयोगी जीवन अवधि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में समीक्षित एवं समायोजित की जाती है।

यदि उपयुक्त हो, वर्ष के दौरान जुड़ी/निस्तारण की गई, मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की प्रो-रेटा आधार पर ली गई/निस्तारण तिथि पर प्रभारित किया जाता है।

ढ) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब संभव हो कि भविष्य के आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के कारण होते हैं, उद्यम के लिए उपयोग होंगे एवं परिसंपत्तियों की लागत का मापन भरोसेमंद रूप से किया जा सकता है। अमूर्त परिसंपत्तियों को अर्जन लागत संचित परिशोधन एवं क्षति हानि, यदि कोई हो, पर वर्णित किया गया है।

Amortization of Intangible assets is done under straight line method equally over a period of five years.

The amortization period and the amortization method are reviewed at least at each financial year end. If the expected useful life of the asset is significantly different from previous estimates, the amortization period is changed accordingly.

o) Impairment

(i) Impairment of Financial Assets

The company assesses at each date of balance sheet whether a financial asset is impaired. Ind AS-109 requires expected credit losses (ECL) to be measured through a loss allowance.

For all Financial Assets other than contract assets/ Trade receivables, expected credit losses are to be measured at an amount equal to 12 months expected credit losses or at an amount equal to the life time ECL's if credit risk on the financial asset has incurred significantly since its initial recognition.

ECL's impairment loss allowance (or reversal) recognised during the period as income/ expense in Statement of Income & Expenditure.

(ii) Impairment of Non-Financial Assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the Statement of Income & Expenditure.

p) Employee Benefits

- a) The liability for gratuity to all employees is recognized as an expense on accrual basis in Statement of Income & Expenditure. The Corporation has formed a trust for administration of the Employees Group Gratuity Scheme with L.I.C.
- b) Liability on account of leaves (earned leave and commuted leave) is provided on the basis of actuarial valuation at the year-end. The Corporation has taken a leave encashment scheme from LIC to manage the funds.
- c) The liability on account of Leave Travel Concession (LTC) is provided on the basis of actuarial assessment at the year end and charged to Statement of Income & Expenditure.
- d) Actuarial gain or loss on defined benefits plans are recognized in other comprehensive income
- e) Contribution to recognized Provident Fund and Pension Fund (defined contribution plan) is provided for on accrual basis.
- f) The Corporation has a defined contribution pension scheme which is in line with guidelines of Department of Public Enterprise (DPE). The Corporation has formed a trust for administration of the Pension Fund Scheme with L.I.C. Employer contribution to the fund has been contributed on monthly basis. Pension is payable to the employees of the corporation as per the scheme.
- g) The Corporation has Post-Retirement Scheme (PRMS), under which retired employees and their dependent family member are provided with medical facilities. They can also avail facility of out-patient treatment; both are subject to ceiling fixed by the corporation.

q) Earnings per Share

The earning per share is computed by dividing the net surplus (loss) attributable to equity shareholders for the year by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earning per share are computed using the weighted average number of equity share outstanding during the year, except where the results would be anti-dilutive.

r) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- a) Provisions are recognized in respect of liabilities which can be measured only by using a substantial degree of estimates when:
 - (i) The Company has a present obligation as a result of a past event.
 - (ii) Probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and
 - (iii) The amount of the obligation can be reliably estimated. Provisions are reviewed at each Balance Sheet date.

पांचों वर्ष की अवधि में समानरूप से अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन स्ट्रेट लाइन पद्धति के अंतर्गत किया जाता है।

कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा की जाती है। यदि संपत्ति का प्रत्याशित उपयोगी जीवन पिछले अनुमानों से काफी अलग है, तब, परिशोधन की अवधि तदनुसार बदल दी जाती है।

ण) क्षति

(i) वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी बैलेंस शीट की प्रत्येक तिथि पर आकलन करती है कि क्या वित्तीय संपत्ति की क्षति हुई है। क्षति के अंश के माध्यम से प्रत्याशित क्रेडिट हानियों (ई.सी.एल.) के मापन का भारतीय लेखाकरण मानक-109 अपेक्षा करता है।

अनुबंधित परिसंपत्तियों/व्यावसायिक प्राप्य के अतिरिक्त समस्त वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानियों का मापन 12 माह की समान धनराशि के आधार पर अथवा जीवन समयावधि ई.सी.एल. के बराबर धनराशि किया जाना होता है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों की आरंभिक मान्यता पर महत्वपूर्ण रूप से खर्च किया गया हो।

ई.सी.एल. के क्षति अंश (अथवा वयुक्रमण) को आय एवं व्यय विवरणी में अवधि के दौरान के आय/व्यय के रूप में माना गया है।

(ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख का आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति क्षति कर सकती है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसकी परिसंपत्ति उसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को एक हानि के रूप में माना जाता है और आय और व्यय खाते में लिया जाता है।

त) कर्मचारी लाभ

क) सभी कर्मचारियों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) के लिए देयता, आय और व्यय विवरणी में व्यय के संभूति के रूप में माना गया है। निगम ने एलआईसी के साथ कर्मचारियों के समूह उपदान योजना (ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम) के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है।

ख) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को (अर्जित अवकाश और परिवर्तित अवकाश) खाते में प्रावधानित किया गया है। निधि के प्रबंधन के लिए निगम ने एलआईसी से एक अवकाश नकदीकरण योजना ली है।

ग) वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश के दायित्व को यात्रा रियायत अवकाश (एल.टी.सी.) खाते में प्रावधानित किया गया है तथा आय एवं व्यय विवरणी में प्रभार किया गया है।

घ) परिभाषित लाभ योजना पर वास्तविक लाभ या हानि अन्य व्यापक आय में माना गया है।

ङ) भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के अंशदान (परिभाषित अंशदान योजना) का प्रावधान संभूति आधार पर माना गया है।

च) निगम के पास परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जो लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार है। निगम ने भारतीय जीवन बीमा निगम /पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी(पी.एफ.आर.डी.ए.)के साथ पेंशन निधि योजना के प्रशासन के लिए एक न्यास का गठन किया है। नियोक्ता योगदान मासिक आधार पर किया गया है। योजना के अनुसार निगम के कर्मचारियों को पेंशन देय है।

छ) निगम के पास सेवानिवृत्ति के उपरान्त योजना है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। वे बाह्य रोगी उपचार सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, दोनों ही निगम द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन हैं।

थ) प्रति अंश आय

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से वर्ष के लिए एक्विटी शेयर होल्डरों की शुद्ध आधिक्य (हानि) राशि को विभाजित करके प्रति शेयर आय की गणना की गई है। गैर-मिश्रित परिणामों को छोड़कर, वर्ष के दौरान प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को प्रयुक्त करते हुए की गई है।

द) प्रावधान, आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) दायित्व के संबंध में प्रावधानों को मान्यता दी गई है जिन्हें केवल पर्याप्त अनुमानित डिग्री का उपयोग करके मापा जा सकता है, जब:

- अतीत की घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व हो।
- आर्थिक लाभों में शामिल संसाधनों के संभावित बहिर्वाहों के दायित्वों का निस्तारण करने की आवश्यकता होगी, एवं
- दायित्व की मात्रा का भरोसेमंद रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

Discounting of Provisions

Where the effect of the time value of money is material the amount of a provision shall be the present value of the expenditure expected to be required to settle the obligation.

b) Contingent Liabilities are disclosed in either of the following cases:

- i. A present obligation arising from a past event, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; or
- ii. A reliable estimate of the present obligation cannot be made; or
- iii. A possible obligation, unless the probability of outflow of resource is remote.

c) Contingent assets are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

r) Financial instruments:-

a) Initial recognition and measurement

Financial Instruments recognized at its fair value plus or minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial instruments.

b) Subsequent measurement

Financial Assets

Financial assets are classified in following categories:

Financial Asset at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (i) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows and
- (ii) The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets measured at amortized cost using effective interest rate method less impairment if any.

The EIR amortization is included in finance income in the Statement of Income & Expenditure.

Financial Assets at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

- The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and
- The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Statement of Income & Expenditure. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognized in OCI is reclassified from the equity to Statement of Income & Expenditure.. Interest earned is recognized using the EIR method.

Financial Assets at Fair value through Profit & Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for financial Assets. Any financial assets, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate financial asset, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. If doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency. The company has not designated any financial asset as at FVTPL.

Financial assets included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in income & expenditure account.

Financial Liabilities

Financial liabilities at Amortised Cost

Financial liabilities initially recognised at fair value, and subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

प्रावधानों में छूट

जब धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुगत है, प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय का वर्तमान मूल्य होगा।

- ख) निम्न मामलों में आकस्मिक दायित्वों को प्रकट किया जाता है:
- वर्तमान दायित्व अतीत की घटना से उत्पन्न होता है, जब यह संभावना न हो कि संसाधनों के बहिर्गमन से दायित्व का निस्तारण अपेक्षित होगा, अथवा
 - वर्तमान दायित्वों का भरोसेमंद अनुमान न किया जा सके अथवा
 - एक संभव दायित्व, जब-तक कि संसाधन का बहिर्गमन की संभाव्यता सुदूर हो
- ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां प्रकट की जाती हैं जब आर्थिक लाभों का अन्तःगमन संभाव्य हो।

ध) वित्तीय उपकरण/साधन

क) आरंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय उपकरण इसके उचित मूल्य को लेन-देन लागत से जोड़कर अथवा घटाकर माने गए हैं, जो सीधे वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या जारी करने के कारण होते हैं।

ख) पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियां एवं परिशोधन लागत

यदि निम्न दोनों दशाएं पूरी हो रही हों, वित्तीय परिसंपत्ति का मापन परिशोधन लागत पर होगा:

- वित्तीय संपत्ति एक व्यापार मॉडल के अंतर्गत आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए वित्तीय संपत्ति बनाना है एवं
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तिथियों को नकदी प्रवाहों को उत्पन्न करना होता है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूरी तरह भुगतान करते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, क्षति यदि कोई हो, को घटाकर परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

आय एवं व्यय विवरणी में वित्तीय आय में ई.आई.आर. परिशोधन सम्मिलित होता है।

अन्य समग्र आय के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (एफ.वी.टी.ओ.सी.आई.)

निम्नलिखित ऋण का वर्गीकरण एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के रूप में किया जाता है, यदि निम्न दोनों मापदण्ड पूरे होते हो:

- व्यापार मॉडल का उद्देश्य दोनों-संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर हासिल किया जाता है।
- संपत्ति के संविदागत नकदी प्रवाह एस.पी.पी.आई. का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरुआत में और साथ ही उचित समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अन्य व्यापक आय में माना जाता है। तथापि, आय और व्यय की विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानियों और उक्रमण व विदेशी मुद्रा लाभ या हानि कंपनी मानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, ओ.सी.आई. पर पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इकिटी से आय और व्यय के विवरण के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। अर्जित ब्याज को ई.आई.आर. पद्धति का उपयोग करके माना गया है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

एफ.वी.टी.पी.एल. वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अवशेष श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत के रूप में श्रेणीकरण अथवा एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. के मापदण्ड को पूरा नहीं करता है, को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड के रूप में अन्यथा परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.ओ.सी.आई. मापदण्ड आदि को पूरा करता है, यदि ऐसा करने से कोई माप या मान्यता असंगतता को कम या समाप्त करता है। कंपनी ने किसी भी परिसंपत्ति को एफ.वी.टी.पी.एल. के रूप में नामित नहीं किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों में एफ.वी.टी.पी.एल. श्रेणी सम्मिलित है, जो आय और व्यय खाते में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा गया है।

वित्तीय दायित्व

परिशोधन लागत पर वित्तीय दायित्व

आरंभिक तौर पर वित्तीय दायित्वों को उचित मूल्य पर माना गया है, एवं इसके पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लाया गया है।

Financial liabilities at Fair Value through Profit & Loss (FVTPL)

The company has not designated any financial liabilities at FVTPL.

De-recognition

Financial Asset

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised only when the contractual rights to the cash flows from the asset expires or it transfers the financial assets and substantially all risks and rewards of the ownership of the asset.

Financial Liability

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Income & Expenditure.

s) Fair Value Measurement

Company measures financial instruments at fair value at each reporting date. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the company. The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 – Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- Level 3 – Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

At the reporting date, the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be re-measured or re-assessed as per the accounting policies. For this analysis, the Company verifies the major inputs applied in the latest valuation by agreeing the information in the valuation computation to contracts and other relevant documents.

The Company also compares the change in the fair value of each asset and liability with relevant external sources to determine whether the change is reasonable.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

t) Current and Non- Current classification

The Corporation presents assets and liabilities in the Balance Sheet based on current /non-current classification.

Cash or cash equivalent treated as current, unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period. In respect of other assets, it is treated as current when it is:

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियां (एफ.वी.टी.पी.एल.)

कंपनी ने किसी भी वित्तीय दायित्व को एफ.वी.टी.पी.एल. का नाम नहीं दिया है।

अमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति के अंश के रूप में अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह के अंश के रूप में) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से होने वाले नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और मूलतः संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और स्वामित्व को बढ़ाता है।

वित्तीय दायित्व

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी गई है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणादाता से अथवा उसी से मूल रूप से भिन्न शर्तों या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरहके विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और नई देनदारी के रूप में माना जाता है, और संबंधित धारित राशि में अंतर आय और व्यय विवरणों में लिया गया है।

न) उचित मूल्य का मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्यों के वित्तीय साधनों को मापता है। उचित मूल्य वह कीमत है जिसे माप की तारीख में बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने अथवा दायित्व के स्थानांतरण हेतु भुगतान करने के लिए प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन अनुमान पर आधारित है कि लेन-देन परिसंपत्ति को बेचने या दायित्व को स्थानांतरित करनी होती है या तो:

- संपत्ति या दायित्व के लिए प्रमुख बाजार में, अथवा
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या दायित्व के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में।

कंपनी के लिए प्रमुख या सबसे लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या दायित्व का उचित मूल्य उन धारणाओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार प्रतिभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण के दौरान होता है, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। कंपनी मूल्य आंकन तकनीकों जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, का उपयोग करती है और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होना, प्रासंगिक प्रेक्षणीय इनपुट का उपयोग बढ़ाना और अप्रभावी इनपुट का उपयोग कम करना होता है।

परिसंपत्तियों और दायित्वों जिसके लिए उचित मूल्य को मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नानुसार वर्णित किया जाता है, जो इनपुट के न्यूनतम स्तर जो समग्रता के रूप में उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है

- स्तर 1- समरूप संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्घृत (असमायोजित) बाजार मूल्य।
- स्तर 2- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होते हैं।
- स्तर 3- मूल्यांकन तकनीक जिसमें उचित मूल्य माप के लिए सबसे कम स्तर के इनपुट महत्वपूर्ण है और जो अ-प्रेक्षणीय होते हैं।

परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो आवर्ती आधार पर वित्तीय वक्तव्यों में माने जाते हैं, कंपनी यह पुनःनिर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में विभिन्न पदक्रम स्तरों के मध्य (निम्नतम स्तर इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) अंतरण हुआ है।

रिपोर्टिंग की तारीख में, कंपनी परिसंपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में विचलन का विश्लेषण करती है, जिन्हें लेखा नीतियों के अनुसार पुनः मापा या पुनः मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी ठेके और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी को स्वीकार करके अद्यतन मूल्य अंकन में लागू प्रमुख इनपुट का सत्यापन करता है।

कंपनी यह भी तुलना करती है कि परिवर्तन उचित है या नहीं, प्रासंगिक परिसंपत्ति स्रोतों के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना करती है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के प्रयोजन से, कंपनी ने परिसंपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण पद्धति, विशेषताओं और संपत्ति या दायित्व के जोखिम के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया है और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर पर निर्धारित किया है, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है।

प) वर्तमान एवं गैर वर्तमान वर्गीकरण

निगम परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को तुलन पत्र में वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है।

नकद या नकद समकक्ष को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब तक कि उन्हें छूट नहीं दी जाती है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में, इसे वर्तमान के रूप में माना जाता है

* expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle.

*expected to be realised within twelve months after the reporting period.

*held primarily for the purpose of trading/business

All other assets are classified as non-current.

A Liability is treated as current when :

* it is expected to be settled in normal operating cycle.

* it is held for the purpose of trading/business.

* it is due to be settled within twelve months after the reporting period .or

* there is no unconditional right to defer the settlement of liability for at least twelve months after the reporting period.

all other liabilities are classified as non-current.

The operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents. The corporation has identified twelve months as its operating cycle.

u) LEASE :

The Company Recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date , plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-to-use asset or the end of the lease term. In addition, Policy has been drafted as per Ind AS 116. the right-to-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain remeasurements of the lease liability. The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Company's incremental borrowing rate. The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method; it is remeasured when there is changes in future lease payments from a change in an index or rate. When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in the profit and loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero. The Company presents right-of-use asset that do not meet the definition of Investment property in the "Right of Use Assets" and lease liabilities in "other financial liabilities" in the Balance Sheet. Short term Lease and Leases of low value assets.

The Company has elected not to recognize right-of-use asset and lease liabilities for short term leases that have lease term of 12 months or less and leases of low value assets. A lease is no longer enforceable when the lessee and the lessor each have the right to terminate the lease without permission from the other party with no more than an insignificant penalty.

- ii. As A Lessor When the Company acts as a lessor, it determines at lease inception whether each lease is a finance lease or an operating lease. To classify each lease, the Company makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all the risk and rewards incidental to the ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is a finance lease, if not then it is an operating lease. As part of the assessment, the Company considers certain indicators such as whether the lease is for the major part of the economic life of the asset. If an arrangement contains lease and non-lease components, the Company applies Ind AS-115 "Revenue from contract with customers" to allocate the consideration in the contract.

Further, the Company recognizes lease payments received under operating lease as income on a straight-line basis over the lease term as part of "Other Income".

- * सामान्य परिचालन चक्र में बेचे या उपभोग किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।
 - * समीक्षाधीन अवधि के बाद बारह महीनों में प्राप्त होने की उम्मीद है।
 - * प्रमुखतः व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया।
- अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
दायित्व को वर्तमान के रूप में माना जाता है जब:
- * इसका सामान्य परिचालन चक्र में निस्तारण होने की प्रत्याशा हो,
 - * इसे व्यापार/व्यवसाय के उद्देश्य से रखा गया हो,
 - * इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद देय से बारह महीने के भीतर निस्तारण हो अथवा
 - * रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।
- अन्य सभी दायित्वों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ऑपरेटिंग चक्र प्रक्रियागत और नकदी व नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है। निगम ने बारह महीनों की पहचान अपने परिचालन चक्र के रूप में की है।

फ) पट्टा

कंपनी पट्टा शुरू होने की तारीख से संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टा देनदारी को मान्यता देती है। संपत्ति के उपयोग का अधिकार आरंभ में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि से पहले या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने और निकालने के लिए लागत का अनुमान सम्मिलित है या अंतर्निहित परिसंपत्ति या उस स्थान को पुनर्स्थापित करने के लिए जिसपर वह स्थित है, प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहित राशि को घटाया जाता है।

संपत्ति के उपयोग के अधिकार को स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके आरंभ की तिथि से संपत्ति के उपयोग अधिकार के अथवा पट्टा की सीमा समाप्ति के तत्पश्चात् मूल्यह्रास किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार नीति को तैयार किया गया है। संपत्ति को उपयोग करने का अधिकार, विविक्षित हानि, यदि कोई हो, के कारण आवधिक तौर पर घट जाता है, और पट्टे की देयता के कुछ विशेष उपायों के लिए समायोजित किया जाता है। पट्टा दायित्व का आरंभिक मापन पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य से किया जाता है जिसका आरंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, यदि वह दर कंपनी की वृद्धिशील उधारी दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसका पुनःमापन किया जाता है जब भविष्य में पट्टा भुगतान में परिवर्तन इन्डेक्स अथवा दर में परिवर्तन से होता है। जब पट्टा देयता इस तरह से पुनः मापन की जाती है, तो परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग संपत्ति के अधिकार को शून्य तक कम कर दिया गया हो। कंपनी संपत्ति उपयोग अधिकार को दर्शाती है जो "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" में संपत्ति निवेश की परिभाषा को पूरा नहीं करती है एवं तुलन-पत्र में "अन्य वित्तीय देनदारियों" में पट्टा देनदारियों को पूरा करती है। अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे।

कंपनी ने उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों के अधिकार को एवं संक्षिप्त अवधि के पट्टों के लिए दायित्व जिसकी समयावधि 12 महीने अथवा उससे कम से एवं व्यय मूल्य को परिसंपत्तियों की मान्यता को नहीं चुना है। जब पट्टाधारी एवं पट्टादाता प्रत्येक पट्टे को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना और कम से कम दण्ड के साथ समाप्त करने का अधिकार रखता है, तब पट्टा को आगे लागू नहीं किया जाता है।

- ii. एक पट्टेदार के रूप में, जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह कम से कम आरंभ में पट्टे को निर्धारित करती है चाहे प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा हो या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा प्रयाप्त रूप से सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। यदि यह मामला है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं तो एक परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के अंग के रूप में, कंपनी विशिष्ट संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टे परिसंपत्ति के आर्थिक जीवनके प्रमुख हिस्से के लिए है। यदि एक व्यवस्था में पट्टे और गैर-लीज घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में विचार को आवंटित करने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक-115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" लागू करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परिचालन लीज के तहत समग्र लीज अवधि के लिए स्ट्रेट लाइन के आधार पर प्राप्त आय को "अन्य आय" के रूप में मानती है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note :- 3 Property, Plant & Equipment's

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Freehold)	Furniture & Fixtures	Office Equipment	Vehicles	Air Conditioners & Coolers	EPABX	Data Processing Equipment's	Total
Cost or Deemed Cost								
At 1st April 2022	47.94	100.33	64.25	8.60	39.70	3.81	88.32	352.95
Additions during the year	-	3.33	4.17	-	-	-	11.40	18.90
Disposals/Adjustments	-	0.19	-	-	-	-	0.23	0.42
At 31st March 2023	47.94	103.46	68.42	8.60	39.70	3.81	99.49	371.42
At 1st April 2023	47.94	103.46	68.42	8.60	39.70	3.81	99.49	371.42
Additions during the year		51.64	2.85		11.88		8.24	74.61
Disposals/Adjustments		0.02			0.01			0.03
At 31st March 2024	47.94	155.08	71.27	8.60	51.57	3.81	107.73	446.00
Depreciation and Impairment								
At 1st April 2022	35.53	65.12	58.11	7.33	26.73	3.54	79.63	276.00
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.62	9.02	3.06	0.39	3.30	0.01	6.48	22.88
Impairment	-	-	-	-	-	-	-	-
Disposals/Adjustments	0.01	-	0.00	-	-	-	-	0.01
At 31st March 2023	36.15	74.14	61.17	7.72	30.04	3.55	86.11	298.87
At 1st April 2023	36.15	74.14	61.17	7.72	30.04	3.55	86.11	298.87
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.59	16.69	2.86	0.27	4.34	0.01	9.60	34.35
Impairment								
Disposals/Adjustments								
At 31st March 2024	36.74	90.83	64.03	7.99	34.38	3.56	95.71	333.22
Net book value								
At 31st March 2024	11.20	64.25	7.24	0.61	17.20	0.25	12.02	112.77
At 31st March 2023	11.79	29.32	7.25	0.88	9.67	0.25	13.38	72.54

Note :-3.1 Depreciation is provided on written down value method (WDV) in accordance with schedule II of the Companies Act, 2013.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (फ्रीहोल्ड)	फर्नीचर एंड फिक्सर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	एयर कंडीशनर एवं कुलर	ई.पी.ए.बी. एक्स.	ऑफिस प्रसंस्करण उपस्कर	योग
लागत या मानी गई लागत								
1 अप्रैल 2022 को	47.94	100.33	64.25	8.60	39.70	3.81	88.32	352.95
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निपटान/समायोजन	-	3.33	4.17	-	-	-	11.40	18.90
31 मार्च 2023 को	47.94	103.46	68.42	8.60	39.70	3.81	99.49	371.42
1 अप्रैल 2023 को	47.94	103.46	68.42	8.60	39.70	3.81	99.49	371.42
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निपटान/समायोजन	-	51.64	2.85	-	11.88	-	8.24	74.61
31 मार्च 2024 को	47.94	155.08	71.27	8.60	51.57	3.81	107.73	446.00
मूल्यहास एवं हानि								
1 अप्रैल 2022 को	35.53	65.12	58.11	7.33	26.73	3.54	79.63	276.00
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार (टिप्पणी-22 देखें) हानि	0.62	9.02	3.06	0.39	3.30	0.01	6.48	22.88
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को	36.15	74.14	61.17	7.72	30.04	3.55	86.11	298.87
1 अप्रैल 2023 को	36.15	74.14	61.17	7.72	30.04	3.55	86.11	298.87
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार (टिप्पणी-22 देखें) हानि	0.59	16.69	2.86	0.27	4.34	0.01	9.60	34.35
निपटान/समायोजन	-	-	0.00	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को	36.74	90.83	64.03	7.99	34.38	3.56	95.71	333.22
शुद्ध अंकित मूल्य								
31 मार्च 2024 को	11.20	64.25	7.24	0.61	17.20	0.25	12.02	112.77
31 मार्च 2023 को	11.79	29.32	7.25	0.88	9.67	0.25	13.38	72.54

टिप्पणी: -3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यहास का प्रावधान अपलेखित मूल्य पद्धति से किया जाता है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note 3 (i)
RIGHT OF USE ASSETS

(₹ in Lakhs)

Particulars	Building (Mumbai Flat)	Total
<u>Cost or Deemed Cost</u>		
At 1st April 2022	52.66	52.66
Adjustment of Transition of IND AS 116	-	-
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31st March 2023	52.66	52.66
At 1st April 2023	52.66	52.66
Additions during the year	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31st March 2024	52.66	52.66
<u>Depreciation and Impairment</u>		
At 1st April 2022	13.88	13.88
Depreciation charge for the year (Refer Note-22)	0.59	0.59
Impairment	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31st March 2023	14.46	14.46
Depreciation charge for the year	0.59	0.59
Impairment (Refer Note-22)	-	-
Disposals/Adjustments	-	-
At 31st March 2024	15.05	15.05
<u>Net book value</u>		
At 31st March 2024	37.61	37.61
At 31st March 2023	38.20	38.20

Note: Flat No. 002 Plot 51, Building No. 16 & Flat No. 001 Plot No. 53, Building No. 18 respectively use as Staff Quarter w.e.f 01/07/1998 at Oshiwara, Andheri West Mumbai 400053

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी: 3 (i)

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(₹ लाख में)

विवरण	भवन (मुंबई फ्लैट)	योग
लागत या मानी गई लागत		
1 अप्रैल 2022 को	52.66	52.66
भारतीय लेखाकरण मानक 116 के पारगमन का समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2023 को	52.66	52.66
1 अप्रैल 2023 को	52.66	52.66
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च 2024 को	52.66	52.66
मूल्यहास एवं क्षति		
1 अप्रैल 2022 को	13.88	13.88
वर्ष के लिए मूल्यहास शुल्क (टिप्पणी-22 देखें)	0.59	0.59
क्षति		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2023 को	14.46	14.46
वर्ष में मूल्यहास प्रभार	0.59	0.59
क्षति (टिप्पणी 22 देखें)		
निपटान/समायोजन		
31 मार्च 2024 को	15.05	15.05
शुद्ध अंकित मूल्य		
31 मार्च 2024 को	37.61	37.61
31 मार्च 2023 को	38.20	38.20

टिप्पणी: फ्लैट सं. 002, प्लॉट-51, बिल्डिंग सं.-16 एवं फ्लैट सं.-001, प्लॉट सं.-53, बिल्डिंग सं.-18 क्रमशः ओशिवाड़ा, अंधेरी पश्चिम मुम्बई-400053 को 01.07.1998 से स्टॉफ काटार के रूप में उप उपयोग को किया जा रहा है।

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note 4 Intangible Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Computer Software's	Intangible Asset under development	Total
Cost or deemed cost as at 1st April 2022	66.48	-	66.48
Addition during the year	-	-	-
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2023	66.48	-	66.48
Addition during the year	0.05	4.72	4.77
Adjustment/deletions during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2024	66.53	4.72	71.25
<u>Amortization and Impairment</u>			
Opening balance at 1st April 2022	54.64	-	54.64
Amortization during the year (Refer Note-22)	4.05	-	4.05
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2023	58.69	-	58.69
Amortization during the year (Refer Note-22)	3.55	-	3.55
Impairment during the year	-	-	-
Closing balance at 31st March 2024	62.24	-	62.24
<u>Net book value</u>			
As at 31st March 2024	4.29	4.72	9.01
As at 31st March 2023	7.79	-	7.79

Note 4(a) Ageing Intangible Assets under Development

Intangible assets under development ageing schedule FY 2024

(₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	4.72	-	-	-	4.72
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Intangible assets under development ageing schedule FY 2023

(₹ in Lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress					-
Projects temporarily suspended					

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी:- 4 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	योग
1 अप्रैल 2022 तक लागत अथवा मानी गई लागत	66.48	-	66.48
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च 2023 को अंतशेष	66.48	-	66.48
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	0.05	4.72	4.77
वर्ष के दौरान समायोजन/विलोपन	-	-	-
31 मार्च 2024 को अंतशेष	66.53	4.72	71.25
परिशोधन एवं क्षति			
1 अप्रैल 2022 को आरंभिक शेष	54.64	-	54.64
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी-22 देखें)	4.05	-	4.05
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च 2023 को अंतशेष	58.69	-	58.69
वर्ष के दौरान परिशोधन (टिप्पणी-22 देखें)	3.55	-	3.55
वर्ष के दौरान क्षति	-	-	-
31 मार्च 2024 को अंतशेष	62.24	-	62.24
शुद्ध पुस्तक मूल्य			
31 मार्च 2024 को	4.29	4.72	9.01
31 मार्च 2023 को	7.79	-	7.79

टिप्पणी:- 4(क) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु

वित्तीय वर्ष 2024 में अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु के तहत समय सारिणी

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि, अवधि के लिए				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	4.72	-	-	-	4.72
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2023 में अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु के तहत समय सारिणी

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	सी.डब्ल्यू.आई.पी. राशि, अवधि के लिए				योग
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं					-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

Note 5

Non-current portion of the Trade Receivable/Debtors have been classified under 'non-current financial assets and current portion of the Trade Receivable/Debtors has been classified under 'current financial assets – loans.

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024			As at March 31, 2023		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Considered Good-Secured						
Considered Good-UnSecured		-	-		-	-
Significant Increase in Credit Risk						
Less : Allowance for loans & advances						
Total	-	-	-	-	-	-

Trade Receivables Ageing FY 2023-24

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

Trade Receivables Ageing FY 2022-23

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) Undisputed Trade receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables-considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables-credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)

टिप्पणी 5

प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के गैर-वर्तमान अंश को 'गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत वर्गीकृत किया गया है एवं प्राप्य व्यवसाय/ऋणग्राही के वर्तमान अंश को 'वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
अच्छे माने गए-सुरक्षित						
अच्छे माने गए - असुरक्षित		-	-		-	-
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि						
घटाए: ऋण एवं अग्रिम हेतु भत्ता						
योग	-	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यवसाय में प्राप्य अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यापार प्राप्य आयु (₹ लाख में)

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	1.68	-	-	-	-	1.68
(ii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद प्राप्य व्यवसाय - उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित प्राप्य व्यवसाय - अच्छे माने गए	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी जोखिम जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित प्राप्य व्यवसाय - उधारी क्षति	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023		
	Non - Current	Current	Non - Current	Current	Total
(1) General Loan to SCAs/ Other Entities					
Considered Good-Secured					
(a) General loans	59,892.91	25,756.56	65,355.56	22,891.49	88,247.05
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	-	-	-	-	-
(b) General loans	-	-	-	-	-
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)	-	-	-	-	-
Considered Good-UnSecured					
General loans	43,854.68	12,066.36	41,431.21	10,296.23	51,727.45
Significant Increase in Credit Risk					
General loans		201.14	-	181.92	181.92
Less : Allowance for loans & advances #		(196.13)		(181.92)	(181.92)
Sub Total (1)	103,747.59	37,827.93	106,786.77	33,187.73	139,974.49
(2) Micro Finance Loan to SCAs/ Other Entities					
Considered Good-Secured					
(a) Micro Finance Loan	31,006.58	19,210.37	29,419.10	18,780.02	48,199.13
(By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	-	-	-	-	-
(b) Micro Finance Loan	-	685.71	685.72	685.71	1,371.44
(Against lien of Fixed Deposit Receipts)	-	-	-	-	-
Considered Good-UnSecured					
Micro Finance Loan (Unsecured considered good)	15,891.36	2,544.72	13,586.91	1,053.17	14,640.08
Significant Increase in Credit Risk					
Micro Finance Loan		1,235.38	-	883.95	883.95
Less : Allowance for loans & advances #		(1,235.38)	-	(883.95)	(883.95)
Sub Total (2)	46,897.93	22,440.81	43,691.73	20,518.91	64,210.64
Sub Total (3)=(1+2)	150,645.53	60,268.73	150,478.50	53,706.63	204,185.13
(4) Loans to Employees					
Loans & Interest accrued					
Considered Good-Secured	247.52	30.04	87.75	11.26	99.01
Considered Good-UnSecured	85.74	29.88	75.30	28.40	103.70
Sub Total (4)	333.26	59.93	163.05	39.66	202.71
Grand Total (1+2+3+4)	150,978.78	60,328.66	150,641.56	53,746.29	204,387.84

Allowance for Loan & Advances to respective State Channel Agencies (SCAs)/ Channel Partners (CPs) is made as per the Corporation's policy.

टिप्पणी:- 6 वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को		योग
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान	
(1) एससीए/अन्य संस्थाओं को सामान्य ऋण					
अच्छे माने गए- सुरक्षित	59,892.91	25,756.56	85,649.47	22,891.49	88,247.05
(क) सामान्य ऋण	-	-	-	-	-
(सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)					
(ख) सामान्य ऋण					
(सावधि जमा रसीद के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)					
अच्छे माने गए- असुरक्षित					
सामान्य ऋण	43,854.68	12,066.36	55,921.04	10,296.23	51,727.45
ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि					
सामान्य ऋण		201.14	201.14	181.92	181.92
घटाएँ : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस #		(196.13)	(196.13)	(181.92)	(181.92)
उप योग (1)	103,747.59	37,827.93	141,575.52	33,187.73	139,974.49
(2) एससीए/अन्य संस्थाओं को सूक्ष्म वित्त ऋण					
अच्छे माने गए- असुरक्षित	31,006.58	19,210.37	50,216.94	18,780.02	48,199.13
(क) सूक्ष्म वित्त ऋण					
(सरकारी आदेश/ब्लॉक सरकारी गारंटी के माध्यम से प्राप्त)					
(ख) सूक्ष्म वित्त ऋण		685.71	685.71	685.71	1,371.44
(सावधि जमा रसीदों के ग्रहणाधिकार के सापेक्ष)					
अच्छे माने गए- असुरक्षित					
सूक्ष्म वित्त ऋण (अच्छे माने गए- असुरक्षित)	15,891.36	2,544.72	18,436.08	1,053.17	14,640.08
उधारी जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि					
सूक्ष्म वित्त ऋण		1,235.38	1,235.38	883.95	883.95
घटाएँ : ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस#		(1,235.38)	(1,235.38)	(883.95)	(883.95)
उप योग (2)	46,897.93	22,440.81	69,338.74	20,518.91	64,210.64
उप योग (3) = (1+2)	150,645.53	60,268.73	210,914.26	53,706.63	204,185.13
(4) कर्मचारियों को ऋण					
उपाजित ऋण एवं ब्याज					
अच्छे माने गए- सुरक्षित	247.52	30.04	277.56	11.26	99.01
अच्छे माने गए - असुरक्षित	85.74	29.88	115.62	28.40	103.70
उप योग (4)	333.26	59.93	393.18	39.66	202.71
कुल योग (1+2+3+4)	150,978.78	60,328.66	211,307.44	53,746.29	204,387.84

संबंधित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (रा.चै.ए./ चैनल सहभागियों(सीपी) के लिए ऋण और अग्रिम का प्रबन्ध निगम की नीति के अनुसार किया जाता है।

- Note 6.1** Current Loans are loan amount which are receivable during the next 12 months after end of the financial year.
- Note 6.2 As per Reserve Bank of India, the Corporation is not a Non-Banking Finance Company and exempted for following RBI's prudential norms prescribed for making provisions and for income recognition on non-performing assets. As RBI's prudential norms are not applicable to the Corporation, it has made its own norms for making provision duly approved by Board for provisioning on certain overdue loans/ interest thereon.
- Note 6.3** Out of the total Loans of Rs. 2,14,898.11 Lakhs (as at 31.03.2023, Rs.2,07,655.60 Lakhs) out of which Rs.1,94,450.27 lakh (as at 31.03.2023 Rs.1,98,800.17 Lakhs) have been confirmed from respective parties. The remaining loan amount is subject to confirmation by borrowers.
- Note 6.4** The utilization amount of loan beyond 180 days under the prevalent lending policy is eligible for refund. Hence, the same stand in current.
- Note 6.5** The disbursement , accumulated over the years with channel Partners for which utilization certificates of Rs.2761.59 lakhs (Rs. 3,925.73 Lakhs as at 31.03.2023) are pending to be received from borrowing institutions, out of which Rs. 2492.02 Lakhs (Rs. 1958.09 lakhs as at 31.03.2023) are more than six months old as at year end.
- Note 6.6** In respect of Loans given, Corporation has obtained Government Assurance from channel partners and signed MOU with RRBs/PSB's and others amounting to Rs. 70,933.49 Lakh (Previous year Rs. 65,696.35 Lakh). As per legal opinion , Government assurance and signed MOU do not tantamount to Government Order/ Block Government Gaurantee or other financial instrument. However, same can be enforced in disputed cases by way of arbitration. In view of the above, Corpration is adequantely covered in cases where the outstanding loan amount is backed by Govt. assurance and signed MOU and disclosed as " Unsecured and considered good" as the repayment is regular.
- Note 6.6.1** In the Loans and Interest thereon which are backed by Block government gaurantee/ Sanction orders, no provision is recognized since there is no doubt about their recoverability, however in some cases it take substantial time. The Gaurantee Deed include the principal amount and all type of interest thereon are covered by Guarantor(State Government). The above amounts outstanding since substantial period of time are elegeble for revoking Gaurantee.
- Note 6.7** As per Ind AS-109 Staff loans & advances are recognized at amortised cost which includes the principal & interest component both the details of Outstanding undiscounted Loans to Employees as given below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024			As at March 31, 2023		
	Principal	Interest	Total	Principal	Interest	Total
House Building Advance	271.89	56.32	328.20	80.43	47.19	127.62
Vehicle Loan	44.55	5.40	49.94	35.98	2.28	38.26
General Purpose Advance	70.48	-	70.48	68.86	-	68.86
Grand Total (1+2+3)	386.91	61.71	448.63	185.27	49.47	234.74

'As per guidelines/norms, recoveries of interest commences after recoveries of principal in respect of House Building Advance and Vehicle advance.

- Note 6.8** Loans & advances including simple interest thereon overdue as at end of the year is classified as 'Current' loans, as these are considered good for recovery/adjustment in the subsequent financial year.

- टिप्पणी 6.1** वर्तमान ऋण वे ऋण राशि हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले 12 माह की अवधि में प्राप्त होने योग्य हैं।
- टिप्पणी 6.2** भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, निगम एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी नहीं है और प्रावधान को तैयार करने, आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुकरण करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर आय मान्यता निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। जैसाकि आर.बी.आई. के विवेकपूर्ण मानदंड निगम पर लागू नहीं हैं, इनसे विनिश्चित बकाया ऋण/उस पर ब्याज प्रावधान हेतु निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रावधान किए गए हैं।
- टिप्पणी 6.3** कुल बकाया रु. 2,14,898.11 लाख (31.03.2023 को, रु. 2,07,655.60 लाख) जिसमें से रु. 1,94,450.27 लाख (31.03.2023 को रु. 1,98,800.17 लाख) संबंधित पार्टियों द्वारा पुष्टि की गई है। शेष ऋण राशि ऋण लेने वालों की पुष्टि के अधीन है।
- टिप्पणी 6.4** लागू ऋण नीति के तहत 180 दिनों के बाद उपभुक्त ऋण राशि वापस की जानी है। यथापि, इसे वर्तमान में माना गया।
- टिप्पणी 6.5** चैनल सहभागियों के पास वर्षों से संचित, सवितरण, जिसके लिए रु. 2,761.59 लाख (31.03.2023 को रु. 3,925.73 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र उधार लेने वाले संस्थानों से प्राप्त होने हैं, जिसमें से वर्ष की समाप्ति पर रु. 2,492.02 लाख (31.03.2023 तक रु. 1,958.09 लाख) छह महीने से अधिक पुराने हैं।
- टिप्पणी 6.6** प्रदत्त ऋणों के संबंध में, रु. 70,933.49 लाख (गत वर्ष रु. 65,696.35 लाख) की राशि निगम ने चैनल सहभागियों से सरकारी आश्वासन प्राप्त किया है एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको/सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों एवं अन्य के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। विधिक राय के अनुसार, सरकारी आश्वासन एवं हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारण्टी अथवा अन्य वित्तीय प्रपत्र के बराबर नहीं होते हैं। तथापि, इसे विवादित मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से लागू किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उन मामलों में निगम में पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है जहां बकाया ऋण राशि सरकारी आश्वासन द्वारा समर्थित है और समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित है और पुनर्भुगतान नियमित होने के कारण "असुरक्षित और अच्छे माने गए हैं" के रूप में प्रकट किया गया है।
- टिप्पणी 6.6.1** ब्लॉक शासकीय गारंटी/स्वीकृति आदेशों द्वारा समर्थित है, ऋण और उस पर ब्याज में किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि उनकी वसूली के बारे में कोई संदेह नहीं है, हालांकि कुछ मामलों में इसमें काफी समय लगता है। गारंटी डीड में मूल राशि शामिल होती है और उस पर सभी प्रकार का ब्याज गारंटर (राज्य सरकार) द्वारा कवर किया जाता है। पर्याप्त अवधि से बकाया उपरोक्त राशियाँ गारंटी को प्रतिसंहरण करने के योग्य हैं।
- टिप्पणी 6.7** भारतीय लेखाकरण मानक -109 के अनुसार कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम राशि परिशोधित लागत पर मानी गई है जिसमें कर्मचारियों पर बकाया गैर-रियायती ऋण विवरण में मूल एवं ब्याज घटक दोनों शामिल हैं, जैसाकि नीचे दिया गया है-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	मूल	ब्याज	योग	मूल	ब्याज	योग
गृह निर्माण अग्रिम	271.89	56.32	328.20	80.43	47.19	127.62
वाहन ऋण	44.55	5.40	49.94	35.98	2.28	38.26
सामान्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम	70.48	-	70.48	68.86	-	68.86
योग योग (1+2+3)	386.91	61.71	448.63	185.27	49.47	234.74

दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार, गृह निर्माण अग्रिम और वाहन अग्रिम के संबंध में मूलधन की वसूली के बाद ब्याज की वसूली शुरू की जाती है।

टिप्पणी 6.8 वर्ष के अंत में बकाया ऋण एवं अग्रिमों को जिसमें वर्ष की समाप्ति पर उस पर बकाया ब्याज सम्मिलित है, 'वर्तमान' ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि इन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में वसूली/समायोजन के लिए अच्छे माने गए हैं।

Note 6.9 Details of Loan and Advances as on 31.03.2024

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Reappropriated	Adjustment	Recovered	Closing Balance
General Loan	139,974.48	26,614.88	20.57	(1,872.69)	14.21	26,851.76	141,575.51
Micro Finance	64,210.65	25,894.02	119.97	1,872.69	351.43	18,421.83	69,338.75
Total	204,185.13	52,508.90	140.54	-	365.64	45,273.59	210,914.26
Loan Due	5,294.54	3,053.10					8,347.64
Loan Not due (31.03.2024)	198,890.59	3,676.03					202,566.62
Total	204,185.13	6,729.13	-	-	-	-	210,914.26
Previous year	200,584.80	51,184.60	2,670.94	-	416.76	44,496.58	204,185.13

Note 6.9.1 Details of Loan and Advances as on 31.03.2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition	Refunds	Reappropriated	Adjustment	Recovered	Closing Balance
General Loan	136,612.83	16,818.52	2,030.27	(14,707.58)	13.34	26,120.83	139,974.48
Micro Finance	63,971.97	34,366.09	640.66	14,707.58	403.42	18,375.75	64,210.65
Total	200,584.80	51,184.60	2,670.94	-	416.76	44,496.58	204,185.13
Loan Due	4,300.70	993.84					5,294.54
Loan Not due (31.03.2023)	196,933.21	3,023.25					198,890.59
Total	201,233.91	4,017.09	-	-	-	-	204,185.13
Previous year	197,130.63	47,137.43	782.66		649.13	42,251.47	200,584.80

Note 6.10 Details of Rescheduled Loan & Advances

No Rescheduledment of Loan and Advances during the FY 2023-24

Note 6.11 Allowances on Loan and advances to respective chennal partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33) Provision is recognised when:

- The Corporation has a present obligation as a result of past event
- A probable outflow of resources is expected to settle the obligation and
- A reliable estimate of amount of obligation can be made

Provision recognized above which are expected to be settled beyond 12 months are measured at the present value by using pre-tax discount rate that reflects the risks specific to the liability and the increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expenses.

In respect to Loans/ dues payable by Channel Partners(CP'S) which are adequately covered by State Government Gaurantees/other Fianancial Instruments, no provision is made.

Provision are reviewd at each Balance Sheet Date.

The Corporation as per the policy approved for "reschedulement of overdue loans and advances" had rescheduled the loans in very exceptional cases. Further, the Board of the Directors vide 126th meeting of the board had considered the reschedulement/ deferment of overdue of channel partners and approved the policy of expected credit loss on overdue based on unsecured and as per probability of default.

टिप्पणी 6.9 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	अतिरिक्त	वापसी	समायोजन	पुनर्गृहित	वसूले गए	अंत-शेष
सामान्य ऋण	139,974.48	26,614.88	20.57	(1,872.69)	14.21	26,851.76	141,575.51
सूक्ष्म वित्त	64,210.65	25,894.02	119.97	1,872.69	351.43	18,421.83	69,338.75
योग	204,185.13	52,508.90	140.54	-	365.64	45,273.59	210,914.26
ऋण देय	5,294.54	3,053.10					8,347.64
अदेय ऋण (31.03.2024)	198,890.59	3,676.03					202,566.62
योग	204,185.13	6,729.13	-	-	-	-	210,914.26
गत वर्ष	200,584.80	51,184.60	2,670.94	-	416.76	44,496.58	204,185.13

टिप्पणी 6.9.1 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	अतिरिक्त	वापसी	समायोजन	पुनर्गृहित	वसूले गए	अंत-शेष
सामान्य ऋण	136,612.83	16,818.52	2,030.27	(14,707.58)	13.34	26,120.83	139,974.48
सूक्ष्म वित्त	63,971.97	34,366.09	640.66	14,707.58	403.42	18,375.75	64,210.65
योग	200,584.80	51,184.60	2,670.94	-	416.76	44,496.58	204,185.13
ऋण देय	4,300.70	993.84					5,294.54
ऋण अदेय (31.03.2023)	196,933.21	3,023.25					198,890.59
योग	201,233.91	4,017.09	-	-	-	-	204,185.13
गत वर्ष	197,130.63	47,137.43	782.66	-	649.13	42,251.47	200,584.80

टिप्पणी 6.10 पुनर्निर्धारित ऋण एवं अग्रिम का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में ऋण एवं अग्रिमों का कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है :

टिप्पणी 6.11 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबन्ध निगम नीति के अनुसार (संदर्भ टिप्पणी सं.33) प्रावधान को मान्यता दी जाती है जबः

- (i) पिछली घटना के परिणामस्वरूप निगम का वर्तमान दायित्व है
- (ii) संसाधनों के संभावित बहिर्वाह से दायित्व का निपटान होने की उम्मीद है और
- (iii) दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है

ऊपर मान्यता प्राप्त प्रावधान जो 12 माह से अधिक समय तक निपटान की उम्मीद है, वर्तमान मूल्य पर कर पूर्व छूट दर का उपयोग करने मापा जाता है जो देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है और समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। .

चैनल सहभागियों(चै.स.) द्वारा देय ऋणों/देय राशियों के संबंध में, जो राज्य सरकार की गारंटी /अन्य वित्तीय प्रपत्रों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किए गए हैं, कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है।

निगम ने "अतिदेय ऋणों एवं अग्रिमों के पुनर्निर्धारण" के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार बहुत ही असाधारण मामलों में ऋणों को पुनर्निर्धारित किया था। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने बोर्ड की 126वीं बैठक के माध्यम से चैनल सहभागियों के अतिदेय के पुनर्निर्धारण/स्थगन पर विचार किया था और असुरक्षित और डिफॉल्ट की संभावना के आधार पर अतिदेय पर अपेक्षित क्रेडिट हानि की नीति को मंजूरी दी थी।

Note 6.11.1 Details of allowance for Loans & advances (non-current/current) as on 31.03.2024

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/Provision written back during 23-24	Closing Balance
Loans & Advances -General loan	181.92	14.21	0.00	196.13
Loans & Advances -Micro finance	883.95	351.43	0.00	1235.39
Total	1065.87	365.65	0.00	1431.52
Previous year	649.11	416.76	0.00	1065.87

Note 6.11.2 Allowances on Loan and advances to respective channel partners is made as per the Corporation policy (Ref. Note. No.33)

Note 7 Other financial assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024			As at March 31, 2023		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(1) Interest Receivable:						
Secured, considered good						
- Interest on General Loan (By way of Govt. order /Block Govt. Guarantee received)	-	1,079.98	1,079.98	-	1,080.11	1,080.11
- Interest on Micro Finance	-	42.34	42.34	-	67.08	67.08
	-	1,122.33	1,122.33	-	1,147.19	1,147.19
Unsecured, considered good						
Interest on General Loan	-	0.20	0.20	-	0.69	0.69
Interest on Micro Finance	-	2.14	2.14	-	-	-
	-	2.35	2.35	-	0.69	0.69
Doubtful						
Interest on General Loan	-	593.34	593.34	-	516.72	516.72
Interest on Micro Finance	-	50.34	50.34	-	31.94	31.94
Penal Interest on General Loan	-	241.74	241.74	-	241.74	241.74
Penal Interest on Micro Finance	-	3.52	3.52	-	3.52	3.52
	-	888.93	888.93	-	793.92	793.92
Less : Allowance for loans & advances	-	(889.28)	(889.28)	-	(794.03)	(794.03)
Sub Total (1)	-	1,124.32	1,124.32	-	1,147.78	1,147.78
(2) Interest accrued but not due						
General Loan	495.22	226.17	721.40	581.20	196.23	777.43
Micro Finance	-	45.87	45.87	-	33.11	33.11
Sub Total (2)	495.22	272.04	767.26	581.20	229.34	810.54
Others						
(i) Interest accrued but not due - Saving Bank	-	0.66	0.66	-	0.65	0.65
(ii) Security Deposits - Unsecured Considered Good	0.30	-	0.30	0.25	-	0.25
(iii) Other Receivables						
(iii)(a) Amount recoverable/adjustable from employees	0.34	-	0.34	-	-	-
(iii)(b) Amount recoverable from parties -considered good - Secured	-	-	-	-	-	-
(iii)(c) Amount recoverable from parties -considered good - Unsecured	119.61	-	119.61	36.62	-	36.62
(iii)(d) Amount recoverable from parties -significant increase in Credit Risk	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी 6.11.1 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (गैर-वर्तमान/वर्तमान) की अनुमति

विवरण	आरंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	23-24 की अवधि में पीछे से लाए गए/ वसूले गए प्रावधान	अंत शेष
ऋण एवं अग्रिम-सामान्य ऋण	181.92	14.21	0.00	196.13
ऋण एवं अग्रिम-सूक्ष्म वित्त	883.95	351.43	0.00	1235.39
योग	1065.87	365.65	0.00	1431.52
गत वर्ष	649.11	416.76	0.00	1065.87

टिप्पणी 6.11.2 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों की अनुमति निगम की नीति के अनुसार किय गया है (संदर्भ टिप्पणी संख्या 33)

टिप्पणी:-7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
(1) प्राप्य ब्याज:						
सुरक्षित, अच्छे माने गए						
- सामान्य ऋण पर ब्याज (सरकारी आदेश/ब्लॉक शासकीय गारंटी प्राप्त)	-	1,079.98	1,079.98	-	1,080.11	1,080.11
- सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	42.34	42.34	-	67.08	67.08
	-	1,122.33	1,122.33	-	1,147.19	1,147.19
असुरक्षित, अच्छे माने गए						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	0.20	0.20	-	0.69	0.69
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	2.14	2.14	-	-	-
	-	2.35	2.35	-	0.69	0.69
संदेहपूर्ण						
सामान्य ऋण पर ब्याज	-	593.34	593.34	-	516.72	516.72
सूक्ष्म ऋण पर ब्याज	-	50.34	50.34	-	31.94	31.94
सामान्य ऋण पर दंड ब्याज	-	241.74	241.74	-	241.74	241.74
सूक्ष्म ऋण पर दण्ड ब्याज	-	3.52	3.52	-	3.52	3.52
	-	888.93	888.93	-	793.92	793.92
घटाएं: ऋण एवं अग्रिम के लिए एलाउंस	-	(889.28)	(889.28)	-	(794.03)	(794.03)
उप योग (1)	-	1,124.32	1,124.32	-	1,147.78	1,147.78
(2) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं						
सामान्य ऋण	495.22	226.17	721.40	581.20	196.23	777.43
सूक्ष्म वित्त	-	45.87	45.87	-	33.11	33.11
उप योग (2)	495.22	272.04	767.26	581.20	229.34	810.54
अन्य						
(i) उपार्जित ब्याज किन्तु देय नहीं - बचत बैंक	-	0.66	0.66	-	0.65	0.65
(ii) सुरक्षा जमा - असुरक्षित अच्छे माने गए	0.30	-	0.30	0.25	-	0.25
(iii) अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-
(iii)(क) वसूली योग्य राशि/ कर्मचारियों से समायोजित	0.34	-	0.34	-	-	-
(iii)(ख) पार्टियों से प्राप्य धनराशि - अच्छे माने गए - सुरक्षित	-	-	-	-	-	-
(iii)(ग) पार्टियों से प्राप्य धनराशि - अच्छे माने गए - असुरक्षित	119.61	-	119.61	36.62	-	36.62
(iii)(घ) पार्टियों से प्राप्य धनराशि - क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-	-	-	-	-

Particulars	As at March 31, 2024			As at March 31, 2023		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
(iii)(e) Amount recoverable from parties - Credit impaired						-
(iii)(f) Form banks (others)					-	-
Sub Total (3)	120.25	0.66	120.91	36.87	0.65	37.52
Grand Total (1+2+3)	615.47	1,397.02	2,012.50	618.07	1,377.77	1,995.84

Note 7.1 During the year, additional demand notice for the period 16.02.2024 to 31.03.2024 have not been raised upto 31.03.2024. However, interest for that period amounting to ₹ 105.78 Lakhs (₹ 63.76 Lakhs as at 31.03.2023) has been included in interest accrued but not due.

Note 7.2 Detail of allowance for interest on Loans & Advances (current/non current) as on 31.03.2024.

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Addition during the year	Recovered/ Provision written back	Closing Balance
Penal Interest	245.26			245.26
Interest on loan - General Loan	516.82	76.54		593.37
Interest on loan - Micro Finance	31.94	18.72		50.66
Total	794.03	95.26	-	889.28
Previous Year	698.94	95.54	0.46	794.03

Note 7.3 Allowances on Loan and advances in respective channel partners is made as per the Corporation policy

Note 8 Other current & non current assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024			As at March 31, 2023		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Samples		-	-		-	-
Net planned Assets for gratuity or leave encashment (Refer Note:14.1)	43.06	-	43.06	33.48	-	33.48
Prepaid Expenses (refer note: 8.1)	55.44	17.05	72.49	32.02	9.83	41.85
Stamps in hand	-	0.10	0.10		0.18	0.18
Advance Receivable		-	-		0.94	0.94
Grand Total	98.51	17.15	115.65	65.51	10.96	76.46

Note 8.1 Prepaid expenses represents unamortized portion of Staff Loans & Advances or difference between the fair value of financial assets at initial recognition & loans given.

Note 9 Cash and cash equivalent

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
(a) Cash and other Bank Balances		
- Cash in hand		
(b) Balance with Banks		
- In Saving Accounts	1,097.78	3,410.28
Total	1,097.78	3,410.28

Note 9.1 Generally recoveries/refunds from borrowing agencies were received last day of the financial year. Therefore, it could not be invested for intended purpose.

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
(iii)(ड.) पार्टियों से प्राप्य धनराशि – उधारी क्षति						-
(iii)(च) बैंक से (अन्य)					-	-
उप योग (3)	120.25	0.66	120.91	36.87	0.65	37.52
कुल योग (1+2+3)	615.47	1,397.02	2,012.50	618.07	1,377.77	1,995.84

टिप्पणी 7.1 वर्ष के दौरान, 16.02.2024 से 31.03.2024 की अवधि की अतिरिक्त मांग नोटिसों 31.03.2024 तक नहीं भेजी गई है। तथापि, उस अवधि की ₹ 105.78 लाख (31.03.2023 को ₹ 63.76 लाख की ब्याज धनराशि उपार्जित ब्याज में सम्मिलित की गई, किन्तु देय नहीं।

टिप्पणी 7.2 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों (वर्तमान/ गैर-वर्तमान) के लिए प्रबंध का विवरण।

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	पीछे से लाए गए वसूले गए/ प्रावधान	अंत शेष
दंडात्मक ब्याज	245.26			245.26
ऋण पर ब्याज - सामान्य ऋण	516.82	76.54		593.37
ऋण पर ब्याज - सूक्ष्म वित्त	31.94	18.72		50.66
योग	794.03	95.26	-	889.28
गत् वर्ष	698.94	95.54	0.46	794.03

टिप्पणी 7.3 संबंधित चैनल सहभागियों को ऋण एवं अग्रिमों का प्रबंध निगम की नीति के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 8 अन्य वर्तमान एवं गैर वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
नमूने		-	-		-	-
उपदान अथवा अवकाश नकदीकरण हेतु शुद्ध योजनाबद्ध परिसंपत्तियां (टिप्पणी: 14.1 देखें)	43.06	-	43.06	33.48	-	33.48
पूर्वदत्त व्यय (संदर्भ टिप्पणी: 8.1)	55.44	17.05	72.49	32.02	9.83	41.85
उपलब्ध स्टैम्प	-	0.10	0.10		0.18	0.18
अग्रिम प्राप्य		-	-		0.94	0.94
कुल योग	98.51	17.15	115.65	65.51	10.96	76.46

टिप्पणी 8.1 पूर्व में भुगतान किए गए कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम या वित्तीय संमतियों के अपरिशोधित अंश को उचित मूल्य के बीच अंतर प्रारंभिक मान्यता और ऋण के बीच अंतर प्रदर्शित करता है।

टिप्पणी 9 नकद एवं नकदी समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(क) नकद एवं अन्य बैंक जमा		
- पास में नकद		
(ख) बैंक के पास अवशेष		
- बचत खाते में	1,097.78	3,410.28
योग	1,097.78	3,410.28

टिप्पणी 9.1 सामान्यतः उधार लेने वाले अभिकरणों से वसूली/वापसी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर प्राप्त हुई है। अतः इसे इच्छित उद्देश्य के लिए निवेश नहीं किया जा सकता था।

Note 10 Cash and cash equivalent-Grant Fund

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
(c) Other Bank Balance (Grant Funds & Others)		
- Saving Account	3,233.95	1,184.12
Post Retirement Medical Fund for Superannuated Employees	223.55	190.75
Unspent CSR-Fund	24.34	
Total	3,481.83	1,374.87

Note 10.1 Other bank balances represents funds meant for utilisation for training of the target group only as per the terms of the grant (Interest Subvention Scheme VISVAS, PM Daksh & other CSR Funds) along with Separate Saving Account for Post Retirement-Medical Expenses.

Note 11 Current Tax Asset (Net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Income Tax/TDS Receivable	1.21	0.59
Total	1.21	0.59

Note 12 Share Capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Authorized share capital		
(1,72,50,000 Equity shares of ₹1,000/- each)	172,500.00	150,000.00
(As at 31st March 2024, 1,72,50,000 Equity shares of ₹1,000/- each)		
Issued/Subscribed and Paid up Capital		
(1,49,94,000 Equity shares of ₹1,000/- each)		
(As at 31st March 2024, 1,51,44,000 Equity shares of ₹1,000/- each)	151,440.00	149,940.00
Total	151,440.00	149,940.00

Note 12.1 Reconciliation of the number of equity shares and share capital

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)	(No's of Shares)	(Amount in Lakhs)
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the beginning of the year	14,994,000.00	149,940.00	14,994,000.00	149,940.00
Add: Shares Issued during the year	150,000.00	1,500.00	-	-
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	15,144,000.00	151,440.00	14,994,000.00	149,940.00

Shares held by promoters at the end of the year	Shares held by Promoters at the end of the Year			% Change in during the year***
	Promoter Name	No. of Shares	% of total shares	
Equity Shares	President of India	15,143,999	100.00	Nil
	Joint Secretary Backward Classes	1	0.00	Nil
Total		15,144,000	100.00	

टिप्पणी 10 नकद एवं नकदी समकक्ष-अनुदान निधि

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(ग) अन्य बैंक अवशेष (अनुदान राशि एवं अन्य)		
- बचत खाता	3,233.95	1,184.12
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त के पश्चात चिकित्सा कोष	223.55	190.75
अव्ययित सी.एस.आर.-निधि	24.34	
योग	3,481.83	1,374.87

टिप्पणी 10.1 अन्य बैंक अवशेष, मात्र अनुदान की शर्तों के अनुसार ही लक्ष्य समूह के प्रशिक्षण के उपयोग के लिए निधि को प्रदर्शित करता है (विश्वास ब्याज सबवेंशन योजना, पी.एम. दक्ष एवं अन्य सी.एस.आर. राशि), साथ ही सेवानिवृत्ति के पश्चात्- चिकित्सा व्यय के लिए अलग बचत खाता को भी दर्शाते हैं।

टिप्पणी:- 11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आयकर/ प्राप्य टी.डी.एस.	1.21	0.59
योग	1.21	0.59

टिप्पणी 12 अंश पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्राधिकृत अंश पूंजी		
₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,72,50,000 साम्य अंश)	172,500.00	150,000.00
(31 मार्च 2024 को ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,72,50,000 साम्य अंश)		
निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		
₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,49,94,000 साम्य अंश)	151,440.00	149,940.00
(31 मार्च 2024 को ₹ 1,000/- प्रत्येक के 1,51,44,000 साम्य अंश)		
योग	151,440.00	149,940.00

टिप्पणी 12.1 साम्य अंशों एवं अंश पूंजी की संख्या का मिलान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)	(अंशों की संख्या)	(धनराशि लाख में)
वर्ष के आरंभ पर निर्गत/अभिदत्त एवं बकाया प्रदत्त अंश पूंजी	14,994,000.00	149,940.00	14,994,000.00	149,940.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान निर्गत अंश	150,000.00	1,500.00	-	-
वर्ष के अंत में निर्गत/अभिदत्त एवं बकाया प्रदत्त अंश पूंजी	15,144,000.00	151,440.00	14,994,000.00	149,940.00

वर्ष के अंत में प्रमोटर्स के शेयर	वर्ष के अंत में प्रमोटर्स के शेयर			% वर्ष के दौरान परिवर्तन***
	प्रमोटर का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का %	
साम्य अंश	भारत के राष्ट्रपति	15,143,999	100.00	शून्य
	संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग	1	0.00	शून्य
योग		15,144,000	100.00	

Terms & Rights attached to Equity Shares

The Corporation has only one class of equity shares having par value of ₹1,000 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In terms of Section 8(1)(c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to meet the objectives of the Corporation.

During the FY 2023-24, the Corporation had received Equity Share Capital of ₹ 15.00 Crs dated on 05.03.2024 having par value of ₹ 1,000 per share. Further, the Corporation had allotted 1,50,000 equity shares having par value ₹ 1,000 per share vide 134th Meeting of the Board of Directors dated on 28.03.2024 in favour of the President of India, totaling to 1,51,44,000 Nos. of equity shares with par value 1,000 each as on March 31, 2024.

Note 13 Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Special Reserve	1,000.00	1,000.00
General Reserve	61,879.45	58,796.40
Retained Earnings	-	-
Share Application Money pending allotment	-	-
Post Retirement Medical Fund	223.55	190.75
Issued/Subscribed and Paid up equity Capital outstanding at the end of the year	63,103.00	59,987.15

Note 13.1 Special Reserve

Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Balance as at the beginning of the year	1,000.00	2,500.00
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	-	-
Less: Transferred to General Reserve	-	-
Closing Balance	1,000.00	1,000.00

Note 13.2 General Reserve

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Balance as at the beginning of the year	58,796.40	55,759.97
Add: Profit during the period transfer from General Reserve	3,083.05	3,036.43
Closing Balance	61,879.45	58,796.40

साम्य अंशों से जुड़े नियम और अधिकार

निगम में साम्य अंशों का केवल एक वर्ग है जिसका मूल्य ₹1,000 प्रति अंश है। प्रत्येक अंश धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1)(सी) के अंतर्गत निगम लाभांश घोषित नहीं करता है और निगम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यय (अधिशेष) से अधिक की आय को वापस पुनर्नियोजित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निगम ने 05.03.2024 को ₹ 15.00 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी प्राप्त हुई, जिसका सममूल्य ₹ 1,000 प्रति शेयर है। इसके अलावा, निगम ने 28.03.2024 को निदेशक मंडल की 134वीं बैठक के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में 1,50,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए थे, जिनका सममूल्य ₹ 1,000 प्रति शेयर है, जो 31 मार्च, 2024 तक 1,51,44,000 इक्विटी शेयरों की योग संख्या है, जिनका सममूल्य ₹ 1,000 प्रति शेयर है।

टिप्पणी 13 अन्य अंश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
विशेष आरक्षित	1,000.00	1,000.00
सामान्य आरक्षित	61,879.45	58,796.40
प्रतिधारित आय	-	-
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	-	-
सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा कोष	223.55	190.75
वर्ष के अंत में अवशेष निर्गत/अभिदत्त एवं प्रदत्त अंश पूंजी	63,103.00	59,987.15

टिप्पणी 13.1 विशेष रिजर्व अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	1,000.00	2,500.00
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	-	-
घटाएं: सामान्य आरक्षित से अंतरण	-	-
अंत: शेष	1,000.00	1,000.00

टिप्पणी 13.2 सामान्य रिजर्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	58,796.40	55,759.97
जोड़ें: सामान्य आरक्षित से अंतरण की अवधि में लाभ	3,083.05	3,036.43
अंत: शेष	61,879.45	58,796.40

Note 13.3 Retained Earnings

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add/Less: Depreciation Adjustment (refer note 3.1)	-	-
Add/Less: Other Adjustment (refer Note No. 7.2 & Note 3)	-	(0.01)
Add/Less: Other adjustment	(0.01)	(0.97)
Add: Profit during the period transferred from Statement of Income & Expenditure	3,081.79	3,035.27
Add: Special Reserve	-	-
	3,081.78	3,034.29
Add: Other comprehensive income arising from remeasurement of defined benefit obligation	1.27	2.15
Less : Transferred to General Reserve	3,083.05	3,036.43
Closing Balance	-	-

Other Adjustment (FY 2022-23) pertains to expenditure incurred against unspent donation receipt amounting to Rs. 97,394/- only for FY 2020-21 & FY 2021-22

Note 13.4 Share application money pending allotment**Other Equity**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Balance as at the beginning of the year	-	-
Add: Received during the year	1,500.00	-
Less: Shares allotted during the year	1,500.00	-
Closing Balance	-	-

Note 13.5 Post Retirement Medical Fund**Other Equity**

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Balance as at the beginning of the year	190.75	164.58
Add: Received during the year	32.80	26.16
Closing Balance	223.55	190.75

Note 13.6 Special Reserve of Rs 1000 lakhs kept for meeting capital expenditure on land/building, is not represented by any earmarked investment. Any capital expenditure out of the Special Reserve shall be subject to the approval of the Administrative Ministry.

Note 13.7 In terms of Section 8(1) (c) of the Companies Act 2013, the Corporation does not declare dividend and ploughs back its excess of Income over Expenditure (Surplus) to make disbursement of loan and meet future expenses including administrative expenses. As such, the Surplus has been transferred to General Reserve.

Note 13.8 The Corporation is a not for profit entity and its activities for development of the target group through their training & market exposure are in nature of Corporate Social Responsibility (CSR) activities

टिप्पणी 13.3 प्रतिधारित आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ें/घटाएं: मूल्यहास समायोजन (टिप्पणी 3.1 देखें)	-	-
जोड़ें/घटाएं: अन्य समायोजन (टिप्पणी संख्या 7.2 एवं टिप्पणी 3 देखें)	-	(0.01)
जोड़ें/घटाएं: अन्य समायोजन	(0.01)	(0.97)
जोड़ें: आय एवं व्यय विवरण से अंतरण की अवधि में लाभ	3,081.79	3,035.27
जोड़ें: सामान्य आरक्षित	-	-
	3,081.78	3,034.29
जोड़ें: परिभाषित लाभ दायित्व के पुर्नमापन से उत्पन्न अन्य समग्र आय	1.27	2.15
घटाएं: सामान्य आरक्षित को अंतरित	3,083.05	3,036.43
अंत: शेष	-	-

अन्य समायोजन (वित्त वर्ष 2022-23) वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केवल ₹ 97,394 मात्र की धनराशि की प्राप्ति खर्च न किए गए दान के सापेक्ष किए गए व्यय आय से सम्बंधित है।

**टिप्पणी 13.4 आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि
अन्य अंश**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	1,500.00	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान आवंटित अंश	1,500.00	-
अंत: शेष	-	-

**टिप्पणी 13.5 सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि
अन्य अंश**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	190.75	164.58
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	32.80	26.16
अंत: शेष	223.55	190.75

टिप्पणी 13.6 ₹1000 लाख के सामान्य आरक्षित को भूमि/भवन पर पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए रखा गया है, को किसी भी निश्चित विनिवेश में नहीं दर्शाया गया है। सामान्य आरक्षित का कोई भी पूंजीगत व्यय प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन की दशा में होगा।

टिप्पणी 13.7 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1) (सी) के अनुसार, निगम लाभांश घोषित नहीं करता एवं व्यय से आय के आधिक्य को ऋणों के वितरण एवं भविष्य के खर्चों जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित हैं, करने में करता है। इस प्रकार, आधिक्य को सामान्य आरक्षित में अंतरित किया गया है।

टिप्पणी 13.8 निगम लाभ के लिए नहीं है एवं इनके प्रशिक्षण और बाजार एक्सपोजर कार्यक्रमों के माध्यम से लक्ष्य समूह के विकास के लिए इसकी गतिविधियां कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों की प्रकृति में हैं।

Note 13.9 Borrowings

(₹ in Lakhs)

Secured Loans

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Balance as at the beginning of the year	-	-
Closing Balance	-	-

The Corporation had availed Overdraft facility from Canara Bank to the tune of ₹ 100 Crores having Inventory/ Account Receivables as charge against the same. During the Year, the Corporation had utilised an amount of ₹ 53.50 Crores for disbursement during PM-SURAJ scheme. Further, the same fund had been repaid within the same FY 2023-24 and therefore outstanding balance stands to nil.

Note 14 Provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024			As at March 31, 2023		
	Non - Current	Current	Total	Non - Current	Current	Total
Provision for Retirement Benefits to Employees						
-Gratuity						
-Leave Benefits	32.98		32.98	17.68		17.68
-Medical Scheme						
Sub Total (a)	32.98	-	32.98	17.68	-	17.68
Provision for Performance Related Pay :						
- Managing Director		16.36	16.36	-	5.43	5.43
- Other Employees		83.08	83.08	-	107.97	107.97
Sub Total (b)		99.44	99.44	-	113.40	113.40
Leave Travel Concession	17.94	13.45	31.39	21.31	12.18	33.49
Performance Linked Incentive Grant to Channel Partners	-	-	-	-	-	-
House Tax	-	-	-	-	-	-
Provision for Expenses	-	-	-	-	-	-
Total	50.91	112.89	163.81	38.99	125.58	164.57

Note 14.1 Details of provisions(FY 2023-24)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2023	Additions during the year	Utilized/ payments during the year 2023-24	Written back during 2023-24	As at 31st March 2024
Gratuity (refer note no. 8)	(33.48)			9.58	(43.06)
Leave Benefits (refer note no. 8)	17.68	64.11	48.81		32.98
House tax	-	-			-
Performance linked incentive Grant to Channel Partners	-	-			-
Leave Travel Concession	33.49	2.36	4.45	-	31.39
Performance Related Pay	113.40	99.44	113.40		99.44
Provision for Expenses	-	-	-		-
Total	131.09	165.91	166.67	9.58	120.74

टिप्पणी 13.9 उधारी सुरक्षित ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के आरंभ में अवशेष	-	-
अंत: शेष	-	-

निगम ने केनरा बैंक से ₹100 करोड़ की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की गई है, जिसके लिए इन्वेंटरी/खाता प्राप्य राशि को चार्ज के रूप में लिया गया है। वर्ष के दौरान, निगम ने पीएम-सूरज योजना के तहत संवितरण के लिए ₹ 53.50 करोड़ की राशि का उपभोग किया है। इसके अलावा, इस फंड को उसी वित्त वर्ष 2023-24 के भीतर ही चुकौती कर दी गई है एवं इसलिए बकाया राशि शून्य हो गई है।

टिप्पणी 14 प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2023 को		
	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर-वर्तमान	वर्तमान	योग
कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान:						
- उपदान						
- अवकाश लाभ	32.98		32.98	17.68		17.68
- चिकित्सा योजना						
उप योग (क)	32.98	-	32.98	17.68	-	17.68
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान:						
- प्रबंध निदेशक		16.36	16.36	-	5.43	5.43
- अन्य कर्मचारी		83.08	83.08	-	107.97	107.97
उप योग (ख)		99.44	99.44	-	113.40	113.40
यात्रा अवकाश रियायत	17.94	13.45	31.39	21.31	12.18	33.49
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	-	-	-	-	-
गृह कर	-	-	-	-	-	-
व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
योग	50.91	112.89	163.81	38.99	125.58	164.57

टिप्पणी 14.1 प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-23)

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2023-24 के दौरान उपभोग/ भुगतान	2023-24 की अधि में पीछे से लिए गए	31 मार्च 2024 को
उपदान (टिप्पणी 8 देखें)	(33.48)			9.58	(43.06)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 8 देखें)	17.68	64.11	48.81		32.98
गृह कर	-	-			-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	-	-			-
यात्रा अवकाश रियायत	33.49	2.36	4.45	-	31.39
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	113.40	99.44	113.40		99.44
व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-		-
योग	131.09	165.91	166.67	9.58	120.74

Note 14.1(a) Details of provisions(FY 2022-23)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at 1st April 2022	Additions during the year	Utilized/payments during the year 2022-23	Written back during 2022-23	As at 31st March 2023
Gratuity (refer note no. 8)	(43.47)	9.99			(33.48)
Leave Benefits (refer note no. 8)	8.19	45.43	35.93		17.68
House tax					-
Performance linked incentive Grant to Channel Partners	173.50	-	150.36	23.14	-
Leave Travel Concession	24.69	16.47	7.68		33.49
Performance Related Pay	235.95	113.40	233.79	2.16	113.40
Provision for Expenses	33.23	-	33.23		-
Total	432.09	185.29	461.00	25.30	131.09

Note 14.2 Provision for liability towards leave travel concession of ₹ 31.39 Lakhs (₹ 33.49 Lakhs as at 31.03.2023) is made, as per actuarial assessment.

Note 14.3 Provision for performance related pay of ₹ 99.44 Lakh (₹ 113.40 Lakhs as at 31.03.2023) has been made on the basis of 'Excellent' rating of all employees, which is based on calculation of raw score on parameters as defined in MOU, which was signed by "Ministry of Social Justice & Empowerment" and Corporation. However, the applicability of rating i.e. from poor to excellent of the employees is related with their individual performances. Any difference in the actual payment on the basis of rating will be adjusted in the year of payment.

Note 14.4 As per clarification received from Department of Public Enterprises vide OM no. 2(14)/12-DPE (WC) -GL-IV/14 dated 07.02.2014 a maximum of 300 days of earned leave can be accumulated at any point of time during the service. Earned leave is encashable during the service; while half pay leave is not encashable during the service or on superannuation. However, on superannuation earned leave plus half pay leave together can be encashed subject to a maximum of 300 days.

Note 14.5 Disclosures as per Ind AS - 19 Actuarial Valuation (Gratuity, Leave Benefit)

The Corporation has a defined benefit plan for payment of gratuity to all employees, which is funded with Life Insurance Corporation of India. Every employee who has completed five years or more of service receives gratuity on leaving the Corporation at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service. The present value of obligation determined is based on actuarial valuation using the projected unit credit method. Liability for long term employee benefits has been determined by an actuary, appointed for the purpose , in conformity with the principles set out in the Ind AS -19 as prescribed by Companies (Ind As)Rule ,2015

The summarized position of defined benefits of gratuity and long term leave benefits recognized in the Statement of Income and Expenditure and Balance Sheet along with the funded status (net basis) is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(l) Key Assumption of actuarial				
Economic Assumptions	PUC Method		PUC Method	
Discount Rate	7.09%	7.29%	7.29%	7.29%
Salary rise (p.a) *	6%	6.00%	6.00%	6.00%
Expected rate of return on assets	7.09%	7.09%	7.29%	7.29%
Demographic Assumptions				
Employee Turnover	2%		2%	
Retirement Age	60 years		60 years	
* first 5 year 6% & for 1 Year after 5 year 12% & for 10 years after that 6%				

टिप्पणी 14.1(क) प्रावधानों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2021-22)

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष 2022-23 के दौरान उपभोग/ भुगतान	2022-23 की अवधि में पीछे से लाए गए	31 मार्च 2023 को
उपदान (टिप्पणी 8 देखें)	(43.47)	9.99			(33.48)
अवकाश लाभ (टिप्पणी 8 देखें)	8.19	45.43	35.93		17.68
गृह कर					-
चैनल सहभागियों को कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन अनुदान	173.50	-	150.36	23.14	-
यात्रा अवकाश रियायत	24.69	16.47	7.68		33.49
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	235.95	113.40	233.79	2.16	113.40
व्यय के लिए प्रावधान	33.23	-	33.23		-
योग	432.09	185.29	461.00	25.30	131.09

टिप्पणी 14.2 वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर यात्रा रियायत अवकाश ₹ 31.39 लाख (31.03.2023 को ₹ 33.49 लाख) के दायित्व का प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी 14.3 कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन ₹ 99.44 लाख (31.03.2023 को ₹ 113.40 लाख) का प्रावधान समस्त कर्मचारियों की उत्कृष्ट रेटिंग के आधार पर किया गया है, जो मानदण्डों के रा-स्कोर के आगणन पर आधारित हैं, जैसा कि "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" एवं "निगम" के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिभाषित किया गया है। तथापि, रेटिंग की प्रयोज्यता अर्थात्-खराब से उत्कृष्ट कर्मचारियों के व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबंधित है। रेटिंग के आधार पर वास्तविक भुगतान में किसी अंतर का समायोजन भुगतान वर्ष में किया जाएगा।

टिप्पणी 14.4 लोक उद्यम विभाग से का.ज्ञा. सं. 2(14)12-DPE&GL&IV/14 दिनांक 07.02.2014 के अनुसार प्राप्त स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा की अवधि में किसी भी समय अधिकतम 300 दिनों के अर्जित अवकाश को एकत्र किया जा सकता है। अर्जित अवकाश सेवा अवधि में नकदीकरण योग्य हैं, जबकि अर्द्ध-वेतन अवकाश सेवा की अवधि में अथवा सेवानिवृत्ति पर भुगतान नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, 300 दिनों की अधिकतम सीमा में, सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश एवं अर्द्ध-अर्जित अवकाश को साथ-साथ मिलाकर नकदीकरण किया जा सकता है।

टिप्पणी 14.5 वास्तविक मूल्यांकन (उपदान, अवकाश भुगतान) का भारतीय लेखाकरण मानक-19 के अनुसार प्रकटन निगम के पास सभी कर्मचारियों को ग्रेजुटी के भुगतान के लिए एक परिभाषित लाभ योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुका है, उसे निगम छोड़ने पर सेवा के प्रत्येकपूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (पिछले आहरित वेतन के अनुसार) उपदान (ग्रेजुटी) प्राप्त होता है। निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके वास्तविक किया जाता है।

जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 द्वारा वर्णित किया गया है भारतीय लेखाकरण मानक-19 में विनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुरूप लंबी अवधि के कर्मचारी लाभों का दायित्व वास्तविक, उद्देश्य हेतु नियत किया गया है। उपदान के परिभाषित लाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं दीर्घावधि अवकाश लाभ आय व व्यय विवरण एवं तुलन-पत्र के साथ-साथ निधित स्थिति (शुद्ध) निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(I) वास्तविक के मुख्य पूर्वानुमान				
आर्थिक पूर्वानुमान	पीयूसी पद्धति		पीयूसी पद्धति	
छूट दर	7.09%	7.29%	7.29%	7.29%
वेतन बढ़ोत्तरी (वार्षिक)*	6%	6.00%	6.00%	6.00%
परिसंपत्तियों पर वापसी की प्रत्याशित दर	7.09%	7.09%	7.29%	7.29%
जनांकिकी पूर्वानुमान	2%		2%	
कर्मचारी कारोबार	60 साल		60 साल	
सेवानिवृत्त की आय	60 साल		60 साल	
*पहले 5 वर्ष 6% एवं 5 वर्षों के बाद 1 वर्ष के लिए 12% एवं उसके बाद 10 वर्षों के लिए 6%				

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(II) Amount Recognized in Statement of Financial Position at Period End				
Defined Benefit Obligation	546.57	389.99	484.61	343.06
Fair Value of Plan Assets	589.63	357.02	518.10	325.38
	(43.06)	32.98	(33.48)	17.68
Present Value of Unfunded Defined Benefit Obligation				
Unrecognised Asset due to Asset Ceiling				
Net Defined Benefit (Asset)/Liability Recognized in Statement of Financial Position	(43.06)	32.98	(33.48)	17.68
(III) Net Defined Benefit Cost /(Income) included in statement of Profit & Loss at Period End				
Service Cost	22.14	26.38	20.74	21.67
Net Interest Cost	(2.44)	1.81	(2.87)	1.00
Past Service Cost				
Remeasurements		35.92		22.76
Administration Expenses				
(Gain)/Loss due to Settlements / Curtailments				
Total Defined Benefit Cost /(Income) Included in Profit & Loss	19.70	64.11	17.87	45.43
(IV) Current /Non Current Bifurcation				
Current Benefit Obligation	37.69	26.69	15.90	12.13
Non- Current Benefit Obligation	508.88	363.31	468.71	330.94
(Asset)/Liability Recognized in the Balance Sheet	546.57	389.99	484.61	343.06
(V) Actual return on Plan assets				
Interest Income on Plan Assets	37.77		34.31	
Expected Return on Plan Assets		23.72		21.74
Remeasurements of Plan assets	3.21	1.71	0.24	(0.44)
Actual Return on Plan Assets	40.98	25.43	34.55	21.31
(VI) Analysis of Amounts Recognised in Other Comprehensive (Income)/Loss at Period End				
Amount Recognised in OCI Beginning of Period	(7.01)		(4.87)	
Remeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions	4.82		(2.76)	
Effect of Change in demographic assumptions	(0.34)		0.86	
Effect of experience adjustments				
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)	(3.21)		(0.24)	
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized in OCI	1.27		(2.15)	
Amount Recognized in OCI	(5.74)		(7.01)	

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(II) अवधि की समाप्ति पर वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशि				
परिभाषित लाभ बाध्यता	546.57	389.99	484.61	343.06
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	589.63 (43.06)	357.02 32.98	518.10 (33.48)	325.38 17.68
अनिधित परिभाषिक लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य परिसंपत्तियों की उच्चतम सीमा के कारण गैर-मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/वित्तीय स्थिति के विवरण में दायित्व माने गए हैं	(43.06)	32.98	(33.48)	17.68
(III) अवधि की समाप्ति पर लाभ एवं हानि विवरण में सम्मिलित शुद्ध परिभाषित लाग लागत/(आय)				
सेवा लागत	22.14	26.38	20.74	21.67
शुद्ध ब्याज लागत	(2.44)	1.81	(2.87)	1.00
पिछली सेवा लागत				
पुनः मापन		35.92		22.76
प्रशासनिक व्यय				
निपटान/कटौती के कारण (प्राप्ति)/हानि				
लाभ एवं हानि में सम्मिलित कुल परिभाषित लागत/(आय)	19.70	64.11	17.87	45.43
(IV) वर्तमान/गैर-वर्तमान विभाजन				
वर्तमान लाभ बाध्यता	37.69	26.69	15.90	12.13
गैर-वर्तमान लाभ बाध्यता	508.88	363.31	468.71	330.94
तुलन-पत्र में लिए गए (परिसंपत्तियों)/दायित्व	546.57	389.99	484.61	343.06
(V) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी				
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	37.77		34.31	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित वापसी		23.72		21.74
योजना परिसंपत्तियों का पुनः मापन	3.21	1.71	0.24	(0.44)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	40.98	25.43	34.55	21.31
(VI) अवधि समाप्ति पर अन्य व्यापक(आय)/हानि व मान्यता प्राप्त धनराशि का विश्लेषण				
अवधि के आरंभ में ओ.सी.आई. में मानी गई धनराशि	(7.01)		(4.87)	
पुनः-मापन के कारण: :-				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	4.82		(2.76)	
जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव	(0.34)		0.86	
समायोजन अनुभव का प्रभाव				
निपटान/कटौती के कारण (प्राप्ति)/हानि				
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)	(3.21)		(0.24)	
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त कुल पुनः-मापन	1.27		(2.15)	
ओ.सी.आई. में मान्यता प्राप्त राशि	(5.74)		(7.01)	

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(VII) Analysis of Amounts Recognised in Remeasurements of the Net Defined Benefit Liability/(Asset) during the Period				
Premeasurements due to :-				
Effect of Change in financial assumptions		3.72		(2.07)
Effect of Change in demographic assumptions				
Effect of experience adjustments		33.91		24.39
(Gain)/Loss on Curtailments/settlements				
Return on Plan assets(excluding interest)		(1.71)		0.44
Change in asset ceiling				
Total remeasurements recognized (gains)/ losses		35.92		22.76
(VIII) Changes in defined Benefit Obligation during the Period				
Defined Benefit Obligations Beginning of period	484.61	343.06	434.33	311.01
Interest cost on DBO	35.33	26.38	31.44	21.67
Current service cost	22.14	25.53	20.74	22.74
Benefit paid (if any)				
Benefit paid by the Insurer (if any)	0.00	(42.61)	0.00	(34.68)
Past Service cost				
Actuarial (gain)/loss	4.48	37.63	(1.90)	22.32
Defined Benefit Obligation at the end of the period	546.57	389.99	484.61	343.06
(IX) Change in Fair Value of Plan Assets during the Period				
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	518.10	325.38	477.80	302.82
Interest Income on Plan assets	37.77	23.72	34.31	21.74
Contributions	30.55	6.90	5.74	1.26
Benefits paid		(0.70)		0.00
Actuarial gain/(loss) on plan assets	3.21	1.71	0.24	(0.44)
Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	589.63	357.02	518.10	325.38
(X) Reconciliation of Balance Sheet Amount				
Balance Sheet(Asset)/Liability, beginning of Period	(33.48)	17.68	(43.47)	8.19
Total Charge/(Credit) Recognized in Profit & Loss	19.70	64.11	17.87	45.43
Total Remeasurements Recognized in OC (Income)/Loss	1.27		(2.15)	
Actual Employer Contribution /benefit Directly paid by the Company	(30.55)	(48.81)	(5.74)	(35.93)
Balance Sheet(asset)/Liability End of Period	(43.06)	32.98	(33.48)	17.68

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(VII) अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित दायित्व/ (परिसंपत्तियों) के पुनः-मापन में मानी गई धनराशि का विश्लेषण				
पूर्व मापन के कारण :-				
वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव		3.72		(2.07)
जनांकिकी पूर्वानुमान में परिवर्तन का प्रभाव				
समायोजन अनुभव का प्रभाव		33.91		24.39
निपटान/कटौती पर (प्राप्ति)/हानि				
योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (ब्याज असम्मिलित)		(1.71)		0.44
परिसंपत्तियों की ऊपरी सीमा में परिवर्तन				
कुल पुनः मापन में (प्राप्ति)/हानि		35.92		22.76
(VIII) अवधि के दौरान परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	484.61	343.06	434.33	311.01
डी.बी.ओ. पर ब्याज लागत	35.33	26.38	31.44	21.67
वर्तमान सेवा लागत	22.14	25.53	20.74	22.74
भुगतान किए गए लाभ (यदि कोई हो)				
बीमाकर्ता (यदि कोई हो) द्वारा प्रदत्त लाभ	0.00	(42.61)	0.00	(34.68)
पूर्व सेवा लागत				
वास्तविक (प्राप्ति)/हानि	4.48	37.63	(1.90)	22.32
अवधि की समाप्ति पर परिभाषित लाभ बाध्यता	546.57	389.99	484.61	343.06
(IX) अवधि के दौरान योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	518.10	325.38	477.80	302.82
योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय	37.77	23.72	34.31	21.74
अंशदान	30.55	6.90	5.74	1.26
भुगतान किए गए लाभ		(0.70)		0.00
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति/(हानि)	3.21	1.71	0.24	(0.44)
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	589.63	357.02	518.10	325.38
(X) तुलन-पत्र की धनराशि का मिलान				
अवधि के आरंभ में, तुलन-पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	(33.48)	17.68	(43.47)	8.19
लाभ एवं हानि में माने गए कुल प्रभार/(क्रेडिट)	19.70	64.11	17.87	45.43
ओ.सी. (आय)/हानि में माने गए कुल पुनः-मापन	1.27		(2.15)	
कंपनी द्वारा सीधे भुगतान किए गए वास्तविक नियोक्ता				
अंशदान लाभ	(30.55)	(48.81)	(5.74)	(35.93)
अवधि के अंत में तुलन-पत्र (परिसंपत्ति)/दायित्व	(43.06)	32.98	(33.48)	17.68

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)	Gratuity (Funded)	Leave encashment (Funded)
(XI) Sensitivity Analysis				
Defined Benefit Obligation - Discount Rate + 100 base points	(23.38)	(17.97)	(24.00)	(20.34)
Defined Benefit Obligation - Discount Rate - 100 base points	25.27	19.62	26.03	23.12
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate + 100 base points	5.35	19.97	7.03	23.85
Defined Benefit Obligation - Salary Escalation Rate - 100 base points	(5.63)	(18.63)	(8.15)	(22.57)
(XI) Expected Cash flows for the Next Ten Years				
Year - 2021				
Year - 2022				
Year - 2023				
Year - 2024			16.47	
Year - 2025	39.00		36.08	
Year - 2026	77.65		71.43	
Year - 2027	48.97		45.26	
Year - 2028	31.53		28.98	
Year - 2029	159.51			
Year 2030-2034	329.60			
Year - 2029- to 2033			417.05	

Note 14.6 Estimates of future salary increase considered in actuarial valuation taken in to account inflation, seniority, promotion and other relevant factor.

Note 15 Other financial liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Amount payable/adjustable to SCA & Others	-	42.79
Security deposit & retention money (Unsecured Considered Good)	3.67	0.54
Grant from government/Financial Institutions-15.1	3,192.31	1,138.47
Interest on Grant Fund	10.79	32.61
Lease Obligation Adjustable-15.2	7.44	
Sub Total (1)	3,214.21	1,214.40
Other payables :		
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	173.00	52.26
Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (refer note - 41)	-	-
Sub Total (2)	173.00	52.26
Total	3,387.21	1,266.66

Note 15.1 The Corporation has earned the interest on unutilized fund of Rs. 44.15 Lakh FY 2023-24 (previous year FY 2022-23-Rs. 44.66 Lakh) and an amount of Rs. 53.57 Lakh FY 2023-24 (previous year Rs.17.48 Lakh FY 2022-23) has duly been deposited with consolidated fund of Govt. of India and remaining balance will be deposited in Bharat Kosh in the next financial year.

Note 15.2 The Corporation had leased out its two flats to IREL for 3 Years at Rs. 0.40 Lakh per flat. Further, the IREL had incurred direct cost of Rs.8.87 Lakh and as per lease agreement the same need to be adjusted from the lease rental.(Refer Note No. 18).

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)	उपदान (निधित)	अवकाश नकदीकरण (निधित)
(XI) संवेदनशीलता विश्लेषण				
परिभाषित लाभ दायित्व-बट्टा दर+100 आधार अंक	(23.38)	(17.97)	(24.00)	(20.34)
परिभाषित लाभ दायित्व-बट्टा दर-100 आधार अंक	25.27	19.62	26.03	23.12
परिभाषित लाभ दायित्व-वेतन वृद्धि+100 आधार अंक	5.35	19.97	7.03	23.85
परिभाषित लाभ दायित्व-वेतन वृद्धि-100 आधार अंक	(5.63)	(18.63)	(8.15)	(22.57)
(XI) अगले दस वर्षों के लिए प्रत्याशित रोकड़ प्रवाह				
वर्ष - 2021				
वर्ष - 2022				
वर्ष - 2023				
वर्ष - 2024			16.47	
वर्ष - 2025	39.00		36.08	
वर्ष - 2026	77.65		71.43	
वर्ष - 2027	48.97		45.26	
वर्ष - 2028	31.53		28.98	
वर्ष - 2029	159.51			
वर्ष 2030-2034	329.60			
वर्ष - 2029- से 2033			417.05	

टिप्पणी 14.6 भविष्य की वेतन वृद्धि के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मूल्यांकन किया गया है।

टिप्पणी 15 अन्य वित्तीय दायित्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
एस.सी.ए. को देय/समायोजन योग्य धनराशि	-	42.79
सुरक्षा जमा एवं प्रतिधारित राशि (असुरक्षित अच्छे माने गए)	3.67	0.54
सरकार/वित्तीय संस्थाओं से अनुदान-15.1	3,192.31	1,138.47
अनुदान निधि पर ब्याज	10.79	32.61
पट्टा दायित्व समायोजन-15.2	7.44	
उप योग (1)	3,214.21	1,214.40
अन्य देय:		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त उधारदाताओं का कुल देय बकाया	173.00	52.26
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल देय बकाया (टिप्पणी 41 देखें)	-	-
उप योग (2)	173.00	52.26
योग	3,387.21	1,266.66

टिप्पणी 15.1 निगम ने अप्रयुक्त निधि पर ₹44.15 लाख वित्तीय वर्ष 2023-24 (गत वर्ष 2022-23 ₹ 44.66 लाख) का ब्याज अर्जित किया है एवं राशि ₹ 53.57 लाख वित्तीय वर्ष 2023-24(गत वर्ष 2022-23 ₹ 17.48 लाख) भारत सरकार के समेकित निधि में विधिवत जमा किये गए हैं और शेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में भारत कोष में जमा कर दी जाएगी।

टिप्पणी 15.2 निगम ने अपने दो फ्लैट आई.आर.ई.एल. को ₹ 0.40 लाख प्रति फ्लैट की दर से तीन साल के लिए पट्टे पर दिए गए हैं, इसके अलावा, आई.आर.ई.एल. को ₹ 8.87 लाख की प्रत्यक्ष लागत वहन की है और पट्टा समझौते के अनुसार इसे पट्टा किराये से समायोजित करने की आवश्यकता है। (टिप्पणी संख्या 18 देखें)।

Trade Payables Ageing FY 2023-24

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i)MSME	-					-
(ii)Others	173.00			-		173.00
(iii)Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	173.00	-	-	-	-	173.00

Trade Payables Ageing FY 2022-23

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					
	Less than 6 months	6 months to 1 Year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i)MSME	-					-
(ii)Others	33.50		18.76			52.26
(iii)Disputed dues – MSME						-
(v) Disputed Due others						-
Total	33.50	-	18.76	-	-	52.26

Note 15.1 Security Deposit includes deposits received from various vendors/ suppliers for services.

Note 15.3 Corporation received various grants/funds from administrative ministry for implementing various scheme of ministry as well as other CPSEs for specific purpose. Corporation has maintained separate account for such funds/grants and it has been shown as liability till the fund is utilized for the purpose it was received. After disbursing the same has been adjusted from the PIA (Project Implementing Agencies) balances.

Note 15.3 During the year an amount of Rs.12,285.05 lakhs (previous year Rs.2232.99 lakhs) was received from various institutions etc. towards imparting training and stipend. Out of total grants available, Rs..10290.59 lakhs (Previous year Rs.6414.76 lakhs) was released/refunds including interest to the training institutions/administrative ministry and recognised during the financial year as revenue grant. The detail of training grant and subsidy at the beginning, received, refunded, released during the year, and the balances as on 31.03.2024 are as under:

वित्तीय वर्ष 2023-24 व्यावसायिक देय अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.	-					-
(ii) अन्य	173.00				-	173.00
(iii) विवादित बकाया - एम.एस.एम.ई.						-
(iv) अन्य विवादित बकाया						-
योग	173.00	-	-	-	-	173.00

वित्तीय वर्ष 2022-23 व्यावसायिक देय अवधि

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों हेतु बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.	-					-
(ii) अन्य	33.50		18.76			52.26
(iii) विवादित बकाया - एम.एस.एम.ई.						-
(iv) अन्य विवादित बकाया						-
योग	33.50	-	18.76	-	-	52.26

टिप्पणी 15.1 सुरक्षा जमा में विभिन्न विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त जमा सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 15.2 निगम प्रशासनिक मंत्रालय से विभिन्न अनुदान/निधियाँ मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं साथ ही साथ अन्य सीपीएसईज के विशेष उद्देश्यों से प्राप्त करता है। निगम ने इस प्रकार की निधियों/अनुदान के लिए अलग से खाता तैयार किया है एवं इसे दायित्व के तौर पर दर्शाया गया है, जब तक कि इनका उपयोग उस उद्देश्य हेतु न कर लिया जाए जिसके लिए ये प्राप्त हुए थे। इनका वितरण करने के उपरांत पी.आई.ए. (परियोजनाओं क्रियान्वयन एजेंसी) के बकाया से समायोजन किया गया है।

टिप्पणी 15.3 वर्ष की अवधि में विभिन्न संस्थानों इत्यादि से प्रशिक्षण आयोजित करने व छात्रवृत्ति की मद में ₹ 12285.05 लाख की धनराशि (गत वर्ष ₹ 2232.99 लाख) प्राप्त हुई थी। उपलब्ध कुल अनुदान राशि ₹ 10290.59 लाख (गत वर्ष ₹ 6414.76 लाख) प्रशिक्षण संस्थानों/ प्रशासनिक मंत्रालय अवमुक्ति/वापसी गई एवं इसे वित्तीय वर्ष की अवधि में राजस्व अनुदान के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान एवं 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार वर्ष के आरंभ में, प्राप्त, वापस, अवमुक्त प्रशिक्षण अनुदान एवं छूट का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ in Lakhs)

During the F.Y 2023-24

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 17-18 (for Beggars)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 18-19 (Transgender)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 19-20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 19-20 (NER)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 19-20 (NER)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 19-20 (Transgender)HEALTH	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VII) of 20-21 (P.M. Daksh)-1	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-VIII) of 20-21 (P.M. Daksh)-2	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 21-22 (P.M. Daksh)-1	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 21-22 (P.M. Daksh)-2	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministry of SJ&E (Grant-XI) of 20-21 (P.M. Daksh)-CAN	614.61	0.00	614.61			0.00	614.61	0.00	614.61			614.61	0.00	0.00	614.61
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 21-22 (P.M. Daksh)-CAN	445.01	27.18	472.19		26.39	26.39	445.01	53.57	498.58		53.57	498.58	0.00	0.00	498.58
Concor corporation of India Ltd.	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Development Commissioner (Hnadicraft)	0.00	1.55	1.55		0.05	0.05	0.00	1.59	1.59		1.59	1.59	0.00	0.00	1.59
Indian Railway Finance Corporation Ltd.	0.00	0.00	0.00	60.27		60.27	60.28	0.00	60.28		60.27	60.27	0.00	0.00	60.27
Engineers India Ltd.	28.36	0.02	28.38		0.98	0.98	28.36	1.00	29.36		28.36	28.36	0.00	0.83	28.52
MSJ&E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT	4.09	3.53	7.61	-4.09	-3.53	-7.61	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
MSJ&E GRANT RECEIPT ON INTT-SUBSIDY -SHREYAS A/C	46.40	0.34	46.74		2.46	2.46	46.40	2.80	49.20			0.00	46.40	2.80	49.20
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 23-24 (P.M. Daksh)-CAN				850.00	7.16	857.16	850.00	7.16	857.16	104.12		104.12	745.88	7.16	753.04
Ministry of SJ&E (Grant-II) of 23-24 (P.M. Daksh)-CAN				750.00		750.00	750.00	0.00	750.00			0.00	750.00	0.00	750.00
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 23-24 (P.M. Daksh)-CAN				750.00		750.00	750.00	0.00	750.00			0.00	750.00	0.00	750.00
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 23-24 (D&NT)				900.00		900.00	900.00	0.00	900.00			0.00	900.00	0.00	900.00
MSJ&E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT 2023-24				8974.78	8.14	8982.92	8974.78	8.14	8982.92	8974.74	8.14	8982.88	0.04	0.00	8982.88
Total		32.61	1171.07	12280.96	41.65	12322.61	13419.42	74.27	13493.69	10227.11	63.47	10290.59	3192.31	10.79	3203.10

(₹ in Lakhs)

During the F.Y 2022-23

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance			
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total	
Ministry of SJ&E (Grant-I) of 17-18 (for Beggars)	42.69	0.00	42.69	-	0.62	0.62	42.69	0.62	43.31	0.62	43.31	42.69	0.00	43.31	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 18-19 (Transgender)	66.83	0.00	66.83	-	0.94	0.94	66.83	0.94	67.77	0.94	67.77	66.83	0.00	67.77	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-III) of 19-20	400.00	0.00	400.00	-	9.63	9.63	400.00	9.63	409.63	9.63	409.63	400.00	0.00	409.63	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-IV) of 19-20 (NER)	167.79	0.00	167.79	-	4.04	4.04	167.79	4.04	171.83	4.04	171.83	167.79	0.00	171.83	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-V) of 19-20 (NER)	776.21	0.00	776.21	-	10.84	10.84	776.21	10.84	787.05	10.84	787.05	776.21	0.00	787.05	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-VI) of 19-20 (Transgender)HEALTH	2.70	0.00	2.70	-	-	-	2.70	-	2.70	-	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-VII) of 20-21 (P.M. Daksh)-1	570.79	0.00	570.79	(136.07)	9.07	-127.00	434.72	9.07	443.79	9.07	443.79	434.72	0.00	443.79	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-VIII) of 20-21 (P.M. Daksh)-2	639.00	0.00	639.00	(639.00)	9.83	-629.17	-	9.83	9.83	-	9.83	-	0.00	9.83	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-IX) of 21-22 (P.M. Daksh)-1	307.25	0.00	307.25	(157.98)	9.42	-148.56	149.27	9.42	158.69	9.42	158.69	149.27	0.00	158.69	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-X) of 21-22 (P.M. Daksh)-2	1942.00	0.00	1,942.00	(1,942.00)	56.96	-1,885.04	-	56.96	56.96	-	56.96	-	0.00	56.96	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-XI) of 20-21 (P.M. Daksh)-CAN				775.07	1.70	776.77	775.07	1.70	776.77	1.70	776.77	160.46	0.00	614.61	0.00	
Ministry of SJ&E (Grant-XII) of 21-22 (P.M. Daksh)-CAN				2,099.98	44.66	2,144.64	2,099.98	44.66	2,144.64	17.48	1,672.45	1,654.97	445.01	27.18	472.19	0.00
Concor corporation of India Ltd.	60.82	0.00	60.82	-	-	-	60.82	-	60.82	-	60.82	60.82	0.00	60.82	0.00	
Development Commissioner (Hnadicraft)	0.00	1.51	1.51	-	0.04	0.04	-0.00	1.55	1.55	-	1.55	-	0.00	1.55	0.00	
Indian Railway Finance Corporation Ltd.	46.61	0.00	46.61	-	1.06	1.06	46.61	1.06	47.67	1.06	47.67	46.61	0.00	47.67	0.00	
Engineers India Ltd.	57.60	0.00	57.60	136.72	0.02	136.74	194.32	0.02	194.34	-	165.96	165.96	28.36	0.02	28.38	
MSJ& E GRANT RECEIPT ON NF-OBC [SHREYAS] ACCOUNT				1,873.23	3.53	1,876.76	1,873.23	3.53	1,876.76		1,869.14	1,869.14	4.09	3.53	7.61	
MSJ&E GRANT RECEIPT ON INTT-SUBSIDY - SHREYAS A/C				331.40	0.34	331.74	331.40	0.34	331.74		285.00	285.00	46.40	0.34	46.74	
DNTS-SEED-GRANT FOR LIVILHOOD 2023-24 ACCOUNT																
Total	5,080.28	1.51	5,081.80	2,341.35	162.70	2,504.05	7,421.63	164.20	7,585.83	416.59	6,414.76	5,998.17	32.61	1,138.46	1,171.07	

(₹ in Lakhs)

During the F.Y 2022-23

Particulars	Opening Balance			Receipt During the year			Grand Total			Recognized during the year (Releases)			Closing Balance		
	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	Interest Income	Total	Grant	refunds/ utilisation of interest	Total	Grant	Interest Income	Total
NBCFDC-MSJ&E(VISVAS) YOJANA -2020 ACCOUNT	57.64	8.31	65.96		0.71	0.71	57.64	9.02	66.66	9.02	66.66	57.64	-	-	-
Total	57.64	8.31	65.96	-	0.71	0.71	57.64	9.02	66.66	9.02	66.66	57.64	-	-	-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक अवशेष		वर्ष के दौरान प्राप्ति		कुल योग		वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	अनुदान	ब्याज से आय	अनुदान	ब्याज से आय	अनुदान	ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-I) 17-18 (भ्रष्टाचारियों के लिए)	42.69	0.00	-	0.62	42.69	0.62	42.69	0.62	43.31	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-III) 18-19 (ट्रांसजेंडर)	66.83	0.00	-	0.94	66.83	0.94	66.83	0.94	67.77	0.00	0.00	0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-III) 19-20	400.00	0.00	-	9.63	400.00	9.63	400.00	9.63	409.63	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-IV) 19-20 (एनईआर)	167.79	0.00	-	4.04	167.79	4.04	167.79	4.04	171.83	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-V) 19-20 (एनईआर)	776.21	0.00	-	10.84	776.21	10.84	776.21	10.84	787.05	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-VI) 19-20 (ट्रांसजेंडर)स्वास्थ्य	2.70	0.00	-	-	2.70	-	2.70	-	2.70	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-VII) 20-21 (पीएम दक्ष)-1	570.79	0.00	(136.07)	9.07	434.72	9.07	434.72	9.07	443.79	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-VIII) 20-21 (पीएम दक्ष)-2	639.00	0.00	(639.00)	9.83	-	9.83	-	9.83	9.83	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-IX) 21-22 (पीएम दक्ष)-1	307.25	0.00	(157.98)	9.42	149.27	9.42	149.27	9.42	158.69	0.00	0.00	-0.00
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-X) 21-22 (पीएम दक्ष)-2	1942.00	0.00	(1942.00)	56.96	-	56.96	-	56.96	56.96	0.00	0.00	-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-XI) 20-21 (पीएम दक्ष)-सोएन			775.07	1.70	775.07	1.70	775.07	1.70	776.77	160.46	0.00	614.61
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (अनुदान-XII) 21-22 (पीएम दक्ष)-सोएन			2,099.98	44.66	2,144.64	44.66	2,099.98	44.66	2,144.64	1,654.97	27.18	472.19
कॉन्कार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	60.82	0.00	-	-	60.82	-	60.82	-	60.82	0.00	0.00	-0.00
विकास आयुक्त (हैडिक्राफ्ट)	0.00	1.51	-	0.04	-0.00	1.55	-	1.55	1.55	0.00	1.55	1.55
भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.	46.61	0.00	-	1.06	46.61	1.06	46.61	1.06	47.67	0.00	0.00	0.00
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड.	57.60	0.00	136.72	0.02	194.32	0.02	194.32	0.02	194.34	165.96	28.36	28.38
एनएफ-ओबीसी (श्रेंयस) खाते पर एमएसजे एंड ई अनुदान रसीद			1,873.23	3.53	1,876.76	3.53	1,873.23	3.53	1,876.76	1,869.14	4.09	7.61
एमएसजेएंडई आईएनटीटी-सब्सिडी पर अनुदान प्राप्ति-श्रेंयस खाता			331.40	0.34	331.74	0.34	331.40	0.34	331.74	285.00	46.40	46.74
आजीविका 2023-24 खाते के लिए डीएनटी-बीज-अनुदान योग	5,080.28	1.51	2,341.35	162.70	7,421.63	164.20	7,585.83	5,998.17	416.59	6,414.76	1,138.46	32.61
					2,504.05							1,171.07

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

(₹ लाख में)

विवरण	आरंभिक जमा		वर्ष के दौरान प्राप्ति		कुल योग		वर्ष के दौरान माने गए (अवमुक्त)			अंत अवशेष		
	अनुदान	ब्याज से आय	अनुदान	ब्याज से आय	अनुदान	ब्याज से आय	अनुदान	ब्याज का उपभोग	योग	अनुदान	ब्याज से आय	योग
एनबीसीएफडीसी- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (विश्र्वास) योजना -2020 खाता	57.64	8.31	65.96	0.71	57.64	0.71	57.64	9.02	66.66	-	-	-
योग	57.64	8.31	65.96	0.71	57.64	0.71	57.64	9.02	66.66	-	-	-

Note 16 Other Current liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
TDS payable	54.75	0.80
GST payable	3.01	1.46
Provident fund payable	15.29	-
Pension & Post-retirement medical fund	1.74	-
Employee Reimbursement & Others Payables	6.10	2.82
Unspent CSR Fund -Interest	0.89	0.98
Total	81.78	6.05

Note 17 Revenue From Operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
a) RENDERING OF SERVICES:		
Interest on Loan to SCAs/others		
Interest on Loan and advances (General Loan)	4,403.50	4,302.58
Interest on Loan and advances (Micro Finance)	1,074.43	966.92
Penal Interest (General Loan)	0.80	5.60
Penal Interest (Micro Finance)	0.08	0.36
Donation Received		0.11
Total	5,478.81	5,275.57
b) Other Operating Income		
Provision /Allowances on Loans & Advances written back	-	-
Monitoring Cost on CSR Activities	12.22	31.54
Management Fee-Visvas Scheme	-	5.63
Total	12.22	37.17
Total	5,491.03	5,312.74

Note 17.1 The Corporation has adopted Ind AS -115 (revenue from contract with customers) in accordance with requirement of applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statement of NBCFDC.

Note 17.2 On the basis of annual sanction, Channel Partners can draw required amount of funds as advance which is converted into loan, in full or in part, on the basis of utilization details submitted by the Channel Partners. The advance is required to be converted into loan by the Channel Partners by way of loaning to the eligible beneficiaries under various scheme of the Corporation, the advance is provided to the Channel Partners at applicable interest rate on advances and from the date of its utilization, the interest rate of respective scheme in which funds have been utilized become applicable.

Note 17.3 Interest income on loan advanced/given is recognized on time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using Effective Interest Rate method.

Note 17.4 Interest income on unutilized funds lying with the borrowing agencies is recognized as per prevailing rate of interest on advances from the date of advance of funds to a day before to letter date of utilization of funds by the borrowing agencies.

Note 17.5 Interest Income on loans given is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable, using effective interest Rate method.

Note 17.6 Interest income on overdue of Loans is recognized as per prevailing rate of interest from the date of

टिप्पणी 16 अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
टी.डी.एस. देय	54.75	0.80
जी.एस.टी देय	3.01	1.46
भविष्य निधि देय	15.29	-
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि	1.74	-
कर्मचारी भुगतान एवं अन्य देय	6.10	2.82
अव्ययित सी.एस.आर निधि - ब्याज	0.89	0.98
योग	81.78	6.05

टिप्पणी 17 परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) सेवाओं का प्रतिपादन:		
एस.सी.ए. से ऋण पर ब्याज/अन्य		
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सामान्य ऋण)	4,403.50	4,302.58
ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	1,074.43	966.92
दंड ब्याज (सामान्य ऋण)	0.80	5.60
दंड ब्याज (सूक्ष्म वित्त)	0.08	0.36
प्राप्त दान		0.11
	5,478.81	5,275.57
ख) संचालन से अन्य आय		
पीछे से लाए गए ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान/अनुमति	-	-
सी.एस.आर. गतिविधियों पर निगरानी लागत	12.22	31.54
प्रबन्धन शुल्क-विश्वास योजना	-	5.63
	12.22	37.17
योग	5,491.03	5,312.74

टिप्पणी 17.1 निगम ने भारतीय लेखाकरण मानक-115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) के अनुपालन की आवश्यकतानुसार लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे को अपनाया है, इसके अपनाने के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणी 17.2 वार्षिक स्वीकृति के आधार पर, चैनल सहभागी आवश्यक राशि को अग्रिम के रूप में आहरित कर सकते हैं जो चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए उपभोग विवरण के आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण में परिवर्तित हो जाता है। निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण देकर चैनल सहभागियों द्वारा अग्रिम को ऋण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। संबंधित योजना जिसके लिए धन का उपभोग किया गया है पर लागू ब्याज दर पर चैनल सहभागियों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती है एवं उसके उपभोग की तिथि से संबंधित योजना जिसमें धनराशि का उपभोग किया गया है, ब्याज दर प्रभावी होती है।

टिप्पणी 17.3 प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय के उस हिस्से में ऋण/ब्याज पर ब्याज आय को माना गया है।

टिप्पणी 17.4 उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा उपभोग करने की तिथि के पत्र से एक दिन पूर्व उधार लेने वाली एजेंसियों के पास पड़ी अनुपभुक्त धनराशि को अग्रिम लेने की तिथि पर लागू ब्याज आय के रूप में माना गया है।

टिप्पणी 17.5 दिए गए ऋणों पर ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

टिप्पणी 17.6 ऋण के अतिदेय पर ब्याज पुनर्भुगतान की प्राप्ति से एक दिन पहले अतिदेय की तारीख से ब्याज को मौजूदा दर के

overdue to a day before receipt of repayment.

Note 17.7 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised an income of ₹ Nil FY 2023-24, ₹ 0.11 Lakh FY 2022-23, ₹ 1.23 Lakh (FY 21-22) & ₹ 28.37 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 17.8 Accrual of Revenue & Terms of references are as under: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at 31st March 2024		As at 31st March 2023	
	Term Loan	Micro Finance	Term Loan	Micro Finance
Interest accrued & due as at beginning of the year	1,597.53	99.02	1,810.92	69.98
Add: Interest accrued & due during the year	4,403.50	1,074.43	4,302.58	966.92
Less: Interest Received during the year	4,327.50	1,078.63	4,515.98	937.88
Less: Adjustment, if any	-	-	-	-
Interest accrued & due as at Balance Sheet Date	1,673.52	94.82	1,597.53	99.02
Penal Interest receivable as at beginning of the year	241.74	3.52	242.20	3.52
Add. Recognized during the year	0.80	0.08	5.60	0.36
Less : Received during the year	0.80	0.08	5.60	0.36
Less: Adjustment, if any	-	-	0.46	-0.00
Penal Interest receivable as at Balance Sheet Date	241.74	3.52	241.74	3.52

Terms of references:

'General Loan includes Education loan ,New Swarnima, Term loan and Micro Finance includes MFS & Mahila Samridhi yojana.

Particulars	General Loan Scheme			Micro Finance Scheme		
	Education Loan	New Swarnima	Term Loan	Micro Finance	Mahila Samridhi/ Small Loan Finance	NBFC-MFI-Loan
Rate of Interest *	1.5%/1%	2%	3%, 4% & 5% \$	2%	1%/3%	4%
Repayment Period	9.5 Year in 20 Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	8 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt.	4 year in Quarterly Instt. (w.e.f 01.04.2021 for SMF)	4 year in Quarterly Instt.
Moratorium Period	4.5 years inclusive of study period of 4 years	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal	2 quarter in r/o Principal

* 0.5% rebate on timely repayment of due
 \$ 4% interest charged in r/o loan above ₹ 5 lakh to 10 Lakh and 5% on above ₹ 10 Lakh
 Penal Interest shall attract @ 1% on default amount.

B. Interest on Advance Fund : Funds are to be utilized within 120 days by SCAs. Banks may claim refinance of outstanding balance under Education loan irrespective of year of loan disbursement. For other schemes refinance can be claimed during current year only. The amount of refinance should be appropriated within 10 working days of drawl from NBCFDC.

Period	ROI
1-120 days	3%
121-180 days	6%
Above 180 days	8%

अनुसार माना गया है।

टिप्पणी 17.7 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹ शून्य, वित्तीय वर्ष 2023-24 ₹ 0.11 लाख, वित्तीय वर्ष 2022-23), ₹ 1.23लाख वित्तीय वर्ष 2021-22) एवं ₹ 28.37 लाख (वित्त वर्ष 2020-21) की आय को मान्यता दी है।

टिप्पणी 17.8 राजस्व का संचय एवं कार्य क्षेत्र निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त
वर्ष के आरंभ में संचित एवं देय ब्याज	1,597.53	99.02	1,810.92	69.98
जोड़ें: वर्ष के दौरान संचित ब्याज एवं देय	4,403.50	1,074.43	4,302.58	966.92
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्राप्य ब्याज	4,327.50	1,078.63	4,515.98	937.88
घटाएँ: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	-	-
तुलन-पत्र की तिथि को संचित एवं देय ब्याज	1,673.52	94.82	1,597.53	99.02
वर्ष के आरंभ में प्राप्य दंड ब्याज	241.74	3.52	242.20	3.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान माना गया	0.80	0.08	5.60	0.36
कम : वर्ष के दौरान प्राप्त	0.80	0.08	5.60	0.36
घटाएँ: समायोजन, यदि कोई हो	-	-	0.46	-0.00
तुलन-पत्र की तिथि को प्राप्य दंड ब्याज	241.74	3.52	241.74	3.52

कार्य क्षेत्र:

सामान्य ऋण योजना में शैक्षिक ऋण, नई स्वर्णिमा, सावधि ऋण तथा लघु वित्त में सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना सम्मिलित है।

विवरण	सामान्य ऋण			सूक्ष्म वित्त योजना		
	शैक्षिक ऋण	नई स्वर्णिमा	सावधि ऋण	सूक्ष्म वित्त	महिला समृद्धि/लघु वित्त ऋण	एन.बी.एफ.सी.-एम.एफ.आई. ऋण
ब्याज दर*	1.5%/1%	2%	3%, 4% एवं 5% \$	2%	1%/3%	4%
पुनर्भुगतान की अवधि	9.5 वर्ष में 20 तिमाही किस्त	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	8 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें	4 वर्ष में तिमाही किस्तें (लघु वित्त ऋण 01.04.2021 से प्रभावी)	4 वर्ष में तिमाही किस्तें
मोरेटोरियम अवधि	4.5 जिसमें 4 वर्षों का अध्ययन समय सम्मिलित है	मूलधन के संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां	मूलधन में संबंध में 2 तिमाहियां

* देय का पुनर्भुगतान समय से करने पर 0.5% की छूट
 \$ ₹ 5.00 लाख से ₹ 10.00 लाख तक के ऋणों पर 4% एवं ₹ 10.00 लाख से अधिक के ऋणों पर 5% ब्याज दर प्रभार्य चूक की गई धनराशि पर दण्ड ब्याज @ 1% की दर पर होगा।

ख. अग्रिम धनराशि पर ब्याज: एस.सी.ए. द्वारा 120 दिनों के भीतर निधियों का उपयोग किया जाना है। बैंक ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना शिक्षा ऋण के तहत बकाया राशि के पुनर्वितीयन का दावा कर सकते हैं। अन्य योजनाओं के लिए पुनर्वितीयन का दावा मात्र चालू वर्ष के दौरान ही किया जा सकता है। एन.बी.सी.एफ.डी.सी. से आहरित पुनर्वितीयन धनराशि का समायोजन 10 कार्य दिवसों में किया जाना चाहिए।

अवधि	ब्याज की दर
1-120 दिन	3%
121-180 दिन	6%
180 दिनों से अधिक	8%

Note 18 Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
a) Interest Income		
Interest on advances to employees	30.94	15.35
Interest subsidy on Education Loan	-	-
Sub Total (a)	30.94	15.35
b) Interest from Banks		
Interest on savings bank	252.67	150.61
Interest on fixed deposits	-	72.40
Sub Total (b)	252.67	223.01
c) Other Non-Operating Income		
Miscellaneous income	1.04	1.24
Sub Total (c)	1.04	1.24
d) Other Non-Operating Income		
Lease Rental	1.43	-
Sub Total (d)	1.43	-
Total (a+b+c+d)	286.08	239.60

Note 18.1 Interest on short term deposit with banks is recognised from the date of short term deposit to date of maturity on accrual basis as per prevailing rate.

Note 18.2 Interest on loan to employees includes fair value adjustment of ₹ 2.63 Lakhs (₹ 3.69 Lakhs as at 31.03.2023)

Note 18.3 The Corporation has obtained 12A exemption certificate from Income tax authority for accepting donation for intend purpose to conduct skill development programme for target group of OBC in the month of July' 2017 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised an income of ₹ Nil FY 2023-24, ₹ 0.11 Lakh FY 2022-23, ₹ 1.23 Lakh (FY 21-22) & ₹ 28.37 Lakh (FY 20-21) respectively w.e.f 01.04.2021.

Note 18.4 The Corporation had leased out two flats held as ROU(Note-No.3) to IREL for a period of three years at monthly rental income of ₹ 0.40 Lakh per flat with an annual increment of 5%.

Note 19 Allowance/Reversal for Loans & advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Allowance for Loans & advances	365.65	416.76
Uncollectable Interest	95.26	95.09
Total	460.91	511.85

Note 20 Penal Interest waived off and others

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Penal Interest waived off	-	44.57
Interest Incentive under One time Settlement (OTS)	-	19.08
Total	-	63.65

टिप्पणी 18 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
कर्मचारियों के अग्रिम पर ब्याज	30.94	15.35
शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी	-	-
उप योग (क)	30.94	15.35
ख) बैंकों से ब्याज		
बचत खाते पर ब्याज	252.67	150.61
सावधि जमाओं पर ब्याज	-	72.40
उप योग (ख)	252.67	223.01
ग) अन्य गैर-परिचालन आय		
विविध आय	1.04	1.24
उप योग (ग)	1.04	1.24
घ) अन्य गैर-परिचालन आय		
पट्टा किराया	1.43	-
उप योग (घ)	1.43	-
योग (क+ख+ग+घ)	286.08	239.60

टिप्पणी 18.1 मौजूदा दरों के अनुसार बैंकों से संक्षिप्त जमाओं पर ब्याज संक्षिप्त अवधि की जमा की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक माना गया है।

टिप्पणी 18.2 कर्मचारियों को ऋण पर ब्याज में ₹ 2.63 लाख (31.03.2023 को ₹ 3.69 लाख) के उचित मूल्य समायोजन शामिल हैं।

टिप्पणी 18.3 निगम ने जुलाई 2017 के महीने में ओ.बी.सी. के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से दान स्वीकार करने के लिए आयकर प्राधिकरण से 12-ए छूट प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने 01.04.2021 से क्रमशः ₹ शून्य वित्तीय वर्ष 2023-24, ₹ 0.11 लाख वित्तीय वर्ष 2022-23) और ₹ 1.23 लाख (वित्त वर्ष 2021-22) एवं ₹ 28.37 लाख (वित्त वर्ष 2020-21) की आय को मान्यता दी गई है।

टिप्पणी 18.4 निगम ने आर.ओ.यू. (टिप्पणी सं. 3) के आधार पर आई.आर.ई.एल. को तीन वर्ष की अवधि के लिए मासिक किराया ₹ 0.40 लाख प्रति फ्लैट की आय पर 5% की वार्षिक वृद्धि के साथ पट्टे पर दिया है।

टिप्पणी 19 ऋण एवं अग्रिम के लिए स्वीकारोक्ति/व्युत्क्रमण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण एवं अग्रिमों के लिए स्वीकारोक्ति	365.65	416.76
गैर-संग्रहणीय ब्याज	95.26	95.09
योग	460.91	511.85

टिप्पणी 20 माफ किया दण्ड ब्याज एवं अन्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
माफ किया गया दण्ड ब्याज	-	44.57
एकल निस्तारण योजना (ओ.टी.एस.) के तहत ब्याज प्रोत्साहन	-	19.08
योग	-	63.65

Note 21 Employee Benefits Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
a) Salary, Wages & Benefits		
- Salary and Allowances	1,095.27	997.03
b) Contribution to Provident Fund & Other Funds	-	
- Contribution to Provident and Superannuation Funds	197.38	170.66
c) Staff welfare expenses	-	
- Leave Travel Concession	2.36	16.47
- Medical Reimbursements /Policies	46.27	38.38
- Others	19.44	18.61
Total	1,360.73	1,241.15

Note 21.a Others includes Interest on loan to employees fair value adjustment of ₹ 2.63 Lakhs (₹ 3.69 Lakhs as at 31.03.2023)

Note 21.1 Finance Cost

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
a) Interest	25.07	-
Total	25.07	-

Note 22 Depreciation & Amortization Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Depreciation on Tangible Assets (refer note no. 3)	34.35	22.87
Amortization of Intangible assets (refer note no. 4)	3.55	4.05
Depreciation Charge for Right of Use Assets (refer note no. 3.1)	0.59	0.59
Total	38.49	27.51

Note 23 Training and Other Developmental Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Training Expenditure on Beneficiaries & other developmental expenses	10,290.59	6,457.76
Less- Recognised/released during the year (Refer Note. No. 15.3)	10,290.59	6,414.76
Sub Total (a)	-	42.99
Fair, Exhibitions and Awareness Camps	101.55	62.43
Performance linked Grant in aid (SCAs)	-	-
Cluster Development Expenses	22.48	80.42
Publicity Grant to SCAs	8.14	6.99
Donation & Covid 19 Expenses (See Note 23.4)	-	0.11
Sub Total (b)	132.17	149.96
Total	132.17	192.95

Note 23.1 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹ 33,142.21 lakhs (Previous year ₹22,851.63 lakhs) including share of administrative ministry to State Channelising Agencies/ other institutions for imparting training to the target group & officials of SCAs, which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 542.65 lakhs (Previous

टिप्पणी 21 कर्मचारी लाभ लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) वेतन, पारिश्रमिक एवं लाभ		
- वेतन एवं भत्ते	1,095.27	997.03
ख) भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
- भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	197.38	170.66
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय		
- यात्रा रियायत व्यय	2.36	16.47
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति / नीतियाँ	46.27	38.38
- अन्य	19.44	18.61
योग	1,360.73	1,241.15

टिप्पणी 21.क अन्य में कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज का वास्तविक मूल्य समायोजन ₹ 2.63 लाख (31.03.2023 को ₹ 3.69 लाख) सम्मिलित है।

टिप्पणी 21.1 वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज	25.07	-
योग	25.07	-

टिप्पणी 22 मूल्यहास एवं परिशोधन लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास (टिप्पणी 3 देखें)	34.35	22.87
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन (टिप्पणी 4 देखें)	3.55	4.05
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के लिए मूल्यहास शुल्क (सन्दर्भ टिप्पणी सं. 3.1)	0.59	0.59
योग	38.49	27.51

टिप्पणी 23 प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभार्थियों पर प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य विकासात्मक व्यय	10,290.59	6,457.76
घटाएँ- वर्ष के दौरान माने गए /अवमुक्त (टिप्पणी सं. 15.3 देखें)	10,290.59	6,414.76
उप योग (क)	-	42.99
मेलों, प्रदर्शनियों एवं जागरूकता शिविर	101.55	62.43
प्रदर्शन से जुड़ी अनुदान सहायता (रा.चै.ए.)	-	-
क्लस्टर विकास व्यय	22.48	80.42
एस.सी.ए. को प्रचार-प्रसार अनुदान	8.14	6.99
दान एवं कोविड-19 व्यय (टिप्पणी 23.4 देखें)	-	0.11
उप योग (ख)	132.17	149.96
योग	132.17	192.95

टिप्पणी 23.1 निगम निगम ने अब तक ₹ 33,142.21 लाख (गत् वर्ष 22,851.63 लाख) के संचयी अनुदान को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों को वितरित किया है जिसमें एस.सी.ए.के लक्षित समूह और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय का अंश शामिल है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित समग्र अनुदान

year ₹309.15 lakhs) are awaited as at year end.

Note 23.2 Since there is uncertainty of the amount and time lag in submission of training expenses claims by SSC/Training Institutions and multiple training programmes monitored by them , payments on account of grant from training programmes are charged to expenses in the year of acceptance of claim /year of disbursement.

Note 23.3 The Corporation has so far disbursed cumulative grant of ₹878.63 lakhs (Previous year ₹ 878.63 lakh) to incentivizing the State Channelising Agencies/ other institutions in better delivery mechanism, recoveries of loans and purchase of data processing units etc., which is charged to revenue on disbursement as per policy. Out of the cumulative grants disbursed, utilization certificate(s) for ₹ 0.36 lakhs (Previous year ₹3.04 lakhs) are awaited as at year end.

Note 23.4 As per MCA notification dated 24.03.2020, Schedule III Division II, the Corporation has recognised expenditure of ₹ Nil & ₹ 0.11 Lakh FY2023-24 & 2022-23 respectively.

Note 24 Rebate on Interest on Loans & Advances

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Rebate	33.50	25.96
Total	33.50	25.96

Note 24.1 Incentive for Channel Partners as "Rebate on Interest": In order to encourage to channel partners for timely repayment of due, The Corporation has a scheme for them as " Rebate on interest . As per norms, rebate of 0.5% on Education Loan is provided.

Note 25 Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
A. Administrative Expenses		
Auditor Remuneration (Refer Note No-25.1)	2.07	2.07
Repair & Maintenance (Equipment & others)	50.22	12.39
Electricity & Water charges	14.65	13.86
Rent	227.85	217.00
Rates & Taxes	0.38	0.42
Insurance	1.30	0.84
Telephone	8.53	7.94
Travelling Expenses -Directors	1.37	2.11
Travelling Expenses -Staffs & others	31.54	10.81
Conveyance	28.73	8.97
Vehicle Running & Maintenance	2.96	1.29
Office Expenses & Maintenance	45.57	46.28
Legal & Professional charges	21.42	7.88
Printing & stationery	8.63	8.12
Advertisement	1.31	8.05
Conference and Meetings	14.25	0.14
Recruitment & Training	1.36	0.75
Monitoring & Evaluation	20.69	26.13
Security & Other Services Charges	70.01	70.13
Other Expenditure	38.11	25.59
Total	590.94	470.77

में से ₹ 542.65 लाख (गत वर्ष ₹ 309.15 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 23.2 चूंकि एस.एस.सी./प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण व्यय के प्रस्तुत दावों में राशि और समय की अनिश्चितता है, एवं उनके द्वारा बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अनुदान के भुगतान को दावों की स्वीकृति के वर्ष/वितरण के वर्ष में व्यय को लिया जाता है।

टिप्पणी 23.3 निगम ने अब तक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/अन्य संस्थानों के बेहतर वितरण तंत्र, ऋण की वसूली और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयों इत्यादि की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए ₹878.63 लाख (गत वर्ष ₹ 878.63 लाख) के संचयी अनुदान को वितरित किया है, जिसे नीति के अनुसार राजस्व पर प्रभारित किया गया है। वितरित सकल अनुदान में से ₹ 0.36 लाख (गत वर्ष ₹ 3.04 लाख) के उपभोग प्रमाण-पत्र वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित थे।

टिप्पणी 23.4 एमसीए अधिसूचना दिनांक 24.03.2020, अनुसूची III डिवीजन II के अनुसार, निगम ने क्रमशः ₹ शून्य एवं ₹ 0.11 लाख वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 की आय को मान्यता दी है।

टिप्पणी 24 ऋण एवं अग्रिमों के ब्याज पर छूट (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट	33.50	25.96
योग	33.50	25.96

टिप्पणी 24.1 "ब्याज में छूट के रूप में चैनल सहभागियों के लिए प्रोत्साहन": चैनल सहभागियों को देय पुनर्भुगतान को समय पर करने को प्रोत्साहित करने के क्रम में निगम के पास उनके लिए "ब्याज में छूट" योजना है। मानकों के अनुसार, शैक्षिक ऋण पर 0.5% छूट प्रदान की जाती है।

टिप्पणी 25 अन्य व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रशासनिक व्यय		
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी 25.1 देखें)	2.07	2.07
मरम्मत एवं रखरखाव (उपकरण एवं अन्य)	50.22	12.39
विद्वत् एवं पानी का प्रभार	14.65	13.86
किराया	227.85	217.00
दरें एवं कर	0.38	0.42
बीमा	1.30	0.84
टेलीफोन	8.53	7.94
यात्रा व्यय – निदेशक	1.37	2.11
यात्रा व्यय -कर्मचारी एवं अन्य	31.54	10.81
कनवेश	28.73	8.97
वाहन चालन एवं रखरखाव	2.96	1.29
कार्यालय व्यय एवं रखरखाव	45.57	46.28
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	21.42	7.88
मुद्रण एवं स्टेशनरी	8.63	8.12
विज्ञापन	1.31	8.05
सम्मेलन एवं बैठकें	14.25	0.14
भर्ती एवं प्रशिक्षण	1.36	0.75
अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	20.69	26.13
सुरक्षा एवं अन्य सेवा प्रभार	70.01	70.13
अन्य व्यय	38.11	25.59
योग	590.94	470.77

Note 25.1 Payment to the Auditor

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Statutory Auditor Remuneration	2.07	2.07
For taxation matters (Tax Audit)	0.22	0.22
for company law matters		
for other services (GST & Others) (see note 25.1.1)	0.41	0.41
for reimbursement of expenses		
Total	2.70	2.70

Note 25.1.1 The Corporation had incurred GST & 80G fee of ₹ 0.30 Lakh and ₹. 0.12 Lakh respectively.

Note 26 Components of Other Comprehensive Income (OCI)/ (Expenses)

The disaggregation of changes to OCI by each type of reserve in equity is shown below:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Remeasurement of Defined Benefit plans		
- Gratuity	1.27	2.15
Total	1.27	2.15

Note 27 Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Excess Provision of Performance Incentive written back & other	-	(25.30)
Interest on Income Tax Refund	(0.03)	(0.96)
Loss /(Profit) on sale of assets	(0.07)	(0.18)
Excess Provision/Expenses written back (Note-27.1)	(9.58)	2.88
Expenses/Liability written off	-	(18.88)
Other Exceptional Income (See Note No. 27.2)	(1.85)	(0.03)
Assets Written off	-	0.30
Total	(11.52)	(42.16)

Note 27.1 A sum of ₹ 9.58 Lakh on account of Actuarial Valuation for Gratuity FY 2023-24 and an amount of ₹ 2.88 Lakh (reversal of ₹ 2.81 Lakh against Income Tax Refund & ₹ 0.06 Lakh for Leave Encashment FY 2022-23 respectively has been provided as exceptional items.

Note 27.2 A sum of ₹ 1.85 Lakh (₹1.35 Lakh for Cluster Dev. Handicraft and ₹ 0.50 Lakh for refund from X-29, association for FY 2008-09) for FY 2023-24 & ₹ 0.03 Lakh FY 2022-23 has been considered as exceptional income.

The Corporation had received an amount of ₹ 0.03 Lakh & ₹ 0.96 Lakh on account of Interest on Income Tax Refund for the FY 2023-24 & FY 2022-23 respectively.

All the provisions written back are considered as Exceptional Items except Provision Written back on Loan & Advances.

Note 28 Corporate Social Responsibilities (CSR) Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Direct Expenses	65.04	25.20
Overheads	-	0.22
Total	65.04	25.42

टिप्पणी 25.1 अंकेक्षक को भुगतान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सांविधिक अंकेक्षक पारिश्रमिक	2.07	2.07
कराधान मामलों के लिए (टैक्स आडिट)	0.22	0.22
कंपनी विधिक मामलों के लिए		
अन्य सेवाओं के लिए (जी.एस.टी. एवं अन्य) (टिप्पणी 25.1.1 देखें)	0.41	0.41
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए		
योग	2.70	2.70

टिप्पणी 25.1.1 निगम ने जी.एस.टी. एवं 80जी शुल्क क्रमशः ₹ 0.30 लाख एवं ₹ 0.12 लाख व्यय किए हैं।

टिप्पणी 26 अन्य व्यापक आय के तत्व (ओ.सी.आई)/(व्यय)

अंश पूंजी में प्रत्येक प्रकार के आरक्षित द्वारा ओ.सी.आई में परिवर्तनों का अ-एककीरण नीचे दिखाया गया है-

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन - उपदान	1.27	2.15
योग	1.27	2.15

टिप्पणी 27 असाधारण वस्तुएँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
पीछे से लाए गए कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन के आधिक्य का प्रावधान एवं अन्य आयकर वापसी पर ब्याज	-	(25.30)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	(0.03)	(0.96)
पीछे से लाए गए आधिक्य प्रावधान/व्यय (टिप्पणी-27.1)	(0.07)	(0.18)
बट्टे खाते में डाला गया व्यय/दायित्व	(9.58)	2.88
अन्य असाधारण आय(टिप्पणी 27.2 देखें)	-	(18.88)
पीछे से लाए गए परिसंपत्तियाँ	(1.85)	(0.03)
	-	0.30
योग	(11.52)	(42.16)

टिप्पणी 27.1 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उपदान के लिए वास्तविक मूल्यांकन के लिए ₹ 9.58 लाख की राशि और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्रमशः ₹ 2.88 लाख रुपये (आयकर रिफंड के लिए ₹ 2.81 लाख का प्रतिवर्तन और अवकाश नकदीकरण के लिए ₹ 0.06 लाख रुपये का प्रतिवर्तन) को असाधारण मदों के रूप में प्रदान किया गया है।

टिप्पणी 27.2 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 1.85 लाख (हस्तशिल्प विकास समूह के लिए ₹ 1.35 लाख और वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए एक्स-29 एसोसिएशन से वापसी के लिए ₹ 0.50 लाख) एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 0.03 लाख को असाधारण आय माना गया है।

निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर वापसी पर ब्याज के रूप में क्रमशः ₹ 0.03 लाख और ₹ 0.96 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है।

पीछे से लाए गए सभी प्रावधानों को असाधारण मदों के रूप में माना जाता है सिवाय ऋण एवं अग्रिमों पर पीछे से लाए गए प्रावधानों के।

टिप्पणी 28 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष व्यय	65.04	25.20
ओवरहेड्स	-	0.22
योग	65.04	25.42

Note 28.1 Disclosure in respect of CSR Expenses :

Expenditure related to Corporate Social Responsibility (CSR) as per Section 135 of The Companies Act, 2013 read with Schedule VII thereof:

a. Detail of amount required to be spent (₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Average surplus/profit of the last three years	3,174.58	3,020.02
Un-spent amount as at Beginning of the Year	(72.23)	(107.21)
Gross Amount required to be spent during the year (2% of above 1)	63.49	60.40
Amount Spent during the year	65.04	25.42
Amount considered during the year		
Un-spent amount as at Year End	(73.78)	(72.23)
Total	(73.78)	(72.23)

b. No provision has been made for CSR Expenses during the year . The income earned ,if any incidentally to the CSR projects have been netted off from the CSR expenses

(b) Details of Average of Surplus/Profit of the last three Financial Years as follows: (₹ in Lakhs)

Financial Years	Net Profit	Average Net Profit	Amount to be Spent for CSR Expenditure
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59
2022-23	3037.79	3020.02	60.40
2023-24	3083.06	3174.58	63.49

(c) CSR Disclosure as per Section 135 of the Companies Act, 2013 (₹ in Lakhs)

Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)	Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)	Amount Spent in the Financial Year (in Rs)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any	Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in Rs)	Deficiency, if any
FY 2021-22	12.36	12.84	8.32	4.49	0.03	
FY 2022-23	45.65	47.47	1.41	21.76	24.30	
FY 2023-24	32.68	32.68	0.00	0.00	32.68	

Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any

टिप्पणी 28.1 निगमित सामाजिक दायित्व के संबंध में प्रकटन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) से संबंधित व्यय, जो उसकी अनुसूची VII के साथ पठनीय है, के अनुसार है:

क. व्यय की जाने वाली धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
गत तीन वर्षों का औसत आधिक्य/लाभ	3,174.58	3,020.02
वर्ष के आरंभ में अव्ययित धनराशि	(72.23)	(107.21)
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल धनराशि (उपर्युक्त 1 का 2%)	63.49	60.40
वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि	65.04	25.42
वर्ष के दौरान विचारार्थ धनराशि		
वर्ष की समाप्ति पर व्यय न की गई धनराशि	(73.78)	(72.23)
योग	(73.78)	(72.23)

ख. वर्ष के दौरान सी.एस.आर. व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। सी.एस.आर. परियोजनाओं से अकस्मात आय, यदि कोई हो को सी.एस.आर. खर्चों से घटाया गया है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अधिशेष/लाभ के औसत का विवरण इस प्रकार है

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ	औसत शुद्ध लाभ	सी.एस.आर. व्यय के लिए खर्च की जाने वाली राशि
2011-12	2410.56		
2012-13	2569.02		
2013-14	1984.83		
2014-15	3734.42	2321.47	46.43
2015-16	2407.64	2762.76	55.26
2016-17	2567.16	2708.96	54.18
2017-18	1960.63	2903.07	58.06
2018-19	2793.68	2311.81	46.24
2019-20	2574.11	2440.49	48.81
2020-21	3421.25	2442.81	48.86
2021-22	3064.70	2929.68	58.59
2022-23	3037.79	3020.02	60.40
2023-24	3083.06	3174.58	63.49

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. प्रकटीकरण

(₹ लाख में)

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सी.एस.आर. खाते में अव्ययित हस्तांतरित राशि (₹. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत सी.एस.आर. खाते में अव्ययित शेष राशि (₹. में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹. में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे नियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो	आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली अवशेष राशि (₹. में)	कमी, यदि कोई हो
वित्त वर्ष 2021-22	12.36	12.84	8.32	4.49	0.03	
वित्त वर्ष 2022-23	45.65	47.47	1.41	21.76	24.30	
वित्त वर्ष 2023-24	32.68	32.68	0.00	0.00	32.68	

धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो

Total Amount Spent for the Financial Year	Unspent Amount(in Lakh)				
	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in Rs.)		Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII subsection (5) of section 135		
	Amount	Date of Transfer	Name of the Fund	Amount (In Lakh)	Date of Transfer
65.04	32.68	16 April, 2024	PMNRF	1.41	29 Sep. 2023
				21.76	29 Sep. 2023
				3.08	28 March, 2024

(c) CSR Disclosure as per Section 135 of the Companies Act, 2013

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2021-22
amount required to be spent by the company during the year	64.22	45.65	11.38
amount of expenditure incurred,	31.54	1.32	8.32
Amount Transfer to PMNRF	0.00	20.80	3.06
shortfall at the end of the year,	32.68	23.53	0.00
total of previous years shortfall		1.80	
reason for shortfall	Delay in submitting the proposal by channel partners.		
nature of CSR activities	Eradicating hunger, poverty and malnutrition: promoting health care including preventing health care and making available safe drinking water.		

Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014, the Corporation had transferred an unspent balance of ₹ 32.68 Lakh to Specially designated Unspent CSR Fund for the FY 2023-24 with in 30 days from the end of the Financial Year.

Pursuant to Section 135 of the Companies Act, 2013 read with CSR Rules, 2014, the Corporation had transferred an unspent balance of ₹ 26.25 Lakh to Prime Minsiter National Relief Fund (PMNRF) during FY 2023-24 against unspent fund of previous years. Further, the balance unspent balance of ₹ 22.54 Lakh (₹ 0.03 Lakh & ₹ 22.50 Lakh for FY 2021-22 & FY 2022-23) had also been deposited to PMNRF dated on 16.04.2024 having unspent balance for ₹ 1.80 Lakh for ongoing projects(FY 2022-23) only.

Note 29 Earning per Share (EPS)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Basic EPS		
From continuing operation	20.55	20.24
Diluted EPS		
From continuing operation	20.54	20.24

Note 29.1 Basic Earning per Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Profit attributable to equity holders of the company:		
Continuing operations	3081.79	3035.27
Earnings used in calculation of Basic Earnings Per Share	3081.79	3035.27
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	149.96	149.94

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि	अव्ययित राशि (लाख में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (रु . में)		धारा 135 की अनुसूची VII की उपधारा (5) के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि		
	धनराशि	स्थानांतरण की तिथि	राशि का नाम	राशि (लाख में)	स्थानांतरण की तिथि
65.04	32.68	16 अप्रैल, 24	पीएमएनआरएफ	1.41	29 सितम्बर, 23
				21.76	29 सितम्बर, 23
				3.08	28 मार्च, 24

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सी.एस.आर. प्रकटीकरण

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2021-22
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	64.22	45.65	11.38
व्यय की गई राशि,	31.54	1.32	8.32
पीएमएनआरएफ को राशि हस्तांतरण	0.00	20.80	3.06
वर्ष के अंत में कमी,	32.68	23.53	0.00
गत वर्षों में कमी का योग		1.80	
कमी के कारण	चैनल सहभागियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में देरी।		
सी.एस.आर. गतिविधियों की प्रकृति	भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना जिसमें स्वास्थ्य देखभाल एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है।		

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित सीएसआर नियम, 2014 के अनुसार, निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर व्यय न की गई वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष राशि ₹32.68 लाख को व्यय न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ सी.एस.आर. नियम, 2014 के अनुसार, निगम ने पिछले वर्षों के अनप्रयुक्त राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) में ₹ 26.25 लाख का अप्रयुक्त शेष स्थानांतरित किया था। इसके अलावा, शेष ₹ 22.54 लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 0.03 लाख और ₹ 22.50 लाख) भी 16.04.2024 को पीएमएनआरएफ में जमा कर दिए गए हैं, जिसमें केवल चालू परियोजनाओं (वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए ₹1.80 लाख की अव्ययित शेष राशि है।

टिप्पणी 29 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति अंश मूल्य आय		
सतत् संचालन से	20.55	20.24
तनुकृत प्रति अंश अर्जन		
सतत् संचालन से	20.54	20.24

टिप्पणी 29.1 प्रति अंश मूल आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभ:		
सतत् संचालन	3081.79	3055.77
प्रति अंश मूल आय के आगणन में प्रयुक्त आय	3081.79	3035.27
प्रति अंश मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	149.96	149.94

Note 29.2 Diluted Earning per Share

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of diluted earning per share:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Profit attributable to equity holders of the company: Continuing operations	3081.79	3035.27
Earnings used in calculation of diluted Earnings Per Share from continuing operations	3081.79	3035.27

The weighted number of equity shares for the purpose of diluted earning per share reconciles to the weighted average number of equity share used in calculation of basic earning per share as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Weighted average number of shares for the purpose of basic earnings per share	149.94	149.94
Effect of Dilution :	-	-
Share Application money pending allotment	0.08	-
Weighted average number of shares for the purpose of Diluted earnings per share	150.04	149.94

टिप्पणी 29.2 तनुकृत प्रति अंश आय

प्रति अंश तनुकृत आय के आगणन में प्रयुक्त साम्य अंशों का औसत भार एवं आय: -

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के अंशधारकों को आरोप्य लाभ: सतत् संचालन	3081.79	3035.27
सतत् संचालन से प्रति अंश तनुकृत आय में प्रयुक्त आगणन	3081.79	3035.27

प्रति अंश तनुकृत आय अर्जित करने के उद्देश्य से साम्य अंशों की भारित संख्या, प्रति अंश मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली साम्य अंश की भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का प्रति अंश औसत भार	149.94	149.94
तनुकृत का प्रभाव:	-	-
आवंटन हेतु लंबित अंश अनुप्रयोग राशि	0.08	-
प्रति अंश तनुकृत आय के उद्देश्य से अंशों की संख्या का औसत भार	150.04	149.94

NATIONAL BACKWARD CLASSES FINANCE & DEVELOPMENT CORPORATION (NBCFDC)

(CIN NO. U74899DL1992NPL047146)

Notes 30

Note 30.1 Related Party Disclosures (Key managerial personnel)

- (a) Mr. Rajan Sehgal, Managing Director
 (b) Mr. Ajit Kumar Samal, S.G.M. (Finance) & Company Secretary
 (c) Mr. V. R. Chary, S.G.M. (HR & Personal)
 (d) Ms. Anupama Sood, S.G.M.(Project)
 (e) Mr. Suresh Kumar, G.M. (Adm.)

Nature & volume of transactions with key management personnel during the year

Note 30.2 Compensation of Key Management Personnel

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Short Term Benefits (Salaries/PRP etc.)	252.49	223.40
Sitting Fees to Independent Directors		0.00
Post-Employment Benefits	42.08	31.47
Other Long Term Benefits		
Termination Benefits		
Share Based Payment		
Medical	2.43	1.73
Others (Reimb.)	16.54	5.63
Sub Total (1)	313.55	262.23
Loan to related party:		
Loan given during /at the end of the year	20.50	45.30
Interest	13.83	12.84
Repayment during the year	15.40	25.37
Sub Total (2)	49.73	83.51
Amount owned by related parties at end of the year (1+2)	363.28	345.74

FY 2023-24

(₹ in Lakhs)

Particulars	Mr. Rajan Sehgal (Managing Director)	Mr. Ajit Kumar Samal	Mr. V.R.Chary	Ms. Anupama Sood	Mr. Suresh Kumar
Short Term Benefits	63.07	41.40	53.37	52.46	42.19
Post Employment Benefits	10.43	7.03	8.62	8.63	7.37
Medical	0.50	0.43	0.50	0.50	0.50
Others (Reimb.)	13.73	1.50	0.54	0.49	0.29

FY 2022-23

(₹ in Lakhs)

Particulars	Mr. Rajan Sehgal (Managing Director)	Mr. Ajit Kumar Samal	Mr. V.R.Chary	Ms. Anupama Sood	Mr. Suresh Kumar
Short Term Benefits	16.82	45.97	54.80	57.46	48.36
Post Employment Benefits	2.52	6.45	7.93	7.79	6.78
Medical	0.13	0.50	0.50	0.50	0.10
Others (Reimb.)	2.74	1.06	0.77	0.35	0.70

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
(सीआईएन नंबर U74899DL1992NPL047146)

टिप्पणियाँ 30

टिप्पणी 30.1 संबंधित पक्ष प्रकटन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक)

- (क) श्री राजन सहगल, प्रबंध निदेशक
- (ख) श्री अजीत कुमार सामल, वरि. महाप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव
- (ग) श्री वी.आर. चारी, वरि. महाप्रबंधक (मा.स.-सी.एस.आर.)
- (घ) श्रीमती अनुपमा सूद, वरि. महाप्रबंधक (परियोजना)
- (ड.) श्री सुरेश कुमार, महाप्रबंधक (कौशल विकास)

वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन की प्रकृति एवं मात्रा

टिप्पणी 30.2 मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारितोषिक

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि लाभ (वेतन/कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन इत्यादि)	252.49	223.40
स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने हेतु शुल्क		0.00
सेवायोजन के पश्चात लाभ	42.08	31.47
अन्य लम्बी अवधि के लाभ		
समाप्ति लाभ		
अंश आधारित भुगतान		
चिकित्सा	2.43	1.73
अन्य (प्रतिपूर्ति)	16.54	5.63
उप योग (1)	313.55	262.23
संबद्ध पार्टी को ऋण:		
वर्ष के दौरान/ अंत तक दिए गए ऋण	20.50	45.30
ब्याज	13.83	12.84
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	15.40	25.37
उप योग (2)	49.73	83.51
समाप्त वर्ष पर संबंधित पार्टी द्वारा स्वामित्व में धनराशि(1+2))	363.28	345.74

वित्त वर्ष 2023-24

(₹ लाख में)

विवरण	श्री राजन सहगल (प्रबंध निदेशक)	श्री अजीत कुमार सामल	श्री वी.आर. चारी	श्रीमती अनुपमा सूद	श्री सुरेश कुमार
अल्पावधि लाभ	63.07	41.40	53.37	52.46	42.19
नियोजनोपरांत लाभ	10.43	7.03	8.62	8.63	7.37
चिकित्सा	0.50	0.43	0.50	0.50	0.50
अन्य (प्रतिपूर्ति)	13.73	1.50	0.54	0.49	0.29

वित्त वर्ष 2022-23

(₹ लाख में)

विवरण	श्री राजन सहगल (प्रबंध निदेशक)	श्री अजीत कुमार सामल	श्री वी.आर.चारी	श्रीमती अनुपमा सूद	श्री सुरेश कुमार
अल्पावधि लाभ	16.82	45.97	54.80	57.46	48.36
नियोजनोपरांत लाभ	2.52	6.45	7.93	7.79	6.78
चिकित्सा	0.13	0.50	0.50	0.50	0.10
अन्य (प्रतिपूर्ति)	2.74	1.06	0.77	0.35	0.70

Loans or Advances granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (₹ in Lakhs)

Type of Borrower	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
Promoters		
Directors		
KMPs	20.50	0.01%
Related Parties		

Total Compensation paid as per the guidelines of Deptt. Of Public Enterprises (DPE)

TA/DA is paid /payable in normal course of business and paid on same terms which are applicable to other employees.

Note 30.3 Transaction with the Government Related Entities

Apart from transactions reported above, the Corporation has transactions with other Government related entities, which includes but not limited to the following :-

Name of Government : Government of India through Ministry of Social Justice and Empowerment (Significant influence over Corporation).

Certain Significant Transactions:

(₹ in Lakhs)

Party	Nature of Transaction	For the Year Ended March 31, 2024	For the Year ended March 31, 2023
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt towards Equity Share Capital during the year	1,500.00	-
Ministry of Social Justice and Empowerment	Receipt of Grant in Aid towards implementation of Skill Development Programme during the year	12,285.05	-
Ministry of Social Justice and Empowerment	Reimbursement of expenses of organizing events	-	-
Total		13,785.05	-

Note 30.4 Related Parties held equity of the Corporation

Name of Party	Relationship	For the Year Ended March 31, 2024		For the Year ended March 31, 2023	
		Number of share held	% holding in that class of shares	Number of share held	% holding in that class of shares
President of India	Shareholder	15144000	99.9%	14994000	99.9%

Notes 31 Capital management

Note 31.1 The company objective to manage its capital in a manner to ensure and safeguard their ability to continue as a going concern so that company can continue to provide maximum returns to shareholders and benefit to other stake holders.

Further, company manages its capital structure to make adjustments in light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. As on 31st March 2024 company does not have any liability towards borrowings. Company manages its working capital requirement through internal accruals.

प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पार्टियों को दिए गए ऋण या अग्रिम (₹ लाख में)

उधारकर्ता की श्रेणी	अवशेष ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों एवं अग्रिमों का प्रतिशत
प्रमोटरर्स		
निदेशक		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	20.50	0.01%
संबंधित पार्टियाँ		

कुल प्रतिपूर्ति का भुगतान लोक उद्यम विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया है।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान सामान्य व्यावसायिक अवधि में उन्हीं शर्तों के अनुसार किया गया/देय है जो अन्य कर्मचारियों पर लागू है।

टिप्पणी 30.3 सरकार से संबंधित कंपनियों के साथ लेन-देन

ऊपर बताया गए लेनदेन के अतिरिक्त, निगम ने सरकार से संबंधित अन्य संस्थाओं के साथ लेन-देन किया है, जो सम्मिलित है, किन्तु निम्नलिखित के लिए सीमित नहीं है-

सरकार का नाम: भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय माध्यम से

निश्चित महत्वपूर्ण लेन-देन

(₹ लाख में)

दल	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान साम्य अंश पूंजी के रूप में प्राप्त	1,500.00	-
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	वर्ष के दौरान कौशल विकास योजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त अनुदान सहायता	12,285.05	-
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	कार्यक्रमों के आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति	-	-
योग		13,785.05	-

टिप्पणी 30.4 निगम के साम्य अंश धारित संबद्ध पार्टी

पक्ष का नाम	संबंध	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
		धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %	धारित अंशों की संख्या	उस वर्ग के अंशों को धारित का %
भारत के राष्ट्रपति	शेयरहोल्डर	15144000	99.9%	14994000	99.9%

टिप्पणी 31 पूंजी प्रबंधन

टिप्पणी 31.1 कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को इस तरह से प्रबंधित करने को सुनिश्चित करना है कि उसकी सामर्थ्य को आगे चलते रहने के आधार पर सुरक्षित करना है जिससे कंपनी के अंश धारकों को अधिकतम रिटर्न प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान कर सके।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक स्थितियों में परिवर्तनों और वित्तीय करारों की आवश्यकताओं में समायोजन परिवर्तनों के दृष्टिगत करती है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारी की कोई देयता नहीं है। कंपनी आंतरिक संभूति के माध्यम से अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करती है।

Note 31.2 Following changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended 31 March 2024 :

- i) Recognition of Corporate Social Responsibilities (CSR) expenses from utilization to disbursement.
- ii) Some other category of target group has been added in objective clause.

Note 32 Fair Value measurements

i) The Carrying Value of Financial Instruments by categories are as follow: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024			As at March 31, 2023		
	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortized Cost
Financial Assets						
(i) Cash and Cash Equivalents	-	-	1,097.78	-	-	3,410.28
(ii) Other Bank balances	-	-	-	-	-	-
(iii) Security Deposits	-	-	0.30	-	-	0.25
(iv) Other Financial Assets	-	-	2,012.20	-	-	1,995.59
(vi) Loans	-	-	210,914.26	-	-	204,185.13
(vi) Staff Loans & advances	-	-	393.18	-	-	202.71
(vii) Cash & Cash Equivalents-Grant Fund	-	-	3,481.83	-	-	1,374.87
Total Financial Assets	-	-	217,899.55	-	-	211,168.84
Financial Liabilities						
(i) Other financial liabilities	-	-	3,387.21	-	-	1,266.66
(ii) Security deposit & retention money	-	-	3.67	-	-	0.54
Total Financial Liabilities	-	-	3,390.88	-	-	1,267.20

ii) Fair value of financial assets and liabilities that are measured at fair value (but fair value disclosure are required)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024		As at March 31, 2023	
	Carrying Value	Fair value	Carrying Value	Fair value
Financial Assets				
(i) Loans	210,914.26	210,914.26	204,185.13	204,185.13
(ii) Staff Loans & advances	393.18	448.63	202.71	234.73
Total Financial Assets	211,307.44	211,362.88	204,387.84	204,419.87

i) The carrying amounts of cash and cash equivalents, other bank balances, security deposits, Other Receivables and payables are considered to the same as their fair values, due to short term nature.

ii) The fair value of "Loans to employees" were calculated based on cash flows discounted using current market rate. They are classified as level 3 fair values in fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

iii) For financial assets and Liabilities that are measured at fair value, the carrying amount are equal to the fair values.

Fair Value hierarchy

Level 1- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities

Level 2- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived form prices)

टिप्पणी 31.2 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पूँजी प्रबंध के लिए उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन किए गए हैं:

- I) वितरण के उपभोग के लिए निगमित सामाजिक दायित्व व्यय की मान्यता।
- II) उद्देश्य की खंड में कुछ अन्य श्रेणियों के लक्षित वर्ग सम्मिलित किए गए हैं।

टिप्पणी 32 उचित मूल्य माप

i) श्रेणियों में वित्तीय साधनों का धारित मूल्य निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी. आई.	परिशोधित लागत	एफ.वी. टी.पी.एल.	एफ.वी. टी.ओ.सी. आई.	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	1,097.78	-	-	3,410.28
(ii) अन्य बैंक अवशेष	-	-	-	-	-	-
(iii) सुरक्षित जमा	-	-	0.30	-	-	0.25
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	2,012.20	-	-	1,995.59
(vi) ऋण	-	-	210,914.26	-	-	204,185.13
(vi) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-	393.18	-	-	202.71
(vii) नकद एवं नकदी समकक्ष-अनुदान राशि	-	-	3,481.83	-	-	1,374.87
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	217,899.55	-	-	211,168.84
वित्तीय देयताएँ						
(i) अन्य वित्तीय देयताएँ	-	-	3,387.21	-	-	1,266.66
(ii) सुरक्षित जमा एवं प्रतिधारित धनराशि	-	-	3.67	-	-	0.54
कुल वित्तीय देयताएँ	-	-	3,390.88	-	-	1,267.20

(ii) उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्य (लेकिन उचित मूल्य प्रकटीकरण आवश्यक है)।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) ऋण	210,914.26	210,914.26	204,185.13	204,185.13
(ii) कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	393.18	448.63	202.71	234.73
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	211,307.44	211,362.88	204,387.84	204,419.87

- i) अल्पावधि प्रकृति के कारण नकदी और नकद समकक्षों का धारित मूल्य, अन्य बैंक अवशेष, सुरक्षा जमा, अन्य प्राप्तियों और देनदारी को उनके उचित मूल्यों के समान माना गया है।
- ii) 'कर्मचारियों को ऋण' का उचित मूल्य मौजूदा बाजार दर का उपयोग करके आगणन किया गया था जो नकदी प्रवाह पर आधारित था। काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम सहित अप्रभावी इनपुटों को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 में उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii) वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्वों के लिए जो उचित मूल्य पर मापे जाते हैं, धारित धनराशि उचित मूल्य के बराबर है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समरूप समरूप परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में अंकित मूल्य (अ-समायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 में सम्मिलित इनपुट, अंकित मूल्य के अतिरिक्त जो परिसंपत्तियों अथवा उत्तरदायित्वों के लिए प्रेक्षणीय है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्य के रूप में) हों अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्य से उत्पन्न)।

Level 3- Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs)
The following table presents the fair value measurement hierarchy of financial assets and liabilities measured at amortised cost:-

Fair Value hierarchy as on 31-03-2024

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2024	-	-	210,914.26	210,914.26
Loans to employees	31st March 2024	-	-	393.18	393.18
		-	-	211,307.44	211,307.44

Fair Value hierarchy as on 31-03-2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Date of valuation	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial Assets					
Financial assets at Amortised Cost					
Loans	31st March 2023			204,185.13	204,185.13
Loans to employees	31st March 2023	-	-	202.71	202.71
		-	-	204,387.84	204,387.84

(iii) Financial risk management

The Company's principal financial liabilities comprise Grant and other payables. The main purpose of these financial liabilities is to finance the company's operations and to provide guarantees to support its operation. The Company's principal financial assets include Term/Micro finance loans to SCA's/other entities that derive directly from its equity.

The Company is required to expose market risk, credit risk and liquidity risk. The company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and those financial risks are identified, measured and managed in accordance with the companies policies and risk objectives. The boards of directors reviews and agree on policies for managing each of these risk, which are summarised below:-

a) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises Interest rate risk. Financial instruments affected by market risk includes loan and advances , deposits and other non-derivative financial instruments.

b) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of change in market interest rate. The company is not exposed to interest rate risk.

c) Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss to the Company if counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations, and arises principally from the Company's loans receivables from SCA's /RRBs/PSBs and Others. The company is exposed to credit risk from its financial activities of loans given to SCA's /RRBs/PSBs and Others.

The company assesses and manages credit risk based on company's internal policies. The company considers the probability of default upon initial recognition of assets and whether there has been a significant increase in credit risk on an ongoing basis throughout each reporting period. To assess whether there is a significant increase in credit risk the company compares the risk of default occurring on the asset as at the reporting date with the risk of default as at the date of initial recognition. It considers available reasonable and supportive forward looking information. Especially the following indicators are incorporated.

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या उत्तरदायित्वों के लिए इनपुट जो कि प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं।

निम्न तालिका में वित्तीय परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को उचित मूल्य माप पदानुक्रम को परिशोधन लागत पर मापा गया है व प्रस्तुत किया गया है

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2024	-	-	210,914.26	210,914.26
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2024	-	-	393.18	393.18
		-	-	211,307.44	211,307.44

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ लाख में)

विवरण	मूल्यांकन की तिथि	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
ऋण	31 मार्च 2023			204,185.13	204,185.13
कर्मचारियों को ऋण	31 मार्च 2023	-	-	202.71	202.71
		-	-	204,387.84	204,387.84

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अनुदान और अन्य दायित्व सम्मिलित हैं। इन वित्तीय दायित्वों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में एससीए/अन्य संस्थाओं के लिए सावधि/माइक्रो फाइनेंस ऋण शामिल हैं जो सीधे इक्विटी से प्राप्त होते हैं।

कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम को उजागर करना आवश्यक है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और उन वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति व्यक्त करता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य बाजार की कीमतों में परिवर्तनों के कारण कम-ज्यादा होता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर का जोखिम सम्मिलित है। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन सम्मिलित हैं।

ख) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाहों के उचित मूल्य में बाजार में ब्याज दर के आधार पर उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी ब्याज दर जोखिम से अवगत है।

ग) उधार जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान है, यदि कोई प्रतिपक्ष अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से एस.सी.ए./आर.आर.बी/पीएसबी और अन्य से कंपनी के प्राप्य ऋणों से उत्पन्न होता है। एस.सी.ए./आर.आर.बी/पीएसबी और अन्य को दिए गए ऋणों के वित्तीय कार्यकलाप से कंपनी को जोखिम का सामना करना पड़ता है।

कंपनी की आंतरिक नीतियों के आधार पर कंपनी क्रेडिट जोखिम का आकलन और प्रबंधन करती है। कंपनी संपत्ति की प्रारंभिक मान्यता पर चूक की संभावना पर विचार करती है और क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के दौरान सतत आधार क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह आकलन करने के लिए कि क्या क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख के अनुसार चूक के जोखिम के साथ रिपोर्टिंग तिथि पर संपत्ति पर होने वाली चूक जोखिम की तुलना करती है। यह उपलब्ध उचित और सहायक अग्रेषित जानकारी उपलब्ध कराने पर विचार करता है। विशेष रूप से निम्नलिखित संकेतक शामिल हैं।

- Significant changes in the value of collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees.
- Significant changes in the expected performance and behaviors of the borrower (SCA's), including changes in the payments status of the borrowers (SCA's) in the group and changes in the operating results of the borrower (SCA's).

In general, it is presumed that the credit risk has significantly increased since initial recognition if the payments are due for more than 1 years.

A default on a financial asset is when the counterparty fails to make payments whenever they fall due.

Financial instruments and cash deposits

Credit risk from balances with banks and financial institutions is managed in accordance with the companies' policy. Investments of surplus are made only with approved with counterparty on the basis of the financial quotes received from the counterparty.

d) Liquidity Risk

Ultimate responsibility for liquidity risk management rest with the board of directors the company manages maintaining adequate banking facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows and by matching the maturities of financial liabilities.

Note: 33 Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2024

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	210,909.25	0%	-	210,909.25
		Interest on Loans	1,122.33	0%	-	1,122.33
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not credibly impaired	Loans	5.89	15%	0.88	5.01
			-	25%	-	-
		Interest on Loans	1,430.63	100%	1,430.63	-
			2.35	15%	0.35	2.00
		-	25%	-	-	
		888.93	100%	888.93	-	
		214,359.38		2,320.80	212,038.58	

- दायित्व का समर्थन करने वाले या तीसरे पक्ष की गारंटी की गुणवत्ता में संपार्श्विक के मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के अपेक्षित कार्यनिष्पादन और व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसमें समूह में उधारकर्ताओं (एस.सी.ए.) की भुगतान स्थिति में परिवर्तन और उधारकर्ता (एस.सी.ए.) के परिचालन परिणामों में परिवर्तन सम्मिलित हैं।

आम तौर पर यह माना जाता है कि यदि भुगतान 1 साल से अधिक समय से देय होता है तो प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि मानी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक तब होती है जब प्रतिपक्ष देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है।

वित्तीय साधन एवं नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ अवशेष राशि को कंपनी की नीति के अनुसार क्रेडिट जोखिम को प्रबंधित किया जाता है। आधिक्य का निवेश प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय दरों के आधार पर प्रतिपक्ष द्वारा अनुमोदन मात्र से किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम प्रबंधन के लिए अंतिम जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मंडल की होती है, कंपनी वास्तविक नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान की सतत् निगरानी और वास्तविक नकदी प्रवाह व वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता का मिलान करके पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं को बनाए रखने का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 33 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान	
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	210,909.25	0%	-	210,909.25
		ऋण पर ब्याज	1,122.33	0%	-	1,122.33
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	5.89	15%	0.88	5.01
			-	25%	-	-
			1,430.63	100%	1,430.63	-
		ऋण पर ब्याज	2.35	15%	0.35	2.00
			-	25%	-	-
			888.93	100%	888.93	-
		214,359.38		2,320.80	212,038.58	

Provision for Expected Credit Losses of Loans for the year ended 31st March, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars		Asset Group	Estimated Gross Carrying Amount of Default	Expected Probability of Default	Expected Credit Losses	Carrying Amount of Net Impairment Provision
Loss Allowance measured at life-time expected credit losses	Financial Asset for which credit risk has not increased significantly since initial recognition	Loans	204,185.13	0%	-	204,185.13
		Interest on Loans	1,147.19	0%	-	1,147.19
	Financial Asset for which credit risk has increased significantly and not credibly impaired	Loans	-	15%	-	-
			-	25%	-	-
			1,065.87	100%	1,065.87	-
		Interest on Loans	0.69	15%	0.10	0.59
		-	25%	-	-	
		793.92	100%	793.92	-	
			207,192.81		1,859.89	205,332.91

- a) Provisions for Expected Credit Losses of loans and interest thereon, where the amounts are overdue and are not covered by the State Government's Order/ Guarantee or any other security "shall be made as per the Probability of default.
- b) Unrealized 'Penal Interest' upto 31/03/2007 has been provided in the financial statement whereas amount pertaining to subsequent period is recognized as and when received due to its uncertainty factor.
- c) Overdue interest on Unsecured loans disbursed directly to NGO/Students at the end of financial year provided for.

Period for which overdue	Probability of default
Upto 1 year	15%
1 to 3 year	25%
More than 3 year	100%

Beside above, as a matter of prudence, where even due amount of interest not received during the financial year on Unsecured loans, disbursed without security / Post dated Cheques etc. provided for.

The SCA wise detail is as follows:

FY 2023-24

(₹ in Lakhs)

Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @100%
Bihar BC		384.91	384.91	384.91
MP SC	56.87	73.09	129.96	129.96
MP BC	56.42	97.93	154.35	154.35
Maharashtra Mahatma Phule	48.62	25.07	73.69	73.69
Assam Artfed	1262.88	58.76	1321.64	1321.64
Othses NGO	5.83	3.92	9.76	9.76
Penal Interest		245.26	245.26	245.26
Total	1430.63	888.93	2319.56	2319.56

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित क्रेडिट ऋण हानि का प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण		परिसंपत्तियों का समूह	चूक की सकल धारित अनुमानित राशि	चूक की प्रत्याशित संभावना	प्रत्याशित क्रेडिट	शुद्ध धनराशि की क्षति का प्रावधान	
हानि प्रावधान का मापन आजीवन प्रत्याशित क्रेडिट हानियों पर किया गया	आरंभिक मान्यता से वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है	ऋण	204,185.13	0%	-	204,185.13	
		ऋण पर ब्याज	1,147.19	0%	-	1,147.19	
	वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में वृद्धि हुई है और उधारी खराब नहीं हैं	ऋण	-	-	15%	-	-
			-	-	25%	-	-
			1,065.87	100%	1,065.87	-	-
		ऋण पर ब्याज	0.69	15%	0.10	0.59	0.59
			-	-	25%	-	-
			793.92	100%	793.92	-	-
			207,192.81		1,859.89	205,332.91	

- क) जहां पर धनराशि बकाया है एवं राज्य सरकारों के आदेश / गारंटी अथवा अन्य सिक्योरिटी में कवर नहीं है, ऋणों एवं उस पर ब्याज की प्रत्याशित क्षति का प्रावधान चूक संभाव्यता के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- ख) दिनांक 31.03.2007 तक वसूले नहीं गए 'दण्ड ब्याज' का प्रावधान वित्तीय विवरण में किया गया है जबकि पश्चातवर्ती अवधि की धनराशि को अनिश्चितता के कारण जब भी देय प्राप्त हुआ है, माना गया है।
- ग) वित्तीय वर्ष के अंत में असुरक्षित गैर सरकारी संगठन/छात्रों को सीधे संवितरित ऋणों पर अतिदेय ब्याज का प्रावधान किया गया है।

अवधि जिसके लिए बकाया है	चूक की संभाव्यता
1 वर्ष तक	15%
1 से 3 वर्ष	25%
3 वर्ष से अधिक	100%

इसके अतिरिक्त, विवेक के तौर पर, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान बिना सुरक्षा / पोस्ट डेटेड चैक के वितरित के असुरक्षित ऋणों पर ब्याज की देय राशि भी प्राप्त नहीं हुई, का प्रावधान किया गया है।

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2023-24

(₹ लाख में)

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @100%
बिहार बी.सी		384.91	384.91	384.91
मध्य प्रदेश एस.सी.	56.87	73.09	129.96	129.96
मध्य प्रदेश बी.सी	56.42	97.93	154.35	154.35
महाराष्ट्र महात्मा फुले	48.62	25.07	73.69	73.69
असम आर्टफेड	1262.88	58.76	1321.64	1321.64
अन्य एन.जी.ओ.	5.83	3.92	9.76	9.76
दंड ब्याज		245.26	245.26	245.26
योग	1430.63	888.93	2319.56	2319.56

Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @15%
Chandigarh SC/ST/BC	1.17	0.15	1.32	0.20
Delhi SC/ST	4.73	0.61	5.34	0.80
Bank of Baroda	0.00	1.58	1.58	0.24
Total	5.89	2.35	8.24	1.24
Gross Total	1436.52	891.28	2327.80	2320.80

The SCA wise details is as follows:
FY 2022-23

Name of the SCA	Principal Outstanding	Interest Outstanding	Total	Provision @100%
Bihar BC		320.53	320.53	320.53
MP SC	56.87	70.53	127.40	127.40
MP BC	56.42	95.39	151.81	151.81
Maharashtra Mahatma Phule	48.62	22.88	71.50	71.50
Assam Artfed	898.12	35.41	933.53	933.53
Othses NGO	5.83	3.92	9.76	9.76
Penal Interest		245.26	245.26	245.26
Bank of Baroda		0.69	0.10	0.10
Total	1065.87	794.61	1859.89	1859.89

Balance Confirmation & Unutilised Fund details for the Year Ended March 2024

NAME OF CHANNEL PARTNER	Balance Confirmation	Unutilised Fund
	Amount (In Lakh)	Amount (In Lakh)
Andhra Pradesh (BC)-I NEW	3887.89	1511.91
Bihar (BC)	3437.37	
Chandigarh SC/ST/BC	13.63	5.00
Chattisgarh Bahudeshiya		23.54
Delhi SC/ST/OBC	72.97	
Gujarat DNT	60.73	21.33
Haryana(BC)		113.25
Himachal Pradesh (BC)		1.69
Jammu & Kashmir SC/ST/BC		133.87
Jammu & Kashmir (WOMEN)	1270.79	0.88
Jharkhand (ST)	1392.83	119.55
Karnatka (Vishkarma)	487.59	19.50
Kerala (BC)		2.35
Kerala (Fisheries)		84.31
Kerala (Palmarah)	100.34	
Kerala Handicraft		41.87
Madhya Pradesh (sc)	169.29	
Madhya Pradesh (BC)	235.70	
Maharashtra (Mahatma Phule)	80.19	

एससीए का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @15%
चंडीगढ़ एससी/एसटी/बीसी	1.17	0.15	1.32	0.20
दिल्ली एससी/एसटी	4.73	0.61	5.34	0.80
बैंक ऑफ बड़ौदा	0.00	1.58	1.58	0.24
योग	5.89	2.35	8.24	1.24
कुल योग	1436.52	891.28	2327.80	2320.80

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी-वार विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष 2022-23

(₹ लाख में)

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी का नाम	बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग	प्रावधान @ 100%
बिहार बी.सी		320.53	320.53	320.53
मध्य प्रदेश एस.सी.	56.87	70.53	127.40	127.40
मध्य प्रदेश बी.सी	56.42	95.39	151.81	151.81
महाराष्ट्र महात्मा फुले	48.62	22.88	71.50	71.50
असम आर्टफेड	898.12	35.41	933.53	933.53
अन्य एन.जी.ओ.	5.83	3.92	9.76	9.76
दंड ब्याज		245.26	245.26	245.26
बैंक ऑफ बड़ौदा		0.69	0.10	0.10
योग	1065.87	794.61	1859.89	1859.89

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शेष राशि की पुष्टि और अप्रयुक्त निधि का विवरण है:

चैनल सहभागी का नाम	अवशेष का पुष्टीकरण	अप्रयुक्त निधि
	राशि (लाख में)	राशि (लाख में)
आंध्र प्रदेश (बीसी)-1 नया	3887.89	1511.91
बिहार (बीसी)	3437.37	
चंडीगढ़ एससी/एसटी/बीसी	13.63	5.00
छत्तीसगढ़ बहुदेशीय		23.54
दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी	72.97	
गुजरात डीएनटी	60.73	21.33
हरियाणा(बीसी)		113.25
हिमाचल प्रदेश (बीसी)		1.69
जम्मू और कश्मीर एससी/एसटी/बीसी		133.87
जम्मू और कश्मीर (वीमेन)	1270.79	0.88
झारखंड (एसटी)	1392.83	119.55
कर्नाटक (विश्वकर्मा)	487.59	19.50
केरल (बीसी)		2.35
केरल (मत्स्य पालन)		84.31
केरल (पाल्मारा)	100.34	
केरल हस्तशिल्प		41.87
मध्य प्रदेश (एससी)	169.29	
मध्य प्रदेश (बी.सी.)	235.70	
महाराष्ट्र (महात्मा फुले)	80.19	

West Bengal (BC)	1292.43	
Assam (Artfed)	1512.40	50.00
Punjab BC		51.92
Punjab National Bank	6227.37	
Pondicherry BC	760.01	
Rajasthan (BC)		436.72
Sikkim SC/ST		87.00
Streenidhi Credit Cooperative Federation Ltd.	685.71	
Tamilnadu (BC)		0.01
UP sahkari Gram Vikas Bank		53.12
West Bengal (BC)		3.80
NGOS	12.22	
Total	21699.45	2761.59

Note 34 Key sources of estimation uncertainty

The followings are the key assumptions concerning the future, and the key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities with next financial year.

a) useful lives of Intangibles

As described in note 2 (j), company has estimated the useful live of intangible Assets

The financial impact of the above assessment may impact the amortisation expenses in subsequent financial years.

b) Fair valuation measurement and valuation process

The fair values of financial assets and financial liabilities is measured the valuation techniques including the DCF model. The inputs to these methods are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments. See Note 30 for further disclosures.

Note 35 Operating Segment reporting

The Corporation has only one Business segment and one Geographical segment, as it is engaged in providing finances at concessional rate of interest to eligible persons belonging to backward classes, through state Channelising agencies and other financial institutions in the country. Hence, segment information as per IndAS is not required to be disclosed.

Note 36 Prior Period Errors

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Impact on equity (increase/(decrease) in equity)		
Trade Payables		
Other current & Non-current Provision		
Trade Receivables		
Other Financial Assets (Current)		
Other Financial Liabilities		0.37
Other current & Non - Current liabilities		
Other Receivable (Current)		

पश्चिम बंगाल (बीसी)	1292.43	
असम (आर्टफेड)	1512.40	50.00
पंजाब बी.सी.		51.92
पंजाब नेशनल बैंक	6227.37	
पुडुचेरी बी.सी.	760.01	
राजस्थान (बी.सी.)		436.72
सिक्किम एससी/एसटी		87.00
स्त्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड.	685.71	
तमिलनाडु (बीसी)		0.01
यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक		53.12
पश्चिम बंगाल (बीसी)		3.80
गैर सरकारी संगठनों	12.22	
योग	21699.45	2761.59

टिप्पणी 34 अनिश्चितता अनुमान के प्रमुख स्रोत

भविष्य के बारे में प्रमुख धारणाएं निम्नलिखित हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता आकलन का प्रमुख स्रोत हैं जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और उत्तरदायित्व की मात्रा में सामग्री समायोजन करने पर एक उल्लेखनीय जोखिम हो सकता है।

क) अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन

जैसा नोट 2 (जे) में वर्णित है, कंपनी ने अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया है।

उपरोक्त मूल्यांकन का वित्तीय प्रभाव बाद के वित्तीय वर्ष में परिशोधन व्यय पर पड़ सकता है।

ख) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों से मापा जाता है। इन पद्धतियों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रेक्षणीय बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह व्यवहारिक नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट निर्णय में विचार के लिए सम्मिलित होते हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है। प्रकटीकरणों को आगे और देखने के लिए टिप्पणी 30 देखें।

टिप्पणी 35 परिचालन भाग रिपोर्टिंग (सेगमेंट)

निगम में केवल एक व्यापार खंड और एक भौगोलिक भाग (सेगमेंट) है, क्योंकि यह देश में एस.सी.ए. एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के पात्र व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसलिए, भारतीय लेखाकरण मानक के अनुसार सेगमेंट जानकारी के प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पणी 36 पूर्वावधि त्रुटियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
साम्य अंश पर प्रभाव(साम्य अंश में वृद्धि/(कमी)		
देय व्यवसाय		
अन्य वर्तमान एवं गैर-वर्तमान प्रावधान		
प्राप्य व्यवसाय		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (वर्तमान)		
अन्य वित्तीय देयताएं		0.37
अन्य वर्तमान एवं गैर-वर्तमान देयताएं		
प्राप्य अन्य (वर्तमान)		

Intangible Assets		
Property, Plant & Equipment's		
Right of Use		
Provisions		
Financial Assets-Loan & Advances		
Net Impact on Equity	-	0.37

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Impact on statement in Income and Expenditure loss (increase/(decrease) in Surplus)		
Other Expenses		0.37
Employees Benefit Cost		
Training & other Developmental Expenditure		
Depreciation & Amortization Costs		
CSR expenses		
Other Developmental Expenses		
Exceptional Items		
Interest Income on Loan to Channel Partners		0.37
Attributable to Equity Holders	-	0.37

Impact on basic and diluted earnings per share (EPS) (increase/(decrease) in EPS) (Rs. in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Earnings per share for continuing operation		
Basic, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.00
Diluted, profit from continuing operations attributable to equity holders	-	0.00

Note 37 Contingent Liabilities /Asset and commitments

Liabilities: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Contingent Liabilities and commitments (to the extent not provided for)		
Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of ad-vances, if any) is Nil (Nil as at 31.03.2023).	-	-

Assets: (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
Contingent Asset and commitments (to the extent not provided for)		
Estimated amount on account of and not provided for	-	-

अमूर्त परिसंपत्तियाँ संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण उपयोग का अधिकार प्रावधान वित्तीय परिसंपत्तियाँ - ऋण एवं अग्रिम		
साम्य अंश पर शुद्ध प्रभाव	-	0.37

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आय एवं व्यय विवरण पर क्षति प्रभाव(आधिक्य में वृद्धि/(कमी)		
अन्य व्यय		0.37
कर्मचारी लाभ लागत		-
प्रशिक्षण एवं अन्य विकासात्मक व्यय		
अवमूल्यन एवं परिशोधन लागत		
सी.एस.आर. व्यय		
अन्य विकासात्मक व्यय		
असाधारण मर्दे		
चैनल सहभागियों को दिए गए ऋण पर ब्याज आय		
	-	0.37
अंश धारकों पर आरोप्य	-	0.37

(₹ लाख में)

प्रति शेयर मूल्य एवं तनुकृत आय पर प्रभाव (ई.पी.एस.) में वृद्धि (कमी)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सतत् संचालन से प्रति अंश आय		
अंशधारकों पर आरोप्य, सतत् संचालन से लाभ, मूल	-	0.00
अंशधारकों पर आरोप्य सतत् संचालन से लाभ, तनुकृत	-	0.00

टिप्पणी 37 आकस्मिक दायित्व/संपत्ति एवं प्रतिबद्धताएं

दायित्व:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आकस्मिक दायित्व व प्रतिबद्धताएँ (सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया)		
पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि शून्य (शुद्ध अग्रिम, यदि कोई हो) है और इसका प्रावधान नहीं किया गया है (31.3.2023 को शून्य)।	-	-

संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आकस्मिक परिसंपत्तियाँ और प्रतिबद्धताएँ ((सीमा तक के लिए प्रावधान नहीं किया गया)		
खाते पर अनुमानित धनराशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	-	-

Note 38 In accordance with the approval of the Board, surplus undisbursed funds available with the Corporation are placed periodically in short term deposits with banks whom transaction are made, taking into account the Government guidelines issued from time to time for the purpose and the income generated by this has been ploughed back into the schemes for the welfare of target groups.

Note 39 The Corporation has waived off penal interest and incentive of interest of ₹ Nil (₹ 63.65 lakh as at 31.03.2023) , under One time Settlement Scheme (OTS). As per One Time Settlement Scheme (OTS) of the Corporation borrowers (SCAs/ NGOs and others, who have some overdues and ready to settle the overdues with in the 3 months of sanction by NBCFDC. The Corporation will provide waiver of 100% of penal interest receivable as on cut off date. Further, the borrower would be eligible for getting interest incentive @3% on the settlement amount for the period of 6 months separately only after receipt of full repayment of settlement amount. The detail is as under:-

During the Financial Year 2022-23

(₹ in Lakhs)

Name of Channel Partners/other	For the Year Ended 31st March 2022 (₹ Lakh)	Intt./Penal Interest waived off. (₹ Lakh)	Interest Incentive (₹ Lakh)	Recovery Affected (₹ Lakh)
Karnataka Vishwakarma	14.49	0.06	14.43	655.94
Sikkim SC/St/OBC Dev. Corpo.	49.16	44.51	4.65	264.56
G. Total	63.65	44.57	19.08	920.50

Note 40 A property situated at x-29 , Hauz Khas , New Delhi was purchased for residential purpose of Managing Director during 1994-95, which is lying vacated since 2014-15 and used for storage and other event purpose except one room. The room is used for official guest of the Corporation who belongs to official of Channel partner of the Corporation when they visit Corporation. The Corporation charges nominal charges for staying period. The said income is nominal & incidental nature. The Corporation is also registered under section 12 AA and gets 80 G certificate from Income Tax Authority. Hence the all incidental income and etc. is exempt from tax. In the opinion of the management the said property is still for residential purpose.

Note 41

Disclosure required under Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
(i) Principal amount remaining unpaid to any supplier as at the end of the accounting year	-	-
(ii) Interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of the year	-	-
(iii) The amount of interest paid along with the amount of payment made beyond the appointed day	-	-
(iv) The amount of interest due and payable for the year	-	-
(v) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of accounting year	-	-
(vi) The amount of further interest due and payable even in the succeeding year, until such date when interest due as above are actually paid.	-	-

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management.

This has been relied upon by the auditors.

Note 42

Note 42.1 The Corporation has filed legal cases against the defaulting Channel Partners/ NGOs and there is no case the Corporation has any obligation of any payments.

टिप्पणी 38 इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर जारी सरकारी दिशानिर्देश और इसके द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार, निगम के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय-समय पर उन बैंकों में अल्पावधि जमा में रखा जाता है, जिनसे लेन-देन किया जाता है और इससे सृजित आय को लक्षित समूहों के कल्याण के लिए योजनाओं में प्रयोग किया गया है।

टिप्पणी 39 निगम ने एकल निस्तारण योजना(ओ.टी.एस.) के अंतर्गत दण्ड ब्याज एवं ब्याज प्रोत्साहन ₹ शून्य लाख (31.03.20223 को ₹ 63.65 लाख) माफ किया है। निगम की एकल निस्तारण योजना के अनुसार ऋणग्राहियों(रा.च.ए./एन.जी.ओ. एवं अन्य), जिनपर कुछ बकाया है एवं बकाया के निस्तारण हेतु एन.बी.सी.एफ.डी.सी.की स्वीकृति के 3 माह में बकाया के भुगतान हेतु तैयार है। निगम निर्धारित तिथि पर प्राप्य दण्ड ब्याज को 100% माफ करेगा। इसके अलावा, 6 माह की अतिरिक्त अवधि में सम्पूर्ण धनराशि का पुनर्भुगतान का निस्तारण करने के बाद ही ऋणग्राही 3% की दर से ब्याज प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगे। विवरण निम्नानुसार है-

वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में

(₹ लाख में)

चैनल सहभागियों/अन्य का नाम	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख)	माफ किया गया ब्याज/ दंड ब्याज (₹ लाख)	ब्याज प्रोत्साहन (₹ लाख)	प्रभावित वसूली (₹ लाख)
कर्नाटक विश्वकर्मा	14.49	0.06	14.43	655.94
सिक्किम एससी/एसटी/ओबीसी डेव. कॉरपोरेशन.	49.16	44.51	4.65	264.56
कुल योग	63.65	44.57	19.08	920.50

टिप्पणी 40 एक्स-29, हौज खास, नई दिल्ली में स्थित एक संपत्ति 1994-95 के दौरान प्रबंध निदेशक के आवासीय उद्देश्य के लिए खरीदी गई थी, जो 2014-15 से खाली पड़ी है और एक कमरे को छोड़कर भंडारण और अन्य कार्यों के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। निगम के आधिकारिक अतिथि, जो निगम के चैनल सहभागियों के अधिकारी होते हैं जब वे निगम में आते हैं, के लिए कमरे का उपयोग किया जाता है। निगम रहने की अवधि के लिए नाममात्र का शुल्क लेता है। उक्त आय नाममात्र और आकस्मिक प्रकृति की होती है। निगम धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और आयकर प्राधिकरण से 80 जी प्रमाण पत्र प्राप्त है। अतः सभी आकस्मिक आय आदि कर से मुक्त है। प्रबंधन के मतानुसार उक्त संपत्ति अभी भी आवासीय उद्देश्य के लिए है।

टिप्पणी 41 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यक है

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई अवशेष मूलधन राशि	-	-
(ii) वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई धनराशि पर देय ब्याज	-	-
(iii) निश्चित तिथि के बाद प्रदत्त ब्याज की धनराशि के साथ-साथ किया गया भुगतान	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय भुगतान योग्य ब्याज की धनराशि	-	-
(v) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की राशि और अवशेष अदा नहीं की गई धनराशि	-	-
(vi) आगामी वर्ष में भी देय और भुगतान योग्य बकाया धनराशि, जब तक कि उस तिथि को जब उपरोक्तानुसार ब्याज देय हो, वास्तव में भुगतान किए गए।	-	-

प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर इन पार्टियों की सीमा की पहचान की गई है व सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बकाया राशि को निर्धारित किया गया है।

इस पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

टिप्पणी 42

टिप्पणी 42.1 निगम ने चूककर्ता चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध कानूनी मुकदमें दायर किए गए हैं और निगम के पास किसी भी भुगतान के दायित्व का मामला नहीं है।

Note 42.2 The Corporation has initiated legal action against the defaulting Channel Partners / NGOs u/s 138 as well as for civil suits. The cumulative Status of legal cases is as under:

Particulars	Criminal Suits	Civil Suit	Civil Suit filed by others	Arbitration	Total
Cases under Process	-	-	2	-	2
Decree Execution in process	-	3	-	-	3
Cases dismissed	-	-	-	-	-
Total	-	3	2	-	5

Note 43 The The Income of the Corporation is exempted from tax under section 10 (26b) of the Income Tax Act, 1961. Thus no provision for Income Tax is Required. Consequently the provision of Ind As - 12 'Income Tax is not applicable.

Note 44 Provision of 'Non - Banking Finance Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) directions 1998' are not applicable to the Corporation.

Note 45 In the opinion of Board /Management , the assets, Loans and Advances have a realisable value of at least equal to the amount at which they are stated in the Balance sheet if realised in the ordinary course of business.

Note 46 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Madhya Pradesh and out of this state a new state of Chhattisgarh was formed in the year 2000. The loan was given to Madhya Pradesh State Channelising Agencies prior to division of the state and is guaranteed by the State Government of Madhya Pradesh for repayment to NBCFDC. The loan was given to the erstwhile State, however, the successor State has not repaid its liability of ₹ 404.99 lakhs (₹ 391.27 lakhs as at 31.03.2023) to NBCFDC and hence the loan outstanding is accounted for in the name of the erstwhile state.

Note 47 Consequent to constitutional amendment, there was bifurcation of the state of Bihar and out of these states two new states of Jharkhand were formed respectively in the year 2000. Pending the apportionment of Assets and Liabilities between SCAs of successor States, the Corporation has shown the loan outstanding against the SCAs of erstwhile State, which is subject to confirmation.

- Note 48**
1. The Company has adopted Ind AS 116 (Leases) in accordance with applicable financial reporting framework, due to adoption of this there is no material impact on financial statements of NBCFDC.
 2. Expenses relating to the short-term operating leases as per Ind AS 116 are as follows:-

Nature of Expenses	Amount ₹ In Lakh
Rent	227.85
Hiring of Vehicle	28.73
Security & Other Services Charges	70.01
Total	326.59

टिप्पणी 42.2 निगम ने धारा 138 के तहत चूक करने वाले चैनल सहभागियों/गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सिविल अभियोग शुरू किया है। कानूनी मामलों की सकल स्थिति निम्नानुसार है-

विवरण	आपराधिक केस	सिविल केस	अन्य द्वारा दायर किए गए सिविल केस	मध्यस्थता	योग
प्रक्रियाधीन मामले	-	-	2	-	2
न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में	-	3	-	-	3
खारिज केस	-	-	-	-	-
योग	-	3	2	-	5

टिप्पणी 43 निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) के तहत कर से छूट दी गई है। इस प्रकार आयकर के लिए कोई प्रावधान वांछित नहीं है। इसी प्रकार भारतीय लेखाकरण मानक-12, आयकर लागू नहीं है।

टिप्पणी 44 1998 के सार्वजनिक जमा (रिजर्व बैंक) के गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों के प्रावधान निगम के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45 निदेशक मण्डल / प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य अवधि में व्यवसाय किया गया है, परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य माना जाता है जिस पर उनका तुलन-पत्र में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी 46 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ और वर्ष 2000 में इस राज्य से एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। राज्य के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को ऋण दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ऋण चुकाने के लिए इसकी गारंटी है। ऋण पूर्ववर्ती राज्य को दिया गया था, हालांकि, उत्तराधिकारी राज्य ने एन.बी.सी.एफ.डी.सी. को ₹ 404.99 (31.03.2023 को ₹ 397.11 लाख) की अपनी देयता का भुगतान नहीं किया है और इसलिए बकाया ऋण का दायित्व पूर्ववर्ती राज्य के नाम किया गया है।

टिप्पणी 47 संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप, बिहार राज्य का विभाजन हुआ और इस राज्य से झारखंड नाम के एक नए राज्य का गठन 2000 में किया गया था। उत्तराधिकारी राज्य की परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व का बटवारा नव सृजित राज्य की एस.सी.ए. के मध्य होना लंबित है, निगम ने इसे पूर्ववर्ती राज्य की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी के नाम दर्शाया है, जो पुष्टि के अधीन है।

टिप्पणी 48

1. कंपनी ने भारतीय लेखाकरण मानक 116 (लीज) को वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार अंगीकार किया है; इसके अंगीकरण के कारण एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।
2. भारतीय लेखाकरण मानक 116 के अनुसार संक्षिप्त अवधि के परिसंचालन लीज से संबंधित व्यय निम्नानुसार है:-

व्यय की प्रकृति	धनराशि (₹/लाख में)
किराया	227.85
वाहन को किराए पर लेना	28.73
सुरक्षा एवं अन्य सेवा शुल्क	70.01
योग	326.59

Note 49

DISCLOSURE OF RATIOS:	2023-24		2022-23		Increase/ Decrease from Previous Year	Remarks
Current Ratio:		165.91		257.66	-55%	Increase in Other Financial Liability
Current Asset	62,841.81		58,545.89			
Current Liabilities	378.78		227.22			
Debt-Equity Ratio:		0.02		0.01	60%	Increase in Other Financial Liability
Total Liabilities	3,632.80		1,437.29			
Total Share Holder Equity	214,543.00		209,927.15			
Debt Service coverage Ratio						
Operating income	53.23		5306.68			
Short term debt & current portion of long term debt	-		-			
Return on Equity Ratio:		0.01		0.01	-2%	
Net Income/surplus	3,083.06		3,037.42			
Share holder Equity	214,543.00		209,927.15			
Inventory Turnover Ratio:						
Cost of Good sold	-					
Average Inventory for same period	-					
Trade Receivable Ratio:						
Net Sale	-					
Average account receivable	-					
Trade Payable Ratio:						
Average No. of Days for amount due	-					
Average no of days i.e. 365	-					
Net Capital Turnover Ratio:		0.03		0.03	1%	
Total sales /Reenue from Operation	5,491.03		5,312.74			
Share Holder Equity	214,543.00		209,927.15			
Net Profit/Surplus Ratio:		0.56		0.56	-1%	
Revenue-Cost	3,070.27		2,993.11			
Revenue	5,491.03		5,312.74			
Return on Capital Employed Ratio:		0.01		0.01	-1%	
Earning before intt. & tax	3,081.79		3,035.27			
Capital Employed(Total Asset- Curent Liability)	214,593.92		209,966.14			
Return on Investment:		0.01		0.01	-1%	
Net Income/ Surplus	3,081.79		3,035.27			

टिप्पणी 49

अनुपातों का प्रकटीकरण	2023-24		2022-23		गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी	टिप्पणियाँ
वर्तमान अनुपात:		165.91		257.66	-55%	
वर्तमान परिसंपत्ति	62,841.81		58,545.89			अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि
वर्तमान देयताएं	378.78		227.22			
ऋण-इक्विटी अनुपात:		0.02		0.01	60%	
कुल देयताएं	3,632.80		1,437.29			अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि
अंश धारक के कुल अंश	214,543.00		209,927.15			
ऋण सेवा कवरेज अनुपात:						
परिचालन आय	53.23		5306.68			
अल्पावधि ऋण एवं दीर्घकालिक ऋण का वर्तमान भाग	-		-			
इक्विटी अनुपात से वापसी:		0.01		0.01	-2%	
शुद्ध आय/आधिक्य	3,083.06		3,037.42			
साम्य अंश धारक	214,543.00		209,927.15			
वस्तु सूची व्यवसाय अनुपात:						
बेचे गए सामान की लागत	-					
इसी अवधि के लिए औसत इन्वेंट्री	-					
व्यापार प्राप्य अनुपात:						
शुद्ध बिक्री	-					
प्राप्य औसत खाते	-					
व्यापार देय अनुपात:						
दिनों की औसत संख्या जब से धनराशि देय है	-					
दिनों की औसत संख्या अर्थात् 365	-					
शुद्ध पूंजी व्यवसाय अनुपात:		0.03		0.03	1%	
योग बिक्री / संचालनों से आय	5,491.03		5,312.74			
साम्य अशधारक	214,543.00		209,927.15			
शुद्ध लाभ/अधिशेष अनुपात:		0.56		0.56	-1%	
राजस्व-लागत	3,070.27		2,993.11			
राजस्व	5,491.03		5,312.74			
नियोजित पूंजी अनुपात पर वापसी:		0.01		0.01	-1%	
ब्याज एवं कर से पूर्व आय	3,081.79		3,035.27			
नियोजित पूंजी (कुल परिसंपत्ति-वर्तमान देयताएं)	214,593.92		209,966.14			
निवेश पर वापसी:		0.01		0.01	-1%	
शुद्ध आय/ आधिक्य	3,081.79		3,035.27			

DISCLOSURE OF RATIOS:	2023-24		2022-23		Increase/ Decrease from Previous Year	Remarks
Cost of Investment(Total Asset- Curent Liability	214,593.92		209,966.14			

Note 50 Previous year's figures have been regrouped /reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification/ disclosure.

Note 51 Approval of financial Statement

The Financial Statement were approved for issue by the Board of Directors on 11.07.2024.

Signatories to Note 1 to 51

For and on behalf of the Board of Directors

**As per our Report of even date attached
For D.C. Garg & Co.**
Chartered Accountants
FRN 500035N

Sd/-
(SANJAY KUMAR SINGH)
Director
(DIN No.09403132)

Sd/-
(RAJAN SEHGAL)
Managing Director
(DIN No. 03633935)

Sd/-
Partner : Sandeep Garg
M.No. 075312
UDIN : 24075312BKEQTT224
Place: New Delhi
Date: 11.07.2024

Sd/-
(AJIT KUMAR SAMAL)
S.G.M. (Finance) & Company Secretary

अनुपातों का प्रकटीकरण	2023-24		2022-23		गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी	टिप्पणियाँ
निवेश की लागत (कुल परिसंपत्ति-वर्तमान देयता)	214,593.92		209,966.14			

टिप्पणी 50 जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के मद्देनज़र पुनःसमूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 51 वित्तीय विवरण का अनुमोदन

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने हेतु दिनांक 11.07.2024 को जारी किया गया।
गया।

टिप्पणी 1 से 51 तक हस्ताक्षरकर्ता

इसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते डी.सी. गर्ग एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन 500035एन

ह0 /-
भागीदार: संदीप गर्ग
सदस्य सं. - 075312
यू.डी.आई.एन.: 24075312BKEQTT224

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.07.2024

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से,

ह0 /-
(संजय कुमार सिंह)
निदेशक
(डिन सं. 09403132)

ह0 /-
(राजन सहगल)
प्रबंध निदेशक
(डिन सं.- 03633935)

ह0 /-
(अजित कुमार सामल)
वरि. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कंपनी सचिव



राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)

5वीं मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016

ई-मेल : info@nbcfdc.gov.in | वेबसाइट : www.nbcfdc.gov.in

National Backward Classes Finance & Development Corporation

(A Govt. of India Undertaking, Ministry of Social Justice & Empowerment)

5th Floor, NCUI Building, 3 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016

E-mail : info@nbcfdc.gov.in | Website : www.nbcfdc.gov.in